खण्ड–523, अंक–03
बुधवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1945
(दिनांक 09 अगस्त, 2023 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2023)

(खण्ड 523 में 05 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2024

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-8
प्रश्नोत्तर	9-170
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार	170-171
देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह के ऊपर सदन में अमर्यादित टिप्पणी किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	171-172
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ	173-174
जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वसुंधरा विहार आवासीय क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद जौनपुर के सिटी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पूर्वांचल स्किन क्लीनिक से सद्भावना कॉलोनी के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	175
जनपद अमरोहा के ग्राम हादीपुर से सेखुपुरा तक मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	176
जनपद प्रयागराज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम नैनी को जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176
जनपद मिर्जापुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के कोन ब्लाक में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	176-177
जनपद झाँसी में झाँसी जेल चौराहे से झाँसी होटल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में कतिपय विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	177-179
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम सरकरा से ग्राम जसाईनगर तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हो चुके ऐतिहासिक पत्थरगढ़ किला सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	179-180

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुइली-सेमरी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180
गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण में हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उल्लंघन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	180-181
जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में चकबंदी अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	181
जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	181-182
जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित नगर पंचायत में मानक विरुद्ध हो रहे कार्य की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	182
जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा स्थान चिन्हित कर चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	182-183
जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माँ शाकुम्भरी देवी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	183
जनपद आगरा के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुर चुंगी क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के नाले के किनारों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	183-184
जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत बहुआरा में मनरेगा द्वारा किये गये फर्जी कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184
जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र में अलीगंज देहली मिटनी होते हुए प्रभातनगर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	184-185
जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत पड़री से जौगढ़ तथा शिव प्रसाद फिलिंग स्टेशन के बीच जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	185-186
प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियन्ता का पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	186-187
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ	187
वक्तव्य के दौरान पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	187-188
पूर्व सदस्य श्री मोविन अहमद के निधन की सूचना सदन में न लिये जाने के सम्बन्ध में	188
मा0 सदस्य के जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई	188
सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2020 (खण्ड-1 व 2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	188-189
अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 का लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2017 (लो0आ0) दिनाँक 12-12-2017, (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	189
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 (सदन के पटल पर रखा गया)	189
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 (सदन के पटल पर रखा गया)	189
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवाँ वार्षिक प्रतिवदेन वर्ष 2020-2021 (सदन के पटल पर रखा गया)	189
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 विलम्ब के कारणों सहित (सदन के पटल पर रखी गयी)	189-190
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 (सदन के पटल पर रखी गयी)	190

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष 2022-2023 का 150वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल रखा गया) ...	190
उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष 2022-2023 का 151वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	190-191
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	191
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	191
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	191
उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	192
याचिकाओं का उपस्थापन	192
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192
डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192
श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192
श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	192-193
श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193
श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193
श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193
श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	193-194
श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	194
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	194
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	194
डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	194
श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	194
श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुथी मानी गयी)	195
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195
श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	195-196

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196
श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	196-197
श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	197
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	197-198
श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	198
श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	198
श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	199
श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जपनद मेरठ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	199
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	199
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	200
श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मीरजापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	200
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	201
श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	201
श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	202
श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	202-203

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	203
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	203
श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	203
श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	203
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	203
श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	203-204
श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	204
श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	204
श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	204
डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	204
श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	204
श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	205
श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	205
श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	205

विषय	पृष्ठ संख्या
श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	205
श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	205
श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	206
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	207
श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	207
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	207
श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	207
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	207
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुयी मानी गयी)	207-208

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	208
उ0प्र0 अट्ठारहवीं विधान सभा की नियम समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 से सम्बन्धित है, में संशोधन पर चर्चा ...	208-230
प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुये विलम्ब पर आज तक उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री का वक्तव्य ...	230-263
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	264-271
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	272
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	272-278
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	278-281
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित) ...	281-284
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 (पारित) ...	284-300
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (पारित)	300-304
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प (अस्वीकृत)	304
उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 (पारित)	304-330
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	330-332
जनपद अमेठी में मनरेगा के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ न मिलने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	332-336
प्रदेश के आयुष विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य	336-338

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद सहारनपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य	339
जनपद सहारनपुर के नगर निगम सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन सफाई एवं नए सीवर लाइन का कार्य सही ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	340-341
जनपद जौनपुर के जिला पंचायत में दिनाँक 03-07-2021 से वर्तमान तक किये गये अधोमानक कार्यों के भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	341
जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विषधन-अर्मापुर फोर लेन मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहित सोनकर 'राहुल बच्चा' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	342
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में कतिपय राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	342-346
नत्थियाँ	347-384

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 09 अगस्त, 2023

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-372

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश, श्री — आजमगढ़
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, डॉ0 — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
11. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
12. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
13. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
14. अनिल प्रधान, श्री — चित्रकूट
15. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
16. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
17. अनिल कुमार सिंह, श्री — उन्नाव
18. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
19. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
20. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
21. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
22. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
23. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
24. अभिजीत सिंह 'साँगा', श्री — कानपुर नगर
25. अमन गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
26. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
27. अमित सिंह चौहान, डा0 — अयोध्या
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अरमान खान, श्री — लखनऊ
30. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अलका सिंह, श्रीमती — हरदोई
33. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
34. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
40. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
41. आकाश सक्सैना (हनी), श्री — रामपुर
42. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
43. आर0 के0 पटेल, डॉ0 — जौनपुर
44. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
45. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
46. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं

48. आशुतोष शुक्ल, श्री उन्नाव
49. आशु मलिक, श्री सहारनपुर
50. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
51. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
52. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
53. उमर अली खान, श्री सहारनपुर
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. ऊषा मौर्या, श्रीमती फतेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री महराजगंज
57. एम0पी0 आर्य, डॉ0 बरेली
58. ओमकुमार, श्री बिजनौर
59. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
60. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
61. ओममणी वर्मा, श्रीमती बांदा
62. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
63. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री आजमगढ़
64. कमाल अख्तर, श्री मुरादाबाद
65. कविन्द्र चौधरी, श्री बस्ती
66. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
67. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
68. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
69. केतकी सिंह, श्रीमती बलिया
70. कैलाश, श्री चन्दौली
71. कैलाश नाथ, श्री बलरामपुर
72. कैलाश राजपूत, श्री कन्नौज
73. गणेश चन्द्र, श्री सन्तकबीरनगर
74. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
75. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती प्रयागराज
76. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती औरैया
77. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री प्रयागराज
78. गुलाब देबी, श्रीमती सम्भल
79. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री जालौन
82. चंदन चौहान, श्री मुजफ्फरनगर
83. चन्द्रपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
84. चन्द्र प्रकाश लोधी (एडवोकेट), श्री फतेहपुर
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
87. जगदीश नारायण, श्री जौनपुर
88. जय कुमार सिंह जैकी, श्री फतेहपुर
89. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
90. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री पीलीभीत
91. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
92. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जयमंगल, श्री महराजगंज
95. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जाहीद, श्री भदोही
98. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
99. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
100. जीत लाल पटेल, श्री प्रतापगढ़
101. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
102. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री महराजगंज
103. डी0सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
104. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
105. तुफानी सरोज, श्री जौनपुर
106. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्धनगर
107. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
108. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
109. दयाशंकर सिंह, श्री बलिया
110. दिनेश रावत, श्री बाराबंकी
111. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
112. दीपक कुमार मिश्र ''शाका'', श्री देवरिया

113. दुधराम, श्री बस्ती
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
116. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
117. देवेन्द्र सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री बुलन्दशहर
119. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
122. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता "नन्दी", श्री प्रयागराज
124. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नसीर अहमद खां, श्री रामपुर
127. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
128. नादिरा सुल्तान उर्फ बिटिया, श्रीमती कासगंज
129. नासिर कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
132. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
134. नील रतन सिंह, श्री वाराणसी
135. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
136. पंकज पटेल, श्री जौनपुर
137. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
138. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
139. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
140. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
141. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
142. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
143. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
144. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
145. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
146. पूजा, श्रीमती आजमगढ़
147. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
148. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
152. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
153. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
154. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
155. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
156. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
157. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
158. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
159. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
160. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
161. प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री गोण्डा
162. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
163. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
164. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
165. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
166. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
167. बाबूराम, श्री पीलीभीत
168. बाबूलाल, श्री आगरा
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
171. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
172. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
173. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
174. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
175. बेदी, श्री गाजीपुर
176. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा

177. ब्रजभूषण राजपूत, श्री — महोबा
178. ब्रजेश पाठक, श्री — लखनऊ
179. ब्रजेश यादव, श्री — बदायूं
180. ब्रिजेश, श्री — सहारनपुर
181. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री — आगरा
182. भूपेश चौबे, श्री — सोनभद्र
183. मदन भैया, श्री — मुजफ्फरनगर
184. मंजू त्यागी, श्रीमती — खीरी
185. मनीष असीजा, श्री — फिरोजाबाद
186. मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री — कुशीनगर
187. मनीष रावत, श्री — सीतापुर
188. मनीषा, श्रीमती — हमीरपुर
189. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री — रायबरेली
190. मनोज कुमार पारस, श्री — बिजनौर
191. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 — हमीरपुर
192. मनोहर लाल, श्री — ललितपुर
193. मन्जू शिवाच, डॉ0 — गाजियाबाद
194. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री — अमेठी
195. महबूब अली, श्री — अमरोहा
196. महाराजी प्रजापति, श्रीमती — अमेठी
197. महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री — अमरोहा
198. महेन्द्र नाथ यादव, श्री — बस्ती
199. महेन्द्र पाल सिंह, श्री — गोरखपुर
200. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री — बदायूं
201. महेश त्रिवेदी, श्री — कानपुर नगर
202. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री — सिद्धार्थनगर
203. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — हरदोई
204. मारिया अली, श्रीमती — बहराइच
205. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती — बुलन्दशहर
206. मुकेश चौधरी, श्री — सहारनपुर
207. मुकेश चन्द्र वर्मा, डा0 — फिरोजाबाद
208. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती — अलीगढ़
209. मूल चन्द्र सिंह, श्री — जालौन
210. मेघश्याम, श्री — मथुरा
211. मो0 ताहिर खान, श्री — सुल्तानपुर
212. मोहन वर्मा, श्री — कुशीनगर
213. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री — कानपुर नगर
214. मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', श्री — कानपुर नगर
215. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री — मुरादाबाद
216. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री — आगरा
217. योगेश धामा, श्री — बागपत
218. योगेश वर्मा, श्री — खीरी
219. योगेश शुक्ला, श्री — लखनऊ
220. रघुराज प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
221. रजनी तिवारी, श्रीमती — हरदोई
222. रत्नाकर मिश्रा, श्री — मिर्जापुर
223. रफीक अंसारी, श्री — मेरठ
224. रमापति शास्त्री, श्री — गोण्डा
225. रमा शंकर सिंह, श्री — मिर्जापुर
226. रमेश सिंह, श्री — जौनपुर
227. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री — जौनपुर
228. रमेश जायसवाल, श्री — चन्दौली
229. रविदास मेहरोत्रा, श्री — लखनऊ
230. रवि शर्मा, श्री — झांसी
231. रवीन्द्र जायसवाल, श्री — वाराणसी
232. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री — अलीगढ़
233. रश्मि आर्य, डॉ0 — झांसी
234. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री — महोबा
235. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
236. राकेश प्रताप सिंह, श्री — अमेठी
237. राकेश राठौर, श्री — सीतापुर
238. राकेश सचान, श्री — कानपुर देहात
239. रागिनी, डॉ0 — जौनपुर
240. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 — बरेली
241. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री — इटावा

242. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
243. राजपाल सिंह बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
244. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
245. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
246. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
247. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
248. राजीव सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
249. राजीव सिंह ''पारीक्षा'', श्री झाँसी
250. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
251. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
252. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
253. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
254. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
255. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
256. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
257. राजेश्वर सिंह, श्री लखनऊ
258. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा
259. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
260. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
261. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
262. रामकेश निषाद, श्री बांदा
263. रामखिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
264. रामचन्द्र यादव, श्री अयोध्या
265. रामदुलार, श्री सोनभद्र
266. रामनरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
267. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
268. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
269. राम प्रताप वर्मा उर्फ शशिकान्त वर्मा, श्री बलरामपुर
270. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
271. राम बिलाश चौहान, श्री मऊ
272. राम मूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
273. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
274. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
275. राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
276. रिंकी कोल, श्रीमती मिर्जापुर
277. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
278. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
279. लकी यादव, श्री जौनपुर
280. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
281. लक्ष्मी राज सिंह, श्री बुलन्दशहर
282. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
283. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
284. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
285. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
286. विजमा यादव, श्रीमती प्रयागराज
287. विजयपाल (आढ़ती), श्री हापुड़
288. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
289. विनय प्रकाश गोंड, श्री कुशीनगर
290. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
291. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
292. विनोद कुमार बिन्द, डॉ0 मिर्जापुर
293. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
294. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
295. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
296. विपिन कुमार डेविड, श्री एटा
297. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
298. विपुल दुबे, श्री भदोही
299. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
300. वीरेन्द्र यादव, डॉ0 गाजीपुर
301. विवेक कुमार वर्मा, श्री पीलीभीत
302. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
303. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
304. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
305. शफीक अहमद अंसारी, श्री रामपुर

306. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री — देवरिया
307. शशांक त्रिवेदी, श्री — सीतापुर
308. शशांक वर्मा, श्री — खीरी
309. शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री — बरेली
310. शाहिद मंजूर, श्री — मेरठ
311. शिव प्रताप यादव, डॉ0 — बलरामपुर
312. शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
313. श्याम प्रकाश, श्री — हरदोई
314. श्याम बिहारी लाल, प्रो0 — बरेली
315. श्यामधनी राही, श्री — सिद्धार्थनगर
316. श्याम सुन्दर, श्री — रायबरेली
317. श्रीकान्त कटियार, श्री — उन्नाव
318. श्रीराम चौहान, श्री — गोरखपुर
319. संग्राम यादव, डॉ0 — आजमगढ़
320. संग्राम सिंह, श्री — बलिया
321. संजय कुमार शर्मा, श्री — बुलन्दशहर
322. संजय सिंह गंगवार, श्री — पीलीभीत
323. संजीव अग्रवाल, श्री — बरेली
324. संजीव कुमार गोंड, श्री — सोनभद्र
325. संजीव कुमार दिवाकर, श्री — एटा
326. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
327. संदीप सिंह, श्री — प्रयागराज
328. सचिन यादव, श्री — फिरोजाबाद
329. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
330. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
331. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
332. सभाकुंवर, श्री — देवरिया
333. समरपाल सिंह, श्री — अमरोहा
334. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 — गोरखपुर
335. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
336. सरोज कुरील, श्रीमती — कानपुर नगर
337. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
338. सर्वेश सिंह, श्री — फिरोजाबाद
339. सलोना कुशवाहा, श्रीमती — शाहजहांपुर
340. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
341. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — प्रयागराज
342. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
343. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
344. सुनील पटेल, डॉ0 — वाराणसी
345. सुभाष त्रिपाठी, श्री — बहराइच
346. सुरभी, डॉ0 — फर्रुखाबाद
347. सुरेन्द्र कुमार कुशवाहा, श्री — कुशीनगर
348. सुरेन्द्र चौरसिया, श्री — देवरिया
349. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
350. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहांपुर
352. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
353. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
354. सुशांत सिंह, कुँवर — बिजनौर
355. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
356. सुशील सिंह, श्री — चन्दौली
357. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री — गाजीपुर
358. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
359. सैय्यदा खातून, श्रीमती — सिद्धार्थनगर
360. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0 — मेरठ
361. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
362. सौरभ सिंह सोनू, श्री — खीरी
363. स्वामी ओउ्मवेश, श्री — बिजनौर
364. हंसु राम, श्री — बलिया
365. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
366. हरिओम, श्री — कासगंज
367. हरिप्रकाश वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
368. हरीश चन्द्र, श्री — बदायूं
369. हरेन्द्र सिंह, श्री — हापुड़
370. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — प्रयागराज

371. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज	372. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :-नगर विकास, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री (श्री ए0के0 शर्मा), आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दया शंकर मिश्र ''दयालु''), सहकारिता राज्य मंत्री (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (श्री दिनेश प्रताप सिंह), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) श्री सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में गन्ना फसल हेतु उन्नत बीज विकसित करने हेतु क्रियाशील प्रयोगशालाओं की जानकारी एवं निःशुल्क बीज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

***01-श्री स्वामी ओउ्मवेश-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने की फसल को लाभकारी बनाने के उद्देश्य से रोग रहित एवं उन्नत बीज विकसित करने हेतु कितनी प्रयोगशालाएं वर्तमान में क्रियाशील हैं ? क्या सरकार की किसानों को गन्ना उत्पादन हेतु निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

प्रदेश में गन्ने की रोग एवं कीट प्रतिरोधी अधिक उपज देने वाली उन्नत गन्ना किस्मों के विकास तथा उन्नत किस्मों के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद्, शाहजहांपुर की स्थापना की गई है। उक्त संस्था के अन्तर्गत मध्य उ0प्र0 में स्थित गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर, पश्चिमी उ0प्र0 में स्थित गन्ना शोध केन्द्र, मुजफ्फरनगर व पूर्वी उ0प्र0 में स्थित गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान सेवरही पर उन्नत गन्ना किस्मों के विकास हेतु शोध कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। उपरोक्त शोध संस्थानों/केन्द्रों के साथ-साथ शोध परिषद् के अधीन स्थित अन्य 06 शोध/बीज सम्वर्द्धन केन्द्रों पर स्थित कृषि फार्मों, निजी एवं सहकारी चीनी मिलों के कृषि फार्मों पर उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद् की देख-रेख में उच्च गुणवत्तायुक्त, रोगरहित अभिजनक गन्ना बीज का उत्पादन कर त्रिस्तरीय बीज उत्पादन के अन्तर्गत आधार पौधशाला की स्थापना हेतु कृषकों को वितरित किया जाता है और कृषक प्रक्षेत्रों पर उत्पादक आधार बीज से प्राथमिक बीज गन्ना का उत्पादन कर सामान्य बुआई हेतु कृषकों में वितरित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत संचालित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में भी गन्ने पर शोध एवं किस्म विकास का कार्यक्रम सम्पादित होता है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत अभिजनक बीज उत्पादन पर रु0 40,000/- हेक्टेयर का अनुदान पौधशाला धारक किसान अथवा संस्थान को दिया जाता है। उक्त के अतिरिक्त आधार बीज गन्ना वितरण पर रु0 50/- प्रति कुन्टल एवं प्राथमिक बीज वितरण पर

रु0 25/- प्रति कुन्टल का अनुदान पौधशाला धारक गन्ना कृषकों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अथवा जिला योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है।

गन्ना किसानों को निःशुल्क बीज दिये जाने की कोई योजना सरकार के अधीन विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष-

जी सपा के स्वामी जी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

आपने मुझे किसानों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने पहला प्रश्न तारांकित ही मेरे नाम कर दिया और ऐसा लगा कि कल का स्टाफ का मामला सिर चढ़ कर बोला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने निश्चित रूप से मेरी सिफारिश आपको की होगी, इसीलिए पहला प्रश्न मेरा है।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन अब तो बताइये कि सभी के योगी हैं, सिर्फ सपा के नहीं, बोलिए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

हाँ जी सब के योगी हैं।

श्री अध्यक्ष-

हाँ, तब ठीक है।

(सदन में हंसी)

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

माननीय अध्यक्ष महोदय, गन्ने की फसल किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है, इसको हम कैशक्राप के रूप में भी जानते हैं। किसान हमेशा जो भी अपने विशेष काम करते हैं, वह गन्ने की फसल के ऊपर ही बजट बना कर करते हैं। किसान बेटी की शादी करना चाहता है तो वह सोचता है कि गन्ने का पैसा आयेगा तो बेटी की शादी करूँगा। बिजली के विल

भरूँगा, मकान बनाऊँगा, ट्रैक्टर खरीदूँगा लेकिन समय पर गन्ने का पेमेण्ट न होने के कारण किसान जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर रात को जाता है तो उसको नींद नहीं आती है, करवट बदलता रहता है और वह सोचता रहता है कि बेटी 30 वर्ष की हो गयी है, गन्ने का पैसा नहीं मिला, उसकी शादी कैसे करूंगा। लाइनमैन ने कह दिया है कि अगर कल तक बिजली का बिल जमा नहीं हुआ तो लाइन काट दूंगा, यह चिंता उसको खाए जाती है। उसने अपने बच्चों की फीस नहीं भरी है। जब पिता घर जाता है तो सुबह-सुबह बच्चे टाँगों से चिपक जाते हैं और पापा पापा कह कर 'मेरी फीस भर दो, नहीं तो मास्टर साहब नाम काट देगा' ऐसा कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न करिए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, पूरी रात किसान को करवट बदलते निकल जाती है फिर अपने काम पर चला जाता है। मान्यवर, यह गन्ने की फसल बहुत महत्वपूर्ण है। गन्ने में बीमारी बहुत लगती है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिए, जो उत्तर आया है, उसे पढ़िए और उस पर अनुपूरक करिए।

श्री स्वामी ओउ्मवेश-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। गन्ने में बीमारी लगती है और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ती चली जाती है, इसलिए मैं चाहूँगा कि क्या गन्ना मंत्री निःशुल्क इन्सेक्टिसाइट और पेस्टीसाइट किसान को उपलब्ध कराने का काम करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या गन्ने का रेट 400 रुपये प्रति कुंतल बढ़ाने का काम करेंगे ? जिससे किसान गन्ने की फसल को ज्यादा बोयेगा। मैंने जो बातें आपके सामने रखी हैं, यह बहुत जरूरी है इसलिए मैं चाहूँगा कि निःशुल्क गन्ने की नयी-नयी वैरायटी पैदा करके किसान को उपलब्ध करायी जाये। बिजनौर जिले में 9 मिलें चल रही हैं, 10वीं इस साल शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं चाहूंगा कि एक शोध केन्द्र भी बिजनौर जिले के अंदर स्थापित होना चाहिए क्योंकि जिले में कहीं भी 10 मिलें नहीं हैं, बिजनौर से अलग। धन्यवाद।

(श्री लक्ष्मी नारायण, मंत्री के अपने स्थान पर खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, उन्होंने सुझाव दिया है, कोई प्रश्न नहीं किया है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के सम्बन्ध में

***02-श्री अनिल प्रधान, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री जयप्रकाश अंचल तथा श्री गुलाम मौहम्मद-**

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन से आच्छादित करने की योजना पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में दिनांक 01 अप्रैल 2005 से नयी पेंशन योजना (एन0पी0एस0) लागू है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने तथा न केवल सरकारी कर्मचारियों अपितु संगठित/असंगठित क्षेत्र के कार्मिकों तथा सामान्य जन के लिए बेहतर राष्ट्रव्यापी वृद्धावस्था सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य के साथ लायी गयी है।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे प्रदेश में लगभग 15 से 20 लाख कर्मचारी व अधिकारी हैं जिनको मिलने वाली पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन व्यवस्था (ओ0टी0एस0) को समाप्त कर शोषणकारी व विभेदकारी नयी पेंशन व्यवस्था एन0पी0एस0 लागू कर दी गयी है जो न तो कर्मचारियों के हित में है और न ही प्रदेश के हित में है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद एन0पी0एस0 के तहत् 1000 से 4000 रुपये तक की पेंशन प्रदान की जाती है जिससे उन्हें अपना जीवन-यापन करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतने कम पैसे में वह अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखेंगे और कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। जो कर्मचारी आपकी और हमारी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, यह उनसे जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक कीजिये।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर माननीय सांसदों, माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों और पूर्व विधायकों को पुरानी पेंशन दी जाती है उसी प्रकार से शिक्षकों और राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है ? वर्ष 2004 में जब माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद किया था और कहा था कि इसमें 10 प्रतिशत कर्मचारी का और 10 प्रतिशत सरकार का फण्ड जायेगा। इससे शिक्षक और प्रदेश के अन्य 20 लाख कर्मचारियों का भला होगा। लेकिन जब हमारी सरकार आयी और यह पता चला कि यह कर्मचारियों के साथ छलावा हो रहा है तो हमारी पार्टी ने वर्ष 2022 के चुनाव में इसके लिए घोषणा की।

श्री अध्यक्ष-

अनिल जी, प्रश्न कीजिये नहीं तो आपको बैठा दूंगा। आपको भाषण देने के लिए नहीं बोला है।

श्री अनिल प्रधान-

मान्यवर, उसी ओर आ रहा हूं। यह मेरा पहला अनुपूरक है।

श्री अध्यक्ष-

उसी ओर नहीं, उसी पर आईये।

श्री अनिल प्रधान-

माननीय मंत्री जी का पुरानी पेंशन से सम्बन्धित जो जवाब आया है उसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने की बात कर रहे हैं। जो नयी पेंशन योजना है उसमें 14 प्रतिशत सरकार का और 10 प्रतिशत कर्मचारियों का अंशदान होता है। वह पैसा सरकारी खजाने में न जाकर एस0बी0आई0, यू0टी0आई0, पी0एन0बी0 आदि मदों में जाता है और इससे केवल पूंजीपतियों की तिजोरी को भरा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न क्या है, वह पूछिये ?

श्री अनिल प्रधान-

माननीय अध्यक्ष जी, यही मेरा प्रश्न है कि वह पैसा आखिर कहां जा रहा है। मेरा दूसरा अनुपूरक है कि न्यायालय एवं सैन्यकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो हमारे अर्द्धसैनिक बल हैं उनको इस पेंशन योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है ? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि एन0पी0एस0 के द्वारा वृद्धावस्था, सुरक्षा व्यवस्था को विकसित करेंगे जबकि राज्य के पास तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, इतनी मदें है कि वह वृद्धजनों को अन्य व्यवस्था से दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। इनका माईक बंद कीजिये। अनुशासनहीनता नहीं, नहीं तो मैं एक सेकेण्ड में बाहर निकाल दूंगा। बैठ जाईये।

श्री पंकज कुमार मलिक-

माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो मुख्य मंत्री जी हैं उन्होंने भी इसके सन्दर्भ में पहले इसका समर्थन किया था। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से

पूछना चाहता हूं कि जब भारत के 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, हिमांचल प्रदेश, पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल कर दी गयी है और कर्नाटक में बहाल करने की तैयारी है तो फिर आपके यहां क्या दिक्कत है ? कर्मचारी तो आपका भी और हमारा भी वोटर हो सकता है। क्या इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी ? मान्यवर, एक व्यवहारिक दिक्कत मैं आपको बता रहा हूं। जो टीचर्स और कर्मचारी राज्य सरकार में नौकरी करते हैं, जिनकी तनख्वाह 89000 से 1,00,000 के आस-पास थी आज उन्हें 50,000-60,000 पेंशन मिलनी चाहिए। उन्होंने लम्बे समय तक राजकीय सेवा करने का काम किया है। मान्यवर उन्हें केवल 2000, 3000, 4000 रुपये पेंशन मिल रही है। मान्यवर, कर्मचारी भी यहीं के नागरिक हैं सरकार को इस पर गम्भीरता दिखाते हुए काम करना चाहिए। मान्यवर, जनपद मुजफ्फरनगर के श्री रामदास जी, सेवानिवृत्त हो गये। श्री रामदास जी का जब नौकरी का लास्ट समय चल रहा था तब उनकी तनख्वाह रु0 80,000 थी। आज उन्हें 3200 रुपये पेंशन मिल रही है। एक व्यवहारिक दिक्कत और ज्यादा है जीवन भर जिसने नौकरी की हो प्रदेश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी यह सोचते हैं कि आज ये कंगाल हैं, उनका सम्मान कम होता है। इस पर गम्भीरता से सरकार विचार करेगी या नहीं ? पुरानी पेंशन बहाल करने का काम सरकार कब तक करेगी ?

श्री गुलाम मौहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, यहां दूसरे प्रदेशों की तरह से पेंशन योजना वर्ष 1950 में लागू हुई। पेंशन होने से कर्मचारियों को इज्जत और मान-सम्मान रिटायरमेंट के बाद भी मिलता था। कर्मचारियों को सैलरी का लगभग आधा 50 परसेंट पेंशन मिल जाती थी, जो एक अच्छा-खासा हैण्डसम एमाउण्ट था, नयी पेंशन योजना ला करके उसे बंद कर दिया गया है। जब कुछ प्रदेशों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ भी देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। जो रिटायर्ड कर्मचारी है, उनको एक हैंडसम एमाउण्ट मिलता था और उनको मिलना भी चाहिए ताकि वह भी अपना गुजारा अपने रिटायरमेण्ट के बाद ठीक-ठाक तरह से कर सकें, वह भी अपनी ससम्मान जिन्दगी गुजार सकें, वह अपने बच्चों, नाती-पोतों को कुछ अपनी तरफ से दे सकें। उनका भी ख्याल रख सकें, बजाय इसके कि वह अपमान वाली जिन्दगी गुजारें कि एक बूढ़ा कोने में पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि उस तरह की पेंशन लागू हो। इसमें 10 परसेण्ट तो सैलरी से कट जाता है और 14 परसेण्ट एम्प्लॉयर देता है और उसके बाद में जो उसका इन्वेस्टमेण्ट का मामला आता है, उसके 40 परसेण्ट पर टैक्स भी लगता है तो यह इस तरह की ज्यादती है और बहुत अच्छा एमाउण्ट नहीं मिलता है। उनको गुजारे के लायक एमाउण्ट नहीं मिलता है। मेरी आपके जरिये सरकार और माननीय वित्त मंत्री जी से दरखास्त है कि इस पर दोबारा से सोचें और कर्मचारियों के हित में, उनके बुढ़ापे

को अच्छी तरह से गुजारने के लिए सोचें। चूँकि वह सारी जिन्दगी सेवा करते हैं और तन, मन, धन लगाकर सेवा करते हैं, उनके भविष्य का ख्याल रखें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब आप बैठें। माननीय मंत्री जी इनका जो सुझाव है, इसको नोट कर लीजिएगा।

(सदस्य, श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर अनुपूरक प्रश्न पूछने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, इसमें जिनके नाम हैं, उनको बुलाने दीजिए। उनको बुलाये बिना मैं आपको कैसे बुला सकता हूँ।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से प्रश्न किया था कि जिस तरह से प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने अपना पूरा का पूरा कार्यकाल जनता की सेवा में देने का काम किया है। लेकिन जब उसे बुढ़ापे में सहारे की आवश्यकता पड़ती है तो जिस तरह से केन्द्र और राज्य सरकार ने पेंशन बन्द करने का काम किया है, इससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, हम लोगों ने माँग किया है कि जिस तरह से अन्य लोगों को पेंशन के इंतजाम हैं, उसी तरह से प्रदेश के कर्मचारियों को भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए जब पूरी सेवा देने के बाद कर्मचारी रिटायर होकर अपने घर जाता है तो उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है कि वह अपने अंतिम समय का जीवनयापन कैसे चलाये। क्योंकि जब तक वह नौकरी में रहता है तब तक वह उस पैसे से अपने घर बनाने से ले करके अपने बेटे-बेटियों की शादी करने में अपना धन व्यय करने का काम करता है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब उसका बुढ़ापा आता है तो उसके पास कोई व्यवस्था नहीं रह जाती है।

श्री अध्यक्ष-

वह सब बोल चुके हैं, आप प्रश्न पूछिये।

श्री जय प्रकाश अंचल-

मान्यवर, इसलिए पुनः हम लोग अपनी तरफ से पेंशन बहाली की माँग करते हैं कि राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों के लिए पेंशन का इंतजाम होना चाहिए।

(सदस्य, श्री लालजी वर्मा के खड़े होकर अनुपूरक पूछने का पुनः प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी बार-बार खड़े हो रहे हैं, एक प्रश्न पूछ लें। भाषण नहीं देंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछूंगा, भाषण नहीं दूँगा। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सरकार के राजकोषीय स्थिति में संतुलन बनाये रखने के कारण, तो मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने कोई आँकलन किया है कि जो हम 14 परसेण्ट दे रहे हैं और उनसे कटौती कर रहे हैं, उसको मिलाकर और जो हम पेंशन देंगे, उसके खर्च में कितना अन्तर पड़ेगा, इसका कोई आंकलन किया है ? यदि नहीं किया है तो क्या उसका आंकलन करने की कृपा करेंगे ? मान्यवर, दूसरा सवाल भी महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार ने 2003 के पहले जितने विज्ञापित पद थे, चाहे नियुक्ति 2004 के बाद ही हुई है, उन सबको पुरानी पेंशन दे दिया है। क्या उसी शासनादेश के अनुसार माननीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को भी जो 2003 के पहले विज्ञापित पद थे, उनको भी पुरानी पेंशन देने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, अब माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, नई पेंशन और पुरानी पेंशन के बारे में काफी दिनों से चर्चा चल रही है लेकिन यह एक, चार, पांच से उत्तर प्रदेश में लागू है। एक, चार, पांच में किसकी सरकार थी खैर जो नई पेंशन की स्थिति है वह आपको बता दूँ। मान्यवर, दो तरीके के फण्ड कर्मचारी से काटे जाते हैं। एक पेंशन फण्ड जिसको टियर-1, दूसरा फण्ड जो जी0पी0एफ0 के बराबर होता है वह टीयर-2, उसमें 10 प्रतिशत तक आदमी कन्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो कर्मचारी है। जिस समय यह योजना बनी थी उस समय यह कहा गया था कि 10 प्रतिशत कन्ट्रीब्यूशन कर्मचारी का होगा और 10 प्रतिशत एम्प्लायर का होगा अर्थात सरकार का होगा लेकिन बाद में वर्ष 2019 में इसको बढ़ाकर सरकार की तरफ से जो कर्मचारी का कन्ट्रीब्यूशन था वह 10 प्रतिशत ही रहा और सरकार ने कर्मचारियों के हित में इसको बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया। माननीय योगी जी की सरकार ने उस समय यह निर्णय लिया था। साथ ही साथ टियर-2 रखने में पूरी सुविधा है जो 10 प्रतिशत जी0पी0एफ0 के बराबर कटता था कि कर्मचारी जब चाहे उसको विड्रा कर सकता है। उसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जिस समय नई पेंशन और पुरानी पेंशन की स्कीम के बारे में वार्ता हुई थी वर्ष 2019 में तो उस समय मैं भी था, उस समय कर्मचारी नेताओं ने यह मांग की थी कि हमें 8 प्रतिशत जो निश्चित है उसके ऊपर इंटरेस्ट या जो भी इसका प्रॉफिट है वह मिल जाय। आज मैं इस बात को आपके माध्यम से सदन में अवगत कराना चाहता हूँ कि जिस दिन से यह पेंशन आई है, पिछले 10 वर्षों का एवरेज देखें तो 9.32 प्रतिशत उन लोगों को इसका इंटरेस्ट या प्रॉफिट मिल रहा है जो वार्ता में

8 प्रतिशत मांग रहे थे। इसके साथ नई पेंशन में जो चीजे दे रहे हैं, ग्रेच्युटी की व्यवस्था यथावत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अवकाश नकदीकरण की व्यवस्था यथावत है, सामूहिक बीमा की व्यवस्था यथावत है जो पुरानी पेंशन में थी। इसके साथ चिकित्सा प्रतिपूर्ति का शासनादेश जल्द हो जायेगा।

जो नई पेंशन स्कीम है उसमें इनको प्रॉफिट कम नहीं है, वह इस उद्देश्य से बनाया गया था कि कर्मचारी किसी प्रकार से नुकसान में न रहे और उसके जो फण्ड मैनेजर हैं वह 85 प्रतिशत पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। मात्र 15 प्रतिशत धन बाजार में इन्वेस्ट होता है। यह फण्ड मैनेजरों के हाथ में है जिनके ऊपर किसी प्रकार से कोई शंका नहीं की जा सकती है और न ही उनसे यह उम्मीद की जा सकती है कि किसी प्रकार से कर्मचारियों के अहित में काम करेंगे। जो 85 प्रतिशत गवर्नमेण्ट के सिक्योरिटीज में है उसमें किसी प्रकार से कोई हीला हवाला नहीं है। जो 15 प्रतिशत के फण्ड मैनेजर हैं वह यह हैं, भारतीय स्टेट बैंक, पेंशन फण्ड प्राईवेट लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा पेंशन फण्ड लिमिटेड तथा यू0टी0आई0 रिटायरमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड। यह तीन लोग है। कर्मचारियों का नई पेंशन के तहत् जो भी पैसा कन्ट्रीब्यूट होता है 85 प्रतिशत तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाता है। 15 प्रतिशत पैसा इन फण्ड मैनेजरों के माध्यम से ऐसी कम्पनीज में लगाया जाता है कि जिसमें सिर्फ प्रॉफिट होने की उम्मीद 99 प्रतिशत होती है। जिस समय यह व्यवस्था लागू हुई थी उस समय त्रिपुरा इसमें शामिल नहीं था। अब वर्ष 2018 से त्रिपुरा भी नई पेंशन स्कीम में शामिल हो गया। इसके अलावा जो हमारे 5 लाख 59 हजार कर्मचारी हैं अभी तक नई पेंशन स्कीम में रजिस्टर हो गये, जो शासकीय कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षण संस्थाओं के तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के जो कर्मचारी हैं वह 3 लाख 66 हजार लोग इस नई पेंशन स्कीम में रजिस्टर हो चुके हैं। जितनी सुविधा आपको पुरानी पेंशन में थी उससे कहीं ज्यादा सुविधा नई पेंशन स्कीम में है। और इसलिए इसमें ज्यादा प्रॉफिट होने की सम्भावना है इसलिए इसको लागू किया गया था और मैं समझता हूं कि जितने लोग यहां बैठे है ये सारे के सारे लोग सत्ता में रहे हैं। इनके जमाने में नई पेंशन स्कीम यहां पर 01 अप्रैल, 2005 में जब लागू हुई तो सरकार किसकी थी, वर्मा जी इधर बैठते थे।

(विपक्ष के सदस्यों के टोकाटाकी करने पर)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप बीच में न बोलें, मैं जवाब दे रहा हूं उसके बाद पूछना हो तो सेप्लीमेंट्री में पूछियेगा। जो संतुलन वाली बात आपने पूछी कि क्या हमने कभी एसेस किया है तो मैं बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार का 2023-24 का जो वेतन का अनुमान है वह है 1 लाख 66 हजार 161 करोड़ रुपया यानी कि कुल राजस्व का 33 परसेंट वेतन में देते हैं। इसके अलावा 82 हजार 422 करोड़ रुपये पेंशन में देते हैं यह 16.4 परसेंट है, इन दोनों को जोड़ें

तो 49.4 परसेंट पैसा वेतन और पेंशन में आज की तारीख में हम देते हैं। जो भी हम डेवलपमेंट के लिए कर्जा लेते हैं, चूंकि कर्ज से ही हम इन्फास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, तमाम तरीके की स्कीम्स चलाते हैं, उससे रोजगार का भी सृजन होता है और हमारी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने में सहायक होता है, लगभग 50 हजार करोड़ रुपए का व्याज देते हैं, यह लगभग 10 परसेंट हुआ। तो कुल मिलाकर इन सारी चीजों को अगर एसेस किया जाय तो 59.4 परसेंट पैसा हमारा इसमें जाता है। प्रदेश को डेवलप करने का हमारा पहला लक्ष्य है, कर्मचारियों का भी हमें हित करना है और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही ऐसा किया गया है ताकि उनको समय-समय पर ज्यादा प्रॉफिट मिल जाय। अभी तक का जो प्रॉफिट है वह 8 परसेंट के स्थान पर 9.32 परसेंट है। अलग-अलग भी बता देते हैं, जहां जमा किया गया है, एसबीआई पीएफ में जो पैसा जमा हुआ उसमें 9.28 परसेंट ब्याज मिला, जो एलआईसी पीएफ में जमा किया गया उसमें 9.36 परसेंट मिला, जो यूटीआई में जमा किया गया उसमें 9.32 परसेंट मिला। कुल मिलाकर 8 परसेंट की मांग थी तो उसके अगेंस्ट 9.32 परसेंट मिला, जो इनकी अपेक्षा थी उससे ज्यादा मिला है। ज्यादातर स्टेट्स अभी भी इसी स्कीम में हैं जो अभी मलिक साहब ने कहा कि 5 स्टेट ने पुरानी पेंशन लागू कर दी अब उन्होंने किस कारणवश किया मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन मान्यवर, नई पेंशन स्कीम में सम्भावना इस बात की ज्यादा है कि कर्मचारियों को ज्यादा लाभ मिले इसलिए इसको लागू किया गया और इसको बदलने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

श्री अवधेश प्रसाद-

यह सरकार कर्मचारी विरोधी सरकार है इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का बहिर्गमन करता हूं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य 'पुरानी पेंशन बहाल करो' के नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये।)

प्रदेश में कृषि सम्बन्धी यंत्रों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखने विषयक

***03-श्री अभय सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसानों के विकास के लिए सरकार की कृषि सम्बन्धी यंत्रों यथा थ्रेसर, कल्टीवेटर, बीजक मशीन इत्यादि को जी0एस0टी0 मुक्त करने के लिए कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

जी नहीं।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर की दरों में परिवर्तन के लिए केवल जी0एस0टी0 काउंसिल ही अधिकृत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279 (ए) की उपधारा (4) के अन्तर्गत

वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसमें समस्त राज्यों एवं केन्द्र का प्रतिनिधित्व है। जी0एस0टी0 की दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय काउंसिल में पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही लिए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अभय सिंह-

मान्यवर, किसानों के हित में कौन काम करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यवर, मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या किसानों के लिए कृषि यन्त्रों को जी0एस0टी0 मुक्त करने की सरकार की कोई नीति है ? मान्यवर, इसका जवाब बहुत ही गोलमोल दिया गया है। जी0एस0टी0 काउंसिल की लगभग 50 बैठकें हो चुकी हैं हमारे प्रतिनिधि उसमें जाते हैं चाहे माननीय मुख्य मंत्री जी के माध्यम से, चाहे एसीएस महोदय के माध्यम से और चाहे कमिश्नर के माध्यम से लेकिन उन बैठकों में किसानों के लिए कृषि यन्त्रों को जी0एस0टी0 मुक्त करने के लिए आज तक हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के किसी प्रतिनिधि ने कोई प्रस्ताव नहीं रखा है। जब कि जो लग्जीरियस आइटम होता है उसमें जो 50 वीं बैठक जी0एस0टी0 काउंसिल की हुयी थी, उसमें यह रखा गया था कि जो सिनेमा हॉल में खाने पीने की जो चीजें हैं उन पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया जाए। मैंने इसकी 50 बैठक देखी हैं लेकिन एक भी बैठक में किसानों के हित के लिए कृषि यंत्रो पर जी0एस0टी0 मुक्त करने के लिए कोई प्रस्ताव आपकी सरकार ने नहीं रखा है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आगामी जी0एस0टी0 काउंसिल की बैठक जो कि सम्भवतः अगस्त में है, किसानों के हित के लिए कृषि यंत्र खरीदने के लिए क्या सरकार जी0एस0टी0 मुक्त करने का प्रस्ताव रखेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य को अगर इसके पूरे फंक्शनिंग की जानकारी हो तो, पूरा उत्तर प्रदेश इसको तय नहीं कर सकता कि किस आइटम के ऊपर कितने प्रतिशत टैक्स लगेगा। जी0एस0टी0 काउंसिल में प्रस्ताव रखा जाता है और उसमें सारे स्टेटस के रिप्रजेंटेटिव हैं तथा उसमें काफी कुछ थ्रेसआउट होने के बाद उसको पास किया जाता है, एक-एक मुद्दे के ऊपर कभी-कभी साल-साल भर लग जाता है, कभी-कभी डेढ़-डेढ़ दो-दो साल लग जाता है। मान्यवर, जो मा0 सदस्य की जिज्ञासा है, अगर इसमें यह समझ सकते होते तो मैं समझता हूं कि ये शायद यह सवाल नहीं करते। मान्यवर, जो कच्चा माल है आयरन और स्टील, इसके ऊपर 18 प्रतिशत टैक्स जी0एस0टी0 का पड़ता है। इसमें 50 प्रतिशत स्टेट का है और 50 प्रतिशत सेंट्रल का है, मेरा इसमें यह कहना है अगर कच्चे माल के ऊपर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 पड़ता है, तो उससे जो प्रोडक्ट तैयार होगा, अगर उसके ऊपर टैक्स कम होगा

तो वह निश्चित रूप से उसकी कॉस्ट बढ़ा देगा। यानी कि जो भी कृषि यंत्र निर्माता होगा, उसकी कॉस्ट बढ़ जायेगी। यह मुद्दा जी0एस0टी0 काउंसिल में चार-पांच बार आया है और हर बार इस बात पर निर्णय हुआ कि इसके ऊपर 12 प्रतिशत ही टैक्स रखा जाए, क्योंकि इससे उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। जो भी कच्चा माल बेचता है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है और होता यही है। इसी आधार के ऊपर पीडब्ल्यूडी में इस बार 18 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है, क्योंकि इसमें बीच वालों को फायदा होता था और सरकार को नुकसान होता था।

इसमें उद्देश्य यही है कि कृषि यंत्र खरीदने वालों के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े। जब निर्माता का कम खर्चा होगा, तब वह सस्ता माल बेच सकता है, लेकिन जब उसी की प्रोडेक्शन कॉस्ट ज्यादा होगी तो वह नहीं बेच सकता। इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का फार्मूला आप समझ लेते, तो यह सवाल न करते। होता यह है कि किसी कृषि यंत्र निर्माता ने अगर कच्चा माल खरीदा तो वह 18 प्रतिशत टैक्स देकर आयेगा और जब वह कृषि यंत्र बनायेगा तो उसका मूल्य उसे उसी में मिल जाएगा। अगर उसको मूल्य नहीं मिलेगा तो उसको भी नुकसान होगा और सरकार को भी नुकसान होगा। लेकिन सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन निर्माता नहीं कर पायेगा। इसलिए कई बार बात आयी कि इसका टैक्स 5 प्रतिशत कर दिया जाए, लेकिन काफी थ्रेसआउट होने के बाद इसी बात पर निर्णय हुआ कि यह 12 प्रतिशत ही रहे, इसी में सबसे कम नुकसान होगा। उसके बाद जितना भी आयातित माल है, आयातित माल को लोग ज्यादा पसन्द कर लेंगे और उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी। अगर आप हमारे साथ कक्ष में बैठेंगे तो इसका हिसाब हम आपको समझा देंगे। आप इस बात को ऐसे मान लीजिए कि हम पूरी तरह से इस बात के पक्षधर हैं कि किसानों का हित हो और हर तरीके से चाहेंगे, जो भी कृषि यंत्र उनको सप्लाई हो वह कम से कम दाम पर हो और वह कम से कम दाम में तभी हो सकते है, जब कृषि यंत्र निर्माता को कम लागत पर अपना यंत्र तैयार करने का अवसर मिलेगा।

प्रदेश में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु कार्य योजना की जानकारी

***04-डॉ0 आर0 के0 वर्मा तथा श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने हेतु कोई कार्य योजना सरकार द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 अरुण कुमार)-

जी हां।

प्रदेश में पर्यावरण सुधारने हेतु यथा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)

अधिनियम, 1981 एवं ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम 2000 यथा संशोधित प्रभावी है जिनका सतत् अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है।

1-वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना-

वायु प्रदूषण के दृष्टिगत प्रदेश के चिन्हित 17 नॉन-अटेन्मेन्ट नगरों यथा नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, खुर्जा, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा गजरौला, मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली में वायुगुणता में सुधार लाये जाने हेतु वर्तमान में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गयी कार्य योजनायें लागू हैं एवं कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 20 सम्बन्धित विभागों के स्तर से कार्यवाही किये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित है। कार्य योजना के क्रियान्वयन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु त्रिस्तरीय अनुश्रवण व्यवस्था निम्नवत् स्थापित है :-

- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला पर्यावरण समिति द्वारा।
- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा।
- प्रदेश स्तर पर अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले प्रदेश के 08 नगरों गाजियाबाद गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर हापुड़ एवं शामली सहित अन्य 13 नगरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, अनपरा, गजरौला मुरादाबाद, रायबरेली, झांसी, गोरखपुर एवं बरेली हेतु ग्रेडड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू किया गया है। जिसका नियमित अनुश्रवण जिला प्रशासन द्वारा किया जाता है।

वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु लागू कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रचालक पी0एम0 10 की मात्रा में वर्ष 2022-23 में (वर्ष 2019-20 के सापेक्ष) 03 से 64 प्रतिशत तक प्रदेश के 16 नगरों यथा गोरखपुर वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, खुर्जा, फिरोजाबाद, लखनऊ, गजरौला, रायबरेली, कानपुर, मेरठ, अनपरा, बरेली, आगरा, नोएडा एवं गाजियाबाद में सुधार पाया गया है।

2-जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु कार्य योजना :-

उ0प्र0 के अन्तर्गत 14 नदियों यथा यमुना, वरुणा काली, हिंडन, गोमती, गंगा, रामगंगा बेतवा, घाघरा, राप्ती, सरयू, आमी, तमसा तथा सई नदियों के प्रदूषित खण्डों को चिन्हित कर उनके पुनर्जीवन तथा जलगुणता में अपेक्षित सुधार लाने हेतु कार्य योजनायें उ0प्र0 सरकार द्वारा क्रियान्वित की गयी है। उक्त कार्य योजनाओं के समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन का मासिक

अनुश्रवण जिलाधिकारी के स्तर पर गठित जिला पर्यावरण समितियों एवं राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित रीवर रिजुवेनेशन कमेटी द्वारा किया जाता है।

प्रदेश की उक्त नदियों के प्रदूषित खण्डों में कुल 100 बिन्दुओं पर जलगुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है। वर्ष 2022-2023 में (वर्ष 2019-2020 के सापेक्ष) प्रदेश के उक्त नदियों के प्रदूषित खण्डों में कुल 100 बिन्दुओं पर किये गये जलगुणता अनुभवण के अन्तर्गत 48 बिन्दुओं पर जलगुणता के प्रमुख प्रदूषणकारी प्रचालक बी0ओ0डी0 की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 1-40 से 50-49 प्रतिशत तक तथा 54 बिन्दुओं पर टोटल कोलीफार्म की मात्रा (वार्षिक औसतमान) में 0-20 से 95-30 की कमी पायी गयी है जोकि जलगुणता में सुधार का द्योतक है।

3-ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण :-

ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाता है। प्रदेश के 66 शहरों में परिवेशीय ध्वनि स्तर के मापन का कार्य मासिक रूप से कराया जाता है। ध्वनि नियम, 2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत लाउडस्पीकर तथा लोक-सम्बोधन प्रणाली के प्रयोग हेतु प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है तथा लाउडस्पीकर या लोक-सम्बोधन प्रणाली आदि का प्रयोग बंद परिसर के अतिरिक्त रात्रि में किया जाना अनुमन्य नहीं है। ध्वनि नियम-2000 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन के आदेश दिनांक 25-01-2018 के द्वारा समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ध्वनि नियम-2000 में वर्णित जिला मजिस्ट्रेट को दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, मैं इसी प्रश्न में आग्रह कर लेता हूं कि प्रदेश का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण है और आपकी कृपा जिस प्रकार से हुयी, जिन मा0 सदस्यों ने अभी तक विधान सभा में अपनी बातों को नहीं रखा था, आपने उनको अवसर दिया, जिस तरीके से मा0 महिला सदस्यों को आपने अवसर दिया एक दिन की चर्चा करायी।

मान्यवर, एक प्रश्न से न प्रदेश के पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है न देश और दुनिया को। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि एक दिन आप निर्धारित कर लें कि केवल और केवल पर्यावरण पर चर्चा हो, तो पक्ष और विपक्ष दोनों लोग इस पर चर्चा करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। आप लिखकर दीजिए, चर्चा का समय दूँगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

डा0 आर 0के0 वर्मा-

अब मैं प्रश्न पर आता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब क्या प्रश्न लेना, जब तय हो गया, जबर्दस्ती ? आपने जो कहा, उसको मैंने मान लिया। इसका मतलब आपने जो कहा, वह फर्जी था।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, आप अगर प्रश्न की अनुमति न दें, तो मैं बाहर हो जाऊँ। अगर आग्रह न स्वीकार करें, तो अवगत करा दें।

श्री अध्यक्ष-

अब आप सीधे प्रश्न पर आइए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, इसमें जो जवाब दिया गया है कि जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, मण्डल में कमिश्नर की अध्यक्षता में और प्रदेश में अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी होती है। ये पर्यावरण/प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो नियम-कानून बने हैं, उनका अनुपालन कराने का कार्य करते हैं।

एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती हैं, 'वृक्षारोपण'। वृक्षारोपण पर इनके किसी योजना में उसकी चर्चा नहीं की गयी है। मान्यवर, पर्यावरण को संतुलित करने में वृक्ष का कितना बड़ा योगदान है। हम सब लोगों ने कोरोना काल में देखा है कि एक औसत वृक्ष लगभग 230 ली0 आक्सीजन वातावरण को प्रतिदिन देता है। 20 किग्रा0 की धूल एक वर्ष में अवशोषित करता है। लगभग 20 टन कार्बन डाई-ऑक्साइड का अवशोषण करता है। 4 डिग्री टेम्परेचर वह अपने आस-पास कम करता है। इतना बड़ा योगदान है, लेकिन जिले की कमेटी, मण्डलायुक्त की कमेटी, अपर मुख्य सचिव की कमेटी में इस पर फोकस नहीं किया गया है। इसलिए आपसे आग्रह है कि उस पर फोकस कर लिया जाए।

दूसरा, जो जवाब है कि वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु लागू कार्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के फलस्वरूप वायु प्रदूषण के प्रमुख प्रचालक पी0एम0-10 की मात्रा में वर्ष 2022-23 में वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष 3 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक की कमी आयी है। मान्यवर, वर्ष 2019-20 में जब लाक डाउन लगा था, कोरोना काल का समय चल रहा था, जब सड़कों पर सन्नाटा था, उद्योग सारे बंद थे, निर्माण कार्य सारे बंद थे, इंडस्ट्रियल गैस नदी में कहीं नहीं जा रही थी, उन परिस्थितियों में वहाँ से आंकड़ा लिया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में 3 प्रतिशत से लेकर 64 प्रतिशत तक गिरावट आयी है। मान्यवर,

यह जो रिपोर्ट प्रेषित की गयी है, यह आश्चर्यजनक है। इसी तरीके से जल प्रदूषण में भी रिपोर्ट दी गयी है कि वहाँ पर बी0 ओ0 डू0 का मापन हुआ और उसमें भी 1.4 से लेकर 50.49 प्रतिशत की कमी आयी है।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलते हुए लगभग 4 मिनट हो गया है। आप सीधे प्रश्न पर आइए।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, अब मैं सीधे आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के सापेक्ष जो वर्ष 2022-23 में आंकड़े कम बता रहे हैं, तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण की रोकथाम के नियमों का उल्लंघन करने वाले कितने संस्थानों और इकाइयों पर कार्रवाई की गयी ? दूसरी चीज जो संस्थान और औद्योगिक इकाइयाँ इन नियमों का उल्लंघन कर रहे थी, उनके ऊपर कितना जुर्माना आरोपित किया गया और उस जुर्माने की धनराशि में से कितनी धनराशि की वसूली हुई और जिन लोगों ने जुर्माना नहीं दिया है, तो उनमें से कितने संस्थानों और इकाइयों को बन्द करने का आदेश दिया गया। उसमें एक और छोटा सा प्रश्न है कि जो आरोपित जुर्माना वसूला गया है, क्या वह जुर्माना वातावरण, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को मिटाने के लिए उस मद में खर्च कर लिया गया या कहीं और खर्च किया गया है ? मा0 अध्यक्ष जी, हम सबको पता है कि अगर मोटर साइकिल भी रोकी जाती है और अगर उसका भी चालान होता है, तो पुलिस वाले कहते हैं कि प्रदूषण का सर्टीफिकेट नहीं था, इसलिए चालान किया गया।

श्री अध्यक्ष-

उससे दो गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

वह किस मद में खर्च हुआ, कितनी पर्यावरण इकाइयों पर जुर्माना आरोपित किया गया और कितनी इकाइयाँ बंद की गयीं ?

डा0 अरुण कुमार-

मान्यवर, वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है और पिछले कई सालों से चल रहा है। इस बार भी 22 जुलाई, 2023 को 30 करोड़ पेड़ लगाये गये हैं और 5 करोड़ पेड़ 15 अगस्त के दिन लगाये जायेंगे। ये पेड़ हम सभी लोगों के सहयोग से लगाते हैं। जहाँ तक पर्यावरण का सवाल है, आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि वृक्षारोपण से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है, एटमॉसफियर की कार्बन डाईआक्साइड कम होती है, टेम्परेचर में भी कमी आती है, वाटर लेबिल भी मेन्टेन रहती है। जहाँ तक पैसे का सवाल है, जितनी धनराशि हम जुर्माने से वसूल

करते हैं उससे कहीं ज्यादा धनराशि हमारी सरकार द्वारा पर्यावरण को मेन्टेन करने में खर्च किया जाता है। पी0एम0-10 की वैल्यू, जिसकी वजह से अधिकांश शहर पॉल्यूटेड माने जाते हैं उसमें पहले से काफी कमी आयी है।

डा0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि मैंने जो भी प्रश्न किया था उसके एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है अब हम जबरदस्ती नहीं पूछ सकते। कृपया बैठिये।

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को दिये गये ऋण एवं उसके निर्धारण हेतु गठित कमेटी का विवरण

***5-श्री अशरफ अली खान-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत स्ट्रीट वेन्डर्स को लोन दिए गए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के प्रारम्भ होने से वर्तमान तक जिलेवार स्ट्रीट वेन्डर्स को दिए गये लोन और इसके निर्धारण के लिए गठित कमेटी का विवरण सदन के पटल रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास, ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

जी हां।

वर्ष 2020 में योजना के प्रारम्भ से वर्तमान तक जिलेवार स्ट्रीट वेन्डर्स को दिये गये लोन का विवरण संलग्न† है। लोन दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-993/नौ-9-20-96ज/20, दिनांक 12-06-2020 में नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी की अध्यक्षता में नगर निकाय स्तर पर ऋण आवेदनों का आधिकारिक रूप से प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति का गठन निम्नवत् रूप से किया गया है :-

01	नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी	अध्यक्ष
02	जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक	सदस्य
03	अधिकतम 03 टाउन वेन्डिंग कमेटी के गैर सरकारी प्रतिनिधि (अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य

† देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 347-348 पर।

04	प्रतिनिधि, एन0बी0एफ0सी0/एम0एफ0आई0 (प्रत्येक से एक-एक अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
05	प्रतिनिधि, सिटी लेवल फेडरेशन/एरिया लेवल फेडरेशन	सदस्य
06	परियोजना अधिकारी, डूडा	सदस्य

उपरोक्त में संशोधन करते हुए शासनादेश सं-1892/नौ-9-20-96ज/20, दिनांक 21-09-2020 द्वारा नगर स्तर पर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रचलित रखते हुए छोटे शहरों (नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायतों) में उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का पुनर्गठन निम्नवत् किया गया है :-

01	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
02	अधिशासी अधिकारी न0पा0प0/न0प0	सदस्य
03	लीड बैंक मैनेजर	सदस्य
04	अधिकतम 03 टाउन वेन्डिंग कमेटी के गैर सरकारी सदस्य (अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित) से निकाय जहां टाउन वेन्डिंग कमेटी स्थापित नहीं है वहां अधिकतम 03 पथ विक्रेता संघो के सदस्य (अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
05	एनबीएफसी/एमएफआई के प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक-एक सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित)	सदस्य
06	सिटी लेवल फेडरेशन/एरिया लेवल फेडरेशन के प्रतिनिधि।	सदस्य
07	परियोजना अधिकारी, डूडा।	सदस्य-समन्वयक

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अशरफ अली खान-

माननीय अध्यक्ष जी, देश और प्रदेश की गरीब जनता से जुड़ा हुआ यह मेरा प्रश्न है। जो हमारे प्रदेश के रेहड़ी वाले हैं, जो स्ट्रीट में खड़े होकर सब्जी, फल, चाय बेचते हैं, पकौड़ा बनाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। जो धोबी हैं उनकी बहुत छोटी ठेली होती है उस पर खड़े होकर कपड़े प्रेस करके अपना जीवन-यापन करने का काम करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोविड-19 में सबसे ज्यादा यही लोग प्रभावित हुए हैं। जब लॉकडाउन था तब पूरा हिन्दुस्तान अपने घरों में था तो इन लोगों के पास जो थोड़ी-बहुत जमा-पूँजी थी उसको खर्च कर यह बिल्कुल सड़क पर आ गये थे। हम देखते हैं अपने जीवन में कि जो 40 साल पहले सब्जी या

फल की रेहड़ी लगाता था वह आज भी उसी तरीके से रेहड़ी लगाकर अपने बच्चों व परिवार का जीवन यापन कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब लॉकडाउन के बाद 01 जून, 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्व-निधि योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए लायी गयी, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स किस तरीके से अपने कारोबार को खड़ा कर सकें। उसके लिए उनको 10 हजार रुपये का लोन और 12 महीने में यदि समय से लौटायेंगे तो 20 हजार रुपये का लोन उनको दिया जाना था। 18 महीने में 20 हजार रुपये का लोन लौटाने के बाद उनको 50 हजार रुपये का लोन दिया जाना था। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये बेचारे नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के दफ्तरों में धक्के खाते फिर रहे हैं इनको कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है और बहुत परेशानी का सबब है। नगर निगम, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर निकायों में जो वेंडिंग जोन बनने थे, वह आज तक कहीं बन करके तैयार नहीं हुए हैं। हमारे बराबर में सहारनपुर जिला पड़ता है वहाँ पर आज तक वेंडिंग जोन कम्पलीट नहीं है। हमारा जिला शामली है वहाँ पर 03 नगर पालिकायें, 07 नगर पंचायतें हैं, किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिकाओं में वेडिंग जोन नहीं है। हमारे जिले के पास मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ पर भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप हर जिले का मत बताइये, सीधा प्रश्न पर आइये। श्री अशरफ अली खान मा0 अध्यक्ष जी, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद बागपत में जो प्रथम किस्त 10,000 रुपये की ली थी, जो स्ट्रीट वेंडर्स थे, उन 8270 लोगों को 10,000 रु0 का लोन मिला था। उसके बाद जब वह 20,000 रुपये तक आए तो सिर्फ 2372 लोग रह गये और जब 50,000 रुपये का लोन उन लोगों को मिलना था तो सिर्फ 76 लोग रह गये। आप देखिये हमारी सरकार का कितना उदासीन रवैया है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री अशरफ अली खान-

मा0 अध्यक्ष जी, अब मैं मुजफ्फरनगर का आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। बहुत लम्बा समय नहीं लूंगा। मुझे दो जिलों का आंकड़ा रखना है फिर मैं सीधे अनुपूरक पर आ रहा हूं। मुजफ्फरनगर में 11,322 लोगों को 10,000 रुपये का लोन मिला था और 20,000 रुपये तक जाते-जाते सिर्फ 4028 लोग रह गये। 50,000 रुपये का लोन जिन्हें मिलना चाहिए, जिनका हक बनता था और जो लौटा भी रहे हैं, 70 प्रतिशत लोग जो लौटा रहे हैं, मुजफ्फरनगर में ऐसे 103 लोगों को लोन मिला है। यही हाल सहारनपुर का है, यही हाल जनपद शामली का है। शामली में प्रथम किस्त में 10,000 रुपये का लोन 7558 स्ट्रीट वेंडर्स

को मिला, उसके बाद दूसरी किस्त 2,190 लोगों को मिली है और तीसरी किश्त आते-आते सिर्फ 151 लोग रह गये। अब मैं सीधे अपने अनुपूरक पर आता हूं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह अनुपूरक पूछना चाहता हूं कि नगर निकाय स्तर पर ऋण आवेदकों के सम्बन्ध में अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु समिति के गठन के स्वरूप का विवरण तो दिया गया है, लेकिन नगर निकायों में इस प्रारूप के अनुसार समिति का गठन नहीं किया गया है। क्या सरकार प्रत्येक नगर निकाय में समिति के गठन का कार्य करेगी ? क्या सरकार रेहड़ी पटरी वालों के लिए वेंडिंग जोन मैं बता रहा था कि नहीं बने हैं उन्हें बनायेगी ताकि वह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कोविड के समय में मा0 प्रधानमंत्री जी ने गरीब तबके के व्यापारियों के लिए यह योजना शुरू की थी, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस योजना में अग्रणी कार्य कर रहा है। मा0 सदस्य को और सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे राज्य में पहला ऋण 10,000 रु0 का 10,11,000 लोगों को, दूसरा रु0 20,000 का 2,99,541 लोगों को, तीसरा 12996 लोगों को मिला है। मा0 सदस्य ने स्वयं अपने जिले की भी बात की है, जिसका आंकड़ा उन्होंने स्वयं दे दिया है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं। यह योजना पूरी व्यवस्थित रूप से पूरे प्रदेश में चल रही है। मैं उसके दो उदाहरण देना चाहूंगा कि इस योजना की तृतीय वर्षगांठ 1 जून, 2023 को हुई, उसमें शायद आप सबके संज्ञान में आया होगा कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस योजना के तहत भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं कि अभी जुलाई माह में 14 जुलाई को भारत सरकार के इस विभाग के सचिव का पत्र हमारे मुख्य सचिव को आया है कि आपकी इस योजना में अच्छे कार्य को देखते हुए भारत सरकार ने जो पहले लोन का लक्ष्य 9,25,000 दिया था उसको बढ़ाकर हम लोग 12,30,000 करना चाहते हैं आप यह कर लोगे या नहीं कर लोगे तो हमने कहा कि हम बिल्कुल कर लेंगे आप लक्ष्य बढ़ाकर दीजिए। भारत सरकार की पूरे देश में जो योजना चल रही है, उसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है। क्यों यह इनाम मिल रहे हैं, क्यों भारत सरकार हमारा लक्ष्य बढ़ा रही है, उसके दो-तीन उदाहरण मैं और दूंगा। स्वनिधि योजना के अन्तर्गत देश में जो कुल लोन मिला है, वह 52,15,000 लोगों को मिला है, उसमें से एक चौथाई से ज्यादा 26.68 प्रतिशत लोग उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है और दूसरा जिन लोगों को प्रथम लोन दिया गया है।

मान्यवर, ऐसे उन्तालीस लाख पचपन हजार लोग हैं। उसमें भी 26.40 प्रतिशत की प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश भारत में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। जो हमारे बड़े शहरों की

रैंकिंग की जाती है जो दस मिलियन प्लस शहरों की रैंकिंग की गई है जहां अच्छा काम हुआ है उसमें से सात शहर उत्तर प्रदेश के जो मेजर शहरों में जो बड़े 10 शहरों की रैंकिंग की गई है उसमें भी सात शहर हमारे उत्तर प्रदेश के हैं और इसमें डिजिटाइजेशन का जो यह काम है वह हमारे छोटे-छोटे सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को मैं इस सदन के माध्यम से बधाई देता हूं कि देश कुल डिजिटली एक्टिव वेंडर जोन है, जो डिजिटल ट्रान्जेक्शन कर लेते है उनमें भी 26 प्रतिशत हिस्सा उत्तर प्रदेश के हमारे वेंडरों का है। इस प्रकार हर एंगल से नियमतः और बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से योजना चल रही है, भारत सरकार ने इसकी हमको बार-बार शाबाशी दी है। इस साल भी दिया है आपने कहा कि तीसरा लोन नहीं मिल रहा है, तो अगर कहीं कोई स्थानीय प्रश्न हो तो वह बताइये उसका समाधान लाएंगे।

प्रदेश में वर्ष 2016-2017 के सापेक्ष वर्तमान में बिजली की दरों की वृद्धि की जानकारी

***6-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2022-23 में विद्युत की विभिन्न श्रेणियों में बिजली की दरों में कितनी वृद्धि की गई है ? क्या सरकार जनहित में उक्त वृद्धि को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन में विद्युत उपभोग की मात्रा, प्रकार तथा आपूर्तित विभव के अनुसार उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों व उपश्रेणियों में बांटा गया है तथा श्रेणी/उपश्रेणीवार विद्युत की अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। अनुमोदित टैरिफ आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 का तुलनात्मक विवरण संलग्नक-1† के अनुसार है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बाद चार वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, इस प्रश्न में समस्त श्रेणियों की विद्युत दरों में की गई तुलनात्मक वृद्धि के बारे में पूछा गया था। परन्तु मुझे केवल ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की बिजली दरों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मेरे द्वारा पूछी गई शेष शहरी क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरों में की गई वृद्धि की तुलनात्मक सूची कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके

---

† देखिये-नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 349-352 पर।

माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को कौन-कौन से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं से कम दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक आदि राज्यों की भांति उत्तर प्रदेश में भी कुछ श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अपनी पार्टी के संकल्प-पत्र में किए गए वादों के अनुसार किसानों के नलकूप को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन सदन में माननीय मंत्री जी देंगे और माननीय मंत्री जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं और रफीक अंसारी के साथ कई और विधायक मिले थे मैं आपको शुक्रगुजार हूं कि आपने आर्थिक रूप से कमजोर बुनकरों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना शुरू करने का जो आश्वासन और जो आपने आदेश किया है उसके लिए हम सभी आपके शुक्रगुजार हैं उसमें जो पांच किलोवॉट की सीमा के अन्तर्गत जो आपने फ्लैट रेट की व्यवस्था की है उसमें मैं बुनकरों का ध्यान आपकी ओर केंद्रित कराना चाहता हूं कि वह बहुत गरीब हैं और मजबूर हैं लेकिन उनका जो फ्लैट रेट अभी आपकी तरफ से आदेशित हो गया है, लेकिन वह आदेश होने के बावजूद भी मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि बुनकरों के हित में संशोधित की गई दरों के अनुसार खासतौर पर जनपद मुरादाबाद और सभी जिलों में .....

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न अलग से लगाइएगा यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, नहीं यह इसी में आ गया है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं यह इसमें नहीं आया है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, बिल संशोधित करने का निर्देश आप ही देंगे।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न है उस सीमा के अन्तर्गत आप अनुपूरक पूछिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, यह एक बहुत गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं गम्भीर बहुत सारे विषय हैं आप उसके लिए प्रश्न लगाइये। आप प्रश्न पूछिए मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस सीमा के अन्तर्गत पूछिए।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, बिलकुल सही है क्योंकि माननीय मंत्री जी ने बड़ा हृदय करके यह डिसीजन लिया है। तो उसमें अगर माननीय मंत्री जी की तरफ से एक निर्देश हो जाएगा तो हम लोगों को बड़ा फायदा होगा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा है कि इनको ग्रामीण और शहरी विद्युत दरें उपलब्ध नहीं कराई गई है तो ग्रामीण और शहरी का विभाजन नहीं हो पाया है विद्युत में जो विभाजन है उसकी पूरी श्रेणी आपको दी गई है एल0एम0वी0-1, एल0एम0वी0-2 करके जो होता है घरेलू कॉमर्शियल और बाकी जो हाई कैटेगरी के हैं यह पूरी श्रेणी आपको दी गई है तो उसमें कहीं भी कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। रही बात किसानों के नलकूप की तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था और मा0 वित्त मंत्री जी ने कृपा करके बजट में किसानों का बिजली बिल एक अप्रैल से माफ करने की भी घोषणा कर दिया है और उसका बहुत जल्दी ही मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 मंत्री जी के दिशा-निर्देशानुसार अमलीकरण होगा। आपने बिजली की दरों में वृद्धि की जो अन्य बातें उठायी हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस सरकार के द्वारा पिछले 04 वर्षों में बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है और जहाँ तक वापस लेने या घटाने की बात है तो आपको मालूम है कि जो अन्तिम वृद्धि की गयी थी वह वर्ष 2019-20 में की गयी थी। उसके पहले अगर हम जायें तो वर्ष 2012 से 2016 तक के आपके कार्यकाल में हर साल आपने बिजली की दरों में वृद्धि की है। अब मैं डिटेल में जाऊंगा तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप डिटेल में मत जाइये। किसी को तकलीफ देने का कोई मतलब नहीं है।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

मान्यवर, मा0 मंत्री जी बुनकर समाज के बारे में भी बता दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आपके प्रश्न में बुनकरों का कोई विषय नहीं था। अब अगला प्रश्न संख्या-07 लेते है।

प्रदेश में लगाये गये विद्युत स्मार्ट मीटर की जानकारी विषयक

***7-श्री अतुल प्रधान-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कि प्रदेश में दिनांक 20-03-2023 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये एवं स्मार्ट मीटर खराब होने की कितनी शिकायतें दर्ज हुयी है ?

क्या सरकार को जानकारी है कि अधिकांश स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जनरेट कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी स्मार्ट मीटर को वापस लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में दिनांक 20-03-2023 तक 11-79 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं।

जून, 2018 में स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य प्रारम्भ होने से दिनांक 20-03-2023 तक स्मार्ट मीटर से सम्बन्धित कुल 72846 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 56681 शिकायतें सही पायी गयीं, जिसके उपरान्त मीटरों को परिवर्तित कर दिया गया। उपरोक्त परिवर्तित मीटरों में से 52250 स्मार्ट मीटर खराब होने एवं 4431 मीटर अन्य तकनीकी कारणों से परिवर्तित किये गये।

स्मार्ट मीटर ज्यादा यूनिट के बिल जनरेट नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं का विद्युत बीजक मीटर में रिकार्ड की गई वास्तविक ऊर्जा खपत के आधार पर बनाया जाता है।

अभी तक स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं द्वारा स्मार्ट मीटर तेज चलने की प्राप्त कुल 1005 शिकायतों में से जांच कराये जाने पर 961 स्मार्ट मीटर सही पाये गये एवं मात्र 44 स्मार्ट मीटर तेज चलते पाये जाने पर इन्हें तत्काल परिवर्तित कर दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

यदि उपभोक्ता को स्थापित स्मार्ट मीटर में रिकार्ड की जा रही रीडिंग पर सन्देह होता है तो उपभोक्ता द्वारा अनुरोध करने पर चेक मीटर लगाकर स्थापित स्मार्ट मीटर की जांच की जाती है। किसी कमी के परिलक्षित होने पर मीटर को 15 दिनों के भीतर नए मीटर से बदलते हुए उस माह के, जिसमें शिकायत प्राप्त हुयी, से पूर्व तीन माह का बिल अन्तिम परिणाम के अनुसार पश्चात्वर्ती बिल में समयोजित कर दिया जाता है।

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न स्मार्ट मीटर से सम्बन्धित है। अभी मा0 मंत्री जी ने पुरानी सरकार का हवाला दिया तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि 14-06-2006 में आदरणीय नेता जी मा0 मुलायम सिंह जी की पूर्ववर्ती सरकार में बुनकर समाज के लिये आधा हॉर्सपॉवर के लिये 65 रुपये तथा एक हॉर्सपॉवर के लिये 130 रुपये फ्लैट रेट तय किया गया था। जैसे ही स्मार्ट मीटर आये और आपकी सरकार आयी तथा आपकी दूसरी सरकार बनी, इसमें बेतहाशा वृद्धि कर दी गयी। बनारस से लेकर जिसकी बार-बार आवाज उठती है, मुरादाबाद हो तथा मेरठ से लेकर खुद मेरे क्षेत्र सरधना तक

करोड़ों-करोड़ों की तादात में किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लोग बुनकरी का काम नहीं करते हैं, बल्कि सभी जाति, धर्म तथा वर्ग के लोग बुनकरी का काम करते है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ-साथ मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसमें बेतहाशा वृद्धि करते हुये आधा हॉर्सपॉवर के लिये 400 रुपये तथा एक हॉर्सपॉवर के लिये 800 रुपये आपने रेट निर्धारित कर दिया जो कई गुना ज्यादा है और इस समय उनकी रीढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो यह एक हॉर्सपॉवर की मशीन है आपने इसके फ्लैट रेट की बात कर दी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर 05 किलोवॉट से ऊपर का कनेक्शन लेता है तो क्या आप उसको भी फ्लैट रेट पर बिजली देने का काम करेंगे ? हाँ या नहीं ? इसके साथ-साथ अकेले मेरठ में 01 लाख 44 हजार स्मार्ट मीटर लगे और आपने सूचना दी कि पूरे प्रदेश में लगभग 12 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं।

मान्यवर, इन्होंने कहा कि लगभग 72 हजार स्मार्ट मीटरों में कमी पायी गयी, जिसमें से 56 हजार को ठीक कर दिया गया और जो शिकायतें आती हैं उन शिकायतों पर सुनवाई करके 15 दिन के अन्दर उनको ठीक कर देते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि पहले जो मीटर लगे हुये थे उनमें जो साफ्टवेयर डेवलॅप था उसके कारण बिजली का बिल न जमा होने के कारण जब कनेक्शन कटता था तो बिजली का बिल जमा करते ही वह कनेक्शन स्वतः ही चालू हो जाता था, लेकिन जो इस समय के स्मार्ट मीटर हैं, मुझे नहीं पता कि पहले के चेयरमैन साहव की लड़ाई थी अथवा इस समय के चेयरमैन साहब की लड़ाई है या पैसे की दिक्कत है, उन स्मार्ट मीटर में पहले वाला साफ्टवेयर नहीं है। इस कारण से जब बिजली का कनेक्शन कटता है और उपभोक्ता अपना बिल जमा कर देता है, उसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद भी वह कनेक्शन जुड़ नहीं पाता है। मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो मा0 मंत्री जी उससे सदन को अवगत करायें। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी है तो वह कब तक ठीक हो जायेगी ? अगर आपका वह साफ्टवेयर अभी तक डेवलॅप नहीं हो पाया है तो वह कब तक डेवलॅप हो जायेगा ? इसके बारे में मा0 मंत्री जी जानकारी दे दें।

मा0 अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी मा0 मंत्री जी ने बहुत तत्परता से अपने मैनीफेस्टो का बखान किया और कहा कि हम नलकूपों के लिये बिजली फ्री कर देंगे। जब आपने सदन के माध्यम से यह घोषणा की कि हम नलकूपों के लिये बिजली फ्री कर देंगे तो आपको पूरा सदन सुन रहा था, लेकिन आज भी आप पता कर लीजिये कि किसानों के पास 01 अप्रैल से जो बिजली के बिल पहुँच रहे हैं उनमें से किसी किसान के पास फ्री वाला बिल नहीं पहुंचा है। वह बिल सभी चार्जेज जुड़कर पहुँच रहे हैं। मान्यवर, इसलिये मैं आपके माध्यम मा0 मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि अगर

किसानों के पास फ्री बिजली के बिल पहुँच रहे हैं तो मा0 मंत्री जी सदन को अवगत करा दें और अगर नहीं पहुँच रहे हैं तो भी अवगत करा दें।

मान्यवर, बिजली की मुफ्त योजना जो आपने सदन में बताई थी वह कब तक लागू कर देंगे, आप बता दें जिससे पूरा प्रदेश सदन के माध्यम से अवगत हो जाये। मान्यवर, तीसरा प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी एक ओ0टी0एस0 स्कीम लेकर आते हैं जिसमें उपभोक्ता एक मुश्त पैसा जमा कर दें। व्याज में कटौती होती है। वह पिछले एक साल से नहीं आई है। जे0ई0 एक्स0ई0एन0, चीफ इन्जीनियर सब लोगों की तरफ से लगातार जनप्रतिनिधियों के पास यह सवाल आता है कि साहब ओ0टी0एस0 की स्कीम नहीं आई। लोग बिल नहीं जमा कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ दिन पहले अखबार के माध्यम से भी सूचना दी थी कि ओ0टी0एस0 स्कीम तुरन्त लागू कर दी जाये। मुझे नहीं पता कि वह सूचना आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। वह ओ0टी0एस0 स्कीम आप लागू करेंगे या नहीं करेंगे ? अगर करेंगे तो कब तक लागू करेंगे ? मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत एक चीज पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं व्यक्तिगत मत पूछिये, व्यक्तिगत अलग से पूछ लीजिएगा।

श्री अतुल प्रधान-

नहीं मान्यवर, एक बात पूछनी है कि पहले मंत्री जी से बात हो जाती थी। अब पता नहीं हमने क्या सवाल कर लिये कि अब मंत्री जी से बात ही नहीं हो पाती है।

श्री अध्यक्ष-

हो तो रही है, आमने-सामने।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, ऐसे नहीं कभी-कभार फोन उठ जाये तो कुछ बात हो जाये।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बात करने के लिए स्वागत करता हूं। जैसे वित्त मंत्री जी ने इन्हें अपने रूम में बुलाया मैं भी इन्हें अपने रूम में बुलाता हूं। रही बात प्रश्न की तो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न स्मार्ट मीटर का था। उन्होंने ज्यादातर अनूपूरक स्मार्ट मीटर के अलावा पूछे ? एक ही अनूपूरक में एक ही छोटा सा मुद्दा इन्होंने पूछा कि क्या बैलेन्स जमा करते ही मीटर स्वतः चालू हो जायेगा। मेरी जानकारी के हिसाब से तो स्वतः चालू हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है और आप कोई स्पेसिफिक केस ध्यान में लायेंगे तो उसे जरूर दिखवा लूंगा। बाकी इनके प्रश्न में एक निहित बात यह है कि यह ठीक नहीं है। इसको वापस लिया जाना चाहिए। इसके लिए इन्होंने बुनकरों का हवाला दिया। किसानों का भी हवाला

दिया। देखिये समय की घड़ी को पीछे घुमाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्मार्ट मीटर के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि बैठे-बैठे आपको अपने मीटर से सही बिल मिलेगा। जो एक फरियाद रहती है कि बिल बनाने वाले गलत बिल बनाकर दे देते हैं। समय से बिल मिलेगा। आपका मीटर नियंत्रण में रहेगा। आप अपने मोबाइल से अपना बिल देख सकते हैं। टैक्नोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है हमें उसके साथ चलना चाहिए। कालचक्र को वापस ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। रही बात बुनकरों की तो माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी है कि उसका प्रश्न अलग से होना चाहिए। फिर भी मैं यह जरूर कहूंगा कि हम छोटे बुनकरों की बात करते हैं हमने उनको फ्लैट रेट दे दिया। आपके दूसरे सदस्य ने हमको बधाई भी दे दी। सरकार को बधाई भी दे दी। आप बड़े बुनकरों की बात कर रहे हैं, बड़े मिल वालों की बात है, वह एक प्रश्न है। वह देखा जायेगा। आपके पक्ष से हमें बधाई मिल चुकी है कि हमने बुनकरों के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। उसी प्रकार आप किसानों के लिए भी बहुत जल्दी हमको बधाई देंगे।

प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि पर जी0एस0टी0 को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में

***08-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि पर लगाये गये जी0एस0टी0 को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

क्षेत्रीय विकास निधि की राशि (Corpus of Fund) पर किसी प्रकार की जी0एस0टी0 देय नहीं हैं।

क्षेत्रीय विकास निधि से किसी भी प्रकार के विकास कार्य कराये जाने के क्रम में ली गयी कार्य संविदा की सेवाओं के भुगतान पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की देयता आकर्षित होती है।

जी0एस0टी0 के अन्तर्गत कर की दरों में परिवर्तन के लिए केवल जी0एस0टी0 काउंसिल ही अधिकृत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-279 (ए) की उपधारा-4 के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में निर्णय जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा लिया जाता है, जिसमें समस्त राज्यों एवं केन्द्र का प्रतिनिधित्व है। जी0एस0टी0 की दरों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्णय काउंसिल में पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही लिए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद कि आपने सदन में बोलने का मौका दिया। यह हम लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। सरकार के लिए यह एक छोटा विषय हो, परन्तु यह हमारे विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है और यहां बैठे समस्त मा0 सदस्यों का मुद्दा है अगर हमारी विधायक निधि से 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 कटती है तो पांच करोड़ जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमें दिया है तो उससे 18 प्रतिशत के हिसाब से 90 लाख रुपये कट जाता है। असलियत में हमें केवल चार करोड़ दस लाख रुपये मिलता है तो पांच साल में हमारा साढ़े चार करोड़ रुपये जी0एस0टी0 के नाम पर कट जाते हैं।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य के अपने आसन से खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप नहीं बोलिए आपको किसने कहा है बोलने के लिए इसमें मा0 मंत्री जी ही जबाव देंगे। मैं आपको अलाऊ नहीं करता हूँ।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, हम लोगों को तो साथ रहना है। यह विधायकों व विधान परिषद् सदस्यों का मुद्दा है इसमें तो हम सभी लोगों को साथ रहना है और साथ ही संघर्ष करना है। श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के अपने आसन पर खड़े होने पर।

श्री अध्यक्ष-

मोना जी, उनका प्रश्न है आपका प्रश्न नहीं है मूल प्रश्नकर्ता पर आप ऐसे अत्याचार करेंगी। आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, सरकार की तरफ से जो उत्तर में आया है वह है जी नहीं और जी0एस0टी0 लागू रहेगा और दूसरी लाइन में आप लिखते हैं क्षेत्रीय विकास निधि की राशि पर किसी प्रकार की जी0एस0टी0 देय नहीं होगी। हमको यह समझ नहीं आ रहा है यह विरोधाभाष की बात कैसे उठ रही है यह तो समझ ही नहीं आ रहा है या तो हां हो या नहीं हो कहीं तो आप टिके मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस जी0एस0टी0 को तत्काल समाप्त करिये। यह हमारे हित में नहीं है यह हमारे विकास का मुद्दा है और विकास का मुद्दा जब इस सदन में गूंजता है तो जनता भी देखती है। इस विषय पर सरकार को तत्काल निर्णय लेना चाहिए। मान्यवर, आप महान हो तो आप महानता भी दिखा दीजिए और आप आज ही महानता का परिचय दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैं महान नहीं हूं महाना हूं। यह मेरी सहमति या असहमति से नहीं होता है जबाव सरकार को आपके सामने ही देना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से समस्त सदस्यों से अनुरोध है कि सभी शांति से सुन लें। जी0एस0टी0 सभी लोगों की सहमति से ही लागू हुई और आपके कहने से सच्चाई नहीं बदल जायेगी और दूसरी बात यह है कि आप सवाल देख लें कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि पर लगाये गये जी0एस0टी0 को समाप्त करने पर सरकार विचार करेगी। मा0 अध्यक्ष जी, विधायक निधि पर कोई जी0एस0टी0 लगती ही नहीं है, लेकिन विधायक निधि से जो आप काम कराते हैं उस काम के ऊपर जी0एस0टी0 लगता है। आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी बात तो सही कह रहे है आप जबाव के बीच में व्यवधान न डाले आप सबकी बात ही हो रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, विधायक निधि से जो काम कराते हैं जो प्रोजेक्ट तैयार कराते हैं उस पर जो खर्च होता है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से उस पर जी0एस0टी0 लगता है। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई सड़क बनवाते हैं तो उसमें सीमेण्ट के ऊपर 28 परसेण्ट जी0एस0टी0 है और सरिया के ऊपर 18 परसेण्ट जी0एस0टी0 है। मान्यवर, जी0एस0टी0 काउसिंल की व्यवस्था है जिसमें दो कमेटी बनी है। एक फिटमेण्ट कमेटी और एक लीगल कमेटी है। जब वहां पर कोई इशू जाता है तो अगर कोई जनरल विषय है और उसमें लीगल टर्म इन्वाल्व नहीं है तो वह फिटमेण्ट कमेटी में जाता है। उसमें जितने भी प्रान्त हैं उसमें सारी चीजों को थ्रेंस आउट किया जाता है कि कहां पर किसकी क्या स्थिति है और उसके बाद उस पर निर्णय लिया जाता है। एक मीटिंग में यह निर्णय हो भी नहीं पाता है। इसीलिये आपने देखा होगा कि जब कोई नई व्यवस्था लागू होती है तो उसमें परिवर्तन भी होते हैं। इनपुट ट्रेस क्रेडिट की वजह से जो पहले 12 परसेण्ट टैक्स था उसमें ठेकेदार को ज्यादा फायदा होता था इसलिये उसको 18 परसेण्ट किया गया। अब हम पूरे हाउस को यह कैसे बतायें कि उसमें अकेला उत्तर प्रदेश निर्णायक भूमिका में नहीं है। हिन्दुस्तान के जितने प्रान्त हैं, चाहे वहां जिसकी भी सरकार हो, उनके एक-एक विषय पहले फिटमेण्ट कमेटी में जाते हैं और अगर आवश्यकता होती है तो लीगल कमेटी में जाते हैं, फिर उसमें देखा जाता है कि कन्ज्यूमर के ऊपर कम से कम बोझ पड़े इसके बाद वहां पर चीजें फाइनल होती हैं। सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी से इसमें

निर्णय होता है। मान्यवर, इनपुट टैक्स क्रेडिट को देखते हुए यह 12 परसेण्ट से 18 परसेण्ट किया गया है, जो अपने आप में जी0एस0टी0 काउसिंल का निर्णय है और यह उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से यह लोग बात रखते हैं तो हम समझते हैं कि उससे इनके प्रश्नों का समाधान कभी नहीं हो सकता।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी का उत्तर आ गया है।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, मुझे बस एक मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

आपको तो मैंने सात-आठ मिनट दिये हैं। कृपया आप बैठिये। अब मैं तारांकित प्रश्न संख्या-9 लेता हूँ।

प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये शहरों के मानक की जानकारी के सम्बन्ध में

***09-डॉ0 रागिनी-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये शहरों के मानक क्या हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त परियोजना में चयनित शहरों में कितने कार्य पूर्ण कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्ष 2015 में प्रारम्भ स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेज-1 में पूरे देश से विभिन्न शहरों का नामांकन स्मार्ट सिटी हेतु किया गया, जिसमें प्रदेश के 14 शहर (आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, रायबरेली व रामपुर) सम्मिलित थे।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स व निर्देशों के आधार पर चयनित शहरों द्वारा नागरिकों व जनप्रतिनिधियों के सुझाव व परामर्श के आधार पर एरिया बेस्ड डेवलपमेन्ट (ए0बी0डी0) व पैनसिटी आधारित प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये, जिनका मूल्यांकन निम्नांकित मानकों के 100 अंको पर भारत सरकार द्वारा किया गया :-

मौजूदा सेवा स्तर-

(अ) वर्ष 2011 के जनगणना के सापेक्ष घरेलू स्वच्छता शौचालयों की संख्या में वृद्धि।

(ब) ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली।

(स) मासिक ई-न्यूजलेटर का प्रकाशन।

(द) विगत दो वर्षों के निकाय बजट व्यय की वेबसाइट अपलोड होने की स्थिति।

संस्थागत प्रणालियाँ/क्षमताएँ-

(अ) सेवा वितरण में विलम्ब की स्थिति में प्रतिपूरक जुर्माना।

(ब) विगत तीन वित्तीय वर्षों (2012-15) के दौरान आन्तरिक रूप से उत्पन्न राजस्व (जैसे कर, शुल्क) के कुल संग्रह में वृद्धि।

स्व-वित्त पोषण-

(अ) पिछले महीने तक यूएलबी द्वारा वेतन का भुगतान।

(ब) वित्तीय वर्ष 2012-13 तक के खातों का ऑडिट।

(स) निकाय बजट में कर राजस्व शुल्क और उपयोगकर्ता शुल्क, किराए और अन्य आन्तरिक राजस्व स्रोतों का प्रतिशत योगदान (2014-15 में वास्तविक)।

(द) वित्तीय वर्ष 2014-15 में जल की आपूर्ति के लिए एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क के सापेक्ष जल आपूर्ति के संचालन और रख-रखाव की लागत का प्रतिशत।

पिछला ट्रैक रिकॉर्ड और सुधार

(अ) वित्तीय वर्ष (2014-15) के दौरान पूंजीगत कार्यों के लिए उपयोग किए गए आन्तरिक राजस्व स्रोतों (स्वयं उत्पन्न) बजट निधि का प्रतिशत।

(ब) शहर स्तरीय जे0एन0एन0यू0आर0एम0 सुधारों का प्रतिशत।

(स) मूल मिशन अवधि 2012 तक स्वीकृत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 परियोजनाओं का प्रतिशत।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेज-2 के अन्तर्गत उपरोक्त मानकों के आधार पर समस्त शहरों के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया गया तथा विभिन्न 4 चरणों में प्रदेश के 10 शहरों (प्रथम चरण में लखनऊ, द्वितीय चरण में वाराणसी, आगरा और कानपुर, तृतीय चरण में प्रयागराज, अलीगढ़ और झांसी तथा चतुर्थ चरण में बरेली मुरादाबाद और सहारनपुर) का चयन हुआ है।

केन्द्र पुरोनिधानित 10 स्मार्ट सिटी के पश्चात् प्रदेश सरकार द्वारा शेष 07 नगर निगमों में शासनादेश संख्या-1170/नौ-9-2019-113ज/19, दिनांक 30-09-2021 द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसमें प्रदेश के 07 नगर निगमों (अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृन्दावन मेरठ व शाहजहांपुर) का चयन किया गया है।

केन्द्र पुरोनिधानित स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत समस्त 10 शहरों में रु0 9313.00 करोड़ की धनराशि से कुल 670 परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रस्तावित है, जिनके सापेक्ष रु0 5715.00 करोड़ की लागत की कुल 443 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा 227 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों में विगत वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष रु0 131.02 करोड़ की लागत के 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं रु0 418.83 करोड़ की लागत के विभिन्न 28 कार्य भौतिक रूप से प्रगतिशील हैं।

उपरोक्तानुसार।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं, बल्कि पूरे देश की जनता को एक बहुत बड़ा सपना दिखाया गया। जब वर्ष 2014 में लोक सभा चुनाव की रैलियाँ हो रही थीं तो उस दौरान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वायदा किया गया। 100 स्मार्ट सिटी में से सबसे ज्यादा स्मार्ट सिटी देने का वायदा उत्तर प्रदेश को किया गया। जून, 2015 में 10 स्मार्ट सिटी का वायदा उत्तर प्रदेश की सरकार को मिला और उसकी पालिसी कुछ इस तरह से बनाई गई कि उसमें जो बजट रहेगा वह आधा केन्द्र सरकार का रहेगा और आधा राज्य सरकार का रहेगा। वर्ष 2015 में जो हमारी स्मार्ट सिटीज थीं वह आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, बरेली, सहारनपुर, झांसी और प्रयागराज थीं। उसके बाद वर्ष 2019-2020 में हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा 07 और सिटीज को एड किया गया। मैने प्रश्न किया था कि यह जो स्मार्ट सिटीज का वायदा किया गया है इसके मानक क्या हैं ? साथ ही साथ मैंने यह भी प्रश्न किया था कि इसमें जो वर्ष 2015 से 10 स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है उसमें सेण्ट्रल और स्टेट द्वारा टोटल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और उसमें से कितनी धनराशि का इस्तेमाल कर लिया गया है।

मा0 अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के से साथ कहना चाहूंगी कि सरकार की वेबसाइट पर जो जी0ओ0 उपलब्ध हैं वह बताते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन को बनाने के क्या-क्या मानक हैं। उत्तर में उस तरीके से कोई भी मानक नहीं बताये गये हैं। जो जी0ओ0 था उसमें बताया गया था कि प्रापर सैनीटेशन, ड्रिंकिंग वाटर अर्थात शुद्ध पेयजल सप्लाई की जायेगी, सीवेज को प्रॉपर किया जायेगा, सड़कों का निर्माण किया जायेगा, आटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स को लगाया जायेगा, पार्क बनाये जायेंगे, बच्चों के स्कूल को स्मार्ट किया जायेगा। यह भी बोला गया था कि जो आपका वेस्ट का डिस्पोजल होता है जो देश के विभिन्न शहरों में होना शुरू हो गया है। मैं अगर दिल्ली की बात करूं तो जो गीला कचरा होता है और एक सूखा कचरा होता है ताकि उसको रि-साइकिल करने में मदद की जा सके। इनके जी0ओ0 में जिस तरह से बताया गया है

और जो जवाब दिया गया है वह बिलकुल अलग है। जवाब में ऑनलाइन किस तरीके से क्या किया जायेगा सिर्फ उसके बारे में बताया गया है सिविल वर्क की कोई बात नहीं की गयी है। मा0 मंत्री जी के जवाब में यह बताया गया है कि आपके जो दस शहर हैं उनके लिए 9313 करोड़ की धनराशि आयी थी जिसमें से लगभग पचास प्रतिशत आपने यूज कर लिया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पचास प्रतिशत यूज करने के बाद ऐसी कौन-कौन सी सिटी है जिनको आप कम्प्लीटली क्यूटो के सपने दिखाकर क्यूटो की तरह स्मार्ट बना चुके हैं और अगर आपने पचास प्रतिशत भी काम किया है तो कृपया उन पचास प्रतिशत काम वाले शहरों का नाम बता दें। साथ ही साथ मैं आपसे यह भी पूछना चाहती हूँ कि जब आपने यह स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी तो वहाँ पर आपने तीन क्राइटेरिया को रखा था कि जब हम सिटी को स्मार्ट करेंगे तो उनमें हम या तो रेट्रो सिटी का मॉडल डालेंगे या फिर हम रि-डेवलपमेंट का मॉडल डालेंगे या फिर हम ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मॉडल डालेंगे। आपने जो भी सिटी बनायी हैं उसको आप किस मॉडल के तहत् फिट कर रहे हैं कृपया वह बताने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसमें लिखा गया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के अन्तर्गत चिन्हित किये गये शहरों के मानक क्या हैं ? मान्यवर, हमारी समझ से मानक वह होता है जिसके बेसिस पर किसी शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया जाता है, यह मानकर हमने आपको जवाब दिया है और आपने जैसा कहा कि सब कुछ वेबसाइट पर उपलब्ध भी है। हमारे जवाब में यह भी कहा गया है कि दोनों ही प्रकार की जो स्मार्ट सिटी है। जिसमें 10 केंद्र सरकार से सहायतित हैं और 7 हमारी हैं। उन दोनों में जो रकम खर्च हुयी है और जो काम हुये हैं। 9313 करोड़ रुपया हमारे केंद्र वाले में था जिसमें कुल 670 परियोजनाओं को लिया गया था और उसमें 443 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। 227 परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर हैं। स्मार्ट सिटी कार्य हेतु 8379 करोड़ रुपये की धनराशि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा अब तक जारी की चुकी है। अगर आपको चाहिए तो मैं उनकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। उसी प्रकार जो राज्य सरकार की सात सिटी हैं उनमें भी 131 करोड़ रुपये के पांच कार्य जैसे कहीं मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण है, ऐसे बड़े-बड़े काम है और 418 करोड़ के 28 काम भौतिक प्रगति में हैं। जो मा0 सदस्य ने भारत में स्मार्ट सिटी की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़े किये, मा0 अध्यक्ष आपको मालूम है कि भारत के नगरों के विकास के लिए मा0 प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से वह लगातार चिंता कर रहे हैं और एक के बाद एक नई-नई परियोजनायें ला रहे हैं उनमें स्मार्ट सिटी का भी एक सपना जरूर था। क्यूटो बनाना है या अमेरिका की सिटी बनानी है यह कोई दुलर्भ स्वप्न नहीं है। हम-आप चाहें और निर्णय करें तो क्यूटो भी बन सकता है और वाशिंगटन भी बन सकता है। उसका एक उदाहरण भी देना चाहूंगा, आप सबने जी-20 के समय देखा पूरा विश्व हमारे लखनऊ की धरती पर आया था, आगरा में आया था, बनारस में आया था और उस समय

आप सबकी जानकारी के लिए पूरे वैश्विक समुदाय ने आगरा, लखनऊ, वाराणसी की प्रशंसा की।

मान्यवर, यह कोई दुर्लभ या असम्भव कार्य नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि यह नहीं हो सकता है। हम मा0 प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एवं मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने स्वयं कहा है कि हम अपने शहरों को वैश्विक शहर बनाकर आपके इस सदन के एवं जनता के चरणों में रख देंगे।

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ और मैं अपेक्षा करती हूँ कि मा0 मंत्री जी उसका सीधा-सीधा उत्तर देंगे। वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2023 तक जिन दस शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गयी थी, सपना दिखाया गया था। सिर्फ आप उन दस शहरों में से कुछ ही शहरों के बारे में बता दें कि वहां पर 50 प्रतिशत काम हो चुका है और साथ-ही-साथ मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने जवाब में कहा कि हमने जिन शहरों को स्मार्ट सिटी करने की कोशिश की है, हमने वहां के जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे हैं, उनसे डिस्कशन किया है एवं उनसे बातें की हैं। आज हमारे बीच में सभी मा0 सदस्यगण उपस्थित हैं जो कि उन स्मार्ट सिटीज में रहते हैं, जो सो कॉल्ड है, जिसे बनाया जा रहा है। क्या कोई ऐसा जनप्रतिनिधि है जिसको बुलाया गया और उनसे स्मार्ट सिटी के बारे में सुझाव लिए गये और वह चीज हो गयी हो और उनको फिर बुलाकर बताया गया हो कि आपने जो सुझाव दिया था उस सुझाव को हमने डाल दिया है और इस सिटी को हमने स्मार्ट सिटी बना दिया है।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मान्यवर, मैने जैसा कहा है कि हमारे पास पूर्ण कामों की पूरी लिस्ट उपलब्ध है। चूंकि आपने पूछा है तो मैं उदाहरण के लिए कुछ पूर्ण कामों को पढ़ देता हूं और मैं पूर्ण कामों की पूरी लिस्ट मा0 सदस्यों को उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी आप पूरी लिस्ट दे दीजिए।

प्रदेश में नगर विकास विभाग में संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान की नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में

***10-श्री सचिन यादव-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर विकास विभाग में संविदा कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान हेतु नीति बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नगर विकास विभाग के शासनादेश संख्या-979/नौ-9-2020-92ज/20, दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा यह दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं कि राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में अवमुक्त धनराशि से नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन/भत्ते/पेंशन आदि का भुगतान किये जाने हेतु उक्त धनराशि का उपयोग किया जाय, जिससे निकाय में कार्यरत समस्त कर्मियों का वेतन/मानदेय भुगतान बिलम्बित न हो और भुगतान नियमित रूप से सुनिश्चित हो।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1497/नौ-9-2023-92ज/20, दिनांक 04 अगस्त, 2023 द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 10-06-2020 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु पुनः समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

श्री सचिन यादव-

मान्यवर, मेरा प्रश्न संविदा कर्मचारियों के विषय में है। हमारे उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मचारी गरीब परिवारों से आते हैं, खासकर जो संविदा सफाई कर्मचारी हैं और मैंने उनको समय से वेतन देने के विषय में इस प्रश्न को लगाया था। पहले वर्ष 2020 में पत्र भेजा गया था जिससे संविदा सफाई कर्मचारियों को समय से वेतन मिल जाए और फिर दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पत्र भेजा गया है लेकिन जमीन पर काम नहीं हो रहा है। हम लोग स्वच्छ भारत की बात करते हैं लेकिन हम संविदा सफाई कर्मचारियों का ख्याल नहीं रखते हैं। वह 7-8 हजार रुपये पर हर महीने काम करते हैं, उनको काम करते हुए एक-एक साल हो जाता है लेकिन उनको सैलरी नहीं दी जाती हैं और उनके परिवार का पालन-पोषण सैलरी से ही होता है। हमने मीडिया में भी देखा था कि सरकार ने वायदा किया था कि 7वें वेतन आयोग के 90 प्रतिशत के बराबर संविदा सफाई कर्मचारियों को सैलरी दी जायेगी लेकिन इसका भी जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा है। मेरा प्रश्न है कि नगर निगम, नगरपालिका एवं नगर पंचायतों में संविदा सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, क्या उनको स्थायी करने की कोई योजना है ? अगर है तो कब तक ? अगर नहीं है तो क्यों नहीं ? जो लोग ठेकेदार के अण्डर काम कर रहे हैं, क्या उनको समय से पेमेण्ट को ओवर-सी करने की सरकार की कोई योजना है ? क्या उनको हेल्थ सुविधाएं एवं इस तरह की अन्य सुविधाएं देने की कोई योजना है ? क्या सरकार ऐसा शासनादेश पारित करेगी जिसके लिए कहा गया है कि वेतन समय से दिया जाए। संविदा सफाई कर्मचारियों को सबसे पहले वेतन दे दिया जाए और बाद में विकास के कार्यों पर काम किया जाए क्योंकि संविदा सफाई कर्मचारियों को पहले वेतन नहीं दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने प्रश्न तो किया नहीं है, प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।†

---

† तारांकित प्रश्न संख्या-10 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया भुगतान किये जाने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

***11-डॉ0 अजय कुमार-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का कितने करोड़ रुपए चीनी मिलों पर वर्तमान में अवशेष है ? क्या सरकार गन्ना किसानों को समय से गन्ना मूल्य भुगतान कराने हेतु कोई कारगर योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत दिनांक 24-07-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य रु0 5.664.00 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष है।

गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत व्यवस्था विद्यमान है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई कराई जाती है।

पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023, 09-06-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित गाँव तथा ट्रांसफार्मर की क्षमता में वृद्धि विषयक

***12-श्री सन्दीप सिंह-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युतीकरण से वंचित गाँव तथा नये मजरों का विद्युतीकरण, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का कार्य एवं नये ट्रांसफार्मर लगाने की परियोजना सरकार ने बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में प्रदेश में कोई भी राजस्व ग्राम विद्युतीकरण से वंचित नहीं है। वर्ष 2017-2018 से सौभाग्य सहित विभिन्न योजनाओं में प्रदेश के 121324 मजरों का विद्युतीकरण कराया गया।

प्रदेश में अविद्युतीकृत मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विशेष प्रयासों से भारत सरकार की रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित किया गया है, जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार से 22339 मजरों के विद्युतीकरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में जुलाई महीने तक कुल 801 नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं एवं 5288 ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि की गयी है। ये कार्य सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत तकनीकी सम्भाव्यता पर सम्पादित कराये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरों के मध्य स्थित शुगर मिलों से निकलने वाली छाई से नगरवासियों को निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में

***13-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरों के मध्य कितनी शुगर मिल स्थित हैं एवं उक्त मिलों से निकलने वाली छाई से पीड़ित नगरवासियों को निजात दिलाने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में शहरों के मध्य 16 शुगर मिल स्थित हैं।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत चीनी मिलों से जनित उत्सर्जन हेतु मानक निर्धारित हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित एवं संचालित समस्त चीनी मिलों में स्थापित ब्वायलरों से जनित उत्सर्जन नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण स्रोत पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था चीनी मिलों के संसाधनों द्वारा स्थापित करवायी गयी है। उत्सर्जित गैसीय उत्सर्जन के परिचालकों के नियमित आनलाइन अनुश्रवण हेतु आनलाइन कॉन्टिन्युस एफ्लुएन्ट/एमिशन मानिटरिंग सिस्टम स्थापित कराया गया है, जोकि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से संयोजित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी नलकूपों में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में

***14-श्री लालजी वर्मा-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी नलकूप के लिए विद्युत कनेक्शन में मुख्य लाइन से 300 मी0 की दूरी तक स्थित नलकूप हेतु किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में किसानों को सामान्य योजना के अन्तर्गत जो 01-01-1975 से प्रारम्भ हुई थी, निजी नलकूपों के संयोजन हेतु 7.5 हार्सपावर तक रुपये 68,000.00 तक की छूट प्रदान की गयी थी। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक कुल 166135 निजी नलकूप विद्युत संयोजन निर्गत किये गये हैं।

वर्तमान में पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 से जुलाई, 2023 तक 160549 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किये गये हैं। इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के मात्र चार महीनों में इस योजना के अन्तर्गत 14721 संयोजन दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु आवंटित की गयी धनराशि की जानकारी के सम्बन्ध में

***15-डा0 पल्लवी पटेल तथा श्री जियाउर्रहमान-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त किये जाने हेतु सरकार की कोई योजना है ? क्या सरकार यह बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 में गड्ढामुक्ति हेतु एवं नव निर्माण हेतु शासन द्वारा कितनी धनराशि दिनांक 21-03-23 तक आवंटित की जा चुकी है ? क्या सरकार जर्जर सड़कों को समयबद्ध गड्ढामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में दिनांक 31-03-2023 तक गड्ढामुक्ति के लिए रु0 504.12 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है। मार्गों के नव निर्माण/चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्यों हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1999 कार्यों पर कुल लागत रु0 8366.96 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करते हुए रु0 2141.44 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी है।

प्रदेश के समस्त श्रेणी के मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, इस योजना के अन्तर्गत मार्गों पर आवश्यक गड्ढामुक्ति/नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सम्पादित कराये जाते हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने की माँग

***16-डॉ0 संग्राम यादव-**

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर बिजली संकट एवं बिजली कटौती तथा बिजली की बढ़ी कीमतों के कारण आमजन को राहत दिये जाने के दृष्टिगत सौर ऊर्जा पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 प्रख्यापित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत 05 वर्षों में 22000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन लक्षित है। नीति के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी0एम0 कुसुम) योजना के घटक सी-1 के अन्तर्गत प्रदेश में किसानों के स्थापित निजी ऑनग्रिड सिंचाई पम्प (7.5 एच0पी0 कैपेसिटी तक) का सोलराईजेशन किये जाने की योजना भी संचालित है। इसमें राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति, मुसहर एवं वनटांगिया श्रेणी के कृषकों के लिए 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्राविधान है। इसमें केन्द्र सरकार की 30 प्रतिशत सब्सिडी एवं राज्य सरकार की 70 प्रतिशत सब्सिडी निहित है। अन्य श्रेणीं के कृषकों के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्राविधान है। इसमें केन्द्र सरकार की 30 प्रतिशत सब्सिडी एवं राज्य सरकार की 60 प्रतिशत सब्सिडी निहित है।

इसके अतिरिक्त घरेलू क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को नेट मीटर आधारित सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना हेतु निम्नवत् सब्सिडी दी जाती है :-

सोलर प्लांट की क्षमता	उत्तर प्रदेश सरकार की सब्सिडी (रु0)	भारत सरकार की सब्सिडी (रु0)	कुल सब्सिडी
1 कि0वा0	15,000	14,588	29,588
2 कि0वा0	30,000	29,176	59,176
3 कि0वा0	30,000	43,764	73,764
4 कि0वा0	30,000	51,058	81,058
5 कि0वा0	30,000	58,352	88,352
6 कि0वा0	30,000	65,646	95,646
7 कि0वा0	30,000	72,940	1,02,940
8 कि0वा0	30,000	82,234	1,10,234
9 कि0वा0	30,000	87,528	1,17,528
10 कि0वा0	30,000	94,822	1,24,822

साथ ही सौर ऊर्जा के स्टोरेज हेतु रु0 2.5 करोड़/मेगावॉट हेतु सब्सिडी सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत दी जाती है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक एवं औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ता के लिए नेट बिलिंग की व्यवस्था लागू की गई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के मानक तथा प्रक्रिया की जानकारी के सम्बन्ध में

***17-श्री अखिलेश-**

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार (परिसीमन/गांवों को जोड़ना) करने के मानक तथा प्रक्रिया क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मानकों के विपरीत परिसीमन सीमा विस्तार प्रस्तावित करने के दोषियों के खिलाफ दंड का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद के रूप में उच्चीकृत करने, नगर पालिका परिषद के गठन, नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने तथा नगर पालिका परिषदों के वर्गीकरण हेतु नगर विकास विभाग के संलग्न† शासनादेश दिनांक 10 नवम्बर, 2014, यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 30 जनवरी, 2015, दिनांक 03 अप्रैल, 2018 एवं दिनांक 23 नवम्बर, 2020 द्वारा मापदण्ड एवं मानक निर्धारित किये गये हैं।

सम्बन्धित नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित जिलाधिकारी से उपर्युक्त शासनादेशों में निर्धारित मापदण्डों/मानकों के अनुसार परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त जनसामान्य से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से अनन्तिम अधिसूचना निर्गत की जाती है। तदोपरान्त् नियत अवधि में प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त अंतिम अधिसूचना निर्गत करने की कार्यवाही की जाती है त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में लेपन स्तर तक की सड़क से अनजुड़े गाँवों को जोड़े जाने विषयक

***18-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने गांवों की बसावट ऐसी है जिनको लेपन स्तर तक की सड़क से वर्तमान तक नहीं जोड़ा जा सका है ? क्या

---

† छापा नहीं गया।

सरकार कोई समयावधि सुनिश्चित कर उक्त गांवों को डामर रोड से जोड़ने की कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जितिन प्रसाद-

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 एवं उससे अधिक आबादी के कुल 1734 बसावटें वर्तमान में बिना जुड़ी हैं।

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 250 एवं उससे अधिक आबादी के बसावटों को चरणबद्ध तरीके से डामर रोड से वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जोड़ा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, बंद चीनी मिलों को पुनः चालू कराये जाने एवं समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

***19-श्री महेंद्र नाथ यादव-**

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का दिनांक 22-03-2023 तक कुल कितना बकाया है तथा प्रदेश में कितनी बन्द चीनी मिलों को सरकार ने चालू करवाया है एवं कितनी अवशेष हैं ? क्या सरकार गन्ना की खेती से प्राप्त लाभ को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष सभी बन्द चीनी मिलों को पुनः चालू करायेगी ? क्या सरकार गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 22-03-2023 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों पर कुल रु0 7,366.89 करोड़ बकाया था। अद्यतन सूचना दिनांक 24-07-2023 के अनुसार उक्त पेराई सत्र में वर्तमान में कुल रु0 5,664.00 करोड़ बकाया है।

प्रदेश में निगम क्षेत्र की 02 बन्द चीनी मिलों यथा-पिपराइच (गोरखपुर) एवं मुण्डेरवा (बस्ती) के स्थान पर दो नई चीनी मिलों की स्थापना की गयी। इसी प्रकार निगम क्षेत्र की बन्द 02 अन्य चीनी मिलों यथा-छाता (मथुरा) एवं बुढ़वल (बाराबंकी) में नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में बजट का प्राविधान किया जा चुका है।

निजी क्षेत्र की 04 चीनी मिलों यथा गागलहेड़ी (सहारनपुर), बुलन्दशहर (बुलन्दशहर), मझावली (सम्भल) एवं टोडरपुर (सहारनपुर) को उनके प्रबन्ध तंत्र द्वारा निर्णय लेते हुए पुनर्संचालित किया गया।

प्रदेश में निगम क्षेत्र की 08, सहकारी क्षेत्र की 05 एवं निजी क्षेत्र की 22 एवं भारत सरकार के अधीन 04 चीनी मिलें वर्तमान में बन्द हैं।

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 एवं उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की बन्द चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु विभिन्न कारकों यथा क्षेत्र में गन्ने की उपलब्धता एवं भविष्य में गन्ना विकास की सम्भावनाओं का आंकलन कर निर्णय लिया जाता है।

निजी क्षेत्र की चीनी मिलों का अपना प्रबन्धतन्त्र होता है जिनके द्वारा मिल को पुनर्संचालित किये जाने का निर्णय स्वयं लिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन से सम्बन्धित सुसंगत पहलुओं के आलोक में हितबद्ध पक्षों को सुन कर सम्यक विचारोपरान्त कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के गांवों एवं शहरों में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि एवं पुराने तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

***20-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल तथा श्रीमती पूजा पाल-**

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के गांवों एवं शहरों में विद्युत कनेक्शन तथा लोड बढ़ गये हैं किन्तु ट्रांसफार्मर एवं तार पुराने कनेक्शन के लोड के अनुसार संचालित होने से ओवर लोड होने के कारण बार-बार ट्रांसफार्मर जल जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 के इतिहास में दिनांक 24-07-2023 को सबसे ज्यादा 28284 मे0वा0 विद्युत की आपूर्ति की गयी है। राज्य में अप्रत्याशित रूप से माँग में वृद्धि के बावजूद भी उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नं0-1912 कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगातार अनुश्रवण किया जाता है।

विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने हेतु वर्ष 2023-24 में 801 नये परिवर्तक, 6520 कि0मी0 ए0बी0 केबिल लगायी गयी तथा 5288 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी। उक्त के अतिरिक्त भी वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए बिजनेस प्लान एवं रिवैम्प्ड योजना में लगातार कार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्त प्रयासों से ट्रांसफार्मरों के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में कमी भी आई है।

माह अप्रैल से जुलाई 2023 तक क्षतिग्रस्त ट्रासफार्मरों का विवरण

वर्ष	क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या एवं प्रतिशत		क्षतिग्रस्तता प्रतिशत में वृद्धि/कमी
	संख्या	प्रतिशत	
2022-23	106475	4.15%	0.55% की कमी
2023-24	94847	3.6%	

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1-श्री अखिलेश-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-207 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

2-श्री बाबूलाल-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-208 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

3-श्री बाबूलाल-

[दिनाँक 08-08-2023 के अतारांकित प्र0सं0-210 के द्वारा उत्तरित]

लोक निर्माण विभाग में वर्ष 2017-18 से 2022-23 के मध्य आवंटित बजट एवं उसके सापेक्ष व्यय की जानकारी के सम्बन्ध में

4-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में कितना बजट आवंटित किया गया व आवंटित बजट के सापेक्ष कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री ब्रिजेश)-

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग को आवंटित बजट एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशियों का विवरण संलग्न है।†

---

† देखिए नत्थी (ग) आगे पृष्ठ संख्या 353 पर।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश की नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों के विस्तारीकरण की नीति की जानकारी विषयक

5-श्री अभय सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों के विस्तारीकरण की कोई नीति है ? यदि हाँ, तो उक्त में मानक तथा प्रक्रिया का विवरण क्या है ? क्या सरकार की प्रदेश की पुरानी नगर पंचायतों/नगर पालिका परिषदों को जो विस्तारीकरण से छूटी हैं, के विस्तार हेतु कोई कार्य योजना है ? यदि हाँ, तो क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर विकास विभाग के शासनादेश दिनांक 31-01-2015 यथासंशोधित दिनांक 23-11-2020 द्वारा नगर पंचायतों तथा शासनादेश दिनांक 03-04-2018 यथासंशोधित दिनांक 23-11-2020 द्वारा नगर पालिका परिषदों के सीमा विस्तार हेतु मानकों का पुनर्निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रमुखतः

- प्रस्तावित क्षेत्र की शहरीकरण की प्रवृत्ति/लक्षण उत्पन्न होने,
- सीमा विस्तार आबादी एवं गैर आबादी क्षेत्र,
- जनसंख्या जनसंख्या घनत्व,
- प्रस्तावित क्षेत्र के शामिल होने के उपरान्त अनुमानित आय एवं व्यय की सूचना,
- निकाय में अवस्थित राजमार्ग के दायित्व निर्वहन की वचनबद्धता,
- प्रस्तावित क्षेत्र के गाटा का दिशावार विवरण मानचित्र,
- निकाय बोर्ड का प्रस्ताव/जिलाधिकारी की संस्तुति इत्यादि मानक है।

मानक पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की सुसंगत धारा में प्राविधानित व्यवस्थानुसार नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित राजमार्गों पर स्थानीय ग्रामीणों को टोल शुल्क में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी

6-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित राजमार्गों पर ऐसे कम्यूटर्स जिन्हें कम दूरी की यात्रा करनी होती है को पूरे राजमार्ग की दूरी का टोल अदा करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मार्गों पर दूरी के अनुपात में टोल के भुगतान की व्यवस्था बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाई-वे तथा उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के मध्य टोल रोड के संचालन, टोल शुल्क वसूली, स्थानीय ग्रामीणों, कस्बावासियों को टोल शुल्क में छूट आदि से सम्बन्धित अनुबन्ध-पत्र को सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री ब्रिजेश-

कंशेशन अनुबन्ध के आर्टिकल 27-8 के अनुसार टोल प्लाजा पर वे वाहन जो टोल प्लाजा से गुजरते हैं, उन सभी से टोल फीस वसूला जाता है, चाहे वो मार्ग परियोजना का पूरा या आंशिक भाग का उपयोग करते हों।

जी नहीं।

टोल प्लाजा के 20 किमी0 की परिधि में स्थित स्थानीय लोगों के पंजीकृत अव्यवसायिक वाहनों द्वारा मुख्य मार्ग का नियमित उपयोग आवागमन के लिए किया जाता है, उनके लिए मासिक पास की व्यवस्था है, जिसकी दर वर्तमान में रु0 380/- प्रतिमाह है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली की कैराना विधान सभा क्षेत्र के ब्लॉक उन में कतिपय सम्पर्क मार्गों की पुलिया के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

7-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर स्थित संकरी पुलियों को चौड़ा करने तथा क्षतिग्रस्त पुलियों के पुनः निर्माण की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के ब्लॉक उन में ग्राम अजीजपुर से काला मजरा ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के मध्य ग्राम ढिढांली से पटरी मार्ग के मध्य तथा ग्राम कमालपुर से मुख्य मार्ग के मध्य स्थित पुलियों के चौड़ीकरण व मरम्मत कार्य को सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

आवास विकास प्राधिकरण कानपुर नगर में मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना 4 एवं 5 में अधिसूचित किये गये ग्रामों की जानकारी विषयक

8-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में आवास विकास परिषद द्वारा मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना 4 एवं 5 में कौन-कौन से गांव कब अधिसूचित किए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गांव कानपुर विकास प्राधिकरण अथवा जिला पंचायत के भी अधिसूचित क्षेत्र माने जायेंगे ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो उक्त अधिसूचित गांव के अकृषक भूमि के भवन नक्शे किसके द्वारा पास माने जायेंगे ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 कानपुर में ग्राम बगदौधी बांगर, बगदौधी कछार परगही बांगर, पेम विरतियान बिठूर ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी धारा-28 की अधिसूचना दिनांक 23-05-2009 को प्रकाशित की गयी है।

मन्धना भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-5, कानपुर में ग्राम-बगदौधी बांगर, बगदौची कछार, बैकुण्ठपुर, गम्भीरपुर कछार ग्राम सम्मिलित हैं जिनकी धारा-28 की अधिसूचना दिनांक 24-04-2010 को प्रकाशित की गयी है।

परिषद द्वारा संचालित योजना संख्या-4 व 5 कानपुर के अन्तर्गत उक्त गांव परिषद अधिनियम, 1965 की धारा-28 का गजट प्रकाशन दिनांक 23-05-2009 एवं 24-04-2010 द्वारा अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत माने जायेंगे।

उक्त गांव कानपुर विकास प्राधिकरण अथवा जिला पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं माने जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

उक्त अधिसूचित क्षेत्र के नक्शे उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अनुसार परिषद द्वारा पास किये/माने जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में अवर अभियन्ताओं के पदों पर डिप्लोमा धारक लिपिकों, सर्वेयर एवं अन्य की पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों में उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 5 के सरकारी गजट एवं नियमावली 2003 (तेरहवां संशोधन) के अन्तर्गत अवर अभियन्ताओं के 50 प्रतिशत पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लिपिक, सर्वेयर, रेखाकार, प्रयोगशाला सहायक, मानचित्रकार जो राज्य सरकार अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद् से सिविल/विद्युत अभियंत्रण में डिप्लोमा धारक हैं को पदोन्नत करने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2003 के प्राविधानानुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न विकास प्राधिकरणों में कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे रेखाकार, मानचित्रकार, लिपिक, प्रयोगशाला सहायक एवं सर्वेक्षक (सर्वेयर) जिन्होंने राज्य सरकार अथवा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल अथवा विद्युत एवं यांत्रिकी अभियन्त्रण में डिप्लोमा प्राप्त किया है, हेतु आरक्षित अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत एवं यांत्रिकी) के 05 प्रतिशत पदों पर पदोन्नत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर में सड़कों के किनारे मानक के विपरीत विद्युत पोल हटवाये जाने के सम्बन्ध में

10-श्री लालजी वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़कों के किनारे विद्युत पोल को मानक के अनुसार सड़क की पटरी से कितनी दूरी पर लगाये जाने के नियम है ? क्या सरकार जनपद अम्बेडकरनगर में सड़कों के किनारे मानक के विपरीत लगाये गये विद्युत पोल को हटवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के चैप्टर-VII के नियम-79 (a) (iii) व 82 के अनुसार पोल को सड़क की पटरी से न्यूनतम 1-2 मीटर की दूरी पर लगाये जाने का नियम है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की विशेष परिस्थितियों और

स्थानीय सुरक्षा के तहत विभागीय सर्वे कर उपलब्ध भूमि के आधार पर पोल लगाया जाना सम्भव होता है।

सभी पोल उपरोक्तानुसार मानक के अनुरूप लगाये जाते हैं परन्तु सड़क चौड़ीकरण की दशा में पोल शिफ्टिंग का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने एवं निर्विवादित भूमि उपलब्ध कराने पर ही पोल की शिफ्टिंग का कार्य विभागीय नियमानुसार टेंडरिंग की प्रक्रिया के तहत किये जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

11-श्री लालजी वर्मा-

[दिनाँक 08-08-2023 के अतारांकित प्र0सं0-207 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में पुरानी सड़कों के निर्माण में लेवल नक्शा को मंजूरी दिलाये जाने के सम्बन्ध में

12-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में जिन सड़कों व खड़ण्जों का निर्माण कराया जा रहा है वह पुराने निर्मित सड़कों के ऊपर ही कर दिया जाता है जिससे पुराने भवन व कीमती इमारतें नीची पड़ती जा रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार लेवल नक्शा को मंजूरी देगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सड़कों का निर्माण कार्य विभागीय विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप कराया जाता है तथा खड़ण्जे का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के गांवों में ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री मोहन वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कितने गांवों में ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने से सम्बन्धित प्रकरण प्रबन्ध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी के यहाँ 19 मार्च, 2023 तक लम्बित है ? क्या सरकार उक्त लम्बित ट्रांसफार्मर्स की स्वीकृति प्रदान करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत दिनांक 19-03-2023 तक 33 परिवर्तक क्षमतावृद्धि हेतु तकनीकी सम्भाव्यता के दृष्टिगत लम्बित थे, जिसमें प्रथम चरण में 10 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शेष परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि पर कार्यवाही अतिरिक्त बिजनेस प्लान के अन्तर्गत प्रस्तावित है। वर्तमान में हाटा क्षेत्र में 7127 वितरण परिवर्तक स्थापित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

14-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा में वृक्षारोपण अभियान चलाये जाने विषयक

15-श्री मोहन वर्मा-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के कितने भू-भाग पर वन आच्छादित क्षेत्र है ? क्या सरकार वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

हाटा विधान सभा क्षेत्र में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत कोई भूमि वन भूमि घोषित नहीं है।

जी हाँ।

प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वृक्षारोपण महाभियान के अन्तर्गत वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कर वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली से गोरखपुर तक नगरीय बस सेवा चालू करने के सम्बन्ध में

16-श्री मोहन वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थली से तहसील मुख्यालय हाटा होते हुए गोरखपुर

तक यात्रियों की सुविधा हेतु नागरीय बस सेवा चालू (प्रारम्भ) करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

गोरखपुर में नगरीय सीमा के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक बसें, नगर सिटी बस के रूप में संचालित हो रही हैं, जबकि भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थली कुशीनगर वाया हाटा कुशीनगर जनपद में स्थित है। अतः ऐसी स्थिति में गोरखपुर के नगर सीमा के बाहर अन्य जनपद कुशीनगर तक वाया हाटा इलेक्ट्रिक बस (सिटी बस) का संचालन कराया जाना सम्भव नहीं है।

नगर पंचायत लालगंज रायबरेली के बाईपास पर उपरिगामी रेलवे सेतु के जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में

17-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगर पंचायत लालगंज जनपद रायबरेली के बाईपास पर उपरिगामी रेलवे सेतु का उदघाटन 18 मई, 2018 को हुआ था, क्षतिग्रस्त है ? क्या सरकार उक्त सेतु का निर्माण/जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रबन्धक (तक0) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के पत्र दिनांक 07-07-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सेतु के सुपर स्ट्रक्चर (ऊपरी भाग) को विघटित करके, संशोधित डिजायन के अनुसार पुनः निर्माण कराया जा रहा है, जिसके क्रम में सूपर स्ट्रक्चर (ऊपरी भाग) विघटित किया जा चुका है और संशोधित नई डिजायन एवं ड्राइंग (विशिष्ट भार वाहन क्षमता के अनुसार) तैयार की गयी है। रेलवे द्वारा पुनरीक्षित डिजायन एवं ड्राइंग को अनुमोदित कर दिया गया है। तदनुसार कान्ट्रेक्टर द्वारा आर0ओ0बी0 के पुनः निर्माण का कार्य, मार्च, 2023 से प्रारम्भ कर दिया गया है, जिसे दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नगर पंचायतों में विकास कार्यों हेतु आवंटित बजट की जानकारी के सम्बन्ध में

18-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कौन-कौन सी नगर पंचायत हैं एवं गत पाँच वर्षों में उक्त के विकास

कार्यों हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्रों में किन कल्याणकारी योजनाओं में उक्त अवधि में धन व्यय किया गया और कितना शेष है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पंचायत लालगंज व नगर पंचायत डलमऊ आती हैं। उक्त नगर पंचायतों में विगत 05 वर्षों में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा-ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, नगरीय पेयजल योजना, अन्त्येष्टि स्थल के विकास की योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना, पं0 दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना, 14 एवं 15वां वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन एवं कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना, अवस्थापना विकास निधि, राज्य वित्त आयोग (न0प0 लालगंज) प्रान्तीयकृत मेला मद (न0पं0 डलमऊ), नगर निधि एवं अवस्थापना विकास निधि में विकास कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि व्यय एवं अवशेष का विवरण निम्नवत् है-

(रु0 लाख में)

वर्ष	नगर पंचायत लालगंज			नगर पंचायत डलमऊ		
	विकास कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवशेष	विकास कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि	व्यय	अवशेष
2019-20	832.10	639.72	192.38	641.05	641.05	-
2020-21	624.39	611.82	12.57	233.50	233.50	-
2021-22	459.31	635.50	-176.19	422.94	406.00	16.94
2022-23	802.31	467.07	335.24	360.74	306.30	54.44
2023-24	102.36	73.04	29.32	58.49	-	58.49

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में चीनी से निकलने वाले धुएँ से प्रदूषण को रोके जाने के सम्बन्ध में

19-श्री अनिल कुमार-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शुगर मिलों में प्रदूषण नियंत्रण की क्या नीति है ? क्या सरकार बताएगी कि जनपद मुजफ्फरनगर में आईपीएल शुगर मिल

रोहाना कला यूनिट की चिमनी से धुएँ के साथ निकल रही छाई से आस-पास के क्षेत्र में प्रदूषण से परिवार प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदूषण को रोकने तथा उक्त मिलों की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 अरुण कुमार-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा0का0नि035 (अ) दिनांक-14-01-2016 के द्वारा चीनी उद्योगों के शुद्धिकृत उत्प्रवाह के विभिन्न प्रचालकों एवं उपचारित बहिश्राव सिंचाई प्रोटोकाल और अपशिष्ट जल संरक्षण या अपशिष्ट जल प्रबन्धन हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत चीनी मिलों से जनित उत्सर्जन हेतु मानक निर्धारित हैं।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश में स्थापित एवं संचालित समस्त चीनी मिलों में प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र एवं वायु प्रदूषण स्रोत पर वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था चीनी मिलों के संसाधनों द्वारा स्थापित करवायी गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरनगर द्वारा उद्योग के निरीक्षण के दिनांक-14-02-2023 को उद्योग में स्थापित 40 मी0टन/घण्टा क्षमता के ब्वायलर की चिमनी से होने वाले उत्सर्जन की मानिटरिंग भी की गयी। अनुश्रवण आख्या में उत्सर्जन बोर्ड मानकों के अनुरूप पाया गया।

वर्तमान में उक्त उद्योग दिनांक-22-04-2023 से ऑफ सीजन होने के कारण उत्पादनरत् नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रोहाना कलां रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

20-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के अन्तर्गत रोहाना कलां रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम लगा रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे क्रॉसिंग गेट पर ओवरब्रिज का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत रेलवे सम्पार के मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग की साईड में इण्डियन पोटाश लि0 शुगर मिल स्थापित है, जिसकी भूमि सेतु के संरेखण में आ रही है। शुगर मिल के पत्रांक

आई0पी0एल0 आर0के0एल0/549/2022-23, दिनांक 13-10-2022 द्वारा भूमि देने से मना कर दिया गया है, जिसके कारण उक्त सम्पार पर रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजीबल नहीं है।

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बसेड़ी व मलकपुर माजरा में 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन हटाये जाने के सम्बन्ध में

21-श्री अनिल कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव बसेड़ी व मलकपुर माजरा (ग्राम पंचायत बसेड़ा) विकास खण्ड पुरकाजी में बस्ती के अंदर 11000 वोल्ट विद्युत लाइन तार टूटने पर दुर्घटना होने की सम्भावना बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गाँव/बस्ती क्षेत्र के अंदर संचालित 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन को हटाकर एल0टी0 विद्युत लाइन संचालित कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव बसेड़ी व मलकपुर माजरा (ग्राम पंचायत बसेड़ा) विकास खण्ड पुरकाजी में विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007 में 11 के0वी0 हाईवोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हुआ था। उस दौरान ग्रामीण विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत चोरी रोकने हेतु हाईवोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में विद्युतीकरण किया गया था वर्तमान में हाईवोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की 11 के0वी0 लाइन की गार्डिंग की हुई है।

वर्तमान में हाईवोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 11 के0वी0 लाइन को एल0टी0 लाइन में परिवर्तित करने की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र सं0-क-7 सं0-132232, दिनांक 11 मार्च, 2023 पर कृत कार्यवाही की जानकारी

22-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र खतौली में ग्राम भैसी के पास रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य की ड्राइंग एवं गुणवत्ता की शिकायत सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र सं0-क-7 सं0-132232 दिनांक 11 मार्च, 2023 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नकर्ता श्री मदन भैया, मा0 विधायक, खतौली का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या क-7 सं0 132232, दिनांक 11 मार्च, 2023 के अनुपालन में अवगत कराना है कि कार्यस्थल की आवश्यकता को देखते हुए विषयक समपार संख्या-46 पर सेतु का निर्माण सक्षम अधिकारियों/मुख्यालय लखनऊ से अनुमोदित ड्राईंग के अनुसार ही कराया गया है।

समस्त कार्य MoRTH, लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया गया है एवं वर्तमान में सेतु पर यातायात सुगमता पूर्वक चल रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के ऊपर विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में

23-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के परिषदीय विद्यालयों के ऊपर विद्युत लाइनें गुजर रही हैं ? क्या सरकार बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त विद्युत लाइनों को शिफ्ट करने की योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के परिषदीय विद्यालयों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के अन्यत्र शिफ्ट करने हेतु कुल 6 आवेदन प्राप्त हैं। जिसका धनराशि रु0 935415.00 का प्राक्कलन बनाकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ को अधिशासी अभियन्ता वि0वि0खं0 द्वितीय, आजमगढ़ के कार्यालय पत्रांक 1863, दिनांक 02-06-2023 द्वारा प्रेषित किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग से अभी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की शुगर मिलों से निकलने वाले मेली को किसानों को छूट पर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

24-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की शुगर मिलों से निकलने वाली मेली जो भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक है वर्ष 2022-2023 में शुगर

मिल द्वारा कितने किसानों को उपलब्ध कराया गया ? क्या सरकार किसानों को छूट पर मेली देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत कुल 1,52,880 गन्ना किसानों को मैली (प्रेसमड) उपलब्ध करायी गयी।

इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

कृषकों के गन्ना मूल्य भुगतान में सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए चीनी मिलों से निकलने वाली मैली (प्रेसमड) को टैग कर इसकी बिक्री से प्राप्त धनराशि के नियत अंश का उपयोग गन्ना मूल्य भुगतान में कराया जाता है।

उ0प्र0 ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 में जनपद शामली में कैराना विधान सभा में सम्मिलित मार्गों का विवरण

25-श्री नाहिद हसन-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के कुल कितने मार्गों को सम्मिलित किया गया है तथा सम्मिलित किए गए मार्गों व उनके अनुरक्षण हेतु प्रावधानित धनराशि का विवरण क्या है ?

श्री ब्रिजेश-

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-2024 हेतु जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के 44 मार्गों को चिन्हित किया गया है चिन्हित किये गये मार्गों की मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

26-श्री अनिल प्रधान-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0 सं0 205 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

प्रदेश में किसानों, आम उपभोक्ताओं तथा औद्योगिक इकाइयों को सस्ती दर से बिजली उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

27-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरेलू निजी नजकूप, औद्योगिक विद्युत दरें क्या हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रदेश में लागू विद्युत दरें अन्य राज्यों की तुलना में तुलनात्मक रूप से महंगी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों, आम उपभोक्ताओं

तथा औद्योगिक इकाइयों को महंगी विद्युत दरों से निजात दिलाने के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रदेश में घरेलू निजी नलकूप, औद्योगिक विद्युत की वर्तमान दरें जो मा0 उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश दिनांक 24-05-2023 में अनुमोदित है संलग्नक-1† पर अवस्थित है।

अलग-अलग राज्यों में विद्युत दरों में अन्तर हो सकता है। उत्तर प्रदेश में उपभोक्ता श्रेणियों एवं अन्य राज्यों की उपभोक्ता श्रेणियों में समानता नहीं है, इसके कारण विद्युत दरों की तुलना नहीं हो सकती है।

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कृषकों एवं लाईफ लाइन उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 में रु0 15020 करोड़ की सब्सिडी प्रदान की गयी है तथा विगत चार वर्षों में किसी भी श्रेणी की विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद की कुंदरकी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओवरलोड ट्रांसफार्मर एवं जर्जर विद्युत तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

28-श्री जियाउर्रहमान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने और ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की कोई कार्य योजना प्रचलित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बताएगी कि जनपद मुरादाबाद विधान सभा क्षेत्र कुंदरकी के किन-किन विद्युत उपकेन्द्रों के अन्तर्गत किन-किन गांवों में कुल कितने जर्जर तारों को बदला गया है तथा ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

---

† नोट-देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या 354-356 पर।

जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने और ओवरलोड ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने हेतु बिजनेस प्लान एवं रिवैम्प्ड की कार्य योजना में प्रस्तावित है।

रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रवार प्रस्तावित वितरण परिवर्तकों एवं जर्जर तारों को बदले जाने के कार्यों को उक्त योजना में सम्मिलित कर लिया गया है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	वितरण परिवर्तकों की संख्या	जर्जर तार बदलना (कि0मी0 में)	
			11 के0वी0 लाइन	एल0टी0 लाइन
1	रतनपुर	28	12	06
2	कुन्दरकी	04	43	55
3	नानपुर	07	08	02
4	मैनाठेर	29	23	16
5	ताहरपुर	35	11	04
6	भैसोड	11	01	07
	कुल योग	**114**	**98**	**90**

(2) बिजनेस प्लान वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रवार परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि कर दी गयी है। विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का नाम	स्थापित वितरण परिवर्तकों की संख्या
1	रतनपुर	01
2	कुन्दरकी	06
3	नानपुर	17
4	मैनाठेर	19
5	ताहरपुर	02
6	भैसोड	01
	कुल योग	**46**

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के कतिपय ग्रामों को मानक शिथिल कराते हुए नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री लालजी वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसी ग्राम को नगर पंचायत बनाने का मानक क्या है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि जनपद अम्बेडकरनगर में कतिपय गांवों को मानक शिथिल करके नगर पंचायत बनाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

किसी ग्रामीण क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु संलग्न† शासनादेश संख्या-2979/ 9-1-2016-426 सा/14, दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा मानकों का निर्धारण किया गया है, जिसमें निर्धारित मुख्य मानक प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या-20,000 या उससे अधिक होना, 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना शहरी गुण होना आदि निर्धारित किया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

30-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0 सं-206 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में स्मार्ट मीटर में आ रही शिकायतों के निराकरण के सम्बन्ध में

31-श्री मनीष असीजा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगरीय क्षेत्र में दिनांक 01 नवम्बर, 2022 तक कितने स्मार्ट मीटर लगाये गये हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कनेक्शन लोड कई गुना जम्प होने के कारण विद्युत उपभोक्ताओं को बढ़े हुये बिल मिलने की शिकायत प्राप्त हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार बतायेगी कि 01 जनवरी, 2023 तक नगरीय क्षेत्र में उक्त से सम्बन्धित कुल कितनी शिकायतें दर्ज करायी गयीं एवं कितनी शिकायतों का निस्तारण वर्तमान तक नहीं कराया गया है ? क्या सरकार इन स्मार्ट मीटरों की बड़े पैमाने

---

† नोट-देखिए नत्थी (ङ) आगे पृष्ठ संख्या 357-360 पर।

पर मिलने वाली शिकायतों को दूर करने हेतु कोई ठोस कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद फिरोजाबाद नगरीय क्षेत्र में 01-11-2022 तक 20,880 नग स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं।

कुल स्थापित 20,880 नग स्मार्ट मीटर के सापेक्ष कुल 68 नग स्मार्ट मीटरों की शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच के उपरान्त केवल 05 नग शिकायतें सही पायी गईं, जिनका निस्तारण कर दिया गया।

दिनांक 01-01-2023 तक नगरीय क्षेत्र उक्त से सम्बन्धित लोड कई गुना जम्प/तेज चलने की कुल 68 नग शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनकी जांच कराने पर मात्र 05 नग शिकायतें ही सही पायी गईं। इन सभी 05 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

कुल स्थापित स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष खराब पाये गये मीटरों की संख्या मात्र 0.02 प्रतिशत है, जो कि कुल स्थापित मीटरों की संख्या के सापेक्ष अनुबन्ध में निर्धारित अधिकतम मीटर फेलियर रेट 1.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा के अन्तर्गत है।

जनपद फिरोजाबाद ग्राम पंचायत राजा का ताल को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के प्रेषित पत्रों पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की सदर तहसील में राजा का ताल ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री एवं अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, लखनऊ को प्रेषित क्रमशः पत्रांक क-6 नं0-516843, क-6 नं0516842 एवं क-6 नं0 516841, दिनांक 16-05-2022 प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र दिनांक 17-08-2022 के माध्यम से ग्राम पंचायत अलीनगर कैंजरा (राजा का ताल) को नगर पंचायत राजा का ताल बनाये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव नगर पंचायत सृजन सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 06-10-2016 में निर्धारित मानकों के अनुरूप है। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022-23 की कार्यवाही

समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत के गठन/सीमा विस्तार से सम्बन्धित प्राप्त नवीन प्रस्तावों पर तत्समय अग्रतर कार्यवाही नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सैदापुर मड़वाना में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

33-श्रीमती जय देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल में विद्युत उपकेंद्र माल पर भार अधिक होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार सैदापुर मड़वाना में विद्युत उपकेंद्र की स्थापना कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद लखनऊ की विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के विकास खण्ड माल के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 माल उपकेन्द्र से निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उपकेन्द्र पर भारित 8 एम0वी0ए0 के परिवर्तक की क्षमतावृद्धि कराकर 10 एम0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित करा दिया गया है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

तकनीकी रूप से आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

34-श्री पंकज पटेल-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्र0सं0-209 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटका से धनपतगंज क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

35-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटका से मायंग होते हुये धनपतगंज को जाने वाली सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान मिट्टी, गिट्टी आदि की ढुलाई से क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण करते हुये पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद सुल्तानपुर में कटका बाजार से मायंग धनपतगंज मार्ग दो भागों में विभक्त है -

प्रथम भाग-कटका मायंग मार्ग है, जो कटका बाजार से प्रारम्भ होकर मायंग तक जाता है। यह मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

द्वितीय भाग-धनपतगंज-कुडवार-मंगापुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) का भाग है। धनपतगंज से मायंग तक इस भाग की लम्बाई 2.00 किमी0 है तथा प्रश्नगत मार्ग का चौड़ीकरण किये जाने हेतु आवश्यक पी0सी0यू0 निर्धारित मानकों से कम है। अतः मार्ग के इस भाग का चौड़ीकरण किया जाना मानक के अन्तर्गत नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कासमपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

36-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के विकास खण्ड पुरकाजी के गांव कासमपुर सम्पर्क मार्ग जो गर्मी रजवाहा छपार के पुल से होते हुए कासमपुर तक जाता है, क्षतिग्रस्त होने से जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग, छपार सिमर्थी तेजलहेड़ा खाईखेड़ी मार्ग के किमी0 1 से कासमपुर पठेड़ी तक का मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। उक्त मार्ग की लम्बाई 2.50 किमी0 है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में शुगर मिल में क्रय केन्द्रों पर घटतौली की रोकथाम के सम्बन्ध में

37-श्री अनिल कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली की रोकथाम हेतु क्या नीति है ? क्या सरकार को जनपद मुजफ्फरनगर के

उत्तम शुगर मिल खाईखेड़ी में लगातार किसानों के गन्ना की घटतौली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्रय केन्द्रों पर जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रत्येक पेराई सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व गन्ना कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत चीनी मिल गेट एवं वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों पर सुचारु रूप से गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने तथा घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) विनियमन नियमावली, 1954 के नियम-20 (I) में निहित प्राविधानों के क्रम में विस्तृत दिशा-निर्देश आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उ0प्र0 द्वारा निर्गत किये जाते हैं। वर्तमान पेराई सत्र, 2022-23 में परिपत्र 44/सी, दिनांक 16-09-2022 के माध्यम से क्षेत्रीय अधिकारियों तथा चीनी मिलों की घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

वर्तमान पेराई सत्र, 2022-23 में जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित उत्तम शुगर मिल्स खाईखेड़ी के चीनी मिल गेट तथा वाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के विभिन्न निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा 138 निरीक्षण किये गये हैं जिसमें 01 प्रकरण में घटतौली पाये जाने की दशा में सम्बन्धित तौल लिपिकों, चीनी मिल मालिकों, चीनी मिल प्रबन्धनों, सन्दर्भित तौल कांटे के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर तथा ए0एम0स0 प्रदाता के विरुद्ध थाना भोपो, जिला मुजफ्फरनगर में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु विभिन्न निरीक्षणकर्ता अधिकारियों तथा क्षेत्रीय स्तर पर गठित सचल दस्तों द्वारा चीनी मिल एवं बाह्य गन्ना क्रय केन्द्रों के निरन्तर निरीक्षण किये गये हैं। घटतौली पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विभाग कटिबद्ध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर को बाईपास से जोड़ने वाली पचैण्डा रोड को फोर लेन में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में

38-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर को बाईपास की ओर से जोड़ने वाला पचौण्डा रोड पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण व्यस्त रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रोड को फोर लेन बनवाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुजफ्फरनगर पचौण्डा दतियाना मार्ग है। मार्ग के दोनों और सघन आबादी भाग एवं बाजार स्थित है। मार्ग के समानान्तर पानीपत-खटीमा राज्य मार्ग का चौड़ीकरण कार्य प्रगति में है। अतः इस मार्ग पर वर्तमान में यातायात व उसकी प्रकृति के अनुरूप फोर लेन चौड़ीकरण कराने की कोई योजना नहीं है।

39-श्री अनिल कुमार-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-202 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत रेवती विकास खण्ड में दत्तहां-गोपालपुर के निकट 35 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में

40-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत रेवती विकास खण्ड के दत्तहा-गोपालपुर के पास 35 केवी0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने की कोई कार्य योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यो ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत रेवती विकास खण्ड के दत्तहां-गोपालपुर में पूर्व में 25 के0वी0 का ट्रांसफार्मर लगा है, जिसका स्थलीय निरीक्षणोपरान्त पाया गया कि परिवर्तक अधिभारित नहीं है। उक्त परिवर्तक से सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही है। विभाग द्वारा 35 के0वी0 का परिवर्तक नहीं लगाया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया अन्तर्गत कतिपय विद्युत सब-स्टेशनों के जले ट्रांफार्मर बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

41-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विद्युत सब-स्टेशन दिघार, सोनवाली, बैरिया नगरीय व ग्रामीण, चांददियर, लोकधाम ठेकहां, जयप्रकाशनगर व रेवती में जले ट्रांसफार्मर को बदलने में हफ्तों व दस दिन से अधिक समय लग रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 20-03-2023 तक उक्त विद्युत सब-स्टेशन पर ट्रांसफार्मर बदले जाने की शिकायतों व बदले जाने का तिथिवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विद्युत सब-स्टेशन दिघार, सोनवाली, बैरिया नगरीय व ग्रामीण, चांददियर, लोकधाम, ठेकहां, जयप्रकाशनगर व रेवती में जले हुए परिवर्तकों को विभाग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में नगरीय क्षेत्रों में 24 घण्टे व ग्रामीण क्षेत्रों में 48 घण्टे के अन्दर बदल दिये जाते हैं।

उपरोक्त क्षेत्र के विद्युत सब-स्टेशन पर परिर्वतक बदले जाने की शिकायतों पर दिनांक 01-02-2023 से 20-03-2023 तक कुल 41 नग परिवर्तक ससमय बदले गये हैं जिनका तिथिवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री पंकज सिंह-

[01-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-206 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नोएडा के सभी सेक्टरों और गांवों में विद्युत तारों को भूमिगत करने के सम्बन्ध में

43-श्री पंकज सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा के सभी सेक्टरों और गांवों में विद्युत तारों को भूमिगत करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

नोएडा के अन्तर्गत 171 सेक्टरों में लगभग 1587 किमी0 भूमिगत तार हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :-

1-33 के0वी0-313 किमी0

2-एल0टी0-472 किमी0

3-11के0वी0-802 किमी0

कुल-1587 किमी0 (शेष पर कोई योजना नहीं है।)

उपरोक्तानुसार।

नीतिगत प्रकरण है।

प्रदेश में विद्युत तारों को बदलने के लिए वर्ष 2019 से 2022 तक आवंटित धनराशि का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

44-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु कोई नीति सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो उक्त मद में वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक

---

† नोट-देखिए नत्थी (च) आगे पृष्ठ संख्या-361-362 पर।

कितनी धनराशि आवंटित कर कितने जनपदों में विद्युत तारों को बदलवाया गया ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

1-प्रदेश में एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलीटेशन प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एल0टी0 बेयर कन्डक्टर को ए0बी0 केबिल से बदलने का कार्य किया जा रहा है।

2-बिजनेस प्लान के अन्तर्गत समस्त जनपदों में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकतानुसार जर्जर विद्युत तार बदले जाने हैं।

3-रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत भी जर्जर एल0टी0 बेयर कन्डक्टर को ए0बी0 केबिल से बदलने के कार्य शामिल किये गये हैं।

जर्जर विद्युत तारों को बदलने एवं एल0टी0 बेयर कन्डक्टर को ए0बी0 केबिल से बदलने हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में कुल आवंटित धनराशि रु0 919.00 करोड़ का व्यय कर कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जनपदों को फोर लेन सड़क द्वारा राजधानी लखनऊ को जोड़े जाने विषयक

45-श्री अखिलेश-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने जिला मुख्यालय राजधानी लखनऊ से 4 लेन की सड़क से नहीं जुड़े हैं ? क्या सरकार समय-सीमा निर्धारित कर जिला मुख्यालयों को राजधानी लखनऊ से 4 लेन की सड़क से जोड़ेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में कुल 75 जनपदों में से 51 जनपद पूर्व से 4 लेन मार्ग से राजधानी लखनऊ से जुड़े हैं। शेष 24 जनपदों में से 1 मार्ग को राजधानी लखनऊ से 4 लेन मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। शेष 23 जनपदों को 4 लेन से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

46-श्री सचिन यादव-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा गलत बिल बनाए जाने की समस्या के रोकथाम के सम्बन्ध में

47-श्री सचिन यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा गलत बिल बनाए जाने की शिकायतों की रोकथाम हेतु त्रुटिहीन प्रणाली विकसित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ, ऊर्जा विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के परिसर पर जाकर एण्ड्रॉयड आधारित बिलिंग ऐप द्वारा मीटर रीडिंग लेकर बिल निर्गत कर उपभोक्ताओं को उनके परिसर पर ही उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था लागू है। इसके अन्तर्गत डाउनलोडेबल मीटरों में प्रोब के माध्यम से मीटर रीडिंग डाउनलोड कर बिल निर्गत किये जा रहे हैं। प्रोब आधारित बिलिंग न हो पाने पर मीटर रीडर द्वारा मीटर की रीडिंग स्वयं अंकित कर बिलिंग ऐप से निर्गत किया जाता है। उपभोक्ता को बिल निर्गत होने के पश्चात् एस0एम0एस0 के माध्यम से भी बिल की जानकारी दी जाती है।

डिस्कॉम्स द्वारा बिलिंग एजेन्सियों से सम्पादित अनुबन्ध में माह में की जा रही बिलिंग की 1 प्रतिशत रैण्डम चेकिंग बिलिंग एजेन्सी के सुपरवाइजर द्वारा तथा 1 प्रतिशत रैण्डम चेकिंग अतिरिक्त रूप से डिस्कॉम्स के आधिकारियों द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

उपभोक्ता को त्रुटिरहित बिल निर्गत किये जाने हेतु रु0 10,000 प्रति कि0वा0 प्रतिमाह से अधिक की वर्तमान बिल धनराशि तथा रु0 10,0000 प्रति कि0वा0 से अधिक की कुल बिल धनराशि वाले बिलों को बिलिंग प्रणाली पर रोके जाने की व्यवस्था है। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (वितरण) द्वारा बिल संशोधन के उपरान्त ही त्रुटिरहित बिल निर्गत किये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड की अधिकृत वेबसाइट पर त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत स्वतः दर्ज करने अथवा निकटतम विभागीय कार्यालय की सहायता से दर्ज कराने की व्यवस्था है, त्रुटिपूर्ण बिल की शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी/अधिशासी अभियंता कार्यालय द्वारा तत्परता से कार्यवाही कर त्रुटिपूर्ण बिलों को सही किया जाता है।

रिवैम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम योजना के अन्तर्गत वर्तमान मीटरों को बदल कर प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने की योजना क्रियाशील है, जिससे उक्त समस्या का निदान हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-02-2023 (आई0जी0आर0एस0 सं0-18157230042953 पर कृत कार्यवाही की जानकारी के सम्बन्ध में

48-श्री हाकिम लाल बिन्द-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-02-2023 (आई0जी0आर0एस0 संख्या-18157230042953 (अन्तरित)) जो कि बाकीदार फर्म से वसूली कराकर यू0पी0 रेरा के पास धनराशि जमा कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, लखनऊ में संस्थित शिकायत संख्या-LKO162/09/81650/2021 प्रमोद कुमार बनाम मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में पारित आदेश दिनांक 12-04-2022 के अनुक्रम में उ0प्र0 भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 27-09-2022 जारी किया गया। उक्त वसूली प्रमाण-पत्र दिनांक 27-09-2022 में अन्तर्निहित धनराशि रु0 3,07,989.00 के सापेक्ष तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ के पत्र दिनांक 08-06-2023 द्वारा प्राप्त धनराशि रु0 3,20,128.00 शिकायतकर्ता श्री प्रमोद कुमार को दिनांक 21-07-2023 को अन्तरित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र में हसमतनगर तथा अब्बासनगर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

49-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत मोहल्ला हसमतनगर तथा अब्बासनगर विद्युतीकरण से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में समय-सीमा निर्धारित कर विद्युतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-फिरोजाबाद के नगर निगम क्षेत्र हसमतनगर फिरोजाबाद में 100 के0वी0ए0 के 02 नये परिवर्तक स्थापित कर विद्युतीकरण का कार्य दिनांक 07-04-2023 को जिला विकास निधि योजना के अन्तर्गत कराया जा चुका है।

विस्तारित नगर निकाय क्षेत्रों में निर्धारित घण्टे विद्युत आपूर्ति करने के लिए सिस्टम सुदृढ़ीकरण हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रैपुरा से पोषित 11 के0वी0 अब्बासनगर एवं हसमतनगर का शेष विद्युत सम्बन्धी कार्य नगर निकाय के कार्यों के अन्तर्गत स्वीकृत है।

उक्त कार्य 31-10-2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

नगर निगम फिरोजाबाद में शामिल मोहल्ला दुर्गेश नगर की जर्जर सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

50-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नगर निगम क्षेत्र फिरोजाबाद में शामिल मोहल्ला दुर्गेश नगर की सड़कों/गलियां जर्जर होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों/गलियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वार्ड नम्बर-47 दुर्गेश नगर में वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 तक धनराशि रु0 1.84 करोड़ से कुल 14 सड़क निर्माण आदि कार्य कराये जा चुके हैं। नगर निगम द्वारा आवश्यकतानुसार वार्डों में सड़कों, गलियों के निर्माण कार्य आदि कराये जाते हैं, जो कि एक निरन्तर प्रक्रिया है। प्रश्नगत सड़क का निर्माण कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में

51-श्री सन्दीप सिंह

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एन0एच0) से जुड़ी लोक निर्माण विभाग की ऐसी सड़कें जो राज्य राजमार्गों (स्टेट हाई-वे) को जोड़ती हैं, की चौड़ाई तीन मीटर से बढ़ाकर सात/दस मीटर कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

किसी भी मार्ग का 2 लेन एवं 2 लेन विड्थ पेव्ड शोल्डर का वर्तमान मानक पी0सी0यू0 6000 से अधिक होने पर 2 लेन एवं 15000 से अधिक होने पर 10 मीटर अर्थात् 2 लेन विड्थ पेव्ड शोल्डर हेतु चौड़ीकरण में प्रस्तावित किए जाते हैं।

लागू नहीं।

प्रदेश में बढ़ी बिजली दरों को कम करने के सम्बन्ध में

52-श्री सन्दीप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ी बिजली दरों को कम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के बाद चार वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 व 2023-24 में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

आयुष चिकित्साधिकारी को चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारी के समान ए0सी0पी0 दिये जाने विषयक

53-श्री अभय सिंह तथा डा0 आर0के0 वर्मा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुष चिकित्साधिकारियों को चिकित्सा विभाग के चिकित्साधिकारियों के समान स्पेशल ए0सी0पी0 दिए जाने विषयक दिनांक 31 मई, 2022 तथा दिनांक 30 जनू, 2022 को विशेष सचिव, वित्त द्वारा बैठक आहूत की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साधिकारियों को एक समान स्पेशल ए0सी0पी0 दिए जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

जी नहीं।

स्पेशल ए0सी0पी0 की सुविधा राज्य सरकार द्वारा केवल एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को अनुमन्य की गयी है। चूंकि आयुष चिकित्साधिकारियों का कार्य एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के आपातकालीन चिकित्सा करने, गहन चिकित्सा करने मार्डन मेडिसिन एवं मेडिकल उपकरण का प्रयोग करने एवं जन स्वास्थ्य की रक्षा के दायित्व का निर्वहन करने के समान नहीं है,

इसलिये आयुष चिकित्साधिकारियों को स्पेशल ए0सी0पी0 अनुमन्य नहीं की जा सकती है। यह भी कि प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

जनपद बागपत में अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि विषयक

54-डॉ0 अजय कुमार

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में कुल कितने 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत हैं तथा उक्त में से कितने अतिभारित हैं ? क्या सरकार अतिभारित विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बागपत में कुल 82 नग 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊर्जीकृत हैं। जिसके अन्तर्गत कुल 03 नग विद्युत उपकेन्द्र अतिभारित हैं। जिनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0-सं0	33/11 के0वी0 उपकेन्द्रों के नाम	क्षमता
1	वागपत टाउन	(2x5 एम0वी0ए0)
2	तहसील बड़ौत	(2x5 एम0वी0ए0)
3	सन्तनगर	(2x5 एम0वी0ए0)

जी हाँ।

33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र बागपत टाउन की क्षमता वृद्धि 2 x 5 एम0वी0ए0 से 5+10 एवं 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र तहसील बड़ौत की क्षमता वृद्धि 2 x 5 एम0वी0ए0 से 5+10 एम0वी0ए0 कराने का कार्य नगर निकाय विस्तारीकरण योजनान्तर्गत प्रक्रियाधीन है। 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सन्तनगर की क्षमता वृद्धि 2 x 5 एम0बी0ए0 से 2 x 10 एम0बी0ए0 कराने के कार्य को वर्तमान में प्रचलित रिवैम्प्ड योजना के फेस-2 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य की आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना किसानों को निर्धारित अवधि में भुगतान एवं विलम्ब की स्थिति में ब्याज देने के प्रावधान की जानकारी के सम्बन्ध में

55-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश क्रय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया एवं उक्त अधिनियम में भुगतान की निर्धारित अवधि क्या

है एवं विलम्ब होने पर किसानों को कितना ब्याज देने का प्रावधान है ? क्या सरकार बतायेगी कि ब्याज सहित भुगतान करने कि तय सीमा का पालन नहीं करने पर मिल को बाध्य करने के लिए क्या दण्डात्मक प्रावधान हैं क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

प्रदेश में चीनी के कारखानों गुड़, राब या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयों में प्रयोग के लिए अपेक्षित गन्ने की आपूर्ति तथा खरीद और अन्य सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 पारित किया गया, जो सन् 1953 से प्रवृत्त हुआ। उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17 में गन्ना मूल्य भुगतान अवधि एवं विलम्बित अवधि पर देय ब्याज के सम्बन्ध में व्यवस्था प्राविधानित है। गन्ना मूल्य भुगतान अत्यन्त विलम्बित करने पर उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-17(4) में वर्णित प्राविधानों के आलोक में चीनी मिलों के विरुद्ध ब्याज सहित देयता निर्धारित करते हुए वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किये जाते हैं।

उक्त के दृष्टिगत इसे सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत लाइन के निर्माण हेतु भूमि देने वाले व्यक्ति को मुआवजे का रेट निर्धारित करने के सम्बन्ध में

56-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी विद्युत् लाइन के निर्माण हेतु भूमि देने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाला मुआवजे का रेट निर्धारित है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु मुआवजे का रेट निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2023/चौबीस-पी-3-2018, दिनांक 06-09-2018 के द्वारा भूमि मुआवजा के मद में टावर बेस के नीचे 85 प्रतिशत क्षेत्रफल भूमि की लागत के रूप में क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रावधान है।

क्षतिपूर्ति की गणना टावर बेस के नीचे 85 प्रतिशत क्षेत्रफल भूमि एवं निर्धारित भूमि के सर्किल रेट के अनुसार की जाती है (0.85 x टावर बेस का क्षेत्रफल x भूमि सर्किल रेट)।

भूमि मुआवजे की देयता का आदेश दिनांक 06-09-2018 से प्रभावी है।

उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन पारेषण लाइनों के टावर फाउण्डेशन, इरेक्शन एवं स्ट्रिंगिंग कार्य से हुई फसल/पेड़ इत्यादि क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन कृषि/वन विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर मुआवजे का भुगतान भी प्रभावित कृषक/भू-स्वामी को किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली में भैसावल से सिलावर मार्ग से दिल्ली-शामली राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मार्ग स्थित अण्डरपास के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में

57-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में 03 वर्ष पूर्व निर्मित भैसावल से सिलावर मार्ग दिल्ली-शामली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले बाईपास के मध्य स्थित रेलवे अंडरपास का लोक निर्माण विभाग द्वारा नए प्राक्कलन की धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण निर्माण कार्य बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अंडरपास के निर्माण हेतु धनराशि आवंटित कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद शामली में तीन वर्ष पूर्व निर्मित भैसावल से सिलावर मार्ग दिल्ली-शामली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले बाईपास के मध्य स्थित रेलवे अण्डरपास के निर्माण हेतु मुख्य अभियन्ता उत्तर रेलवे बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली मुख्यालय को लो0नि0वि0 शामली द्वारा धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

अतः अग्रिम कार्यवाही रेलवे विभाग द्वारा की जानी है।

58-श्री लालजी वर्मा-

[प्राप्त दस्तावेजों तथा मा0 समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विषय के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में गन्ना किसानों को किये गये भुगतान एवं बकाया की जानकारी के सम्बन्ध में

59-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में दिनांक 21-03-2023 तक कितने किसानों का कितना गन्ना भुगतान किया गया है तथा कितना शेष है ? क्या सरकार शेष किसानों को समयान्तर्गत गन्ना भुगतान करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 21-03-2023 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 34,54,691 गन्ना किसानों को सम्बन्धित चीनी मिलों द्वारा उनके देय गन्ना मूल्य के सापेक्ष रु0 19,771.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था तथा कुल रु0 7,525.31 करोड़ अवशेष था। अद्यतन दिनांक 24-07-2023 की सूचना के अनुसार प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा उक्त सत्र में कुल देय गन्ना मूल्य रु0 38,051.45 करोड़ के सापेक्ष रु0 32,387.45 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है तथा रु0 5,664.00 करोड़ अवशेष है।

पेराई सत्र 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023, 09-06-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम सोनिगा में कागारौल-फतेहपुर-सीकरी के जर्जर मार्ग की मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

60-डॉ0 अजय कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के किरावली तहसील के ग्राम सोनिगा में कागारौल-फतेहपुर सीकरी 18 किमी0 मार्ग से 1300 मी0 लम्बाई का मार्ग जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद आगरा के किरावली तहसील के ग्राम सोनिगा में कागारौल फतेहपुर सीकरी मार्ग के किमी0-18 से सोनिगा मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 1.300 किमी0 है, जिसकी मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के पडरौना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में

61-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत रोआरी चौराहा से मुसहर टोला सम्पर्क मार्ग, जटहा नहर की पटरी से जड़्ड़ा गांव मार्ग तथा जंगल शाहपुर से धुनिया पट्टी मोड़ होते हुए नुनिया पट्टी

चौराहे तक मार्ग जर्जर होने के कारण किसानों को गन्ना मिलों पर गन्ना उपज ले जाने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत रोआरी चौराहा से मुसहर टोला सम्पर्क मार्ग, जटहा नहर की पटरी से जड्डा गांव मार्ग तथा जंगल शाहपुर से धुनिया पट्टी मोड़ होते हुए नुनिया पट्टी चौराहे तक का मार्ग गन्ना विकास विभाग के स्वामित्व से सम्बन्धित सड़कें नहीं हैं। अतः उपरोक्त सम्पर्क मार्गों के मरम्मत हेतु गन्ना विकास विभाग के पास कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर में पड़रौना मुख्यालय स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जाने वाले जर्जर सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

62-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर में पड़रौना मुख्यालय में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तक जाने वाला मार्ग जर्जर होने के कारण छात्र-छात्राओं को मेन रोड से कालेज तक जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद कुशीनगर में पड़रौना मुख्यालय में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तक मार्ग कसया पड़रौना मार्ग (एन0एच0-28बी) से निकलकर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तक जाता है। मार्ग की लम्बाई 0.300 किमी0 है तथा वर्तमान में मार्ग मिट्टी स्तर का है, 0.500 किमी0 से कम लम्बाई के मार्गों का नव निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग में कोई योजना प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना अन्तर्गत गन्ना मिल एवं डिस्टिलरी की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में

63-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में गन्ना मिल न होने के कारण किसानों को अपना गन्ना रामकोला मिल में ले जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व में स्थापित गन्ना मिल को खाली 100 एकड़ जमीन पर गन्ना मिल तथा डिस्टिलरी की स्थापना कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जिला कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पड़रौना में स्थापित विभिन्न गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना पेराई सत्र में चीनी मिल रामकोला एवं हाटा द्वारा पेराई योग्य गन्ने की सुगमता पूर्वक खरीद की जाती है।

प्रश्नगत चीनी मिल वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के उपक्रम ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन की एक इकाई है। अभी कोई प्रस्ताव प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शामली के वि0स0क्षे0 कैराना अन्तर्गत आर0डी0एस0एस0 बिजनेस प्लान योजना, ए0डी0बी0 योजना अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

64-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना में आर0डी0एस0एस0 बिजनेस प्लान योजना ए0डी0बी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कुल कितने कार्य कराए गए हैं तथा वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए क्या योजना तैयार की गई है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजनाओं के अन्तर्गत ग्राम मामोर में फीडर सेपरेशन कार्य, ग्राम भड़ी में परिवर्तन उच्चीकरण कार्य कस्बा कैराना के मोहल्ला पानीपत रोड व दरबार खुर्द में छूट गई विद्युत लाइन का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद शामली में विधान सभा क्षेत्र कैराना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर0डी0एस0एस0 योजना प्रचलन में न होने के कारण कोई कार्य नहीं कराया गया, बिजनेस प्लान में कुल 15 नग एवं ए0डी0बी0 योजना में कुल 03 नग कार्य कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-2024 में बिजनेस प्लान योजना में 256 नग कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं। आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत कैराना विधान सभा क्षेत्र में 245 किमी0 एल0टी0 लाइन एवं 11 किमी0 एच0टी0 लाइन के जर्जर तार बदलना तथा 6 किमी0 11 के0वी0 लाइन का निर्माण कर फीडर पृथकीकरण/विभक्तिकरण का कार्य कराया जाना सम्मिलित है।

जी हाँ।

उपरोक्त कार्य वर्तमान में आर0डी0एस0एस0 योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों में सम्मिलित है तथा माह जनवरी, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के देवबन्द नगर पालिका परिषद् के निवासियों को अधिक नक्शा प्रभार से राहत दिलाये जाने के सम्बन्ध में

65-श्री नाहिद हसन-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के विनियमित प्राधिकारी क्षेत्र देवबन्द में आवासीय भवनों के नक्शा पास कराने का प्रभार देवबन्द की जनसंख्या के समकक्ष अन्य विनियमित प्राधिकारी की तुलना में अधिक है ? यदि हां, तो उक्त का क्या कारण है ? क्या सरकार देवबन्द नगर पालिका परिषद् के निवासियों को अधिक नक्शा प्रभार से राहत दिलायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1811/8-3-14-2011 विविध/13, दिनांक 17 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-4(1) में विकास शुल्क का निर्धारण और संग्रहण भूमि खण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर किये जाने के निदेश दिये गये हैं एवं आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-4824/8-3-9-09 विविध/09, दिनांक 14 जनवरी, 2010 में अवैध रूप से निर्मित निर्माणों को शमन किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए शमन उपविधि जारी की गयी है, सहयुक्त नियोजक द्वारा उक्त शासनादेशों को अंगीकृत करने हेतु जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, देवबन्द, जनपद सहारनपुर की बोर्ड बैठक दिनांक 15-01-2020 में अंगीकृत किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गये, प्रस्ताव पर जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी सहमति/निर्णय के क्रम में विनियमित क्षेत्र, देवबन्द में मानचित्र स्वीकृति हेतु शुल्क लिया जा रहा है।

उपरोक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार ही फीस ली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शामली के कैराना विधान सभा क्षेत्र में समस्त विद्युत उपकेन्द्रों पर घोषित नीति के अनुसार विद्युत आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में

66-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण व नगरीय श्रेणी के विद्युत उपकेन्द्रों पर वर्तमान में कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जाने की नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र कैराना के अन्तर्गत समस्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों पर 1 दिसम्बर, 2022 से 21 मार्च, 2023 तक कुल कितने घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है तथा उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्रों में कितने ऐसे उपकेन्द्र हैं जिसमें प्रदेश सरकार की घोषित नीति से कम घंटो की विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार कम विद्युत आपूर्ति वाले उक्त उप केन्द्रों पर घोषित नीति अनुसार विद्युत आपूर्ति करेगी ? क्या सरकार विद्युत उपकेन्द्रवार समस्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में निर्धारित विद्युत आपूर्ति शेड्यूल के अनुसार नगरीय (मुख्यालय) में 24:00 घण्टे, तहसील में 21:30 घण्टे तथा ग्रामीण में 18:00 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पोषकों को 10:00 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जाने की नीति है।

कैराना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कैराना कस्बा में निर्धारित शैड्यूल के अनुसार कैराना टाउन उपकेन्द्र से 21:30 घण्टे (स्थानीय व्यवधान सहित) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

कैराना विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्धित ग्रामीण क्षेत्रों में 18:00 घण्टे (स्थानीय व्यवधान सहित) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

कैराना विधान सभा क्षेत्र के सम्बन्धित कृषि पोषकों को 10:00 घण्टे (स्थानीय व्यवधान सहित) विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

जी हाँ।

विद्युत कटौती केवल तकनीकी कारणों जैसे-फाल्ट, उपभोक्ता की विद्युत दोष सम्बन्धी शिकायत निवारण अथवा उपकरणों/लाइनों के अनुरक्षण कार्य हेतु शटडाउन आदि कारणों से ही की जाती है।

विवरण संलग्न†

प्रश्न नहीं उठता।

अधीक्षण अभियंता शामली के अधिकार क्षेत्र में फीडरों से औद्योगिक आस्थानों/प्रतिष्ठानों को विद्युत आपूर्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

67-श्री नाहिद हसन-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियंता शामली के अधिकार क्षेत्र में कुल कितने फीडरों से औद्योगिक आस्थानों को अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त फीडर्स पर कुल कितना लाइन लॉस है तथा कुल कितनी विद्युत चोरी के प्रकरण संज्ञान में आये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि लाइन लॉस व विद्युत चोरी रोकने एवं विद्युत बकाया वसूलने के लिए कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद शामली के अधीक्षण अभियंता के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत 12 फीडरों से औद्योगिक आस्थानों को अथवा औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उक्त औद्योगिक 12 फीडरों पर निम्नानुसार लाइन लॉस है :-

क्र0-सं0	फीडर	लाइन लॉस (प्रतिशत में)
1	निकिता पेपर मिल	0.22
2	राजरिया इण्डस्ट्रीज	0.15
3	सिलवर इकोटेक	0.27
4	शामली स्टील प्रा0लि0	0.20
5	कैरियर व्हील्स	0.27
6	मारुति पेपर मिल	0.32
7	इण्डस्ट्रियल	2.11
8	इण्डस्ट्रियल नं0-2	2.04
9	इण्डस्ट्रियल नं0-7	1.24

† देखिए नत्थी (घ) आगे पृष्ठ संख्या 363 पर।

क्र0-सं0	फीडर	लाइन लॉस (प्रतिशत में)
10	सन स्टार हैचरी	0.30
11	इण्डस्ट्रियल (शामली टाउन)	1.35
12	रुड़की इंजिनियरिंग	0.56
कुल औसत लाइन लॉस 0.603		

विद्युत चोरी का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है।

जी हाँ, लाइन लॉस व विद्युत चोरी रोकने के लिए सतत् प्रयास किये जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम उतरधौना में प्लाईवुड फैक्ट्री से उत्सर्जित प्रदूषित वायु की रोकथाम के सम्बन्ध में

68-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ स्थित ग्राम-उतरधौना, लखनऊ में ए0के0 पैनल प्लाईवुड फैक्ट्री से उत्सर्जित वायु प्रदूषण से क्षेत्र की कालोनियों में रहने वाले निवासियों को सांस सम्बन्धी बीमारियों अस्थमा एवं सी0ओ0पी0डी0 बीमारी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बीमारी के रोकथाम हेतु उपरोक्त फैक्ट्री का संचालन बन्द कराकर अन्य स्थान पर स्थापित करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जनपद-लखनऊ स्थित गैसर्स ए0के0 पैनल प्रोडक्ट, गाटा संख्या-577, ग्राम-उतरधौना, अयोध्या रोड, लखनऊ के उद्योग के संचालन से उद्योग के आस-पास के क्षेत्र की कालोनियों में रहने वाले निवासियों में अस्थमा व अन्य बीमारियाँ फैलने के सम्बन्ध में आवश्यक जाँच हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को पत्र दिनांक 27-07-2023 प्रेषित किया गया था, तत्क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/विधान सभा/2023/9777, दिनांक 03-08-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिनहट, लखनऊ की टीम द्वारा उतरधौना, लखनऊ का सर्वे कराया गया। प्राप्त सर्वे रिपोर्ट में मेसर्स ऐ0के0 पैनल प्लाईवुड फैक्ट्री के सामने सी0एम0एस0 स्कूल एवं पास में एल0बी0आर0एन0 इण्टर कालेज है। चिमनी से धुआं और गन्दगी निकलती है, जिससे वायु प्रदूषण होने से वहाँ रहने वालों को असुविधा होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिनहट, लखनऊ की टीम द्वारा 100 घरों का सर्वे किया गया, जिसमें तीन (03) मरीज सी0ओ0पी0डी0 एवं अस्थमा के मिले और कोई बड़ी संख्या में आउट ब्रेक नहीं हुआ है।

उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में विनियर, ग्लू इत्यादि का प्रयोग कर प्लाई बोर्ड का उत्पादन किया जाता है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण दिनांक 04-08-2023 को क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ द्वारा किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग में 5.0 टी0पी0एच0 क्षमता का 01 नग ब्वायलर स्थापित है, जिस पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर एवं वेट स्क्रबर के साथ लगभग 30 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित है, परन्तु निरीक्षण के समय वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था मल्टी साइक्लोन डस्ट कलेक्टर एवं वेट स्क्रबर संचालित नहीं पाया गया एवं चिमनी से काला धुआं उत्सर्जित होता हुआ पाया गया। वर्तमान में इकाई के चारों तरफ आबादी व स्कूल स्थापित हो गया है। उद्योग द्वारा दिनांक 04-01-2022 को प्रेषित शपथ-पत्र में उल्लिखित किया गया था कि उद्योग का 02 वर्ष में अन्यत्र स्थानान्तरण कर लिया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में शीघ्र प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा। उक्त के दृष्टिगत उद्योग को बोर्ड के पत्रांक-170338/UPPCB / Lucknow (UPPCBRO) / CTO /BOTH / Lucknow/2022 दिनांक 20-12-2022 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) प्रदान की गयी है, जिसकी वैधता दिनांक 31-07-2023 तक थी, परन्तु उद्योग द्वारा अन्यन्त्र स्थानान्तरण किये जाने हेतु अभी तक कोई प्रस्ताव प्रेषित न किये जाने तथा निरीक्षण के समय पाई गयी कमियों के दृष्टिगत बोर्ड के पत्रांक-एच-98901/सी-5/वायु-559/2023, दिनांक 04-08-2023 द्वारा उद्योग के विरुद्ध (वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31 ''ए'' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उद्योग को बोर्ड के पत्रांक-एच-98901/सी-5/वायु-559/2023, दिनांक 04-08-2023 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, संतोषजनक उत्तर/अनुपालन न होने की स्थिति में उद्योग के विरुद्ध तत्काल बन्दी आदेश जारी कर दिया जायेगा।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत नेवारी दुराजपुर वार्ड की विद्युत लाइन को जहांगीरगंज फीडर से जोड़ने विषयक

69-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत नगर पंचायत जहांगीरगंज में फीडर होने के बाद भी उक्त क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु माडरमऊ ग्रामीण फीडर से जोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो नेवारी दुराजपुर वार्ड के विद्युत लाइन को जहांगीरगंज फीडर से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र रामनगर से निर्गत 11 के0वी0 माडरमऊ पोषक से ग्राम-नेवारी दुराजपुर पोषित है। इस ग्राम में 250 के0वी0ए0 के 03 अदद परिवर्तक, 400 के0वी0ए0 का 01 अदद परिवर्तक तथा

25 के0वी0ए0 के 03 अदद परिवर्तक स्थापित हैं। गर्मियों में 11 के0वी0ए0 माडरमऊ तथा 11 के0वी0ए0 जहांगीरगंज पोषक पर क्रमशः 240 एम्पियर से 260 एम्पियर विद्युत भार एवं 225 एम्पियर से 240 एम्पियर का विद्युत भार चलता है। यदि नेवारी दुराजपुर को माडरमऊ पोषक से हटाकर जहांगीरगंज पोषक पर जोड़ा जायेगा तो लगभग 60-70 एम्पियर का भार जहांगीरगंज पोषक पर और बढ़ेगा, जबकि यह पोषक पहले से अतिभारित चल रहा है। अतएव ऐसा करना तकनीकी रूप से उचित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के लालगंज में गंगा जी पुल से गेंगासो ग्राम तक राजमार्ग के मध्य डिवाइडर के निर्माण के सम्बन्ध में

70-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली का टाउन एरिया लालगंज से गंगा जी पुल गेंगासो ग्राम तक 14 किमी0 राजमार्ग नं0-232 जो बांदा-टांडा राजकीय राजमार्ग का हिस्सा है, मार्ग के मध्य डिवाइडर न होने के कारण अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो उक्त मार्ग के मध्य डिवाइडर का निर्माण करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रबन्धक (तक0) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार) के पत्र दिनांक 07-07-2023 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग को अनडिवाइडेड कैरिज-वे डिजायइन किया गया था तथा मार्ग पर ट्रैफिक कम होने के कारण विषयगत 14 किमी0 मार्ग खण्ड में डिवाइडर का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही राजमार्ग पर सुरक्षित यातायात को दृष्टिगत रखते हुये सभी सुरक्षात्मक उपाय (साइन एजेज, रम्बल स्ट्रिप आदि) किये गये हैं।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज में भैरो बाबा स्थान से नहरूमपुर तक ध्वस्त मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

71-श्री नफीस अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज में भैरो बाबा स्थान से हमीरपुर होते हुए नहरूमपुर पी0डब्लू0डी0 पिच रोड तक का मार्ग ध्वस्त हो चुका है, जिससे जनता को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या

सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग महराजगंज में भैरोबाबा स्थान से हमीरपुर होते हुए नहरूमपुर तक का मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है. जिसकी लम्बाई 2.500 किमी0 है। हमीरपुर सम्पर्क मार्ग, लम्बाई 1.100 किमी0 है, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवीनीकरण कार्य करा दिया गया है तथा सुगौटी से नहरूमपुर का भाग जिसकी लम्बाई 0.900 किमी0 है, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत से नवीनीकरण कार्य करा दिया गया है। शेष भाग सुगौटी सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के महराजगंज-सहदेवगंज मुख्य मार्ग पर मुंडिलपुर से चिकनहवा ढाला तक जर्जर मार्ग के मरम्मतीकरण के सम्बन्ध में

72-श्री नफीस अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के महराजगंज-सहदेवगंज मुख्य मार्ग पर मुडिलपुर से चिकनहवा ढाल तक का मार्ग जर्जर हो जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग मुडिलपुर से चिकनहवा ढाल तक मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 8.000 किमी0 है, जिसका प्रारम्भिक भाग महराजगंज-नौबरार-देवारा जदीद मार्ग जिसकी लम्बाई 6-400 किमी0 है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेष मरम्मत की कार्य योजना में सम्मिलित किया गया है एवं चिकनहवा ढाल वाला भाग, जिसकी लम्बाई 1.600 किमी0 है, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की पैच मरम्मत की कार्य योजना में सम्मिलित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल पर गन्ना किसानों के बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में

73-श्री नफीस अहमद-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के सठियांव चीनी मिल के गन्ना किसानों का माह मार्च, 2022 तक का कितना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की कोई ठोस कार्य योजना तैयार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियाँव, जनपद आजमगढ़ द्वारा पेराई सत्र-2021-22 में 24.29 लाख कुन्टल गन्ने की पेराई करते हुए 1.69 लाख कुन्टल चीनी का उत्पादन किया गया है। पेराई सत्र-2021-22, दिनांक 09-03-2022 को समाप्त हुआ था। सठियांव चीनी मिल के मार्च, 2022 तक के देय गन्ना मूल्य अर्थात् सत्र के कुल देय गन्ना मूल्य रु0 82.85 करोड़ का भुगतान दिनांक 20-01-2023 को किया जा चुका है।

गन्ना कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 एवं तद्विषयक नियमावली, 1954 के अन्तर्गत व्यवस्था विद्यमान है, जिसके क्रम में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई कराई जाती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में कन्धरापुर/आखापुर सब-स्टेशन पर जर्जर विद्युत तार को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

74-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के कन्धरापुर/आखापुर सब-स्टेशन पर 33000 वोल्ट विद्युत तार के जर्जर हो जाने से बार-बार विद्युत आपूर्ति ठप होने से आम-जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? क्या सरकार जनहित में उक्त 33000 वोल्ट के जर्जर विद्युत तार बदलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र कन्धरापुर (आखापुर), आजमगढ़ 132/33 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र हाफिजपुर, आजमगढ़ से निर्गत 33 के0वी0 लाइन से निर्वाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। 33/11 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र कन्धरापुर (आखापुर), आजमगढ़ को पोषित करने वाली

33के0वी0 लाइन का विद्युत तार जर्जर नहीं है। वर्तमान में उक्त उपकेन्द्र से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से प्रदान की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में सड़कों की अनुरक्षण अवधि चक्र पूर्ण होने के उपरान्त नवीनीकरण कार्यों की जानकारी के सम्बन्ध में

75-श्री सचिन यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुरक्षण अवधि चक्र पूर्ण कर चुकी सड़कों का नवीनीकरण कार्य को पूर्ण कराने की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना की जिन सड़कों की अनुरक्षण अवधि चक्र पूर्ण हो चुका एवं नवीनीकरण का कार्य नहीं हुआ है उन सड़कों की सूची सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/शहरी मार्गों के अनुरक्षण हेतु नवीनीकरण चक्र की समय-सीमा 04 वर्ष, अन्य जिला मार्गों हेतु समय सीमा 05 वर्ष एवं ग्रामीण मार्गों हेतु समय-सीमा 08 वर्ष है। जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में निर्धारित चक्र में आने वाले मार्गों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उक्त मार्गों की सूची संलग्न† है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में बिजली उत्पादन हेतु स्थापित नए कारखानों का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने विषयक

76-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गम्भीर बिजली संकट और बिजली कटौती को देखते हुए विद्युत उत्पादन के लिए नए कारखाने लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 22 दिसम्बर, 2022 तक प्रदेश में बिजली उत्पादन हेतु स्थापित नए कारखानों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिये नत्थी (ज) आगे पृष्ठ संख्या 364 पर।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 के इतिहास में दिनांक 24-07-2023 को सबसे ज्यादा 28284 मे0वा0 विद्युत की आपूर्ति की गयी है। राज्य में अप्रत्याशित रूप से माँग में वृद्धि के बावजूद भी उपभोक्ताओं को रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है। विद्युत आपूर्ति से सम्बन्धित शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नं0-1912 कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगातार अनुश्रवण किया जाता है, विद्युत आपूर्ति सुचारु बनाए रखने हेतु वर्ष 2023-24 में 801 नये परिवर्तक, 6520 किमी0 ए0बी0 केबिल लगायी गयी तथा 5288 परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि की गयी। उक्त के अतिरिक्त भी वितरण तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए बिजनेस प्लान एवं रिवैम्प्य योजना में लगातार कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में विद्युत आपूर्ति हेतु 2017-2022 के मध्य 05 तापीय परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। उक्त परियोजनाओं (कुल क्षमता 5643 मे0वा0) में से 01 हरदुआगंज तापीय परियोजना जिसकी क्षमता 660 मे0वा0 है, संचालित हो गई है। 04 परियोजनाएं क्रमशः जवाहरपुर विद्युत उत्पादन निगम लि0 (क्षमता 2x660=1320 मे0वा0), पनकी तापीय परियोजना (क्षमता 1x660=660 मे0वा0), घाटमपुर तापीय परियोजना (क्षमता 3x660=1980 मे0वा0) एवं ओबरा तापीय परियोजना (क्षमता 2x660=1320 मे0वा0) है, कुल क्षमत्ता 4983 मे0वा0 की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। प्रश्नगत अवधि के मध्य विद्युत उत्पादन हेतु करार किये गये 42 (कुल क्षमता 3970 मे0वा0) नवीकरणीय परियोजनाओं में से 31 (कुल क्षमता 2412 मे0वा0) परियोजनाएं संचालित हैं एवं 11 (कुल क्षमता 1558 मे0वा0) परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

इसके अतिरिक्त ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023 में ओबरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) एवं अनपरा (क्षमता 2x800 मे0वा0) में से तापीय परियोजनाएं स्थापित किये जाने हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किए गए हैं। उक्त में से 2x800 मे0वा0 ओबरा तापीय परियोजना को मा0 मंत्री-परिषद् द्वारा अनुमोदित भी कर दिया गया है। साथ ही सौर ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सड़क मार्गों के मरम्मतीकरण का कार्यकाल 05 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में

77-डा0 पल्लवी पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सड़क मार्गों की मरम्मत का कार्यकाल 8 वर्ष निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य प्रदेशों में सड़क मरम्मत का

कार्यकाल 5 वर्ष की भांति प्रदेश में भी सड़कों की मरम्मत का समय 5 वर्ष निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रदेश में मार्गों के नवीनीकरण हेतु राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/शहरी मार्गों हेतु 4 वर्ष, अन्य जिला मार्गों हेतु 5 वर्ष तथा ग्रामीण श्रेणी के मार्गों हेतु 8 वर्ष का श्रेणीवार चक्र निर्धारित है। वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण श्रेणी के मार्गों हेतु नवीनीकरण चक्र 5 वर्ष किये जाने की कोई नीति प्रस्तावित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी में ग्राम घुमाटी से भैंसरहेड़ी तक सड़क के नव निर्माण के सम्बन्ध में

78-श्री अनिल कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के गांव घुमाटी से लेकर भैंसरहेडी तक का सम्पर्क मार्ग कच्चा व खड़ंजा निर्मित है जिस कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग घुमाटी से भेसरहेड़ी मार्ग खडंजा स्तर का मार्ग है। ग्राम घुमावटी पूर्व से ही छपार सिमर्थी तेजलहेडा खाईखेड़ी कम्हेडा मार्ग से एवं ग्राम भैसरहेडी पूर्व में ही बरला बसेडा मार्ग के किमी0 14 से अलग-अलग लेपित मार्ग से जुड़े है, जो डबल कनेक्टिविटी प्रदान करने से सम्बन्धित है। वर्तमान में मार्गों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ नगर निगम को हो रहे घाटे की जानकारी एवं उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

79-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ नगर निगम वर्तमान में कितने करोड़ रुपये के घाटे में है ? क्या सरकार ने उक्त घाटे की समीक्षा की है ? यदि हां,

तो उक्त का विवरण क्या है ? क्या सरकार घाटे के लिए जिम्मेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वित्तीय वर्ष 2022-23 की बैलेंस शीट के अनुसार नगर निगम, लखनऊ रु0 48,48,87,977.70 (अड़तालीस करोड़ अड़तालीस लाख सतासी हजार नौ सौ सतहत्तर दशमलव सत्तर रुपये) लाभ में है। विवरण संलग्न† है।

जी हाँ, शासन एवं नगर निगम द्वारा खातों की तथा आय-व्यय की निरन्तर समीक्षा की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

80-श्री जगदीश नारायण-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में पॉलीथीन बैग पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में

81-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पालीथीन बैगों से हो रहे पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के दृष्टिगत पालीथीन बैग के उपयोग पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हां।

नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ) 2018, दिनांक 15-07-2018 द्वारा समस्त प्रकार की निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरीबैंगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 02-10-2018 से प्रतिबंधित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† देखिये नत्थी (झ) आगे पृष्ठ संख्या 365 पर।

मुख्य मंत्री जन-सुनवाई पोर्टल पर दर्ज आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18152220057028 पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में

82-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य मंत्री जन-सुनवाई पोर्टल उ0प्र0 के आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ सं0-18152220057028 जो महानिदेशक, संस्थागत वित्त परियोजना महानिदेशालय, लखनऊ दिनांक 15-6-2022 जो श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र बाबूराम गुप्ता, तिलहर का जमा धन सहारा क्रेडिट सोसाइटी, लखनऊ में जमा के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर महानिदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

संस्थागत वित्त महानिदेशालय के पत्र दिनांक 16-06-2022 के माध्यम से उक्त पत्र कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अलीगंज, जनपद लखनऊ को प्रेषित किया गया तथा इस सम्बन्ध में निरन्तर अनुस्मरण-पत्र प्रेषित किये गये।

प्रबन्ध निदेशक, सहारा को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अलीगंज, लखनऊ के पत्र दिनांक 05-06-2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि सहारा ग्रुप आफ सोसाइटीज के जमाकर्ताओं द्वारा जमा की गयी धनराशि का अन्यत्र निवेश/जमा होने की परिस्थितियों में विशेषकर सहारा सेवी एकाउण्ट में जमा होने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-03-2023 के अनुसार सहारा सेवी रिफण्ड एकाउण्ट में जमा सम्पूर्ण धनराशि में से सेण्ट्रल रजिस्ट्रार आफ को-आपरेटिव सोसाइटी के पक्ष में अन्तरित की गयी धनराशि से जमाकर्ताओं के विधिक देय को उनकी पहचान सुनिश्चित करते हुए पारदर्शी तरीके से वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

83-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों की मरम्मत कराकर वर्षा के पूर्व आम-जनता के आवागमन की समस्याओं का निवारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश सड़कें यातायात हेतु उपयुक्त हैं तथा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के नगर पंचायतों में मूलभूत सुविधाएं आम जनता के लिए दिये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों की बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए उक्त में स्मार्ट सिटी, स्वच्छता मिशन जैसी मूलभूत सुविधायें आम-जनता को दिए जाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के नगर निगमों को सम्मिलित किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत जनपद बलिया की समस्त निकायों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में पिंक शौचालय, एम0आर0एफ0 सेन्टर के निर्माण, लिगेसी वेस्ट के निस्तारण आदि के लिए धनराशि रु0 1.98 करोड़ उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त जनपद बलिया में नगर विकास विभाग द्वारा राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, पेयजल हेतु व्यवस्था योजना, सीवरेज एवं जल निकासी योजना एवं नगरीय झील/पोखर/तालाब संरक्षण योजना आदि के अन्तर्गत मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में धनराशि रु0 99.27 करोड़ उपलब्ध करायी गयी है। उक्त धनराशि से सड़क, नाली, पेयजल सुविधा, जल निकासी आदि से सम्बन्धित कार्य कराये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत नगर निगमों को चयनित किया गया है।

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के राजाजीपुरम् में एक्जान स्कूल के पास से रिफा कॉलोनी तक सड़क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

85-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में राजाजीपुरम् के कैम्पवेल रोड पर एक्जान स्कूल के पास से रिफा कालोनी के आगे

सड़क मार्ग तक इण्टरलॉकिंग या सी0सी0 का निर्माण सरकार करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

अवगत कराना है कि प्रश्नगत स्थल एक्जान स्कूल के पास से ग्रीन सिटी मोड़ तक (475.00 मी0) क्षतिग्रस्त भाग की सतह का प्रलेपन कार्य कराया गया है, इस मार्ग के आगे का मार्ग, कच्चा एवं नव विकसित आबादी के अन्तर्गत गलियाँ हैं, जिनकी लम्बाई 250 मीटर है। प्रश्नगत इण्टरलॉकिंग का कार्य एवं नाली/जल निकासी हेतु धनराशि रु0 50.00 लाख का व्ययानुमान है। नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से आवश्यक कार्य कराये जाते हैं। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड द्वितीय में सड़क व नाली के निर्माण के सम्बन्ध में

86-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड द्वितीय के आदर्श विहार बुद्धेश्वर, लखनऊ में सचिन के घर से दिनेश शर्मा के घर तक सड़क व नाली का निर्माण सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी/निजी विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति के बिना ही अनियोजित रूप से अर्द्ध विकसित कर छोड़ दिया गया है। स्थल का भू-तल नीचा है। आन्तरिक अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर/बिल्डर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में जन-सुविधायें विकसित कराने का निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में कतिपय स्थान पर सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में

87-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में मल्लपुर सम्पर्क मार्ग से पक्का बाग की सड़क तक होते हुए मल्लपुर चौराहे से मंदिर तक सड़क मार्ग न होने से कच्चे रास्ते पर जलभराव होने के कारण आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद लखनऊ की लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के एवनसिटी में पक्की सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में

88-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र की एवन सिटी (पिंक सिटी) मोहान रोड लखनऊ में आने-जाने के लिए सड़क न होने से छात्र/छात्राओं व आमजनों को आने-जाने में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिंक सिटी मोहान रोड, लखनऊ में सन्दीप श्रीवास्तव के घर के पास से विजय कुमार के घर के पास तक पक्की सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी/निजी विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति के बिना ही अनियोजित रूप से अर्द्ध विकसित कर छोड़ दिया गया है। स्थल का भू-तल नीचा है। आन्तरिक अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर/बिल्डर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में जन-सुविधायें विकसित कराने का निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के गढ़ी कनौरा वार्ड में मोहल्ला आरती नगर में अण्डरग्राउण्ड केबिल डलवाये जाने के सम्बन्ध में

89-श्री महेंद्र नाथ यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मोहल्ला आरती नगर गढ़ी कनौरा अम्बेडकर वार्ड लखनऊ में 11000 वोल्ट (हाईटेंशन तार) से घटनाओं को रोकने के लिए उक्त क्षेत्र में अण्डरग्राउण्ड केबिल डलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

11000 बोल्ट की लाइनों की जगह अण्डरग्राउण्ड केबिल डालने का कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है, सम्बन्धित क्षेत्रवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से 11000 वोल्ट (हाई टेंशन) लाइन के नीचे गार्डिंग का कार्य पूर्व में कराया गया था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2022 में स्मार्ट विद्युत मीटर के गलत चलने की शिकायत के कारण सप्लाई करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

90-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2022 में स्मार्ट विद्युत मीटर गलत चलने की कितनी शिकायतें दर्ज की गयी हैं तथा कितने प्रतिशत स्मार्ट मीटर खराब पाए गए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि खराब मीटर सप्लाई करने वाली कम्पनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश में जून, 2018 में स्मार्ट मीटर स्थापना कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् दिसम्बर, 2022 तक 11.74 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित किये गये हैं।

वर्ष 2022 में स्मार्ट मीटर द्वारा गलत रीडिंग दर्ज होने की कुल 910 शिकायतें स्मार्ट मीटर हेल्प डेस्क पर प्राप्त हुयीं। जांच के उपरान्त 873 मीटर ठीक पाये गये एवं मात्र 37 स्मार्ट मीटर के तेज चलते पाये जाने पर इन्हें तत्काल परिवर्तित कर दिया गया।

कुल स्थापित स्मार्ट मीटरों के सापेक्ष गलत चलते पाये गये मीटरों की संख्या मात्र 0.003 प्रतिशत है, जो कि कुल स्थापित मीटरों की संख्या के सापेक्ष अनुबन्ध में निर्धारित अधिकतम मीटर फेलियर रेट 1.5 प्रतिशत/प्रतिवर्ष की सीमा के अन्तर्गत है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जनपदों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बायोरिमेडिएशन विधि प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में

91-श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित कितने अन्य शहरों में एस0टी0पी0 (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) मानक के अनुसार वर्तमान में काम कर रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त शहरों के समस्त नालों का पानी वर्तमान में सीधे गंगा में गिर रहा है अथवा ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ? क्या सरकार द्वारा बायोरिमेडिएशन विधि अपनाने का काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर किया गया है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज में 25 नग एस0टी0पी0 व अन्य 34 शहरों में 106 नग एस0टी0पी0 अर्थात् पूरे प्रदेश मे 131 नग एस0टी0पी0 अधिष्ठापित व संचालित हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा 54 नग एस0टी0पी0 संचालित किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा संचालित 54 नग एस0टी0पी0 में से 51 नग एस0टी0पी0 मानक के अनुसार संचालित हैं। 03 नग एस0टी0पी0 का संचालन विभिन्न कारणों से बाधित है।

उपरोक्त संचालित 51 नग एस0टी0पी0 में से 09 नग एस0टी0पी0 की पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (एम0ओ0ई0एफ0) के नवीन मानक के अनुरूप संचालित करने हेतु क्लोरीन कॉन्टैक्ट टैंक (सी0सी0टी0) के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

नगर निगम, कानपुर में कुल 23 नालों में से 18 नाले गंगा नदी में एवं 05 नाले पाण्डू नदी में मिलते है। गंगा नदी में मिलने वाले 18 नालों में से 13 नाले टैप्ड एवं 05 नाले अनटैप्ड हैं। पाण्डू नदी में मिलने वाले 05 नालों में से 02 नाले टैप्ड, 02 नाले आंशिक रूप से टैप्ड एवं 01 नाले को टैप्ड किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। अनटैप्ड नालों पर कानपुर नगर निगम द्वारा बायोरिमेडियेशन पद्धति से शोधन किया जा रहा है।

नगर निगम, वाराणसी में गंगा नदी में कुल 10 नाले तथा वरुणा नदी में 15 नाले मिलते हैं। गंगा नदी में मिलने वाले 30 नालों के सापेक्ष 26 नाले पूर्ण टैप्ड, 02 नाले आंशिक टैप्ड एवं 02 नाले अनटैप्ड हैं। 02 नग आंशिक टैप्ड नाले एवं 02 नग अनटैप्ड नालों को टैप्ड किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नगर निगम, प्रयागराज में 76 नग नाले गंगा/यमुना नदी में प्रवाहित होते हैं, जिसमें से 33 नग नाले विभिन्न एस0टी0पी0 पर टैप्ड हैं। 03 नग नालों का ड्राई वेदर फ्लो शून्य है। शेष अनटैप्ड नालों का बायोरिमेडियेशन विधि से शोधन नगर निगम, प्रयागराज द्वारा किया जा रहा था। वर्तमान में गंगा एवं यमुना नदी का जल स्तर बढ़ जाने एवं बरसात के कारण नालों पर बायोरिमेडियेशन का कार्य बन्द है। वर्षा ऋतु के उपरान्त नालों के बायोरिमेडियेशन विधि से शोधन का कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा।

प्रदेश में गंगा नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता तथा मा0 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा विभिन्न वादों में पारित आदेशों के अनुपालन में बायोरिमेडियेशन पद्धति से शोधन की कार्यवाही की जा रही है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) में योजित रिट संख्या-O.A.-200/2014, दिनांक 07-08-2019 में मा0 एन0जी0टी0 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-475/नौ-5-2020-284सा/2019, दिनांक 31-01-2020 द्वारा सर्व सम्बन्धितों को बायोरिमेडियेशन विधि/फाइटोरिमेडियेशन या अन्य विधि से दूषित जल के शोधन की कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर घर से बाहर लगाये जाने के कार्य की जानकारी के सम्बन्ध में

92-श्री शहजिल इस्लाम अंसारी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर घर से बाहर लगाने का कितने प्रतिशत काम पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार किसी निश्चित समयावधि में उक्त कार्य को शत-प्रतिशत पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर घर से बाहर लगाने का कार्य पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी में लगभग 48 प्रतिशत, मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ में लगभग 75 प्रतिशत, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा में लगभग 75 प्रतिशत, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ में लगभग 90 प्रतिशत से अधिक एवं केस्को, कानपुर में लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

जी हाँ।

पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0 आगरा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ, केस्को, कानपुर के अन्तर्गत शेष मीटरों को परिसर के बाहर स्थापित किये जाने का कार्य मार्च, 2025 तक पूर्ण किया जाना लक्षित हैं।

मध्यान्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के यहां शत-प्रतिशत प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य है, जिसमें समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत मीटर घर से बाहर लगाये जायेंगे। उक्त कार्य की निविदा प्रक्रियाधीन है। निविदा उपरान्त अनुबन्ध की तिथि से 27 माह की अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा में जर्जर रजिस्ट्री भवन के नव निर्माण के सम्बन्ध में

93-श्री मोहन वर्मा-

क्या स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के तहसील हाटा में रजिस्ट्री भवन जर्जर होने के कारण निष्प्रयोज्य है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त रजिस्ट्री भवन के नव निर्माण पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? जनपद कुशीनगर की तहसील हाटा में रजिस्ट्री भवन जीर्ण-शीर्ण की स्थिति में है।

स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री (श्री रवीन्द्र जायसवाल)-

रजिस्ट्री भवन के निर्माण हेतु आराजी हाटा खास स्थित गाटा संख्या-188, रकबा 0.7050 हे0 में से 2257.89 वर्गफुट भूखण्ड रजिस्ट्री कार्यालय का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने हेतु न्यायालय उप जिलाधिकारी, हाटा, कुशीनगर में वाद सं0-टी0 202005440200957 मार्च, 2020 में योजित किया गया था।

न्यायालय उप जिलाधिकारी, हाटा द्वारा उक्त वाद पोषणीय न होने के कारण अपने आदेश दिनांक 02-08-2023 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

जिलाधिकारी, कुशीनगर द्वारा गाटा सं0-188/0.7050 हे0 में से 0.021 हे0 पर तहसील व थाना का नाम निरस्त कर कार्यालय उप निबन्धक, हाटा का नाम दर्ज कराये जाने का अनुरोध पत्र सं0-293/भूमि सुधार सहा0-2023, दिनांक 04-08-2023 द्वारा राजस्व परिषद्, उ0प्र0 से किया गया है। उक्त भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् हाटा, कुशीनगर में उप निबन्धक कार्यालय का निर्माण कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में नए विद्युत कनेक्शन में आवेदनकर्ता के घर से पोल तक की दूरी अधिक होने के कारण वैकल्पिक व्यवस्था तथा समयावधि के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के सम्बन्ध में

94-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नया विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदनकर्ता के घर से पोल की दूरी का मानक क्या है तथा आवेदनकर्ता के मकान से विद्युत पोल की दूरी मानक से अधिक होने पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था का कोई प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मानक से अधिक दूरी वाले आवेदनकर्ता को समयावधि अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में नया विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदनकर्ता के घर के पोल की दूरी का मानक 40 मीटर है। आवेदनकर्ता के मकान से विद्युत पोल की दूरी मानक से अधिक होने पर नियमानुसार नये विद्युत तन्त्र के निर्माण का प्राक्कलन बनाकर आवेदनकर्ता से धनराशि जमा कराकर संयोजन निर्गत किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आई0टी0आई0 इलेक्ट्रीशियन कोर्स उत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम छः माह बिजली घरों पर इन्टर्नशिप कराने के सम्बन्ध में

95-श्री स्वामी ओउ्मवेश-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की आपातकालीन समस्याओं से निपटने के लिए प्रदेश के आई0टी0आई0 इलेक्ट्रीशियन कोर्स उत्तीर्ण छात्रों को न्यूनतम छः माह की बिजली घरों पर इन्टर्नशिप कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा शिक्षु अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता नियम-1992 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत इलेक्ट्रिकल ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को 01 वर्ष का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर मण्डल में रिवर रिजुवनेट कमेटी द्वारा पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेच की संख्या का विवरण एवं पानी की गुणवत्ता बेहतर बनाये जाने के सम्बन्ध में

96-श्री नाहिद हसन-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रिवर रिजुवनेट कमेटी द्वारा सहारनपुर मण्डल में कितने पाल्यूटेड रिवर स्ट्रेच तथा उक्त पॉल्यूटेड स्ट्रेचों हेतु जिम्मेदार कारकों का पता लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पॉल्यूटेड स्ट्रेचों में पानी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने तथा जिम्मेदार कारकों को दूर करने अथवा उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कोई योजना बनाई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त मण्डल के कण्डेला औद्योगिक आस्थान की वायु एवं जलीय गुणवत्ता की स्थिति 1 जनवरी, 2023 से 22-03-23 तक क्या है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

हिण्डन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। जनपद सहारनपुर के क्षेत्रान्तर्गत हिण्डन नदी एवं उसकी सहायक नदी कृष्णी नदी व काली नदी (पश्चिमी) प्रवाहित होती है। इसका उदगम लोवर हिमालयन रेन्ज की शिवालिक पहाड़ियों से होकर जनपद सहारनपुर में है। जनपद सहारनपुर में हिण्डन नदी की कुल लम्बाई लगभग 91 किमी0 है। हिण्डन नदी में 07 नालों के माध्यम से घरेलू जल-मल व उद्योगों के शोधित उत्प्रवाह का निस्तारण किया जाता है। घरेलू जल-मल शोधन हेतु जनपद सहारनपुर में हिण्डन नदी के कैचमेंट एरिया नगर निगम क्षेत्र में 38 एम0 एल0 डी0 एस0टी0पी0 स्थापित एवं संचालित है, तथा 135 एम0एल0डी0 क्षमता एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जो टेण्डरिंग प्रक्रिया में है एवं काली नदी (पश्चिमी) के कैचमेण्ट एरिया में देवबन्द नगर पालिका, सहारनपुर के अन्तर्गत 17 एम0एल0डी0 क्षमता का एस0टी0पी0 प्रस्तावित हैं। हिण्डन नदी के कैचमेण्ट एरिया में 38 जल प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित हैं, जिनमें वर्तमान में 20 उद्योग संचालित एवं 18 उद्योग उत्पादनरत् नहीं हैं। कृष्णी नदी के कैचमेन्ट क्षेत्र में जनपद सहारनपुर में स्थापित व संचालित जल प्रदूषणकारी उद्योगों की संख्या 03 है। जनपद सहारनपुर में काली नदी (पश्चिमी) के कैचमेंट क्षेत्र में कुल 01 जल प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित है। इस प्रकार जनपद सहारनपुर में हिण्डन नदी के कैचमेण्ट एरिया में (सहायक नदियों-कृष्णी नदी तथा काली नदी (पश्चिमी) के कैचमेण्ट एरिया को सम्मिलित करते हुए) कुल 42 उद्योग स्थापित है, जिनमें से वर्तमान में 22 उद्योग संचालित है एवं 20 उद्योग उत्पादनरत् नहीं हैं। उक्त सभी संचालित उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित व संचालित हैं। उक्त सभी उद्योगों में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र का रख-रखाव तथा सुचारु संचालन का उत्तरदायित्व सम्बन्धित उद्योग का स्वयं का होता है।

हिण्डन नदी के पुनर्जीवन हेतु समस्त सम्बन्धित विभागों से समन्वय कर अन्तर्विभागीय कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वित की गयी है।

जनपद शामली के कण्डेला औद्योगिक आस्थान की परिवेशीय वायु गुणता की जांच पूर्व में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिनांक 28-01-2023 को करायी गयी थी। अनुश्रवण आख्या के अनुसार कण्डेला औद्योगिक आस्थान की परिवेशीय वायु गुणता में पर्टिकुलेट मैटर पी0एम0 10 का औसत 162.2ug@m3 व पर्टिकुलेट मैटर पी0एम0 2.5 का औसत 62.7ug@m3 पाया गया। जनपद शामली के कण्डेला औद्योगिक आस्थान में मैसर्स निकिता पेपर मिल के पास स्थित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प के जल का नमूना एकत्र कर क्षेत्रीय कार्यालय की प्रयोगशाला में दिनांक 17-02-2023 को विश्लेषित कराया गया। प्राप्त विश्लेषण आख्यानुसार विश्लेषित प्रचालक पेयजल मानकों के अनुरूप पाये गये हैं।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की समस्त शुगर मिलों एवं जनपद शामली में गन्ना किसानों का शुगर मिलों पर बकाया की जानकारी एवं समयबद्ध भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में

97-श्री नाहिद हसन-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की समस्त शुगर मिलों पर 22-03-2023 तक गन्ना किसानों का कितना बकाया है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शामली में मिलवार कितना बकाया अवशेष है तथा उपरोक्त गन्ना मूल्य अवशेष भुगतान किस तिथि तक करा दिया जाएगा ? क्या सरकार ने गन्ना कृषकों को पेस्टिसाइड, लेबर, महंगी बिजली के कारण लागत मूल्य बढ़ जाने के फलस्वरूप गन्ने का तर्कसंगत मूल्य दिलाने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 22-03-2023 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य रु0 7,366.89 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष था। अद्यतन सूचना दिनांक 24-07-2023 के अनुसार उक्त पेराई सत्र में वर्तमान में रु0 कुल 5,664.00 करोड़ अवशेष है।

दिनांक 24-07-2023 तक पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत जिला शामली में स्थित चीनी मिलों क्रमशः बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 थानाभवन, सुपीरियर फूड ग्रेन्स (प्रा0) लि0 ऊन एवं अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली पर गन्ना मूल्य रु0 289.72 करोड़, रु0 150.22

करोड़ एवं रु0 271.28 करोड़ भुगतान हेतु बकाया है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु प्रश्नगत चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023 एवं 09-06-2023 को नोटिस तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन से सम्बन्धित सुसंगत पहलुओं के आलोक में हितबद्ध पक्षों को सुन कर सम्यक् विचारोपरान्त कृषकों के व्यापक हितों के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण निर्णय लेते हुए प्रत्येक पेराई सत्र हेतु गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य का निर्धारण किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज में कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत ग्रामों में विद्युत सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जानकारी के सम्बन्ध में

98-श्री संदीप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज में बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत जनपद प्रयागराज विधान सभा क्षेत्रों में कितने ग्राम चयनित किए गये एवं कितनी सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करायी जा रही है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद प्रयागराज के 10 विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 2023-24 में 20 ग्राम चयनित किए गये हैं, इन चयनित ग्रामों में 10 सोलर लाइट प्रति ग्राम के अनुसार 20 ग्रामों हेतु कुल 200 सोलर लाइट की स्थापना कराने हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है।

चयनित ग्रामों का विवरण संलग्न है[†]।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में जर्जर खम्भे, तार बदलवाने एवं नए ट्रांसफार्मर लगवाये जाने का विवरण सदन के पटल पर रखे जाने के सम्बन्ध में

99-श्री अतुल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना में विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक कितने ग्रामों में जर्जर खम्भों व तारों को बदला गया

[†] नोट-देखिये नत्थी (ञ) आगे पृष्ठ संख्या 366 पर।

तथा कितने नए ट्रांसफार्मर स्थापित किये गए ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना में विभाग द्वारा वर्ष 2017 से 2022 तक कुल 122 ग्रामों में लगभग 510 नग जर्जर खम्भों व लगभग 20 किमी0 तारों को बदला गया है तथा 1759 नग नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के कतिपय क्षेत्रों में नाली, सड़क व सीवर बनाये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

100-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी, सेक्टर-आई, जानकीपुरम में सैम पब्लिक स्कूल से दिव्यता लॉन तक नाली, सड़क तथा सीवर बनाने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर उक्त का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा

प्रश्नगत क्षेत्र/कालोनी निजी विकासकर्ता/कालोनाईजर द्वारा बसायी गयी अनियोजित कालोनी है, जिसका तलपट मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं है, जिसमें विकास कार्य कराये जाने का दायित्व निजी विकासकर्ता/कालोनाईजर का होता है। प्रश्नगत कालोनी के नियोजित हो जाने के उपरान्त सड़क, नाली व अन्य अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के कतिपय क्षेत्रों में हाईटेंशन लाइन को अण्डरग्राउण्ड करने के सम्बन्ध में

101-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी मिलें उ0प्र0 का पत्रांकः 510/वी0आई0पी0/रा0म0ग0वि0ची0मि0, दिनांक 28-12-2022, जो कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ (उत्तर) के यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी

सेक्टर आई, जानकीपुरम में सैम पब्लिक स्कूल से दिव्यता लॉन तक हाईटेंशन लाइन को अण्डरग्राउण्ड करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा

जी हाँ।

यशोदापुरम, शिव विहार कालोनी सेक्टर आई, जानकीपुरम में सैम पब्लिक स्कूल से दिव्यता लॉन तक जा रही 11000 वोल्ट की खुली हाईटेंशन लाइन की सुरक्षा के दृष्टिगत गार्डिंग करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में तारकोल से बनने वाली सड़क के आयु निर्धारण एवं नगर पालिका मुजफ्फरनगर में सड़कों के निर्माण की जानकारी के सम्बन्ध में

102-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहर के अन्दर तारकोल से बनने वाली सड़कों की आयु कितनी निर्धारित की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि नगर पालिका, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 22-03-2023 तक कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया है तथा उक्त में से कितनी सड़कें टूट गई हैं ? क्या सरकार नगर पालिका, मुजफ्फरनगर की सड़कों की गुणवत्ता की जांच टी0ए0सी0 द्वारा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

तारकोल की सड़कों की आयु मूलतः मैटेरियल की क्वालिटी, डिजाइन, डिजाइन पीरियड, ट्रैफिक का घनत्व, क्लाईमेट कन्डीशन व अनुरक्षण पर निर्भर करता है। वर्णित परिस्थितियों एवं इण्डियन रोड कांग्रेस में अंकित दिशा-निर्देश के अनुसार सामान्यतः तारकोल द्वारा निर्मित सड़कों की आयु काल 5 से 10 वर्ष निर्धारित की गयी है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर में पिछले दस वर्षों में सी0सी0 इण्टरलॉकिंग एवं तारकोल की कुल 3422 सड़कों का निर्माण किया गया है। दिनांक 22-03-2023 तक बनी समस्त सड़कों का अनुरक्षण सम्बन्धित ठेकेदारों द्वारा (अनुरक्षण काल में) एवं पालिका द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है।

नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर द्वारा निर्मित सड़कों की टी0ए0सी0 जाँच मण्डलायुक्त द्वारा नामित परीक्षक द्वारा कराये जाने का प्राविधान है, जिसका अनुपालन किया

जाता है। टी0ए0सी0 सहारनपुर के पत्र दिनांक 28-03-2023 द्वारा इस वर्ष भी नगर पालिका परिषद्, मुजफ्फरनगर की सड़कों की जाँच की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के शिवाजी नगर में 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित कर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

103-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2022 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के क्रम में जनपद रायबरेली के शिवाजी नगर के बी0टी0सी0 (डायट) विद्यालय के सामने 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर रिवैम्प्ड योजना में सम्मिलित करके लगा दिया गया है ? यदि हाँ, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के ऊपर कार्यवाही करते हुये ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

सन्दर्भित स्थल पर पूर्व से स्थापित 250 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि कर नया 400 के0वी0ए0 परिवर्तक दिनांक 06-06-2023 को स्थापित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मिलों से निकलने वाले पानी एवं नगर क्षेत्रों के नालों के पानी के सैम्पल संग्रह के समय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य किये जाने हेतु

104-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विभिन्न मिलों से बाहर निकलने वाले पानी तथा नगर क्षेत्रों के नालों के पानी की जांच हेतु सैम्पल संग्रह के समय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य करने की योजना सरकार बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

उद्योगों, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट आदि से जनित उत्प्रवाह के नमूनों का एकत्रण एवं विश्लेषण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधानों के अनुरूप उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत संशोधन भारत सरकार के स्तर से किये जा सकते हैं।

जनपद लखनऊ के चित्रगुप्त वार्ड अन्तर्गत कृष्णानगर में गाटा सं0-2174 में भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में

105-श्री अखिलेश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में नगर निगम के चित्रगुप्त वार्ड अन्तर्गत कृष्णानगर के विनय नगर/न्यू सिन्धु नगर में गाटा संख्या-2174 को कुछ वर्ष पूर्व नगर निगम द्वारा कतिपय भू-माफियाओं से जमीन खाली कराकर शिवम् पार्क का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त गाटा संख्या-2174 की पार्क के पीछे की जमीन के कतिपय भाग पर (लगभग 10 हजार स्क्वायर फिट) पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से प्लाटिंग कर वर्तमान में भवन निर्माण कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उक्त जमीन को खाली कराकर पार्क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल पर खसरा संख्या-2174 की भूमि नगर निगम के स्वामित्व में है। पूर्व में इसे खाली कराकर शिवम् पार्क का निर्माण कराया जा चुका है। पार्क के पीछे की भूमि निजी स्वामित्व में है, जो नगर निगम के अधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में रामलीला मैदान रोड की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

106-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के कस्बा अतर्रा में रामलीला मैदान रोड पर बनी आर0सी0सी0 सड़क क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण

लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

नगर पालिका परिषद्, अतर्रा जनपद-बाँदा को आवंटित 15वें वित्त आयोग की अनटाइड ग्रान्ट की धनराशि की कार्य योजना में उक्त निर्माण कार्य, जिसका आगणन रु0 8.39 लाख है, सम्मिलित कर लिया गया है। प्रश्नगत निर्माण कार्य अनुमोदनोपरान्त कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों की किस्तों के भुगतान के सम्बन्ध में

107-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में दिनांक 22-03-2023 तक कितने पात्र लाभार्थियों की पहली, दूसरी तथा तीसरी किस्त का भुगतान शेष है ? क्या सरकार उक्त लम्बित किस्तों को निश्चित समयावधि अन्तर्गत लाभार्थियों को उपलब्ध करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 22-03-2023 तक पात्र लाभार्थियों में से प्रथम किस्त के 144, द्वितीय किस्त के 1083 तथा तृतीय किस्त के 9789 लाभार्थियों को भुगतान किया जाना शेष है।

जी हाँ।

उल्लेखनीय है कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान स्वीकृत आवासों के निर्माण के विभिन्न स्तरों के चरणबद्ध जियोटैग एवं उसके उपरान्त पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध बजट के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार यथासमय नियमित रूप से किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है तथा विभिन्न स्तर की किस्तों के भुगतान हेतु कोई निश्चित तिथि इंगित नहीं की जा सकती है। अद्यतन स्थिति के अनुसार फिरोजाबाद में रु0 3.04 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को भुगतान हेतु उपलब्ध है, जिससे प्रथम किस्त के 144 तथा द्वितीय किस्त के 154 लाभार्थियों को शीघ्र ही भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही भारत सरकार से प्राप्त धनराशि में से रु0 12.84 करोड़ की धनराशि फिरोजाबाद के लिये दिनांक

02-08-2023 को निर्गत कर दी गयी है। आगे भी जैसे-जैसे भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होगा, उसी के अनुरूप राज्यांश को सम्मिलित कर वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की जायेंगी और फिरोजाबाद को भी तद्नुसार धनराशि आवंटित की जायेगी, जिससे विभिन्न स्तर के लाभार्थियों को किस्तों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता रहेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माह मार्च, 2022 से जनवरी, 2023 तक साइबर फ्रॉड से बैंक खाता धारकों की धनराशि निकाले जाने के सम्बन्ध में

108-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2022 से जनवरी, 2023 तक कितने बैंक खाता धारक साइबर फ्रॉड के कारण प्रभावित हुए एवं कितनी धनराशि अवैध रूप से निकाली गई ? क्या सरकार उक्त से सुरक्षा के दृष्टिगत बैंकों को कोई निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

प्रदेश में मार्च, 2022 से जनवरी, 2023 तक कुल 51086 बैंक खाता धारक साइबर फ्रॉड के कारण प्रभावित हुए एवं रुपये 2,87,56,17,364.80/- की धनराशि अवैध रूप से निकाली गयी।

साइबर फ्रॉड से सुरक्षा के दृष्टिगत वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक व भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों यथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के बादशाह खेड़ा के भुवनेश्वरपुरम् में सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में

109-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के बादशाह खेड़ा के भुनेश्वरपुरम्, आलमनगर, लखनऊ में रास्ता व जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आमजनों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार भुनेश्वरपुरम्, बादशाह खेड़ा में सुनील कुमार के घर से जय प्रकाश के घर तक सड़क व नाली का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी/निजी विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के बिना ही अनियोजित रूप से अर्द्ध विकसित कर छोड़ दिया गया है। स्थल का भू-तल नीचा है। आन्तरिक अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर/बिल्डर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में जन-सुविधायें विकसित कराने का निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड में मल्लपुर रिंग रोड चौकी से आवासीय कॉलोनी तक सड़क व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

110-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के लखनऊ पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड के मल्लपुर रिंग रोड चौकी के पीछे सड़क व नाली का निर्माण नहीं होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार मल्लपुर रिंग रोड चौकी के पीछे आवासीय कालोनी से खलील के घर होते हुए मो0 जब्बार की दुकान से आगे तक सड़क व सीवर नाली का निर्माण करवायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी/निजी विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण के तलपट मानचित्र की स्वीकृति के बिना ही अनियोजित रूप से अर्द्ध विकसित कर छोड़ दिया गया है। स्थल का भू-तल नीचा है। आन्तरिक अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर/बिल्डर का है। प्रश्नगत स्थल कच्चा है। प्रश्नगत कालोनी के नियोजित हो जाने के उपरान्त सड़क, नाली व अन्य अवस्थापना सुविधा सम्बन्धी कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पिंक सिटी, मोहान रोड में सड़क व नाली निर्माण के सम्बन्ध में

111-श्री अरमान खान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पिंक सिटी, मोहान रोड में सन्दीप श्रीवास्तव के घर के पास से विजय कुमार के घर के पास तक की सड़क व नाली निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया गया। प्रश्नगत क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी/निजी विकासकर्ता द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र की स्वीकृति के बिना ही अनियोजित रूप से अर्द्ध विकसित कर छोड़ दिया गया है। स्थल का भूतल नीचा है। आन्तरिक अवस्थापना सुविधायें एवं विकास कार्य पूर्ण कराने का प्रथम दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर/बिल्डर का होता है, फिर भी व्यापक जनहित के दृष्टिगत नगर निगम द्वारा समय-समय पर अपने सीमित संसाधनों से ऐसी कालोनियों में जन-सुविधायें विकसित कराने का निर्णय लिया जाता है। प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के न्यू हैदरगंज वार्ड द्वितीय व तृतीय में कतिपय क्षेत्रों में नये ट्रांसफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में

112-श्री अरमान खान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम के न्यू हैदरगंज वार्ड द्वितीय व तृतीय तथा सआदतगंज वार्ड, कन्हैया माधवपुर, आलमनगर तथा भवानीगंज वार्ड के मोहल्लों में विद्युत कनेक्शन 200 मी0 से अधिक की दूरी के पोल से दिये गये हैं विद्युत केबल नीचे लटक रहे हैं तथा विद्युत ट्रांसफार्मर अतिभारित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में विद्युत पोल/तार एबीसी केबिल तथा अधिक के0वी0ए0 के नये ट्रांसफार्मर लगाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

लेसा सिस गोमती क्षेत्र के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पश्चिम के न्यू हैदरगंज वार्ड द्वितीय व तृतीय तथा सआदतगंज वार्ड, कन्हैया, माधवपुर, आलमनगर तथा भवानीगंज वार्ड के

मोहल्ला में विद्युत कनेक्शन 200 मी0 से अधिक की दूरी पर नहीं निर्गत किये गए हैं तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में नीचे लटक रहे विद्युत केबिलों को चिन्हित कर ठीक करा दिया गया है। उपरोक्त क्षेत्र में कोई भी ट्रान्सफार्मर अतिभारित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र में भपटामऊ रेलवे क्रासिंग से शारदा नहर पुलिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

113-श्री अरमान खान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के पश्चिम विधान सभा क्षेत्र के भपटामऊ रेलवे क्रासिंग के किनारे-किनारे रामपुर मैदान होते हुए (दशहरी) शारदा नहर पुलिया तक सड़क, जो काकोरी जाने वाले मार्ग को जोड़ती है, सड़क का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार जन-सामान्य व आमजनता के आवागमन के लिए उपरोक्त सड़क मार्ग का निर्माण करवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग लखनऊ-मोहान मार्ग से भपटामऊ रेलवे क्रासिंग से रामपुर को जोड़ने वाले मार्ग की लम्बाई लगभग 2.50 किमी0 है एवं इस मार्ग का निर्माण विश्व बैंक द्वारा किया गया है। रामपुर मैदान होते हुए दशहरी काकोरी सम्पर्क मार्ग शारदा नहर पुलिया तक जिस मार्ग के नव निर्माण की मांग की गयी है, वर्तमान में यह लगभग 1.50 किमी0 लम्बाई का कच्चा मार्ग है तथा यह मार्ग किसी आबादी को नहीं जोड़ता है। उक्त मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग में प्रचलित किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा अकबरपुर में हनुमान मन्दिर के पास ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में

114-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ ग्राम सभा अकबरपुर (बिलरियागंज से रौनापुर मार्ग) पर हनुमान मन्दिर के पास 25 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर अतिभारित होने से बार-बार जल जाता है ? क्या सरकार उक्त स्थान पर 63 के0वी0ए0 (क्षमतावृद्धि) का ट्रान्सफार्मर स्थापित कर ग्रामवासियों की बिजली आपूर्ति के लिए 400 मी0 केबिल का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के ग्राम सभा अकबरपुर (बिलरियागंज से रौनापर मार्ग) पर हनुमान मन्दिर के पास 25 के0वी0ए0 के लगे ट्रांसफार्मर के स्थान पर 63 के0वी0ए0 से क्षमतावृद्धि कर दिया गया है। वर्तमान में विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है।

उक्त ग्राम में 63 के0वी0ए0 परिवर्तक की क्षमतावृद्धि कर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से की जा रही है तथा उक्त ग्राम में 400 मी0 ओपेन कन्डक्टर के स्थान पर केबिल लगाने का कार्य दिनांक 20-08-2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वि0ख0 बिलरियागंज के ग्राम सभा देवई रसूलपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

115-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में ग्राम सभा देवई रसुलपुर, अभिलहवा में श्रीपति के घर से शिवनाथ के घर की तरफ विद्युतीकरण के न होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में 25 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर/विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के वि0ख0 बिलरियागंज के ग्राम सभा देवई रसूलपुर, अभिलहवा में श्रीपति के घर से शिवनाथ के घर की तरफ विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण है एवं बिजनेस प्लान योजनान्तर्गत उक्त ग्राम में पूर्व से स्थापित 25 के0वी0ए0 परिवर्तक की दिनांक 10-05-2023 को क्षमतावृद्धि कर 63 के0वी0ए0 का परिवर्तक स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में उक्त ग्राम में सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में ढीले व जर्जर विद्युत तारों को बदवाये जाने के सम्बन्ध में

116-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर में ढीले व जर्जर विद्युत तारों को बदलकर नये तार अथवा ए0बी0सी0 केबिल लगाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में ढीले व जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम वर्तमान में प्रचलित है, जिसके अन्तर्गत सर्वे कार्य किया जा चुका है, क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम छाता का पुरा, मन्दुरी बाजार, जमुआ हरिरामपुर, कप्तानगंज बाजार एवं कन्धरापुर बाजार में जर्जर एवं ढीले तार के स्थान पर ए0बी0सी0 केबिल लगाकर तार बदले जाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष स्थान पर ए0बी0सी0 केबिल लगाये जाने का कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत एन0एच0-233 से ग्राम सभा कुआँ देवचन्द पट्टी को जाने वाले मार्ग पर बाधित तार व पोल हटवाये जाने के सम्बन्ध में

117-श्री नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-233 (कन्धरापुर-फैजाबाद मार्ग) से ग्राम सभा कुँआ देवचन्द पट्टी को जाने वाली पिच मार्ग के मध्य में 33 के0वी0ए0 का तार व 2 पोल लगा दिये जाने से आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के मध्य से पोल को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र कन्धरापुर पोषित जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर विधान सभा क्षेत्र में एन0एच0-233 (कन्धरापुर-फैजाबाद मार्ग) से ग्राम सभा कुआँ देवचन्द पट्टी को जाने वाली पिच मार्ग के मध्य में 33 के0वी0ए0 लाइन बहुत पुरानी है। पिच मार्ग का निर्माण पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा बाद में कराया गया है। वर्तमान में विभाग स्तर पर पोल व तार को शिफ्ट कराये जाने की कोई योजना नहीं है।

उक्त लाइन के पिच मार्ग से विस्थापन का कार्य कराने हेतु प्राक्कलित धनराशि रु0 1,14,954/- का आगणन प्रेषित करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने तथा निर्विवाद भूमि उपलब्ध कराने हेतु लोक निर्माण विभाग से अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-षष्ठम, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 18-07-2023 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में वर्ष 2021-22 में रोपे गये पौधों की संख्या एवं जीवित पौधों की संख्या के विवरण के सम्बन्ध में

118-श्री नफीस अहमद-

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सत्र, 2021-22 में कितने पौधे लगाये गये हैं इनकी देख-रेख की व्यवस्था क्या है ? वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

आजमगढ़ जनपद में वर्ष 2021-22 में वन विभाग द्वारा 19,10,175 पौध एवं अन्य विभागों द्वारा 32,85,861 पौध अर्थात् कुल 51,96,036 पौधों का रोपण किया गया है। पौधों की देख-रेख दैनिक श्रमिकों के माध्यम से कराई जाती है।

वन विभाग द्वारा रोपित 19,10,175 पौधों के सापेक्ष माह जून, 2023 की प्रगणना के अनुसार वर्तमान में 17,81,365 पौधे जीवित हैं।

माह मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2021-22 में अन्य विभागों द्वारा रोपित कुल 32,85,861 पौधों में से 32,83,237 पौधे जीवित थे।

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया में नई चीनी मिल स्थापित किये जाने की माँग के सम्बन्ध में

119-श्री सुरेन्द्र चौरसिया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में वर्तमान में चीनी मिलों के बन्द हो जाने के कारण क्षेत्र के किसानों को गन्ना उपज खपत में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद देवरिया में एक नई चीनी मिल लगाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जिला देवरिया में वर्तमान में प्रतापपुर चीनी मिल संचालित है, जिसकी पेराई क्षमता 6000 टी0सी0डी0 है। जिले में बहुत सीमित क्षेत्र में ही गन्ने का उत्पादन होता है। जिससे चीनी मिल को उसकी पेराई क्षमता के अनुरूप गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पाती है और चीनी मिल शीघ्र पेराई कार्य करके बन्द हो जाती है। कृषकों के पेराई योग्य गन्ने की खपत की कोई समस्या संज्ञानित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत क्षतिग्रस्त ग्राम-रामराज से बिजनौर मेरठ मार्ग का निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

120-श्री चंदन चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत मेरठ-बिजनौर मार्ग पर ग्राम रामराज वाया हुसैनपुर, देवल-बिजनौर मेरठ मार्ग लम्बाई लगभग 12 किमी0 क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आवागमान में परेशानियों का समाना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मेरठ पौड़ी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग-34) के चैनेज 47.500 से दायीं और रामराज आबादी भाग से निकलकर ग्राम हुसैनपुर होते हुए मेरठ पौड़ी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 34) के किमी0 0.66 पर देवल आबादी भाग को जोड़ता है, जिसकी कुल लम्बाई 16.00 किमी0 है। देवल से हुसैनपुर मार्ग की कुल लम्बाई 9.180 किमी0 है, जिसमें से लम्बाई 5.180 किमी0 वर्तमान में यातायात हेतु उपयुक्त है। ग्राम देवल से चैनेज 0.000 से 4.000 तक तथा ग्राम रामराज से हुसैनपुर मार्ग की लम्बाई 6.820 किमी0 की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

121-डा0 पल्लवी पटेल-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के अन्दर मरी माता मन्दिर में जाने के लिए अलग मार्ग के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

122-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ के अन्दर ग्वारी गांव के ऐतिहासिक अति प्राचीन मरी माता मन्दिर के अन्दर मार्ग बन्द होने के कारण जनता को परेशानी हो रही है ? क्या सरकार जनेश्वर मिश्र पार्क के अन्दर अति प्राचीन ऐतिहासिक मरी माता मन्दिर में जाने के लिये अलग मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

जनेश्वर मिश्र पार्क में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक मरी माता मन्दिर परिसर में जाने के लिए जनेश्वर मिश्र पार्क के प्रवेश द्वारों, विशेष कर मन्दिर के निकटस्थ स्थित गेट नं0-04 से पूर्व से ही निर्मित सीमेन्ट कान्क्रीट के पक्के मार्ग हैं, जिनसे मन्दिर परिसर तक सुगमता से पहुंचा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में आजमगढ़ से नदवा सराय को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

123-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी-अजमतगढ़ से नदवा सराय को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को गड्ढामुक्त कर पिचिंग करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला मार्ग श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 17.400 किमी0 है जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत 11.00 किमी0 एवं जनपद मऊ के अन्तर्गत 6.400 किमी0 है, जिसमें से जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत 11.00 किमी0 में से 3.100 किमी0 की सतह सन्तोषजनक है तथा शेष 7.90 किमी0 का भाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पी0आई0यू0 आजमगढ़ के अन्तर्गत है, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 बैच-2 के अन्तर्गत एफ0डी0आर0-63 के अधीन पैकेज संख्या यू0पी0 06189 के मार्ग अजमतगढ़ से नदवा सराय के नाम से स्वीकृत है एवं जनपद मऊ के अन्तर्गत लम्बाई 6.400 किमी0 है। मार्ग का आवश्यकतानुसार सतत् अनुरक्षण किया जाता है तथा वर्तमान में मार्ग यातायात हेतु सुगम है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में सिकरोरी से महिमा खेड़ा मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

124-श्रीमती अलका सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में सिकरोरी से महिमा खेड़ा तक लगभग 2 किलोमीटर डामर रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम सिकरोरी पूर्व से संडीला अतरईया मार्ग से लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम महिमा खेड़ा जनपद लखनऊ में स्थित है और यह ग्राम भी पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है। प्रश्नगत मार्ग पूर्व से संतृप्त ग्रामों को आपस में जोड़ने (डबल कनेक्टिविटी) से सम्बन्धित है। वर्तमान में डबल कनेक्टिविटी से ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में पवाया से कटिहार फार्म तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

125-श्रीमती अलका सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में पवाया से कटिहार फार्म तक लगभग 2.30 किलोमीटर डामर रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व के मार्ग भरावन पवाया की कुल लम्बाई 10.00 किमी0 है, जिसमें से 9.10 किलोमीटर भाग वर्तमान में भरावन हडहा नाम से एफ0डी0आर0 के अन्तर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है, शेष लम्बाई 0.90 किलोमीटर लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है।

पवाया से कटिहार फार्म की वास्तविक लम्बाई 2.80 किमी0 है, जिसमें से प्रथम 0.90 किलोमीटर भाग भरावन पवाया मार्ग का शेष भाग है, जो लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है तथा मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। चैनेज 0.90 से चैनेज 210 (1.20 किलोमीटर) भाग ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा निर्मित है। चैनेज 2.10 से चैनेज 2.80 तक (0.70 किमी0) जिला पंचायत द्वारा निर्मित है, मार्ग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में जाजूपुर से सिद्ध बाबा मंदिर तक डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

126-श्रीमती अलका सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र संडीला में जाजूपुर से सिद्ध बाबा मंदिर तक 2.5 किलोमीटर डामर रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम जाजूपुर संडीला अतरौली भटपुर (रा0म0 सं0-137) के किलोमीटर-19 से ग्राम जाजूपुर पूर्व लेपित मार्ग से जुड़ा हुआ है। जाजूपुर से सिद्ध बाबा मंदिर तक 2.5 किलोमीटर मार्ग कच्चे स्तर का है। प्रश्नगत मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में उलरापुर से छतिया तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में

127-श्रीमती अलका सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में उलरापुर से छतिया तक 1 किलोमीटर रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद हरदोई में विधान सभा क्षेत्र सण्डीला में उलरापुर से क्षतिया तक मार्ग की लम्बाई 900 मी0 है, जो खड़न्जा स्तर का है। ग्राम उलरापुर से जाजूपुर सम्पर्क मार्ग एवं ग्राम छतिया से छतिया सम्पर्क मार्ग पूर्व से ही जुड़ा है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में

128-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में विद्युत तार जर्जर होने के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जर्जर विद्युत तारों को बदलवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर तार बदले जाने का कार्य भारत सरकार की रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है। विभाग द्वारा चयनित फर्म के द्वारा

प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष ग्राम नाऊ का टल्ला जैन बाबा से दक्षिण इब्राहिमाबाद (जोगेन्द्र गिरी का मठिया) में जर्जर एल0टी0 लाइन को बदलकर ए0बी0सी0 केबिल लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम इब्राहिमाबाद (मुझ का डेरा), इब्राहिमाबाद (कुकरी बाबा), (भीखा क्षारा), सुरेन्द्र यादव का डेरा, मझुवा (काली मंदिर), पचरुखी (निकट बैंक आफ बड़ौदा) सुकरौली लाल जी बाबा का डेरा, जगदीशपुर बहुरा (हाई स्कूल), धतरी टल्ला में एल0टी0 जर्जर लाइन के स्थान पर ए0बी0सी0 केबल बदले जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र के सन्दर्भित शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र फर्म के माध्यम से पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन के समय सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में

129-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की फसलों के उत्पाद की मड़ाई हेतु अधिक समय तक विद्युत आपूर्ति की कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

वर्तमान में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पोषकों को 18.00 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र के कृषि पोषकों को 10.00 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बलिया में ग्रामीण और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में

130-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में ग्रामीण और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का रोस्टर क्या है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त क्षेत्रों का रोस्टर होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति उक्तानुसार नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोस्टर अनुसार विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का रोस्टर 18.00 घण्टे निर्धारित है। कभी-कभी स्थानीय फाल्ट की वजह से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है, तो उपलब्ध संसाधनों से यथाशीघ्र फाल्ट को दूर कर विद्युत आपूर्ति बहाल की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के रसड़ा सहकारी चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

131-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के रसड़ा सहकारी चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण करने की कोई योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

बन्द पड़ी रसड़ा चीनी मिल को इन्टीग्रेटेड शुगर कॉम्पलेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही की गई है :-

मा0 मंत्री-परिषद् द्वारा निर्णय लिये जाने के पश्चात् शासनादेश संख्या-531/46-2-19-600 (05)/14, दिनांक 03-03-2019 द्वारा दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, रसड़ा, जनपद बलिया को इन्टीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने हेतु निजी निवेशकर्ता को दीर्घकालीन लीज पर हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी।

उक्त हेतु उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल्स संघ मुख्यालय पर ई-निविदा कार्यवाही हेतु चीनी मिल्स संघ के कार्यालय पत्रांक-971/यूपीएफ/परि वित्त/रसड़ा लीज/2019, दिनांक 18-03-2019 द्वारा समिति का गठन किया गया।

प्रथम बार ई-निविदा दिनांक 08-04-2019 को आमंत्रित की गई, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 08-04-2019 को खोली गयी थी। ई-निविदा कार्यवाही में किसी भी बिडर द्वारा भाग नहीं लिया गया।

द्वितीय बार ई-निविदा दिनांक 26-06-2019 को आमंत्रित की गई, जिसकी तकनीकी बिड उसी दिन दिनांक 26-06-2019 को खोली गयी थी। ई-निविदा कार्यवाही में किसी भी बिडर द्वारा भाग नहीं लिया गया।

जनपद औरैया-इटावा को जोड़ने वाली नगला परमाई से नगर छत्तर तक तथा सराय चोरी से चिमकुनी तक जर्जर सड़क मार्ग के नव निर्माण के सम्बन्ध में

132-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया तथा इटावा को जोड़ने वाली नगला परमाई से नगला छत्तर तक लगभग 1 किलोमीटर तथा सराय चोरी से चिमकुनी तक का सड़क मार्ग जर्जर होने के कारण आम-जन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

परमाई से नगला छत्तर मार्ग की लम्बाई 1.00 किमी0 है तथा सराय चौरी से चिमकुनी मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 3.55 किमी0 है। उक्त मार्ग के विशेष मरम्मत के कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

133-श्री प्रदीप कुमार यादव-

[02-मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-210 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद औरैया के ब्लॉक अछल्दा में ग्वारी-इटैली रोड से नगर भजु तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

134-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के ब्लॉक अछल्दा में ग्वारी-इटैली रोड से नगला भजु तक 1 किलोमीटर सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद औरैया के अन्तर्गत चिरैया से इटैली मार्ग से नगला भजु को जोड़ने वाला मार्ग कच्चे स्तर का है, उक्त ग्राम की आबादी 250 से कम है तथा वर्तमान में 250 से कम आबादी के ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद औरैया के ब्लॉक अछल्दा में मोहम्मदाबाद के अन्दर की मुख्य सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

135-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के अछल्दा ब्लाक में मोहम्मदाबाद के अन्दर की मुख्य सड़क पर जलभराव रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद औरैया के अछल्दा ब्लाक में मोहम्मदाबाद के अन्दर की मुख्य सड़क पर सी0सी0 मार्ग का निर्माण किया जा चुका है। वर्तमान में मार्ग जलभराव मुक्त है तथा यातायात हेतु उपयुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के फतेहाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर निर्माण कार्य करा रही संस्था द्वारा यमुना नदी को प्रदूषित किये जाने का प्रकरण

136-श्री सचिन यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के फतेहाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर निर्माणाधीन सेतु के निर्माण कार्य को करा रही संस्था द्वारा पर्यावरण के नियमों की अनदेखी कर यमुना नदी को प्रदूषित करा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर कार्यदायी संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत सेतु का निर्माण कार्य प्रगति में है। उक्त सेतु के निर्माण कार्य में पर्यावरण के नियमों की अनदेखी नहीं की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में कस्बा जसराना के बाईपास मार्ग के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

137-श्री सचिन यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में विगत 05 वर्षों से लम्बित कस्बा जसराना के बाईपास मार्ग के निर्माण का कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत आने वाले जसराना बाईपास (लम्बाई 3.700 किमी0) के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका परिषद् में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने विषयक

138-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका परिषद् में एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का एक ही निकाय में लगातार तैनाती के कारण भू-माफियाओं से सॉठ-गांठ कर अरबों की सरकारी भूमि कब्जे कराने विषयक एस0आई0टी0 से जांच सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-01-2023 को उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

श्री मदन भैया, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र खतौली जनपद-मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 16-01-2023 कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद में प्राप्त हुआ, उक्त पत्र के सन्दर्भ में जिला स्तर पर निम्नवत् कार्यवाही की गयी है :-

सन्दर्भित प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 17-01-2023 के द्वारा उप जिलाधिकारी, लोनी को जाँच कर आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये। उप जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 27-07-2023 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, लोनी एवं तहसीलदार लोनी की संयुक्त जाँच आख्या में सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है, जैसा कि शिकायत में उल्लिखित

किया गया है। जिलाधिकारी, गाजियाबाद के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2022 द्वारा नगर पालिका परिषद्, लोनी में श्री ललित कुमार लेखपाल को सम्बद्ध किया गया है, जिसके द्वारा निकाय के समस्त क्षेत्र में सरकारी भूमि की देख-रेख की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण में सरकार के शासनादेशों का पालन न किये जाने विषयक

139-श्री राम अचल राजभर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत अनुरक्षण खण्ड-2/1, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण में सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों का पालन न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1/2, लो0नि0वि0, लखनऊ के कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्मिक अनुभाग-4 के आदेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018, दिनांक 29-03-2018 द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति 2018-19 से 2021-22 में निहित व्यवस्था का पूर्णतया पालन करते हुये स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कार्यवाही की गयी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से मोहान को जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में मा0 सांसद, लोक सभा के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140-श्री राम अचल राजभर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमेश चन्द्र बिन्द, संसद सदस्य (लोक सभा) का दिनांक 30-05-2022 का पत्र, जोकि लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (ग्राम कटी बगिया मजरा सराय शहजादी) से मोहान को जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ, गोसाईगंज-बनी-मोहान राज्य श्रेणी (एस0एच0-136) का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 51.256 किमी0 एवं वर्तमान चौड़ाई 700 मीटर है। प्रश्नगत मार्ग ग्राम कटी बगिया

मजरा सराय शहजादी से मोहान, गोसाईगंज-बनी-मोहान मार्ग (लम्बाई 17.76 किमी0) का हिस्सा है, जिस पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण में धन आवंटन के सम्बन्ध में

141-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माण के लिए वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण के लिए सरकार धन आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत मार्गों के निर्माण के लिए माह जून, 2023 तक रु0 2916.00 करोड़ की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर में रामनगर बाजार में बाईपास मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

142-श्री त्रिभुवन दत्त-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के रामनगर बाजार के रामनगर चौक में ट्रैफिक जाम के कारण जनमानस को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार रामनगर बाजार में बाईपास मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र आलापुर के अन्तर्गत बसखारी-जहांगीरगंज-राजेसुल्तानपुर मार्ग (अ0ज0मा0) में स्थित रामनगर बाजार में लम्बाई 9.00 किमी0 में बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद कुशीनगर के ब्लाक विशुनपुरा में खोशिया से राजकीय पॉलिटेक्निक तक जर्जर मार्ग के नवनिर्माण के सम्बन्ध में

143-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ब्लाक विशुनपुरा में खेशिया से राजकीय पॉलीटेक्निक तक जाने वाला 1.00 किमी0 मार्ग जर्जर होने के कारण

छात्र-छात्रों को आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड विशुनपुरा में खेशिया से राजकीय पॉलिटेक्निक तक जाने वाला मार्ग, जिसकी लम्बाई 0.600 किमी0 है। वर्तमान में यह मार्ग मिट्टी स्तर का है, जिसका निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना से बिहार राज्य के गोपालगंज तक बाईपास के अवशेष निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

144-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना सहित जनपद गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, बिहार राज्य के निकटवर्ती जनपद गोपालगंज तक आवागमन की सुगमता प्रदान करने के लिए बिहार के जनपद गोपालगंज को जोड़ने वाले बाईपास एन0एच0-730 व एन0एच0-28 के अवशेष निर्माण को सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

एन0एच0-730 व एन0एच0-28 के मध्य अवशेष भाग 27.800 किमी0 लम्बाई हेतु रु0 8498.76 लाख की धनराशि आंकलित है। प्रश्नगत मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में मुन्ना कॉलोनी से तिलक नगर एवं तुलसी आवास विकास कॉलोनी होते हुए हाईटेंशन लाइन को हटवाये जाने के सम्बन्ध में

145-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पडरौना शहर के मुन्ना कालोनी से तिलक नगर एवं तुलसी आवास विकास कालोनी होते हुए हाईटेंशन तार में विद्युत सप्लाई विगत कई वर्षों से बन्द है ? क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के कालोनीवासियों को अपने घर के ऊपर के छत के निर्माण कार्य में उक्त तार

बाधा उत्पन्न कर रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार निष्क्रिय विद्युत तारों को हटवाने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत पडरौना शहर में मुन्ना कालोनी तिलक नगर होते हुए 33 के0वी0 कोटवां विद्युत उपकेन्द्र की विद्युत आपूर्ति हेतु लाइन जा रही है। बेहतर विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत उपकेन्द्र तक 132 के0वी0 राजापाकड़ और 132 के0वी0 कुर्मी पट्टी से आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में कोटवां विद्युत उपकेन्द्र की आपूर्ति 132 के0वी0 कुर्मी पट्टी से की जा रही है तथा 132 के0वी0 राजापाकड़ से आने वाली 33 के0वी0 लाइन स्पेयर में है, ताकि किसी अपरिहार्य स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु उपभोग में लाया जा सके।

33 के0वी0 लाइन पूर्व में बनी है तत्पश्चात् सम्बन्धित द्वारा लाइन के नीचे मकान इत्यादि का निर्माण कार्य कराया गया है। विभागीय नियमानुसार एवं सुरक्षा के दृष्टिगत 33 के0वी0 लाइन के नीचे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। सम्बन्धित द्वारा आवेदन दिये जाने, लाइन शिफ्टिंग प्राक्कलन की धनराशि जमा करने तथा निर्विवादित भूमि उपलब्ध कराने पर जमा योजना के अन्तर्गत लाइन शिफ्टिंग का कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

किसी अपरिहार्य स्थिति में विद्युत आपूर्ति हेतु रखा गया है।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में पचरुखिया से बिहार तक जर्जर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में

146-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्दू-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास खण्ड पडरौना के अन्तर्गत पचरुखिया से बिहार को जोड़ने वाला पुल जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

प्रश्नगत स्थल ग्राम पचरुखियों में बांसी नदी पर निर्मित लघु सेतु (56 मी0 स्पान) वर्ष 2006 में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्मित है। यह

सेतु सेमरा से जंगल पचरुखियां मार्ग के अन्तिम चौनेज पर अवस्थित है तथा वर्तमान में क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत स्थल पर अपस्ट्रीम में पचरुखिया ग्राम सभा में 0.300 किमी0 की दूरी पर बिहार सरकार द्वारा 38 मी0 स्पान का तथा डाउनस्ट्रीम में लगभग 3.00 किमी0 की दूरी पर घघौआ घाट पर 90 मी0 स्पान का दीर्घ सेतु निर्मित है।

प्रश्नगत स्थल पर (8.7) 56 मी0 स्पान के लघु सेतु का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदलने की योजना बनाने विषयक

147-डॉ0 अजय कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाध विद्युत आपूर्ति तथा जर्जर विद्युत तारों को बदलने की कोई कारगर योजना सरकार ने बनाई है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्तमान में प्रदेश में (स्थानीय व्यवधान को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित रिवैम्पड योजना एवं एशियन डेवलपमेन्ट बैंक द्वारा वित्त पोषित ''उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट'' के अन्तर्गत पुराने जर्जर तारों को नये तारों से अथवा ए0बी0 केबिल से बदले जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसानों के विद्युत बिल माफ कराये जाने विषयक

148-श्री अनिल प्रधान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों के विद्युत बिल माफ करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में कितने किसानों का विद्युत बिल माफ किया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ताओं हेतु बिना सहायिकी के रुपये 770 प्रति हार्सपावर प्रति माह दर अनुमोदित की गयी है।

इसके सापेक्ष वर्तमान में उपभोक्ताओं द्वारा देय विद्युत दर रुपया 85 प्रति हार्सपावर प्रतिमाह है। अर्थात् निजी नलकूप के कृषकों को विद्युत बिलों में 88-96 प्रतिशत की छूट वर्तमान में सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है।

मा0 वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में दिनांक 01-04-2023 से किसानों को उनके निजी नलकूपों से सिंचाई के लिए विद्युत बीजकों में 100 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी स्थित ग्राम पंचायत खम्हरिया में सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

149-श्री अनिल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत खम्हरिया में लंबरी के पुरवा से कोढन पुरवा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम पंचायत खम्हरिया में लंबरी के पुरवा एवं कोढ़न पुरवा नाम से कोई राजस्व ग्राम/बसावट अभिलेखों में नहीं है। ग्राम खम्हरिया पूर्व से सिंगल कनेक्टिविटी के तहत पक्के मार्ग से संतृप्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत जनपदों में कराये जाने वाले कार्यों की जानकारी

150-श्री संदीप सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत जिलों में कौन-कौन से कार्य कराये जाते है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि योजना के अन्तर्गत

विद्युतीकरण एवं ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाये जाने का भी प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के जनपदों में रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत निम्नवत् कार्य स्वीकृत है जिनका सम्पादन प्रगति पर है :-

कृषि फीडरों का पृथक्कीकरण (11 के0 वी0 पोषकों से कृषि एवं गैर कृषि फीडरों को पृथक करने का कार्य)।

अतिभारित फीडरों का विभक्तिकरण।

33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाइनों की रि-कन्डक्टरिंग का कार्य।

अधिक लाइन हानियों वाले क्षेत्रों में एरियल बन्च्ड केबिल डालने का कार्य।

अधिक लाइन हानियों वाले क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के परिसर पर आरमर्ड केबिल लगाने का कार्य।

उपभोक्ताओं के परिसर पर स्मार्ट प्री-पेड मीटरों की स्थापना के कार्य

वितरण परिवर्तकों पर स्मार्ट मीटरों की स्थापना के कार्य।

फीडरों पर स्मार्ट मीटरों की स्थापना के कार्य।

रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत अविद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण का कार्य प्रस्तावित है, जिसमें लाइन का निर्माण तथा नये परिवर्तकों की स्थापना सम्मिलित है। परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि का कार्य रिवैम्प्ड योजना के आधुनिकीकरण भाग में प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से दिघिया बाजार तक राज्य मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

151-श्री संदीप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाई-वे) से दिघिया बाजार वाया दिघिया से मिश्रपुर तक राज्य मार्ग (स्टेट हाई-वे) को जोड़ने वाला मार्ग सकरा है ? यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा दिघिया से वाया ढिलिया होते हुए मिश्रपुर सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। इसकी लम्बाई 7.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। उक्त मार्ग प्रयागराज मिर्जापुर एन0एच0-35 के किमी0 267 से निकलकर भेजा मांडा (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के किमी0 08 में मिलता है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में ग्रामीण श्रेणी मार्ग के चौड़ीकरण की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग से टिकरी तक राज्य मार्ग को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में

152-श्री संदीप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाई-वे) से टिकरी से वाया सैबसा से जफरा तक राज्य मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग सकरा होने के कारण आमजन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा टिकरी से वाया सैबसा से जफरा तक सम्पर्क मार्ग है, जो ग्रामीण क्षेत्र का मार्ग है। इसकी लम्बाई 7.00 किमी0 एवं चौड़ाई 3.00 मीटर है। उक्त मार्ग प्रयागराज-मिर्जापुर एन0एच0-35 के किमी0 269 से दायीं ओर निकलकर मेजा मांडा (अन्य जिला मार्ग) मार्ग के किमी0 10 में मिलता है। यह ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। वर्तमान में ग्रामीण श्रेणी मार्ग के चौड़ीकरण की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम आवास योजना अन्तर्गत रश्मि खण्ड शारदा नगर योजना में आवंटियों के मकान में कार्य पूर्ण न कराये जाने के सम्बन्ध में

153-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सुगम आवास योजना अन्तर्गत रश्मि खण्ड शारदा नगर योजना में निर्मित आवासों का पंजीकरण हो जाने के बाद भी आंवटियों को मकान में वायरिंग व किचन आदि तैयार करके न दिये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त हेतु दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये शेष निर्माण कार्य को समय-सीमा अन्तर्गत पूर्ण करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रश्मि खण्ड में निर्मित सुगम आवास भवनों में किचन का प्राविधान किया गया है तथा विद्युत सम्बन्धी कार्य हेतु केवल प्रति भवन दो फैन बॉक्स वायरिंग हेतु स्लेव/दीवारों में कन्ड्यूट पाइप सहित बॉक्स लगाये जाने का प्राविधान है, जिन्हें कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के सेक्टर-जे, अलीगंज में स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल व सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

154-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सेक्टर-जे अलीगंज में मकान नं0-ई-3/667 से 733 के मध्य स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवाल का निर्माण तथा पार्क का सौन्दर्यीकरण सरकार करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद लखनऊ के सेक्टर-जे, अलीगंज में मकान न0-ई-3/667 से 733 के मध्य स्थित पार्क की बाउण्ड्रीवॉल, पाथवे क्षतिग्रस्त है। बाउण्ड्रीवॉल की मरम्मत, रंगाई-पुताई एवं पुनः नये पाथ-वे का निर्माण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलधता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल की नगर पंचायतों में रोड लाइट लगवाये जाने के सम्बन्ध में

155-श्री पंकज कुमार मलिक-

नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के सभी नगर पंचायत क्षेत्रों में रोड लाइट लगाने की सरकार कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के नगर पंचायत चरथावल का चयन पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजनान्तर्गत किया गया है। नगर पंचायत चरथावल की बोर्ड बैठक दिनांक 07-06-2023 में स्वीकृति के उपरान्त नगर पंचायत क्षेत्र में रोड लाइट (नगर में सड़क के किनारे एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाइट) लगाने की कार्य योजना प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

156-श्री अतुल प्रधान-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में अनियमित कॉलोनियों के नियमितीकरण की योजना तैयार किये जाने विषयक

157-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनियमित कालोनियों के नियमितीकरण हेतु सरकार द्वारा कोई नीति तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में अवैध कालोनियों के नियमितीकरण हेतु शासनादेश संख्याः 5097/9 आ-3-2001, दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा गाइडलाइन्स जारी की गई थी, जिनके क्रियान्वयन में समय-समय पर उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण हेतु विकास प्राधिकरणों से प्राप्त सुझावों के आधार पर शासनादेश संख्याः 5438/9-आ-3-2001, दिनांक 02-12-2003 एवं शासनादेश संख्या : 3805/8-3-2008-194 काम्प/2015, दिनांक 05-08-2008 द्वारा उक्त गाइडलाइन्स में कतिपय संशोधन एवं शासनादेश संख्याः 1428/आठ-8-18-194 काम्प/2001, दिनांक 09-8-2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। शासन के पत्र संख्याः VIP संख्याः

40(2)/आठ-8-2023-194 काम्प/2001, दिनांक 03-07-2023 द्वारा पूर्व में निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित अभिकरणों को निर्देशित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना में वर्ष 2022-2023 में जिला योजना अन्तर्गत सड़कों के प्रस्ताव एवं उनके निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

158-श्री अतुल प्रधान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ की विधान सभा क्षेत्र सरधना में वर्ष 2022-23 में जिला योजना अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित सड़कों का निर्माण कार्य सरकार पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र संरचना में वर्ष 2022-23 में जिला योजनान्तर्गत 22 मार्गों के प्रस्ताव लम्बाई 38.850 किमी0 के प्रस्ताव जिला योजना समिति के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं।

कार्यों की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

मेरठ विकास प्राधिकरण में अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में

159-श्री अतुल प्रधान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ विकास प्राधिकारण द्वारा मेरठ में किन-किन अवैध कालोनियों को चिन्हित किया गया है तथा चिन्हित अवैध कालोनियों में से किस-किस कालोनी को ध्वस्त किया गया है ? क्या सरकार उक्त कालोनियों को स्थापित करने वाले कॉलोनाईजर के नाम सहित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मेरठ विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत 362 अवैध कालोनी चिहिन्त की गयी हैं। उक्त 362 चिन्हित अवैध कॉलोनियों में से कुल 187 अवैध कालोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया है।

सूची संलग्न है।†

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कतिपय मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

160-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के दो अन्य जिला मार्ग सिसवा खड्डा मार्ग व नेबुआ जटहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या एम0एल0ए0 905520, दिनांक 30-08-2022 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्य जिला मार्गों सिसवा खड्डा मार्ग (लम्बाई 11.00 किमी0) एवं नेबुआ जटहा मार्ग (लम्बाई 11.200 किमी0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़ी छितौनी चीनी मिल को पुनः चालू कराये जाने के सम्बन्ध में

161-श्री विवेकानन्द पाण्डेय-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में स्थित बन्द छितौनी चीनी मिल का सरकार किसान हित में चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

शासनादेश संख्या-1215 एस0सी0/18-2-07-56/07 टी0सी0-1, दिनांक 04-06-2007 द्वारा निगम की समस्त मिलों के निजीकरण/विक्रय किये जाने के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-2929 (2) एस0सी0/18-2-2010-51/10, दिनांक 04-01-2011 द्वारा जनपद कुशीनगर स्थित छितौनी चीनी मिल का विक्रय/हस्तान्तरण मे0 गिरिआशो कम्पनी प्रा0लि0, दिल्ली को कर दिया गया था। वर्तमान में छितौनी चीनी मिल निगम के स्वामित्व में

† छापी नहीं गयी।

नहीं है। उक्त चीनी मिल के विक्रय के सम्बन्ध में सी0बी0आई0 जाँच रोपित है तथा मा. उच्चतम न्यायालय में भी उक्त के सम्बन्ध में बाद लम्बित है।

अतः उक्त छितौनी चीनी मिल, उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 के स्वामित्व में न होने के कारण इस चीनी मिल को चलाया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना के टौंस नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक

162-श्री राजेन्द्र कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के टौंस नदी के बन्दी घाट पर विगत वर्ष 19 अक्टूबर, 2022 को नाव से नदी पार करते समय 16 स्कूली बच्चों से भरी नाव नदी में पलट गई जिससे इण्टरमीडिएट के एक छात्र की डूबने से मौत हो गयी थी ? क्या सरकार टोंस नदी पार करने हेतु (बन्दी घाट) पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हां।

प्रश्नगत स्थल के अपस्ट्रीम में लगभग 8 किमी0 पर 4x28.25 मी0 दर व्यवस्था का 119.20 मी0 लम्बाई का सेतु मुहम्दाबाद-घोसी मार्ग पर निर्मित है एवं डाउनस्ट्रीम में लगभग 9 किमी0 पर 5x28.25 मी0 दर व्यवस्था का 150.93 मी0 लम्बाई का सेतु मीरपुर रहीमाबाद, गोदामघाट पर निर्मित है। प्रश्नगत स्थल पर 5x28.25 मी0 दर व्यवस्था के 153.33 मी0 लम्बाई के सेतु के निर्माण की लागत लगभग रु0 2200.00 लाख सम्भावित है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में

163-श्री राजेन्द्र कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत पूर्व में बनी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयी हैं, जिसके कारण उक्त सड़कों पर आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 101 मार्गों का (150.873 किमी0 लम्बाई में) अनुरक्षण का कार्य कराया गया तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 33 मार्ग (34.210 किमी0) सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण योजना में स्वीकृत हैं तथा विशेष मरम्मत एवं पुनर्निर्माण योजनान्तर्गत कुल 78 मार्गों (93.510 किमी0 लम्बाई) की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद मऊ के मुहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र गोहना अन्तर्गत स्थित खिलवा से जसड़ा पचिस्ता तक क्षतिग्रस्त मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

164-श्री राजेन्द्र कुमार-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत सरसेना से खिलवा मोड़ से आगे जसड़ा पचिस्ता अनु0 बस्ती तक का मार्ग क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को बनवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग सरसेना विशुनपुर से जरुड़ा सम्पर्क मार्ग अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी लम्बाई 4.700 किमी0 है। उक्त मार्ग विशेष मरम्मत योजनान्तर्गत स्वीकृत है एवं वर्तमान में लम्बाई 1.300 किमी0 में लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण है तथा शेष भाग का कार्य माह सितम्बर, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के परशुरामपुर कुड़ही मुख्य मार्ग पर कतिपय जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

165-श्री नफीस अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के परशुरामपुर कुड़ही मुख्य मार्ग पर चपड़ी मोड़ से पैकौली होते हुए शिवशंकरी तक का पिच रोड जर्जर होने से लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार

उक्त पिच रोड का नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग परशुरामपुर कुड़ही मुख्य मार्ग पर चपड़ी मोड़ से पैकौली होते हुए शिवशंकरी तक का मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 5.700 किमी0 है। चपड़ी पैकौली सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग, लम्बाई 3.000 किमी0 है, जिसका वित्तीय वर्ष 2022-23 में विशेष मरम्मत योजना के अन्तर्गत कार्य करा दिया गया है, जो यातायात के लिए उपयुक्त है तथा महेशपुर चपड़ी नाले हरखपुर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 0.700 किमी0 एवं महराजगंज शंकरपुर से हरखपुर सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई 2.00 किमी0 है, जिसे वित्तीय वर्ष 2023-24 की विशेष मरम्मत की कार्य योजना में सम्मिलित कर लिया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के कासीमगंज-बिलरियागंज से अकटहीया को जाने वाले मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में

166-श्री मौहम्मद नफीस अहमद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के कासीमगंज-बिलरियागंज से अकटहीया को जाने वाली सड़क ध्वस्त है तथा पानी के निकासी की व्यवस्था न होने से जल भराव से आम-जनमानस को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का पानी निकासी की व्यवस्था सहित नव निर्माण कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रश्नगत मार्ग कासीमगंज-बिलरियागंज से अकटहीया को जाने वाली सड़क का चयन मुख्य मंत्री नगर सृजन योजना में किया गया है। नगर विकास अनुभाग-9 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-158/2022/4349/002-ई-1672197-84 जे-22, दिनांक 16-12-2022 द्वारा इस सड़क के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है। कार्यालय जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्रांक-2813/एल0बी0सी0, दिनांक 23-5-2023 द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ई-टेण्डर कराया गया तथा दिनांक 15-7-2023 को कार्यादेश निर्गत करते हुए इस सड़क का नव निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज स्थित ग्राम सभा महाजी सिंहवारा में विद्युत आपूर्ति हेतु तार एवं खम्भा लगाये जाने के सम्बन्ध में

167-श्री मौहम्मद नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र महराजगंज के ग्राम सभा महाजी सिंहवारा (नोनीया का पुरा) में लगभग 400 मीटर विद्युत खम्भा/तार के न होने से कनेक्शन धारकों को बिजली आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर विद्युतीकरण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महाराजगंज के ग्राम सभा महाजी, सिंहवारा (नोनीया का पुरा) में विद्युतीकरण का कार्य सौभाग्य योजना के द्वितीय फेज में 25 के0वी0ए0 का अतिरिक्त परिवर्तक लगाकर पूर्ण करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त ग्राम के नोनिया का पुरा में विद्युत आपूर्ति शिड्यूल के अनुसार की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बिलरियागंज स्थित ग्राम सभा जोलहापुर में कतिपय स्थानों पर विद्युत तार लगवाये जाने के सम्बन्ध में

168-श्री मौहम्मद नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के वि0स0 बिलरियागंज ग्राम सभा जोलहापुर में रामहित प्रजापति के घर से दिलीप कन्नौजिया के घर तक दूरी 100 मीटर विद्युत केबिल का कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बिलरियागंज ग्राम सभा जोलहापुर में रामहित प्रजापति के घर से दिलीप कन्नौजिया के घर तक दूरी 100 मीटर ओपेन कन्डक्टर के स्थान पर केबिल लगाने का कार्य 10-08-2023 तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज स्थित ग्राम सभा शिवपुर में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

169-श्री मौहम्मद नफीस अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज, ग्राम सभा शिवपुर में विद्युतीकरण के न होने से लोगों को बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा में ट्रान्सफार्मर/विद्युतीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद आजमगढ़ में विकास खण्ड महाराजगंज के ग्राम सभा शिवपुर पूर्व से ही पूर्ण रूप से विद्युतीकृत है। उक्त ग्राम के लोगों को सामान्य रूप से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रशिक्षण केन्द्र व शाखाओं पर कार्यरत कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में

170-श्री बेचई सरोज-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के मुख्यालय के कार्मिकों के साथ-साथ प्रशिक्षण केन्द्र व शाखाओं पर कार्यरत कार्मिकों को उनकी चरित्र प्रविष्टियां एवं पात्रता की औपचारिकता के उपरान्त कितने पात्र कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ वर्ष 2014 से दिया जा चुका है व कितने पात्र कार्मिक शेष हैं ? क्या सरकार ए0सी0पी0 से वंचित सभी पात्र कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जे0पी0एस0 राठौर)-

1535 कार्मिकों को ए0सी0पी0 का लाभ दिया जा चुका है व 1335 पात्र कार्मिक शेष हैं।

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 2023-24 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली में नवीनीकरण नीति के अन्तर्गत वर्ष 2021 से 2023 तक स्वीकृत मार्गों की जानकारी के सम्बन्ध में

171-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में नवीनीकरण नीति के अन्तर्गत वर्ष 2021 से 2022-23 तक कितने मार्गों की स्वीकृति की गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद रायबरेली में नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 138 कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 197 कार्य सहित कुल 335 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। विवरण संलग्न† है।

उपर्युक्तानुसार।

172-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[दिनांक 08-08-2023 के अता0 प्र0 सं0-203 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में कोयला भट्टी लगाने हेतु नियम व शर्तों की जानकारी के सम्बन्ध में

173-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में कोयला भट्टी लगाने की अनुमति दी जा रही है ? यदि हाँ, तो उक्त हेतु नियम तथा शर्तें क्या हैं ? सरकार ने उल्लंघन करने पर किस प्रकार की कार्यवाही का प्राविधान किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

वन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या-4180/14-2-2010-67 (एल)/2010, दिनांक 13-12-2010 के नियम-3 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा कोयला भट्टी की स्थापना की अनुमति दिये जाने हेतु नियम व शर्तें इस प्रकार हैं-

''सम्बन्धित जिले के प्रभागीय वन अधिकारी से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति किसी कोयला भट्टी को स्थापित, परिनिर्मित अथवा प्रचालित नहीं करेगा। ऐसी कोई भट्टी आरक्षित वन की निकटतम सीमा से 10 कि0मी0 के भीतर तब तक स्थापित, परिनिर्मित अथवा

† छापा नहीं गया।

प्रचालित नहीं की जा सकती जब तक वन विभाग द्वारा आवश्यकता/उसकी माँग की पूर्ति के लिये अपेक्षित आदेश न कर दिये जाएं. अथवा माँग राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण अथवा अत्ययिकता की वजह से उत्पन्न न हो गयी हो। कोई कोयला भट्टी किसी आवास के निकटतम समाप्ति से 01 कि0मी0 के भीतर अथवा फल पट्टी की सीमा के भीतर स्थापित नहीं की जाएगी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 व 26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रदूषण नियंत्रण किये जाने हेतु आवश्यक संयंत्रों की स्थापना किये जाने के उपरान्त प्रदेश में कोयला भट्टी की स्थापना एवं संचालन की अनुमति उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 13-12-2010 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत नियम-13 में इस नियमावली के उल्लंघन पर कार्यवाही किये जाने हेतु प्राविधान इस प्रकार है-

''इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञा प्राप्त किये बिना अथवा इसे नवीकृत कराये बिना कोई व्यक्ति जो कोयला भट्टी को स्थापित, परिनिर्मित अथवा संचालित करता है अथवा किसी अन्य रीति से इस नियमावली के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में ऐसा कोई कृत्य करता है तो वह भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-77 के अधीन दण्डित किये जाने योग्य होगा।'' भारतीय वन अधिनियम, 1927 (यथासंशोधित) की धारा-77 के अनुसार इस प्रकार के अपराध के लिये 01 वर्ष तक का कारावास अथवा रु0 2000 का अर्थदण्ड अथवा दोनों दिये जाने का प्राविधान है।

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने की दशा में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-33ए एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-31ए के अन्तर्गत बन्दी की कार्यवाही का प्राविधान है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21/22 अथवा धारा-31ए के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा-37 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दोष सिद्ध होने की स्थिति में कारावास एवं जुर्माना का प्राविधान है। इसी प्रकार जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25 व 26 अथवा धारा-33ए के प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा-41 व 44 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में परिवाद दाखिल कर दोष सिद्ध होने की स्थिति में कारावास एवं जुर्माना का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बैंक खातेदारों के क्रेडिट कार्ड से धोखाधड़ी करके पैसे निकालने के प्रकरण पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु

174-श्री देवेन्द्र प्रताप-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बैंक खातेदारों के क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने को साइबर फ्राड से सुरक्षित करने हेतु बैंकों को निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि बैंक कर्मियों को उक्त में फ्राड में संलिप्तता में उनके विरुद्ध क्या प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खातेदारों के क्रेडिट कार्ड से धनराशि की निकासी प्रक्रिया को साइबर फ्रॉड से सुरक्षित करने हेतु समय-समय पर बैंकों को आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

किसी बैंक कर्मी के उक्त फ्राड में संलिप्त पाये जाने पर प्राप्त सूचना/शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके विधिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में नांगल-भागूवाला सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

175-श्री तसलीम अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद में नांगल-भागूवाला सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण न होने के कारण वाहनों एवं जनता को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

नांगल-भागूवाला मार्ग की लम्बाई 10.250 कि0मी0 एवं चौड़ाई 300 मी0 है। प्रश्नगत मार्ग का पी0सी0यू0 3852 है। वर्तमान में उपरोक्त पी0सी0यू0 निर्धारित मानक से कम होने के कारण मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के नांगल कस्बा साहनपुर से साहनपुर नानू कच्चा सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

176-श्री तसलीम अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के नांगल कस्वा साहनपुर से साहनपुर नानू कच्चा सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण जन सामान्य को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ग्राम साहनपुर नानू की कुल आबादी 250 से कम है। वर्तमान में 250 से कम आबादी के ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज से चिड़ियापुर-समीरपर तक सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

177-श्री तसलीम अहमद-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा साहनपुर राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज से चिड़ियापुर-समीरपुर नहर की पटरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण न होने के कारण छात्र/छात्राओं एवं आम जनमानस को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

कस्बा साहनपुर में राजकीय बालिका कन्या इन्टर कालेज से चिडियापुर-समीरपुर नहर पटरी मार्ग (ओ0डी0आर0) तक लगभग 300 किमी0 कच्चा रास्ता है।

कस्बा साहनपुर में राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज, राष्ट्रीय मार्ग सं0-74 (नया 34) से पक्के मार्ग से जुड़ा है। उक्त प्रकरण राजकीय बालिका कन्या इण्टर कालेज,

साहनपुर को डबल कनेक्टिविटी प्रदान किये जाने के अन्तर्गत आता है। वर्तमान में ग्रामों को डबल कनेक्टिविटी से जोड़े जाने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद के कतिपय मोहल्लों में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगवाये जाने के सम्बन्ध में

178-श्री तसलीम अहमद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद के मोहल्ला रम्मपुरा, सराय आलम, हुसैनपुर में 250 के0वी0ए0 के अतिरिक्त विद्युत ट्रान्सफार्मर न होने के कारण कस्बावासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कस्बे में 250 के0वी0ए0 के अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद-बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्बा नजीबाबाद में स्थानीय ब्रेक डाउन इत्यादि को ससमय सही कराते हुए निर्धारित शैड्यूल के सापेक्ष मोहल्ला रम्पुरा में लगभग 21:00 घण्टे सराय आलम व हुसैनपुर में लगभग 17:20 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के कस्वा नजीबाबाद के मोहल्ला रमपुरा में 250 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की क्षमतावृद्धि कर 400 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर स्थापित किया जा चुका है एवं सराय आलम में अतिरिक्त 100 केवीए परिवर्तक की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा हुसैनपुर में ट्रान्सफार्मर लगाने का कार्य रिवैम्प्ड योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है। 250 के0वी0ए0 के अतिरिक्त परिवर्तक की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की नगर पालिका बहेड़ी में चौराहों का सुन्दरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

179-श्री अताउर रहमान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की नगर पालिका बहेड़ी में चौराहों का सुन्दरीकरण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य का कराया जाना धन की उपलब्धता एवं नगर पालिका परिषद, बहेड़ी के निर्णय पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में इण्टर प्राइजेज शुगर मिल बहेड़ी रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर के निर्माण के सम्बन्ध में

180 श्री अताउर रहमान-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी में इण्टर प्राइजेज शुगर मिल बहेड़ी रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर न होने के कारण ट्राफिक जाम की स्थिति बनी रहती है और आवागमन में आमजन को कठिनाईयों का सामना करना पडता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेलवे क्रासिंग पर फ्लाईओवर का निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के बहेड़ी कस्वे में रेलवे क्रासिंग सं0 28 स्पेशल पर टी0वी0यू0 मानक से कम होने के कारण रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण में रेलवे द्वारा सहभागिता नहीं की जायेगी। उक्त क्रासिंग पर सेतु के निर्माण हेतु पर्याप्त जगह/भूमि उपलब्ध न होने के कारण रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण फिजिबल नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर विद्युत तार बदलवाये जाने के सम्बन्ध में

181-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर विद्युत तार के कारण दुर्घटना का भय बना रहता है, विद्युत आपूर्ति भी बाधित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के जर्जर विद्युत तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में जर्जर तार बदले जाने का कार्य रिवैम्पड योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है। विभाग द्वारा चयनित फर्म के द्वारा प्रस्तावित कार्यों के सापेक्ष ग्राम नाउ का टल्ला, जैन बाबा से दक्षिण, इब्राहिमाबाद (जोगेन्द्र गिरी की मठिया) में जर्जर एल0टी0 लाइन को बदलकर ए0बी0सी0 केबिल लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। ग्राम

इब्राहिमाबाद (मुझ का डेरा), इब्राहिमाबाद (कुकरी बाबा) (भीखा क्षारा), सुरेन्द्र यादव का डेरा, मझुवां (काली मंदिर), पचरुखी (निकट बैंक आफ बड़ौदा) सुकरौली, लालजी बाबा का डेरा, जगदीशपुर बहुरा (हाई स्कूल) धतरी टल्ला में एल0टी0 जर्जर लाइन के स्थान पर ए0बी0सी0 केबल बदले जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र के सन्दर्भित शेष कार्य को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र फर्म के माध्यम से पूर्ण करा लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया रेवती सहतवार मार्ग पर रेलवे लाइन के ऊपर ओवरब्रिज के निर्माण के सम्बन्ध में

182-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया रेवती सहतवार मार्ग पर रेवती बैरिया के बीच रेल लाइन पर ओवरब्रिज बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना के तहत रेल लाइन पर ओवरब्रिज का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सहतवार रेवती-बैरिया मार्ग पर रेवती एवं सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन के मध्य कि0मी0 37/4-5 सम्पार सं0 16ए0-बी0 1/ई02 का टी0वी0यू0 मानक से कम होने के कारण रेलवे की सहभागिता नहीं होगी। वर्तमान में सम्पार सं0 16ए-बी0 1/ई02 पर रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण राज्य सरकार की प्रचलित नीति के अनुरूप नहीं है।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वित्तीय वर्ष 2022-23 में सड़कों के मरम्मत/निर्माण की जानकारी के सम्बन्ध में

183-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में वित्तीय वर्ष 2022-23 में किन-किन सड़कों का मरम्मत/निर्माण कार्य कराया गया है ? क्या सरकार उक्त मार्गों की सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त मार्गों का भौतिक सत्यापन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

विधान सभा क्षेत्र बैरिया में दित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 18 मार्गों (सूची संलग्न)† का मरम्मत/निर्माण कार्य प्रगति पर है। सम्बन्धित मार्गों का सत्यापन विभागीय अधिकारियों/जिला प्रशासन द्वारा नियमित रूप से कराया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में पुरानी सड़कों के लिंक मार्ग पर गड्ढे को समतल कर पिचिंग कार्य कराये जाने हेतु मानक के विवरण विषयक

184-डॉ0 हृदय नारायण सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पुरानी सड़कों के लिंक मार्ग पर गड्ढे को समतल कर पिंचिंग करने का क्या प्राविधान है ? क्या सरकार उक्त के मानक का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

मार्गों को गड्ढामुक्त किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत पुरानी सड़कों के लिंक मार्ग को भी गड्ढामुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त मार्गों पर चक्रानुसार एवं आवश्यकतानुसार नियमित अन्तराल पर नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य किया जाता है। प्रदेश में मार्गों के नवीनीकरण हेतु राज्य मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/शहरी मार्गों हेतु 4 वर्ष, अन्य जिला मार्गों हेतु 5 वर्ष तथा ग्रामीण श्रेणी के मार्गों हेतु 8 वर्ष का श्रेणीवार चक्र निर्धारित है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत चिरैयाबाग से उतरेटिया स्टेशन तक निर्माणाधीन लिंक रोड का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

185-श्री विनोद चतुर्वेदी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के वृन्दावन योजना के अन्तर्गत सेक्टर-7 व 8 में शहर से चिरैयाबाग होते हुए उतरेटिया रेलवे स्टेशन तक निर्माणाधीन लिंक रोड जो कि रेलवे लाइन के बगल से जाती है का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त लिंक रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† देखिए नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ संख्या 367-368 पर।

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी नहीं।

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण आवास विकास परिषद द्वारा विकसित वृन्दावन योजना के अधिष्ठापन के समय कराया गया था। वर्तमान समय में प्रश्नगत मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मार्ग के आंशिक भाग का सुदृढ़ीकरण आवास विकास परिषद द्वारा इन्वेस्टर समिट, 2023 के समय कराया गया है। मार्ग के सेक्टर-8ए/बी से सेक्टर-7 चिरैयाबाग तक लगभग 1370.00 मी0 लम्बाई का डिवाइडर मार्ग क्षतिग्रस्त अवस्था में है, जिसके मरम्मती करण/सुधारीकरण हेतु धनराशि रु0 278.15 लाख का व्यथानुमान तैयार किया गया है। प्रश्नगत कार्य धन की उपलब्धता एवं स्थानीय निकाय के निर्णय पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कृष्णानगर थाने के अन्तर्गत बरगवां, कानपुर रोड पर साप्ताहिक बाजार से लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में

186-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के कृष्णानगर थाने के अन्तर्गत बरगवां कानपुर रोड पर लगभग एक कि0मी0 दायरे में स्थित अस्पतालों के बीच रोड पर लगने वाले मंगल बाजार से लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार-जाम से कोई निजात हेतु व्यवस्था की गई है यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

वर्ष 2014 में मेट्रो रेल निर्माण के कारण यातायात पुलिस एवं सभी सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त बरगवां कानपुर रोड पर लगभग एक कि0मी0 दायरे में लगने वाली यह साप्ताहिक बाजार सब्जी मण्डी लगवायी गयी थी। उक्त स्थान पर स्थित अस्पतालों आदि में मंगलवार को बाजार लगने के कारण आम-जनमानस को असुविधा एवं यातायात बाधित रहने की समस्या होती है।

जी हाँ।

उक्त बाजार सप्ताह में एक दिन मंगलवार को लगने के कारण यातायात में असुविधा के दृष्टिगत प्रश्नगत स्थल के मुख्य मार्गों पर मंगलवार के दिन यातायात व्यवस्था के कुशल व

सुचारु संचालन हेतु नगर निगम, लखनऊ, जोन-8 द्वारा पुलिस आयुक्त यातायात, लखनऊ से पत्र दिनांक 20-03-2023 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम, लखनऊ, जोन-8 द्वारा सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को पत्र दिनांक 20-03-2023 प्रेषित कर साप्ताहिक मंगल बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु आस-पास में वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया गया है तथा सम्बन्धित विभागों को क्रमशः पत्र दिनांक 24-07-2023 तथा पत्र दिनांक 24-07-2023 द्वारा अनुस्मारक भेजे गये हैं।

उक्त साप्ताहिक बाजार छोटे व्यापारियों की आजीविका एवं रोजगार से सम्बन्धित प्रकरण है, जिस कारण अन्य विभागों के सहयोग के उपरान्त ही उक्त बाजार को प्रश्नगत स्थल से हटाया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में टी0टी0जेड0 परिक्षेत्र में स्थापित कांच कारखानों में रोक के बावजूद गैर कानूनी रूप से क्षमतावृद्धि करने का प्रकरण

187-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में टी0टी0जेड0 परिक्षेत्र में स्थापित कांच कारखानों की क्षमतावृद्धि पर भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1996 से रोक लगा दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त रोक लगाये जाने के उपरान्त भी कतिपय कारखानेदारों द्वारा सांठ-गांठ कर कार्यालय के अभिलेखों में हेरा-फेरी कर कारखानों की गैर कानूनी रूप से क्षमतावृद्धि की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध रूप से जारी किये गये क्षमतावृद्धि प्रमाण-पत्रों को निरस्त करते हुये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी हाँ।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30-12-1996 द्वारा टी0टी0जेड0 क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1996 के पश्चात् नये उद्योगों के स्थापना एवं पूर्व से संचालित वायु प्रदूषणकारी समस्त उद्योगों के क्षमतावृद्धि को प्रतिबन्धित किये जाने तथा ईंधन के रूप में मात्र नेचुरल गैस/इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के टी0टी0जेड0 क्षेत्र में स्थापित काँच उद्योगों की क्षमता विस्तारीकरण हेतु गैर कानूनी रूप से अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम बसई मुहम्मदपुर से हजरत शूफी शाह की दरगाह तक के जर्जर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

188-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम बसई मुहम्मदपुर से हजरत शूफी शाह की दरगाह तक लम्बाई 1.5 किमी0 मार्ग के जर्जर स्थिति में होने के कारण आम-जन को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

बसई मुहम्मदपुर मार्ग से शंकरपुर मढुआ (ग्रामीण मार्ग) पर अक्टूबर, 2018 में नवीनीकरण का कार्य कराया गया था। यह मार्ग मिट्टी टीलों के मध्य से गुजरता है। वर्तमान में वर्षा ऋतु होने के कारण मार्ग 02 स्थानों पर लगभग 10-10 मी0 लम्बाई में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिस पर दाग मरम्मत का कार्य करा दिया गया है। वर्तमान में मार्ग की लेपित सतह संतोषजनक एवं यातायात हेतु उपयुक्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नयी बसावटों में विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में

189-श्रीमती जय देवी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में नयी बसावटों में जहा बांस-बल्लियों पर विद्युत आपूर्ति हो रही है, के स्थान पर बिजली के खम्भे लगाकर विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए विद्युत आपूर्ति सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

आंशिक/अपूर्ण मजरों के विद्युतीकरण का कार्य रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में प्रस्तावित है। आवश्यक स्वीकृति एवं धन की उपलब्धता पर कार्य कराया जाना सम्भव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल पर वर्ष 2022-23 में गन्ना किसानों के बकाया राशि के भुगतान के सम्बन्ध में

190-श्री चंदन चौहान-

क्या गन्ना विकास तथा चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स, मोरना पर वित्तीय वर्ष 2022-23 का किसानों के गन्ने का कितना भुगतान बकाया है ? क्या सरकार उक्त बकाया का भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दि गंगा किसान सहकारी चीनी मिल्स, मोरना जनपद-गुजफ्फरनगर द्वारा पेराई सत्र, 2022-23 के द्वारा 50.17 लाख कुन्टल गन्ना क्रय किया गया, जिस पर रु0 175.57 करोड़ देय हुआ, जिसका पूर्ण भुगतान गन्ना किसानों को दिनांक 30-06-2023 को चीनी मिल द्वारा कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के बिजनौर क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं के दृष्टिगत बिजनौर विकास प्राधिकरण बनाये जाने के सम्बन्ध में

191-श्री चंदन चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के क्षेत्र बिजनौर में औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत क्या सरकार बिजनौर विकास प्राधिकरण बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्तमान में बिजनौर विकास प्राधिकरण बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज में कार्यरत समूह 'क' व 'ख' की ए0सी0पी0 स्वीकृति के लम्बित प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में

192-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज में कार्यरत समूह 'क' व 'ख' श्रेणी के अधिकारियों की क्रमशः 10 वर्ष, 16 वर्ष एवं

26 वर्ष पूर्ण होने पर ए0सी0पी0 स्वीकृति का लम्बित प्रकरण का निस्तारण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। ए0सी0पी0 विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 में निहित व्यवस्थानुसार कार्मिकों के ए0सी0पी0 स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है। शासनादेश की व्यवस्थानुसार विभाग में गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 18-05-2023 को सम्पन्न हुई। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा संस्तुत अर्ह समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अधिकारियों के ए0सी0पी0 स्वीकृति आदेश दिनांक 20-06-2023 निर्गत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के वि0ख0 मार्टिनगंज में विद्युत उपकेन्द्र खासडीह को चालू किये जाने विषयक

193-श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज में विद्युत उपकेन्द्र खासडीह को चालू कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस दिनांक को ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र खासडीह (कवरागहनी), दिनांक 01-09-2021 से क्रियाशील है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में स्थापित स्ट्रीट लाइटों के चोरी होने के प्रकरण में हुई कार्रवाई की जानकारी विषयक

194-श्री पंकज पटेल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश कि राजधानी लखनऊ में स्थापित स्ट्रीट लाइटों में से तीन हजार स्ट्रीट लाइटें चोरी हो गयी हैं ? यदि हां, तो क्या

सरकार ने उक्त प्रकरण में कोई एफ0आई0आर0 दर्ज करवायी है ? यदि हां, तो अब तक उक्त प्रकरण में कुल कितनी गिरफ्तारियां की गयीं तथा उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगभग 3000 लाइटें क्षतिग्रस्त/खराब थीं, जिनको नगर निगम, लखनऊ द्वारा स्थापित करा दिया गया है। कुछ लाइटें गायब हुई थीं, जिनकी एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गयी है।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 29-11-2021 एवं दिनांक 09-05-2023 को थाना पी0जी0आई0, लखनऊ में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है।

अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस विभाग द्वारा विवेचना की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की सम्पत्तियों के नामान्तरण में प्रभार निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास नामान्तरण प्रभार निर्धारण उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2022 लागू किये जाने के सम्बन्ध में

195-श्री पंकज पटेल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्पत्तियों के नामान्तरण में प्रभार निर्धारण के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास नामान्तरण प्रभार निर्धारण उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली, 2022 दिनांक 25 जुलाई, 2022 अधिसूचित की गई है ? क्या यह नियमावली उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की सम्पतियों के नामान्तरण के लिए प्रभावी है ? क्या परिषद् द्वारा इस नियमावली के अनुरूप नामान्तरण प्रभार किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो इसे परिषद् द्वारा लागू न किये जाने का क्या कारण है ? इस नियमावली को आवास एवं विकास परिषद् में कब तक लागू करा दिया जाएगा ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हाँ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-943/आठ-1-2022-16रिट/2018, दिनांक 25-07-2022 द्वारा पारित अधिसूचना के अन्तर्गत नामान्तरण प्रभार के दरों को परिषद् की आवासीय सम्पत्तियों (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर) के सम्बन्ध में, परिषद् निदेशक मण्डल की 261वीं बैठक दिनांक 12-07-2023 के मद संख्या-261/14 पर प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त लागू कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में म्यूनिसिपल एक्ट लागू किये जाने विषयक

196-श्री तुफानी सरोज-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में म्यूनिसिपल एक्ट लागू किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

प्रदेश के नगर निगमों में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 तथा नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 पूर्व से ही लागू/प्रभावी है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद ललितपुर में अधिष्ठापित बजाज पावार प्लाण्ट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण के सम्बन्ध में

197-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में अधिष्ठापित बजाज पावर प्लाण्ट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के निस्तारण की क्या व्यवस्था है तथा उक्त हेतु अनुमति कब दी गई है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

मैसर्स ललितपुर पॉवर जनरेशन कम्पनी, मिरचवारा महरौनी, ललितपुर से अधिकतम मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ फ्लाई ऐश के रूप में जनित होता है, जिसका निस्तारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत फ्लाई ऐश अधिसूचना दिनांक 31-12-2021 के प्राविधानों के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है। उक्त हेतु बोर्ड द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 06-05-2022 से दिनांक 31-12-2026 तक है। उद्योग के संचालन हेतु बोर्ड द्वारा जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार सहमति प्राप्त है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31-12-2024 तक है। इसके अतिरिक्त प्लाण्ट से परिसंकटमय अपशिष्ट भी

जनित होते हैं, जिनका निस्तारण हैजाड्र्स (वेस्ट मैनेजमेंट एण्ड ट्रांस बाउण्ड्री मूवमेंट) रूल्स, 2016 के प्राविधानों के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है। उक्त हेतु बोर्ड द्वारा दिनांक 19-10-2024 तक की अवधि हेतु प्राधिकार निर्गत किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर में अधिष्ठापित बजाज पावर प्लाण्ट से विद्युत आपूर्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

198-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में अधिष्ठापित बजाज पॉवर प्लाण्ट से वर्तमान में जनपद ललितपुर को विद्युत आपूर्ति की जा रही है ? यदि हां, तो कितनी मात्रा में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

जनपद ललितपुर के बजाज पॉवर प्लाण्ट से 1980 मे0वा0 हस्ताक्षरित ऊर्जा क्रय अनुबन्ध के प्रावधानों के अन्तर्गत विद्युत ली जाती है।

यह विद्युत आपूर्ति यू0पी0 ग्रिड में डाली जाती है एवं अन्य समस्त विद्युत उत्पादकों द्वारा भी ऊर्जा ग्रिड में डाली जाती है। ग्रिड द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों को आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति की जा रही है जिसमें ललितपुर जनपद भी शामिल है।

ललितपुर स्थित बजाज पॉवर प्लाण्ट से वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9187.50 मि0यू0 विद्युत ऊर्जा ग्रिड में डाली गयी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10825.27 मि0यू0 एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में माह मई, 2023 तक 2165.30 मि0यू0 विद्युत आपूर्ति की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में निर्माणाधीन हाई-वे के आस-पास की टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

199-श्री प्रदीप कुमार यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निर्माणाधीन हाइ-वे से उसके आसपास की सड़के टूट गई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश सिंह-

हाई-वे निर्माण के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण में प्रयुक्त भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार कराते हुए उन्हें पूर्वावस्था में लाने का कार्य यूपीडा के माध्यम से निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है।

जनपद शामली के थाना कटरा के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग स्थित ब्रिक फील्ड को सीज किये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने विषयक

200-श्री वीर विक्रम सिंह-

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के थाना कटरा के अन्तर्गत ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग में स्थित मां वैष्णो ब्रिक फील्ड को दिनांक 21-03-2023 को सीज किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अरुण कुमार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम बाबूपुर बुजुर्ग, विकास खण्ड-जैतीपुर, तहसील-तिलहर में स्थित मैसर्स माता वैष्णो ब्रिक फील्ड (ईंट भट्टा) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या-एच 86821/सी-7/ईंट भट्ठा/वायु-48/बन्दी/शाह0/2023, दिनांक 04-01-2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत निर्गत बन्दी आदेश का अनुपालन उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा दिनांक 16-02-2023 एवं दिनांक 23-03-2023 को सुनिश्चित किया गया है। उक्त कार्यवाही दिनांक 21-03-2023 को नहीं की गयी है।

201-श्री वीर विक्रम सिंह-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत जटोई से ग्राम मिढ़ावली लिंक मार्ग के डामरीकरण कराये जाने विषयक

202-श्री प्रदीप कुमार सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हाथरस के विकास खण्ड सादाबाद के ग्राम पंचायत जटोई से ग्राम मिढ़ावली लिंक मार्ग कच्चा होने के कारण क्षेत्रवासियों

को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

ग्राम जटोई एवं ग्राम मिढ़ावली पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हुए हैं। प्रश्नगत मार्ग उपरोक्त दोनों ग्रामों को आपस में जोड़े जाने से सम्बन्धित है। वर्तमान में डबल कनेक्टिविटी से ग्रामों को जोड़ने की कोई योजना लोक निर्माण विभाग में प्रचलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में गन्ना किसानों का माह जनवरी, 2023 तक गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया एवं उसके भुगतान कराये जाने की जानकारी

203-श्री मदन भैया-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन्ना किसानों का माह जनवरी 2023 तक कितना गन्ना भुगतान चीनी मिलों पर शेष है ? क्या सरकार उक्त शेष भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मी नारायण-

दिनांक 31-01-2023 की सूचना के अनुसार पेराई सत्र, 2022-23 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य रु0 4,539.81 करोड़ भुगतान हेतु अवशेष था।

पेराई सत्र, 2022-23 के अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 21-04-2023, 19-05-2023, 09-06-2023 एवं 22-06-2023 को नोटिसें तथा सक्षम स्तर से समय-समय पर आहूत विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यम से कड़े निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के बाबू बनारसी दास वार्ड अन्तर्गत उदयगंज रोड पर लावारिस कुत्तों द्वारा राहगीरों को काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

204-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के बाबू बनारसी दास वार्ड अन्तर्गत उदयगंज रोड पर लावारिस कुत्तों द्वारा राहगीरों को दौड़ाने व काटने से

एक्सीडेंट हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त वार्ड के कुत्ते पकड़ने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

इस तरह की घटना यदा-कदा प्रकाश में आती है।

मा0 उच्च न्यायालय तथा भारत सरकार के AWBI (Animal Welfare Board of India) की गाइड लाइन में निराश्रित श्वानों को पकड़कर पुनः उसी स्थल पर छोड़ने का प्राविधान है। ABC (Animal Birth Control) रूल्स, 2001 के अनुसार निराश्रित श्वानों को न तो मारा जा सकता है न अन्यत्र कहीं स्थानान्तरित किया जा सकता है, निराश्रित श्वानों की समस्या मात्र श्वान संख्या नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा ही हल की जा सकती है। उल्लेख किया जाना है कि प्रदेश में बढ़ रही श्वानों की संख्या को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित करने तथा मानव एवं श्वानों के मध्य बढ़ रहे संघर्ष को रोकने के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा दिनांक 21-02-2023 को आदर्श कार्यवाही प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) निर्गत की गयी है, जिसमें श्वान पशु संख्या नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त श्वान पशुओं के समुचित प्रबन्धन के लिए श्वान पशु प्रबन्धन मैनुअल (परामर्शी मार्ग निर्देशिका) 2023 भी विभाग द्वारा निर्गत की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि श्वान पशु संख्या नियंत्रण हेतु नगर निगम, लखनऊ सहित प्रदेश के 11 नगर निगमों में ए0बी0सी0 सेंटर संचालित हैं, जिसमें अब तक 2-16-2022 श्वानों का बंध्याकरण/टीकाकरण किया जा चुका है। नगर निगम लखनऊ एवं अयोध्या में ए0बी0सी0 सेंटर चलाने हेतु निकाय के अपने भवन स्थापित हैं, शेष 15 नगर निगमों में भी ए0बी0सी0 सेंटर भवन बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आक्रामक व हिंसक श्वानों को नियंत्रित करने व उनके उपचार हेतु प्रदेश के समस्त नगर निगमों में ए0बी0सी0 सेंटर के अन्तर्गत डॉग केयर सेंटर बनाये जाने की कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार श्वानों की बढ़ रही संख्या को वैज्ञानिक ढंग से नियंत्रित करने एवं आक्रामक व हिंसक श्वानों को नियंत्रित करने व उनके उपचार हेतु विभाग द्वारा संवेदनशीलता के साथ समुचित कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है।

जहाँ तक नगर निगम, लखनऊ का प्रश्न है, नगर निगम लखनऊ के जरहरा स्थित ए0बी0सी0 सेंटर में कार्यरत एच0एस0आई0 संस्था द्वारा प्रतिदिन 100 से 115 श्वानों का बंध्याकरण किया जा रहा है और अब तक लखनऊ में कुल 61686 श्वानों का बंध्याकरण किया जा चुका है। इसी प्रक्रिया में दिनांक 27-07-2023 और 01-08-2023 को पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी, नगर निगम लखनऊ और HSI (Humane Society International India) संस्था द्वारा बाबू बनारसी दास वार्ड का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान मौके

पर विचरण कर रहे 10 श्वानों को पकड़कर Rabies Vaccination हेतु जरहरा स्थित एनीमल बर्थ कण्ट्रोल सेनटर Animal Birth Control Centre) पर लाया गया। अभी भी निराश्रित श्वानों को निरन्तर ए0बी0सी0 सेंटर पर लाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सन्तकबीर नगर के नगर पालिका परिषद् क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4,7,14,21 में चकनाली पर अवैध कब्जा हटवाये जाने विषयक

205-श्री पंकज कुमार मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्तकबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र में ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4,7,14,21 में दर्ज चकनाली पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट-4/7 के तहत न्यायालय उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद द्वारा दिनांक 24-11-2022 को बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ? क्या सरकार द्वारा उक्त गाटा संख्याओं से अवैध कब्जा हटाकर वहां के निवासियों हेतु सार्वजनिक रास्ता बनवा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो न्यायालय उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद के आदेश व राजस्व विभाग व नगर पालिका परिषद्, खलीलाबाद के अभिलेखीय जांच में अवैध कब्जा होने की पुष्टि के बावजूद अवैध कब्जा न हटाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जा न हटाने के दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ। जिलाधिकारी, सन्तकबीर नगर के पत्र दिनांक 31-07-2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार जनपद-सन्तकबीर नगर के खलीलाबाद नगर पालिका के ग्राम बंजरिया में गाटा सं0-4, 7, 4 तथा 21 की स्थिति इस प्रकार है-

गाटा सं0-4/0.017 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेख खतौनी में नाली दर्ज है तथा मौके पर खाली है।

गाटा सं0-7/0.005 चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है।

गाटा सं0-21/0.054 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शेष भूमि खाली है।

गाटा सं0-14/0.041 हेक्टेयर नाली के कुछ भाग का सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है तथा कुछ भाग पर निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है-

1-अमीन खातून पत्नी शेर अली का गाटा संख्या-14/0.041 हे0 में से 233.9 वर्गफीट पर पक्का मकान।

2-सफी मोहम्मद पुत्र तजम्मुल हुसैन, गाटा संख्या-14/0.041 हे0 में से 337 वर्गफीट पर पक्का मकान।

3-शकुन्तला देवी पत्नी धीरेन्द्र कुमार गाटा संख्या-14/0.041 हे0 में से 324 वर्गफीट पर पक्का मकान।

4-मजीद, मासफ लतीफ पुत्रगण अनवर गाटा संख्या-14/0.041 हे0 में से 6233 वर्गफीट पर बाउण्ड्रीवाल।

उपरोक्त व्यक्ति बंजरिया के निवासी हैं तथा किये गये अवैध कब्जे को हटाने के लिए पी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, खलीलाबाद में वाद संख्या-5749/2021, 5750/2021, 5752/2021 व 5751/2021, दिनांक 04 अगस्त, 2021 को दाखिल किया गया है। नगर पालिका की तरफ से सम्पूर्ण साक्ष्य नियत तिथि 12-09-2022 को दाखिल किया जा चुका है। प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस/अवसर दिये जाने के बाद भी कोई साक्ष्य/पक्ष नहीं दिया गया, फलतः न्यायालय द्वारा दिनांक 24-11-2022 को अवैध निर्माण से बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध अपील संख्या-15/22 शकुन्तला बनाम नियत प्राधिकारी व 16/22 सफी मो0 बनाम नियत प्राधिकारी मा0 न्यायालय जिला जज सन्तकबीरनगर के यहाँ वाद दाखिल किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 16-08-2023 को नियत है।

प्रश्नगत मामला मा0 न्यायालय जिला जज सन्तकबीरनगर के समक्ष विचाराधीन है, जिसकी अगली सुनवाई दिनांक 16-08-2023 को नियत है। मा0 न्यायालय के दिये गये आदेश के अधीन कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वर्ष 2020-21, 2021-2022 एवं 2022-2023 में खराब हुए अनाज की जानकारी एवं अनाज को सुरक्षित रखने हेतु वेयर हाउस बनवाये जाने के सम्बन्ध में

206-श्री जवाहरलाल राजपूत-

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2020-2021, 2021-2022, एवं 2022-2023 में उपज का कितने प्रतिशत अनाज खराब हुआ है ? क्या सरकार अनाज को सुरक्षित रखने हेतु समुचित मात्रा में वेयर हाउस बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जे0 पी0 एस0 राठौर-

वर्ष 2020-2021, 2021-2022 एवं 2022-2023 में उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम के भण्डारगृहों में भण्डारित कोई भी खाद्यान्न स्टॉक खराब नहीं हुआ है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा भारत सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम व राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित जिलों की भण्डारण की आवश्यकता के अनुरूप चिन्हित स्थानों पर भारतीय खाद्य निगम की गारण्टी के आधार पर गोदामों का सृजन/निर्माण की योजना है।

जनपद मेरठ में पेयजल योजना द्वारा घरों में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जानकारी के सम्बन्ध में

207-श्री अतुल प्रधान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के मेरठ महानगर में गंगाजल पेयजल योजना द्वारा कितने घरों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र की पूर्ण आबादी को इस योजना से आच्छादित करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

मेरठ महानगर में गंगाजल पेयजल योजना द्वारा 41000 घरों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

मेरठ महानगर में कुल 2,69,624 हाउस होल्ड हैं, जिसमें से 41000 घरों को गंगाजल पेयजल योजना एवं 1,71,049 परिवारों को गहरे नलकूप आधारित पेयजल योजना से पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरठ महानगर के शेष 57,575

परिवारों को पेयजल आपूर्ति हेतु अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सिटी वॉटर एक्शन प्लान तैयार कर भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिसमें लगभग 57,575 पेयजल गृह संयोजन एवं 596 कि0मी0 पाइप लाइन का प्रावधान किया गया है। उक्त सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर मेरठ नगर क्षेत्र के वंचित क्षेत्रों को पेयजल से लाभान्वित किया जायेगा।

अमृत-2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किये गये सिटी वॉटर एक्शन प्लान की प्रति संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ब्लाक सुकरौली में निर्मित पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में

208-श्री मोहन वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र हाटा के अन्तर्गत ब्लाक सुकरौली में पानी की टंकी बनकर तैयार है ? यदि हां, तो उक्त टंकी को अब तक किन कारणों से चालू नहीं कराया गया है ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करके पानी की टंकी को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार शर्मा-

जी हाँ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत सुकरौली एकल ग्राम पेयजल योजना में ब्लाक सुकरौली में पानी की टंकी का निर्माण वर्ष 2013-14 में किया गया था। योजना के पूर्ण होने पर समस्त वितरण प्रणाली के माध्यम से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गयी थी। तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के निर्माण होने के फलस्वरूप सड़क के किनारे विछायी गयी पाइप लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण पेयजलापूर्ति बाधित हो गयी। वर्तमान में मात्र ब्लॉक परिसर में ही पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

वर्ष 2019 में उक्त ग्राम पंचायत के नगर पंचायत में परिवर्तित होने जाने के फलस्वरूप उक्त ग्रामीण पेयजल योजना नगरीय पेयजल योजना में परिवर्तित हो गयी। नगर पंचायत, सुकरौली, जनपद कुशीनगर में वॉटर ए0टी0एम0 के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 06-02-2023 द्वारा रु0 191.10 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी है। वर्तमान में वाटर ए0टी0एम0 एवं इण्डिया मार्का हैण्डपम्प के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

---

† देखिए नत्थी (ठ) आगे पृष्ठ संख्या 369-384 पर।

राष्ट्रीय राजमार्ग-28 का निर्माण होने के फलस्वरूप सड़क के किनारे बिछायी गयी पाइप लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण मात्र ब्लॉक परिसर में ही पेयजल आपूर्ति की जा रही है।

सुकरौली नगर पंचायत की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत सिटी वाटर एक्शन प्लान (सी0डब्लू0ए0पी0) अनुमानित लागत रु0 22.78 करोड़ भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत पूर्व निर्मित पानी की टंकी एवं वितरण प्रणाली की मरम्मत कराकर पूर्ण रूप में उपयोग में लाने का प्रावधान किया गया है। उक्त सी0डब्लू0ए0पी0 की स्वीकृति के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर सुकरौली नगर पंचायत की जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के जर्जर रेवती भोपालपुर मार्ग के पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

209-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के रेवती भोपालपुर पी0एम0जी0एस0आई0 मार्ग जर्जर होने के कारण आम जनमानस को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

प्रश्नगत मार्ग का विभागीय अभिलेखों में नाम तुर्तीपार से हंडिया कला मार्ग है, जिसकी कुल लम्बाई 4.00 किमी0 है। उक्त मार्ग के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत दादूपुर में पक्की सड़क से मुस्लिम बस्ती तक मार्ग के नवनिर्माण के सम्बन्ध में

210-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज अन्तर्गत ग्राम पंचायत दादूपुर में पक्की सड़क से मुस्लिम बस्ती तक मार्ग का नव निर्माण कार्य सरकार कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रिजेश-

जी हाँ,

ग्राम पंचायत दादूपुर में पक्की सड़क से मुस्लिम बस्ती तक मार्ग निर्माण कार्य बभनमई में प्रदीप दुबे के घर से निकलकर अब्दुल कलाम के घर तक सम्पर्क मार्ग, के नाम से पूर्वांचल विकास निधि योजनान्तर्गत स्वीकृत है, जिसकी कुल लम्बाई 1.500 कि0मी0 एवं लागत रू0 103.19 लाख है।

उक्त मार्ग के निर्माण कार्य हेतु अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] विधान सभा के भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गंगा सागर शंखवार का 07 फरवरी, 2002 को निधन हो गया। वे लगभग 58 वर्ष के थे। श्री गंगा सागर शंखवार का जन्म 06 जुलाई, 1944 को कानपुर में हुआ था। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गंगा सागर शंखवार वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात (कानपुर) से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री गंगा सागर शंखवार सदस्य, ग्राम पंचायत तिलसड़ा, उपाध्यक्ष, सहकारी संघ, पतारा तथा संचालक, साधन सहकारी समिति, तिलसड़ा, जिला कानपुर आदि पदों पर आसीन रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री गंगा सागर शंखवार के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रणजीत सिंह जूदेव का 08 मार्च, 2023 को निधन हो गया। वे लगभग 78 वर्ष के थे। श्री रणजीत सिंह जूदेव का जन्म 02 अगस्त, 1945 को लखनऊ में हुआ था। उन्होंने स्नातक, बी0एड0, डी0पी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री रणजीत सिंह जूदेव वर्ष 1974, 1977, 1980, 1989, 1991 तथा 1993 में निर्वाचित क्षेत्र गरौठा, जिला झांसी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर छः बार विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे वर्ष 2003 में विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। श्री रणजीत सिंह जूदेव श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री श्रीपति मिश्र तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि मण्डल के सदस्य तथा विधान सभा एवं विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी के सचेतक, यू0पी0 आर्चरी ऐसोसिएशन तथा यू0पी0 स्पोर्ट्स ऐसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, घुड़सवारी एवं अध्ययन में उनकी विशेष रुचि थी। श्री रणजीत सिंह जूदेव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवक खो दिया।

विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा शोक संतृप्त परिवारों को इस गहन दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाओं को मृतकों के शोकाकुल परिवारों को पहुंचा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन रखेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए)

ऊं शान्ति

[12:23] देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चौधरी चरण सिंह के ऊपर सदन में अमर्यादित टिप्पणी किये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप बताइए।

श्री इकबाल महमूद-

माननीय अध्यक्ष जी, कल गन्ना के किसी नोटिस पर मा0 मंत्री जी जवाब दे रहे थे। इस उत्तर प्रदेश का गौरव है कि उसमें श्रीमान चौधरी चरण सिंह जी जैसा नेता उत्तर प्रदेश की धरती पर पैदा हुआ। वे इस प्रदेश के मुख्य मंत्री भी रहे हैं और वे इस देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उनके बारे में मा0 गन्ना मंत्री जी ने इन्टेंशनली या स्लिप ऑफ टंग की वजह से कुछ शब्दों बोले हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उन शब्दों को कार्यवाही से निकाल दें और मा0 गन्ना मंत्री जी उस सम्बन्ध में खेद व्यक्त करें। बहुत बुरे शब्द कहे गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसे देख लूंगा। कल उस विषय के ऊपर चर्चा के दौरान मैं सदन में नहीं था। आपने अपनी बात कह दी है।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, वे शब्द बहुत इन्सल्टेड हैं, किसानों के लिए इन्सल्टेड हैं, देश के लिए इन्सल्टेड हैं, प्रधानमंत्री पद के लिए इन्सल्टेड हैं।

श्री अध्यक्ष-

उनका किसी का भी इनसल्ट करने का उद्देश्य नहीं रहा होगा।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

एक मिनट प्लीज आप लोग बैठिए, इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। बात आ चुकी है, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनका सम्मान नहीं करना चाहते हैं। दुर्गा जी, आप भी बैठिए। चौधरी साहब का सम्मान कुछ राजनीतिक दल एवं राजनीतिक सीमाओं के अन्तर्गत नहीं बांधा जा सकता है। चौधरी साहब का सम्मान पूरा प्रदेश एवं देश करता है। वे ऐसे नेता थे जो किसानों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उनके बड़प्पन के बारे में, उनके बड़े दिल के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उनका एक गरीब आदमी के साथ जुड़ने के बारे में जितने भी शब्द कहे जाएं, कम हैं। उसमें किसी को भी कोई शंका नहीं है। न माननीय मंत्री जी को इस बारे में कोई शंका है, न पूरे सदन को कोई शंका है। इस बारे में कोई बात नहीं हुई होगी।

अगर इसके बारे में माननीय मंत्री जी स्वयं खड़े होकर बतायेंगे तो मुझे लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विषय नहीं रह जायेगा।

गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

माननीय अध्यक्ष जी, श्रद्धेय चौधरी साहब ने जब मैं छात्र था, उस समय मुझे मण्डी समिति का चेयरमैन अपनी जनता पार्टी की सरकार में नियुक्त कराया था। मैं उन्हीं की प्राइमरी पाठशाला का छात्र रहा हूँ। उनके ही सिद्धान्तों पर विश्वास करता हूँ। आज भी पूरे सचिवालय में अकेले मेरे कार्यालय में श्रद्धेय चौधरी साहब की मूर्ति लगी हुई है, दूसरी जगह कहीं नहीं लगी है। श्रद्धेय चौधरी साहब की तस्वीर आज भी केवल मेरे ही घर में लगी हुई है और किसी के घर में नहीं है। श्रद्धेय चौधरी साहब की मूर्ति का इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले उनके स्वर्गवास के बाद अपने क्षेत्र में आदरणीय कल्याण सिंह जी से मैंने अनावरण कराया था, सबसे पहले मैंने मूर्ति लगायी थी। मैं श्रद्धेय चौधरी साहब के चरणों में प्रतिदिन नमन करता हूँ, वह हमारे किसानों के मसीहा हैं, हमारे नेता हैं। मैं जीवन में उनके प्रति कभी भी अपशब्द बोल ही नहीं सकता।

(श्री इकबाल महमूद के पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब हो गया, अब इसके ऊपर कुछ बातें नहीं हैं। अगर ऐसा कुछ कार्यवाही में होगा तो मैं उसको निकलवा दूंगा।

[12:27] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 अगस्त, 2023 को कुल 104 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्रीमती नीलिमा कटियार की जनपद कानपुर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वसुंधरा विहार आवासीय क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद जौनपुर के सिटी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पूर्वांचल स्किन क्लीनिक से सद्भावना कालोनी के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के ग्राम हादीपुर से सेखुपुरा तक मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री पीयूष रंजन निषाद की जनपद प्रयागराज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम नैनी को जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की जनपद मिर्ज़ापुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के कोण ब्लाक में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रवि शर्मा की झाँसी जेल चौराहे से झाँसी होटल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में कतिपय विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री अताउर रहमान की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम सरकस से ग्राम जसाईनगर तक सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री तस्लीम अहमद की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हो चुके ऐतिहासिक पत्थरगढ़ किला सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुइली-सेमरी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री अनिल कुमार त्रिपाठी की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण में हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उल्लंघन के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में चकबन्दी अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित नगर पंचायत में मानक विरुद्ध हो रहे कार्य की जांच के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा स्थान चिन्हित कर चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री उमर अली खान की जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माँ शाकुम्भरी देवी मार्ग का निर्माण

कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश की जनपद आगरा के कैंट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुर चुंगी क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के नाले के किनारों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैरा के ग्राम पंचायत बहुआरा में मनरेगा द्वारा किये गए फर्जी कार्य की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना मो0 ताहिर खान की जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र में अलीगंज देहली मिटनी होते हुए प्रभात नगर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्ज़ापुर के अन्तर्गत पड़री से जनौढ़ तथा शिव प्रसाद फिलिंग स्टेशन के बीच जल निकासी की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा बाइसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की प्रदेश के सिंचाई जल संसाधन विभाग में सहायक अभियन्ता का पद भरे जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री मोहन वर्मा, डा0 विनोद कुमार बिन्द, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्री राजेश्वर सिंह, श्री रमेश सिंह, श्री राहुल सोनकर, श्री गुरु प्रसाद मौर्य, श्री हाकिम लाल बिन्द, डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री विनय कुमार द्विवेदी, श्री मनोज कुमार पारस, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री अरमान खान, श्री राम अवतार सिंह, श्री गुलाम मौहम्मद, श्री पंचानन्द पाठक (पी0 एन0 पाठक), श्री विजयपाल (आढ़ती), श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री प्रसन्न कुमार, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री राजेश गौतम, श्रीमती सरोज सोनकर, श्री मूलचन्द्र श्री मेघश्याम, श्री कैलाश नाथ, श्री राम पाल वर्मा, प्रो श्याम बिहारी लाल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री त्रिभुवन राम, श्री महेंद्र पाल सिंह, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्री निर्मल वर्मा, श्री बावन सिंह, श्री शहज़िल इस्लाम अंसारी, डा0 हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री अमरेश कुमार, श्री मनीष रावत, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री उमाशंकर सिंह, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री जीत लाल पटेल, श्री राम अचल राजभर, डॉ0 आर0 के0 पटेल, डॉ0 सुरभी, श्री आशु मालिक, श्री अखिलेश, श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री अनिल प्रधान, श्री जाहीद, श्री गौरव कुमार, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री आनन्द कुमार यादव, श्री वीरेन्द्र यादव, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री विशम्भर सिंह यादव, श्री अभय सिंह, श्री रफीक अंसारी, श्री विकास गुप्ता, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री राजीव तरारा, श्री राजेंद्र कुमार मौर्या, श्री निर्मल वर्मा, श्री पंकज गुप्ता, श्री वीर विक्रम सिंह, श्री अशोक कुमार कोरी, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री अवधेश प्रसाद, श्री बेचई सरोज, चौधरी बाबूलाल, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री वेदी, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री दुधराम, श्रीमती सरोज कुरील, डॉ0 पल्लवी पटेल, श्री समरपाल सिंह तथा श्री कैलाश राजपूत।

जनपद कानपुर नगर के कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वसुन्धरा विहार आवासीय क्षेत्र में जल निकासी की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती नीलिमा कटियार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत जोन-06, वार्ड संख्या-27 नानकारी स्थित वसुन्धरा विहार आवासीय क्षेत्र में सीवरेज तथा जल निकासी की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुयी है। अत्यधिक जलभराव तथा सीवर की उचित व्यवस्था के अभाव में जलजनित रोगों से स्थानीय आबादी अत्यन्त व्यथित है। स्वच्छ भारत एवं स्वच्छ उत्तर प्रदेश की संकल्पना पूर्ण करने हेतु जल निकासी /जलभराव की समस्या के निदान हेतु सीवर तथा नाली का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। प्रश्नगत समस्या के निदान हेतु स्थानीय निवासियों द्वारा पूर्व में शासन/प्रशासन से कई बार अनुरोध किया है किन्तु उक्त समस्या का निदान नहीं हो सका है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत जोन-06, वार्ड संख्या-27 नानकारी स्थित वसुन्धरा विहार आवासीय क्षेत्र में सीवरेज तथा जल निकासी की समस्या के निराकरण की मैं मा0 नगर विकास मंत्री से माँग करती हूँ।]

जनपद जौनपुर के सिटी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पूर्वांचल स्किन क्लीनिक से सद्भावना कालोनी के सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ, कि सद्भावना कालोनी, निकट जौनपुर सिटी रेलवे स्टेशन तहसील सदर जनपद जौनपुर के पास सिटी रेलवे फ्लाईओवर के नीचे पूर्वांचल स्किन क्लीनिक के सामने से सद्भावना कालोनी के सम्पर्क मार्ग जो आर0 जे0 हॉस्पिटल से 200 मीटर तक सड़क एवं नाली की मरम्मत न होने के कारण हमेशा जलभराव रहता है और उक्त मार्ग अत्यन्त खराब होने के कारण लोग चोटिहिल होते रहते हैं एवं स्थानीय निवासियों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त मार्ग तथा नाली का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमरोहा के ग्राम हादीपुर से सेखुपुरा तक मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-नौगावां सादात, जनपद अमरोहा के ग्राम हादीपुर से सेखुपुरा तक लगभग 1.50 किमी0 कच्चे मार्ग को जो गन्ना क्षेत्र में आता है तथा कई स्कूल इसके अन्तर्गत आते हैं। उक्त मार्ग को जनहित में पक्का कराया जाना अति आवश्यक है। यह कार्य जनहित एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम नैनी को जनहित में संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पीयूष रंजन निषाद-

[महोदय, मैं इस सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय पर आकर्षित कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र करछना में औद्योगिक क्षेत्र होने की वजह से कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल, नैनी, प्रयागराज में बनाया गया था जबकि ज्यादातर औद्योगिक संस्थायें बन्द हो चुकी हैं या न के बराबर शेष रह गयी हैं, जिससे उस अस्पताल में मरीजों का आना-जाना नहीं हो रहा है, जबकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का स्ट्रक्चर स्वरूप रानी अस्पताल प्रयागराज के ही समकक्ष है, जिसकी वजह से उक्त अस्पताल को जनहित में शुरू करा दिया जाये, जिससे यमुनापार के साथ-साथ मिर्जापुर एवं रीवां तक के लाखों लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है। जिससे स्वास्थ्य सम्बधित सुविधाओं को बेहतर बनाने हेतु उक्त अस्पताल को जनहित में संचालित कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः इस सदन के माध्यम से मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) अस्पताल, नैनी, प्रयागराज को जनहित में संचालित कराये जाने हेतु कार्यवाही की माँग करता हूं।]

जनपद मिर्जापुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के कोन ब्लाक में नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रत्नाकर मिश्र-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद मिर्जापुर की सदर विधान सभा क्षेत्र के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कोन ब्लाक में स्थित मवैया सोती होते हुए हरसिंहपुर मल्लेपुर कुल लम्बाई 300 मीटर का नाले का निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। उक्त निर्माण कार्य होने से कोन ब्लाक में बाढ़ का प्रभाव अत्यन्त कम हो जायेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद झाँसी में झाँसी जेल चौराहे से झाँसी होटल तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवि शर्मा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद झाँसी में जेल चौराहे से झाँसी होटल तक सड़क के किनारे नाले का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उक्त निर्माण न होने के कारण क्षेत्र के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वर्षा ऋतु में उक्त मार्ग पर गन्दा कीचड़ युक्त पानी सड़कों पर भरा रहता है, जिससे आवागमन भी अवरुद्ध होता है। क्षेत्र के लोगों द्वारा उक्त समस्या का समाधान कराये जाने की माँग लम्बे समय से की जा रही है।

चूँकि झाँसी महानगर का जेल चौराहा व्यस्ततम चौराहों में से एक है। साथ ही जिला कारागार भी इसी मार्ग पर स्थित है। ललितपुर रोड होने के कारण सेना एवं अन्य भारी वाहनों के आवागमन से प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती है, किन्तु नाले का निर्माण न होने के कारण यहाँ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए उपर्युक्त नाले का शीघ्र निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर में कतिपय विद्युत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया आपको सादर अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत विद्युत विभाग द्वारा रिवैम्प योजना अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन बदलने हेतु तथा नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु लगभग 02 वर्षों से कार्यवाही लम्बित है जिसके अभाव में जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, जनहित में वांछित कार्यवाही पूर्ण किया जाना नितान्त आवश्यक है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-पावा चौराहे पर विद्युत पोलों पर लाइट लगाये जाने हेतु

2-नीबी गाढा में अधूरे भाग का विद्युतीकरण कराया जाये।

3-ग्राम हिम्मतखेड़ा टावर से परसहरा होते हुए कोटरा डकौली तक लगभग 3 किमी0 जर्जर लाइन बदलने हेतु।

4-ग्राम सभा नौहाई बुजुर्ग हैदराबाद में 63 के0वी0ए0 का परिर्वतक स्थापित करने हेतु।

5-ग्राम सभा मिश्रापुर/ग्राम पंचायत सुभानखेडा में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु।

6-ग्राम सभा भगरवट रसूलाबाद उन्नाव में 63 के0वी0ए0 का परिर्वतक स्थापित करने हेतु।

7-ग्राम सभा गौराकला में 63 के0वी0ए0 का परिर्वतक स्थापित करने हेतु तथा छूटे भाग का विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

8-अधि0 अभि0 विद्युत वितरण खण्ड हसनगंज उन्नाव कार्यालय के पत्र सं0-4342, दिनांक 06-12-2021 के द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्रा0 व पो0-रायपुरगढ़ी वि0ख0-नबाबगंज उन्नाव के विभिन्न स्थानों पर खम्भे लगाकर विद्युतीकरण तथा जर्जर तार बदलने हेतु रिवैम्प योजना अन्तर्गत सम्मिलत कर लिया गया है परन्तु काफी समय व्यतीत होने के उपरान्त अभी तक कोई कार्यवाही परिलक्षित नहीं हुई है।

9-श्री हनुमान मन्दिर शिव आश्रम मिश्रापुर कोटहरा में बिजली पहुंचाने हेतु।

10-ग्राम कबरोई से धानमऊ छरेहटी पूराचांद दिपवल तक जर्जर तार बदलने हेतु।

11-ग्राम सभा कुनई दीपागढ़ी, सरांय चन्दन, राजाबाग विद्युत आपूर्ति हेतु।

12-कुरसठ ग्रामीण में विद्युत तार लगाये जाने हेतु।

13-ग्राम नेवरा उदई में विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

14-ग्राम पंचायत सुभान खेडा मजरा तीयर में विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

15-ग्राम सभा भरतपुर भडुआ, मजरा बजेहरा में विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

16-ग्राम सभा सिलई में श्री राकेश के घर से प्रा0वि0 तक विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

17-ग्राम पंचायत कुलहा अटौरा मो0 लुधियाना में विद्युतीकरण किये जाने हेतु।

18-ग्राम डकौली के मजरा टिकरा में लगभग 15 घरो के बीच विद्युत लाइन स्थापित करने हेतु।

19-बिरसिंहपुर, रायपुरगढ़ी से दिलवल तक लोहे के विद्युत तार बिल्कुल जर्जर स्थिति में हो गये हैं आये दिन लोहे के विद्युत तार टूटकर गिर जाते हैं जिसके कारण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई बाधित हो जाती है तथा क्षेत्र में वोल्टेज भी कम रहता है बिरसिंहपुर, रायपुरगढ़ी से दिलवल तक पुराने जर्जर तार बदलना नितान्त आवश्यक है। यह भी कार्य लगभग 02 वर्ष पूर्व रिवैम्प योजना में चयनित है किन्तु अभी तक विद्युत विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

20-सफीपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत संख्या-313 ग्रामों में रिवैम्प योजना अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइन बदलनें हेतु तथा परिवर्तक क्षमता वृद्धि का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

अतः आपसे आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उपरोक्त कार्य जनहित में विद्युत विभाग से जर्जर विद्युत लाइन बदलने हेतु तथा नये ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु सम्बन्धित कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र बहेड़ी के अन्तर्गत ग्राम सरकरा से ग्राम जसाईनगर तक सम्पर्क मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अताउर रहमान-

[महोदय, मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद-बरेली के विधान सभा बहेड़ी के अन्तर्गत बहेड़ी, नन्देली मार्ग पर ग्राम सरकरा से ग्राम जसाईनगर तक सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यह सम्पर्क मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। जिसकी वजह से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। इस सम्पर्क मार्ग की जनहित में विशेष मरम्मत का कार्य करना अति आवश्यक है।

मैं इस सदन के माध्यम से कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त हो चुके ऐतिहासिक पत्थरगढ़ किला सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तसलीम अहमद-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के एन0एच0-119 से घिसटपुरी पत्थरगढ़ किला सम्पर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। इस मार्ग पर ऐतिहासिक सुल्ताना डाकू का किला भी है जिसे देखने के लिए अन्य क्षेत्रों से पर्यटक यहां आते हैं। मार्ग पर दैनिक आवागमन करने वाले ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पूरी तरह गड्ढों में

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तब्दील हो चुका है। कई बार क्षेत्रीय ग्रामीण इस मार्ग के निर्माण की मांग कर चुके हैं, परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं गई है।

मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मुइली-सेमरी मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद सुल्तानपुर की मेरी विधान सभा क्षेत्र-189, सदर के अन्तर्गत निम्न मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है :-

मुइली से चांदपुर सेमरी मार्ग जो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस पर आये दिन दुर्घटना होती रहती है तथा छात्र-छात्राओं व जनसामान्य को आने-जाने में बड़ी ही कठिनाई हो रही है। बरसात में यह रोड पूर्णरूप से ध्वस्त हो गयी है, जिससे आम-जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल सौन्दर्यीकरण में हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उल्लंघन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार त्रिपाठी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रामगढ़ ताल सुन्दरीकरण परियोजनान्तर्गत 102 एकड़ वन भूमि पर किए गये निर्माण जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-12-1996 का घोर उल्लघंन है, के विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान के संस्तुति के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अवर्गीकृत वन घोषित अन्य 102 एकड़ भूमि पर गैर वानिकी कार्य करने के विषय में उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान से अलग से जांच कराने का निर्णय दिनांक 01-04-2021 को विशेष सचिव सतर्कता अनुभाग-3 के अर्द्धशा0 पत्र सं0 302/39-3-2021-20 (1)/2019 द्वारा निदेशक, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान, लखनऊ को प्रेषित किया गया है जिस पर हुए विजलेंस जांच की रिपोर्ट शासन में प्रेषित हुए 8 माह से अधिक हो गया, परन्तु आज तक इसमें कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रेषित रिपोर्ट पर शीघ्र कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूं।]

जनपद बलिया के सिकन्दरपुर विधान सभा क्षेत्र में चकबन्दी अधिकारियों की लापरवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के तहसील सिकन्दरपुर के अन्तर्गत ग्राम सिसोटार में चकबन्दी की प्रक्रिया लगभग 40 साल से चल रही है परन्तु आज तक चकों का सीमांकन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण न होने से किसानों में बहुत आक्रोश है। ग्राम सिसोटार में चकबन्दी प्रकिया 40 साल चलने के बावजूद भी अपीलों का निस्तारण न होना, चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी स्तर पर सभी विवाद अपीलें लम्बित पड़ी हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी ने नक्शे में चकों का वितरण कर दिया है, चक कटने से लोग आश्वानीत थे कि चकों की अपील सुनवाई करके मौके पर चकों का सीमांकन हो जायेगा। परन्तु कार्यवाहक डी0डी0सी0 ने रोक लगा दिया। इस करण चकबन्दी प्रक्रिया पुनः वहीं रुकी हुई है, जबकि मा0 उच्च न्यायालय ने 4 साल में सम्पूर्ण चकबन्दी तत्काल पूर्ण करने का आदेश भी पारित किया है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनहित के उपरोक्त ग्राम सिसोटार, जनपद बलिया की चकबन्दी प्रक्रिया युद्धस्तर पर प्रारम्भ किया जाय, जिससे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन हो सके।]

जनपद बलरामपुर के गैसड़ी विधान सभा क्षेत्र में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 शिव प्रताप यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र गैसड़ी, जनपद बलरामपुर के अन्तर्गत अक्टूबर, 2022 में आयी भीषण बाढ़ के कारण निम्नलिखित सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी थीं, जिनका अभी तक मरम्मत नहीं किया गया है। मेरे द्वारा कई बार शासन एवं प्रशासन स्तर पर प्रयास किया गया है, परन्तु सड़कों का मरम्मत कार्य अभी तक नहीं हो सका है, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में घोर असुविधा हो रही है तथा किसान अपनी फसल को मण्डियों तक नहीं ले जा पाते हैं :-

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1-बेमिहा-नौबस्ता-नरचहवा सैफ सम्पर्क मार्ग।

2-ललभरिया-इमलिया खादर सम्पर्क मार्ग।

3-बरगदही-नरायनपुर जुड़वनिया मदरहिया सम्पर्क मार्ग।

4-बरगदहा-मधवानगर खादर-इमिलिया खादर सम्पर्क मार्ग।

5-मल्दा-सकरी कुँइयां-छपिया सम्पर्क मार्ग।

6-जंहदरिया-मनकी-बगहिया सम्पर्क मार्ग।

7-रमनगरा-बिजुलिया सम्पर्क मार्ग।

अतः मैं इस लोक महत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से उपरोक्त क्षतिग्रस्त सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ की नवसृजित नगर पंचायत में मानक विरुद्ध हो रहे कार्य की जाँच के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रतापगढ़ की नवसृजित नगर पंचायत ढकवा एवं नगर पंचायत पट्टी में भिन्न-भिन्न योजनाओं, 15वां वित्त, पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर योजना, नगरीय झील/तालाब/पोखर संरक्षण योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राज्य वित्त, नगरीय पेयजल योजना, मुख्य मंत्री नवसृजित योजना अन्तर्गत किये गये कार्य गुणवत्तारहित अधोमानक में एवं मानक विरुद्ध किये गये हैं जिससे सरकारी धन का बन्दरबांट हुआ है, जिससे क्षेत्रवासियों में इस भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष और भारी आक्रोश है।

अतः महोदय जी मा0 सदन के माध्यम से आग्रह है कि की जा रही उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के नकुड़ विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा स्थान चिन्हित कर चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ, कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नकुड-02 क्षेत्रान्तर्गत मसखरा एवं घाघरा बरसाती नदियाँ पड़ती हैं। वर्षा ऋतु में इन नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाह होता है। जल प्रवाह के अति वेग के कारण प्रतिवर्ष हजारों बीघा फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसानों

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। इस समस्या के स्थाई समाधान हेतु उक्त दोनों नदियों में सिंचाई विभाग के द्वारा स्थान चिन्हित कर चेकडैम का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अर्न्तगत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत माँ शाकुम्भरी देवी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमर अली खान-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र-बेहट के ग्राम सुन्दरपुर से माँ शाकुम्भरी देवी सिद्धपीठ जाने वाले मुख्य मार्ग पर नौरंगपुर के समीप हिण्डन नदी का पुल काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त है। जिससे इस बरसात में ग्रामीणों तथा रूड़की, हरिद्वार, देहरादून, मुजफ्फरनगर, बिजनौर से इस रास्ते से होकर सिद्धपीठ माँ शाकुम्भरी देवी के दरबार में जाने वाले श्रद्धालुओं को नदी में आने वाली बाढ़ से काफी कठिनाई हुयी है। उक्त पुल काफी वर्षों से क्षतिग्रस्त है तथा उक्त पुल बेहट तहसील तक आने का भी मुख्य मार्ग है। उक्त कार्य कराये जाने हेतु अनेकों बार सम्बन्धित विभाग को पत्राचार के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन काफी समय बीत जाने के उपरान्त अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिससे क्षेत्र की जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नदी में पुल निर्माण कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के कैण्ट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राजपुर चुंगी क्षेत्र में स्थित सिंचाई विभाग के नाले के किनारों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 जी0 एस0 धर्मेश-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र आगरा कैन्ट के अन्तर्गत राजपुर चुंगी क्षेत्र में सिंचाई विभाग का एक नाला (छोटी नहर) है, जिसके दोनों किनारे कच्चा होने के कारण पानी से दिन-प्रतिदिन कटते जा रहे हैं, जिससे उसके सहारे की सड़क कट कर छोटी व सकरी होती जा रही है, आये दिन लोग उसमें गिरते रहते हैं। कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं, स्थिति बहुत गम्भीर है। नाला खुला होने के कारण जनता इसमें कूड़ा व गन्दगी भी डालती है, इससे क्षेत्र में बदबू फैल

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही है। जनता को यातायात में काफी कठिनाई हो रही है। नहर विभाग ने इसके दोनों किनारे पक्के कर सीमेन्ट की स्लैब से पाटने की भी अनुमति नगर निगम आगरा को प्रदान कर दी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाला को सीमेन्टेड स्लेब से ढकवाकर दोनों किनारे पक्का निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत बहुआरा में मनरेगा द्वारा किये गये फर्जी कार्य की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदौरा के ग्राम पंचायत बहुआरा में मनरेगा द्वारा फर्जी तरीके से कार्य करवाया गया है। साथ ही साथ राजकीय कोष की क्षति भी किया गया है और ग्राम प्रधान द्वारा जो भी कार्य कराया गया है। वह बहुत ही घटिया किस्म का कराया गया है। कार्यों को न कराकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। ग्राम प्रधान व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मिली-भगत करके सरकारी धन का बन्दरबांट कर लिया गया है। जिसकी जांच कराकर कार्रवाई किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के इसौली विधान सभा क्षेत्र में अलीगंज देहली मिटनी होते हुए प्रभातनगर तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

मो0 ताहिर खान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत प्रमुख जिला मार्ग एम0डी0आर0 योजनान्तर्गत इस बार बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया था। आम-जनमानस के हक में सुल्तानपुर जिले से आगणन मंगवाकर शासन में प्रेषित है। यह मार्ग विधान सभा क्षेत्र-187, ई इसौली, सुल्तानपुर, अलीगंज, मिटनी घाट, देहली होते हुए प्रभात नगर जनपद अयोध्या जायेगी, जो अत्यन्त दयनीय हालत में है जिस पर बहुत बड़ा लोड है। 7 किमी0 सुदृढ़ीकरण होना अति आवश्यक है, ताकि सुल्तानपुर और अयोध्या जाने में सुविधा हो सके। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर फाइल लम्बित पड़ी है, का तत्काल निस्तारण कराया जाना आवश्यक है। इस कड़ी में

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय पिछड़े हुए क्षेत्र की समस्या को देखते हुए निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सरकार से कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत पड़री से जौगढ़ तथा शिव प्रसाद फिलिंग स्टेशन के बीच जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर क्षेत्रान्तर्गत पड़री वाया जौगढ़ मार्ग चट्टाननगर के आगे ग्राम सभा नुनौटी के क्षेत्र में सड़क काफी ऊँची है, जिससे बरसात का पानी नहीं निकल पाता, बारिश के समय में नुनौटी बांध से पानी व पहाड़ से अधिक पानी आने के कारण पानी नहीं निकल पाने से क्षेत्र के किसानों की फसल पूरी डूब जाती है। उक्त स्थान के पास एक बहुत पुरानी पुलिया है जिससे जल निकासी नहीं हो पाती है। यहाँ पर 1 मीटर व्यास का ह्यूम पाइप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था करके किसानों की फसल को बचाया जाये।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए 1 मीटर व्यास का ह्यूम पाईप लगाकर जल निकासी की व्यवस्था करके किसानों की फसल को बचाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मेरठ की सरधना विधान सभा क्षेत्र में कतिपय विकास कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[महोदय, अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र सरधना में निम्नलिखित मार्ग अत्यन्त जर्जर, छतिग्रस्त होने के कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उक्त मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण बरसात में पानी भर जाने से दुर्घटनायें भी हो जाती हैं।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मेरे द्वारा कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को पत्र भेजे गये, परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण कोई कार्यवाही अभी तक नहीं हो पायी है।

अतः जनहित में निम्नलिखित मार्गों का नव निर्माण कराये जाने का निर्देश देने का कष्ट करें :-

---

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियम-301 में वक्तव्य स्वीकार करने का कष्ट करें।

क्र0-सं0	सम्पर्क मार्ग का नाम	दूरी	ब्लाक
1	ग्राम पौहल्ली में बाबा साहब की मूर्ति से चमन शर्मा के मकान तक	250 मीटर	दौराला
2	ग्राम नबाब गढ़ी में हाजी महराज के मकान से निजामु के मकान तक	150 मीटर	सरधना
3	ग्राम पावली खुर्द राजपाल के मकान से हरवेश के मकान तक	175 मीटर	दौराला
4	ग्राम कैली मैं आशू के मकान से खुर्शेद के मकान से होते हुए कब्रस्तान तक	700 मीटर	सरधना
5	सिवाया में द्वारिका धाम गेट से पानी की टंकी होते हुए वाल्मीकि समाज के मन्दिर से होते हुए पाल समाज से होते हुए तालाब के पास पवरसा रोड तक	900 मीटर	दौराला
6	बिसौला में यामीन के मकान से खेमचन्द के मकान तक से होते हुए प्राइमरी स्कूल तक	900 मीटर	मवाना
7	मैथना इन्द्र सिंह में शिव मन्दिर से लेकर टैम्पू स्टैण्ड होते हुए डी0एम0 स्कूल तक	700 मीटर	दौराला
8	बातनौर फलावदा महलका रोड टंकी से साधुओं की नंगली फलावदा रोड तालाब तक निर्माण	900 मीटर	मवाना
9	मन्दवाड़ी राजपाल सिंह के मकान से पवन प्रधान के मकान तक	700 मीटर	मवाना
10	बफावत कन्या पाठशाला स्कूल से प्राइमरी स्कूल तक	700 मीटर	दौराला

प्रदेश के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में सहायक अभियन्ता का पद भरे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि सिंचाई जल संसाधन विभाग उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पद पर दिनांक 25-01-2023 को पदोन्नति आदेश जारी किये गये थे, परन्तु अभी तक नव पदोन्नत अधिशासी अभियन्ताओं की पदस्थापना नहीं हुई है। अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। वर्तमान समय में अनेक खण्ड रिक्त भी हैं। अधिशासी अभियन्ता के पद रिक्त रहने से विभागीय कार्य प्रभावित होने की सम्भावना रहती है। उक्त खण्डों में नवपदोन्नत अधिशासी अभियन्ताओं की पदस्थापना हो जाने से विकास कार्यों को गति मिलेगी। यह प्रकरण तात्कालिक एवं लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

[12:29] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत 02 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें एक सूचना डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा की है और दूसरी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की है। यह दोनों सूचनाएँ नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती हैं, अतः इन्हें आग्राह्य करते हैं।

वक्तव्य के दौरान पीठ के द्वारा दिये गये निर्देशों के बावजूद कार्रवाई न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, आपसे अनुरोध है और इस पीठ से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष-

पीठ से जुड़े मामले को हाउस में नहीं उठाया जाता है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, मैंने नियम-51 में यहां मामला लगाया था उसका वक्तव्य आया आपने उसमें निर्देश दिया। मैंने 27-02 को नियम 51 में मजदूरों की तनख्वाह की विसंगति के मामले में उठाया था। मान्यवर, 2-3 में वक्तव्य आया आपने यहां से निर्देश दिया कि मा0 सदस्य को सम्बन्धित अधिकारी अपने ऑफिस में बुला करके बात कर लीजिएगा और इसमें जो आवश्यक कार्यवाही जो है उसे करें, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही मा0 मंत्री जी द्वारा, सरकार द्वारा नहीं की गई। मान्यवर आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह कौन से विभाग से सम्बन्धित है।

श्री पंकज कुमार मलिक-

मान्यवर, श्रम विभाग है।

श्री अध्यक्ष-

क्या यहां पर मा0 श्रम मंत्री जी बैठे हैं। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी मेरा आपसे एक निवेदन है कि इस पीठ के द्वारा दिए गए निर्देश का यदि अनुपालन नहीं हुआ तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उनको कहेंगे कि उसका अनुपालन भी करें और अनुपालन क्यों नहीं हुआ इसकी भी जानकारी दें। अगली बार इससे ज्यादा सख्त कोई निर्देश न देने पड़ें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

आपने जो मैटर कहा है आप उसको भिजवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने इस मैटर को संसदीय कार्य मंत्री जी को भिजवा दीजिए।

[12:32] पूर्व सदस्य श्री मोबिन अहमद के निधन की सूचना सदन में न लिये जाने के सम्बन्ध में

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

हमारे मा0 सदस्य अखिलेश यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके क्षेत्र में मा0 मोबिन अहमद का देहान्त हो गया, लेकिन हाउस में उस मैटर को नहीं लाया गया।

श्री अध्यक्ष-

हम इस मैटर को दिखवा लेंगे। मैं सूचना मंगवा लूंगा अगर होगा तो मैं इसी समय ले लूंगा।

[12:32] मा0 सदस्य के जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 सदस्य श्री नितिन अग्रवाल निर्वाचन क्षेत्र हरदोई, जिला हरदोई भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्तमान विधान सभा में चौथी बार निर्वाचित हुए हैं। आपके पिता का नाम श्री राम नरेश अग्रवाल है। मा0 श्री नितिन अग्रवाल जी का जन्म दिनांक 9-08-1981 को हरदोई में हुआ था, आपने एम0बी0ए0 की शिक्षा ग्रहण की है और आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार में मा0 राज्य मंत्री हैं आपके जन्म दिवस के अवसर पर मैं स्वयं पूरे सदन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।

सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 2020 (खण्ड-1 व 2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं आपकी अनुज्ञा से सतर्कता अनुभाग-4 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन-2020 (खण्ड-1 व 2) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं

---

† छापा नहीं गया।

उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2017 (लो0आ0), दिनांक 12-12-2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मैं आपकी अनुज्ञा से अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम एवं हज मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 का लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-06-2017 (लो0आ0), दिनांक 12-12-2017 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019†

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020†

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021†

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा अनुभाग-1 का उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड का बाइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008††

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-1/24-ऊ0नि0नि0प्र0/09, दिनांक 1 जनवरी, 2009 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) नियमावली, 2008 को विलम्ब के कारणों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम संख्या-36) की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2021††

ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की अधिसूचना संख्या-184/24-ऊ0नि0नि0प्र0/2021, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 को विलम्ब के कारणों सहित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम संख्या-36) की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-11।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष (2022-2023) का 150वां प्रतिवेदन†

डॉ0 अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष (2022-2023) का चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गृह एवं कारागार विभाग, नगर विकास विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, सिंचाई विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, ऊर्जा विभाग, परिवहन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, समाज कल्याण विभाग एवं पर्यावरण विभाग के वर्ष 1995 से 2020 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 150वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष (2022-2023) का 151वां प्रतिवेदन†

डॉ0 अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति वर्ष (2022-2023) का बेसिक शिक्षा विभाग, औद्योगिक विकास विभाग, लोक

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापा नहीं गया।

निर्माण विभाग, गृह एवं कारागार विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सहकारिता विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, कार्मिक विभाग, पंचायती राज विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वर्ष 1981 से 2021 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 151वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का प्रथम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण (राज्य आबकारी विभाग) में उल्लिखित आवकारी विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित राजस्व विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित राजस्व विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन†

श्री महबूब अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश अट्ठाहरवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का चतुर्थ प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (जनरल एवं सोशल सेक्टर) में उल्लिखित राजस्व विभाग से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत करता हूँ।

[12:33] याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-17 में कुछ नहीं है, अब मद संख्या-18 ।

मैं मा0 सदस्यों का नाम ले रहा हूँ, जो मा0 सदस्य यहां सदन में उपस्थित होंगे, उनकी याचिका उपस्थित मानी जाएगी, जो लोग चाय-कॉफी पी रहे हों, आ जायें।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका††

श्री प्रेम नारायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज में धौरहाघाट पक्की सड़क से खानपुर के मध्य घोघरा नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0डी0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद से सम्बन्धित याचिका††

डॉ0 सुरभी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फर्रुखाबाद के विधान सभा क्षेत्र कायमगंज के अन्तर्गत ग्राम नरैनामऊ बरमदेव से अलीगांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका††

श्री जय कुमार सिंह जैकी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के विकास खण्ड खजुहा में ग्राम सभा मिस्सी में पावर हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका††

श्री प्रभात कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर के अन्तर्गत अमवा वीरपुर मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण कराये

---

† छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री रक्षाराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित याचिका†

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील मुख्यालय करनैलगंज में बस स्टेशन की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम गोरपुरा के अन्तर्गत लखेरी नदी पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत आजाद चौक के पास शहजाद नदी पर सेतु निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री मोहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के तहसील बिलारी के अन्तर्गत ग्राम गाजीपुर में शमीम के मकान से मुशाहिद के मकान तक लगभग 200 मी0 निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री रिजवान, निवासी जिला मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के गांव शेखनपुर में प्राथमिक विद्यालय से हरिओम शर्मा जी के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिर्दश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लक्ष्मी राज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम बुटैना में इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य कराने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गयी।

श्री धर्मेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बहराइच के विकास खण्ड पयागपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डेरवाहरवंशपुर में बाबू के घर के पास बाग में गौशाला में बिजली के खम्भे एवं लाइट की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका व्यपगत हुई।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र डिबाई के अन्तर्गत गांव नगला भोपतपुर से गाँव तलवार में बाबूलाल इण्टर कालेज तक डामर रोड कराए जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल राघव व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के ग्राम कराहरा में कन्या इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्कर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत दतावली में बाजार चौक से लेकर रामवीर के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामबाबू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका व्यपगत हुई।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागडीना पुलिस चौकी से सायफन पुलिस चौकी तक लम्बाई लगभग 03 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री चन्दन चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के अन्तर्गत ग्राम गादला से नन्हेड़ी बसेड़ा मार्ग तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलशाद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 आर0 के0 पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत किसानों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली में एन0एच0-24 से कमोलिया तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण यादव व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के अन्तर्गत हापुड़ अड्डा से नूरनगर लिसाड़ी मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीन मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 एम0 पी0 आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम रहमतुल्लापुर रोड से ग्राम पुरनापुर तक सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दाताराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती आशा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत सेमरी सूत मिल के सामने से रमनगरा-देवरिया होते हुए बिलौली तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रवेश प्रजापित व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती नीलिमा कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र कल्याणपुर के अन्तर्गत रतनपुर में छठ पूजा स्थल नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के

---

† छापी नहीं गयी।

सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विजयपाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री विजय पाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के अन्तर्गत ग्राम ततारपुर बाईपास सर्विस रोड के सामने से जितेंद्र के ट्यूबवेल की तरफ का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री युद्धवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री स्वामी ओउ्मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलीलपुर के ग्राम अज्जू नंगली से खेड़की फाटक तक डामर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चौधरी बृहमपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी), सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया के ग्राम पूरे भाईराम टिकरी सारंगपुर में तार व पोल के साथ 25 के0वी0 की क्षमता वाले 55 ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर की विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत भैसौली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र गोलागंज वार्ड के अन्तर्गत हलीम पार्षद के घर से लेकर लाल मस्जिद से होते हुए चिकण्डी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद इसरार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के माण्डा विकास खण्ड के अन्तर्गत भारतगंज बाईपास का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में

---

† छापी नहीं गयी।

श्री गुलाम साबिर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हरेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरेन्द्र सिंह तेवतिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के विधान सभा क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर के ग्राम झडीना पुलिस से सायफन पुलिस चौकी तक लम्बाई लगभग 03 किमी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद नोएडा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री पंकज सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद नोएडा के सदरसराय कॉलोनी में बिजली से सम्बन्धित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती लक्ष्मी पटवाल व अन्य निवासीगण जनपद नोएडा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना गांव नित्यानन्दपुर नगली में मुरली के घर से सतीश ठेकेदार के घर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेश राणा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री मूल चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत थाना माधोगढ़ क्षेत्र में ग्राम अतरेहटी व ग्राम महोई के पास पुलिस चौकी स्थापित कराए जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वराम चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी से सम्बन्धित याचिका†

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के अन्तर्गत वि0ख0 जगदीशपुर के ग्राम पंचायत-मोहम्मदपुर के अन्तर्गत मोहम्मदपुर से मंजू शाह सम्पर्क मार्ग तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली के विकास खण्ड नियामताबाद के ग्राम सभा जलीलपुर में सुमन देवी के मकान से पड़ाव चौराहे तक सी0सी0

---

† छापी नहीं गयी।

रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अंकुर तिवारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सन्तकबीर नगर में मंझगावा से सिकरी तक महुआर होते हुए सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नयन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री रवेन्द्र पाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री रवेन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत नगर पंचायत कोड़ियागंज में काली नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गौरीशंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका†

श्री गौरीशंकर वर्मा कोरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के अन्तर्गत विकास खण्ड डकोर के ग्राम करमेर से इटौरा जाने वाली सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र 279, आलापुर के विकास खण्ड रामनगर के जहाँगीरगंज, रामनगर मुख्य मार्ग पर ग्राम मसेना मिर्जापुर में डा0 राय क्लीनिक के सामने से प्रेमचन्द गौतम के घर होते हुये रामनगर चहोड़ा मुख्य मार्ग तक जर्जर व क्षतिग्रस्त मार्ग का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकर नगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती ओममणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के ग्राम तरहटी कालिंजर में सगरा बाँध बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया में कनिकापुर नहर के पुल से रैकवार सिकरी मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड कर्वी के ग्राम करारी से काजीपुर होते हुये बरकतपुर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवकुमार व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड कौंधियारा में ग्राम देवरा खास से पाटलेश्वर महादेव मन्दिर तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती चंचल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी से सम्बन्धित याचिका†

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी में साइन सिटी प्रोजेक्ट वाराणसी में निवेश करने वाले गरीब लोगों का धन वापसी अथवा प्लाट दिलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार गोंड, निवासी जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत ग्राम निपनियां, मौजा हिम्मतपुर में नलकूप लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामस्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जपनद मेरठ से सम्बन्धित याचिका†

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास की नगर पंचायत खिवाई में मेरठ-बड़ौत मार्ग पर मन्दिर पाल के कैम्प कार्यालय से जहारवीर की माड़ी तक के कच्चे मार्ग पर खड़न्जा निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वेद प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ब्लाक-मल्लवां के अन्तर्गत ग्राम अवसेरी खेड़ा के मजरे अभयपुर पाण्डु नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा, जनपद बिजनौर के ग्राम गुनियापुर से मेमन के रास्ते पर पड़ने वाली बांन नदी पर बाक्स कल्वर्ट पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 शाहिद जौनी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अन्तर्गत सीताद्वार का जीर्णोद्धार व पाथ-वे का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर के शहरी रिहायसी इलाके से गुजरने वाली कच्ची नहर (सी0टी0आई0 नहर) को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मेघश्याम, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित याचिका†

श्री मेघ श्याम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में जुल्हेदी से कोन्हई मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री रमा शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के मड़िहान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत तहसील मड़िहान के ग्राम वनदेहया में बनदेइयां से देवरी को जोड़ने वाले कच्चे सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 700 मी0 का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित याचिका†

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान स्थित विकास खण्ड हसनगंज से रसूलाबाद मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण दीक्षित व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के अन्तर्गत मेरठ-करनाल हाई-वे से ग्राम लॉक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र चेयरमैन व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित याचिका†

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र महादेवा के विकास खण्ड बस्ती सदर के ग्राम जमराव से कुम्हियामचल कहार के घर से शिकरा हाकिम तक विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय पाल व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित याचिका†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम बुन्टा में स्कूल से जाफरपुर की ओर आबादी क्षेत्र में सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मशरूर व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित याचिका†

प्रो0 श्याम बिहारी लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर, विकास खण्ड भुता के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कुआंडाडा पर अविलम्ब एक्स-रे मशीन तथा अल्ट्रासाउण्ड मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत महुआनी चौराहा आमघाट पुल से सरौरा विहार बार्डर तक सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर की तहसील राठ के ग्राम जिगनी से बंगरा होते हुए राठ-उरई मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमेन्द्र सिंह परिहार व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत पलिया-भेड़िया सम्पर्क मार्ग पर स्थित ग्राम सभा नौहरा की अनुसूचित जाति की बस्ती से ग्राम नौहरा होते हुए कुंवर नदी श्मशान घाट तक कच्चा मार्ग का नव निर्माण/डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम प्रीत मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री महबूब अली, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा में कांकर सराय पूरनपुर सम्पर्क मार्ग पर आजाद बाईपास से रेलवे फाटक तक पूरी चौड़ाई में सड़क व नाली निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 800 मी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कयामुद्दीन प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री लाल जी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम पंचायत रामनगर जमदरा में चकबन्दी प्रक्रिया लागू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम सरन व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के अन्तर्गत ग्राम बागड़पुर से सुनपुरा होती हुई रामनगर तक कच्ची रोड को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के ब्लॉक ईसानगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खमरिया पंडित में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 आर0 के0 तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर के अन्तर्गत समौधी मुबारकपुर से ढकवा सम्पर्क मार्ग पर ग्राम दाउदपुर से

---

† छापी नहीं गयी।

मंझरिया के बीच खड़न्जा मार्ग को सी0सी0 रोड बनवाने के सम्बन्ध में श्री सुबेदार यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर अन्तर्गत स्थित पेठिया पिच रोड से ग्राम सभा रामपुर महेन्द्र वर्मा राइस मिल तक जर्जर/क्षतिग्रस्त मार्ग का मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक यादव व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत सीवन पक्के मार्ग से पूरे पंचम मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश यादव व अन्य निवासीगण की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू में बाईपास बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश पाल व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के ब्लॉक हथगाम में बस स्टॉप स्थापित कराये जाने हेतु श्री राजू यादव व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर में मछलीशहर विधान सभा के मोहल्ला-नन्दलाल का पूरा मोहल्ले से एन0एच0-31 के बगल से होते हुए मरी माई पुल से आर0सी0 ड्रेन तक जल निकासी हेतु नाले के निर्माण के सम्बन्ध में श्री महमूद आलम व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा से सम्बन्धित याचिका†

श्री राजीव तरारा, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा धनौरा क्षेत्र के ग्राम नसीरपुर में पंचायत के घर के पास से प्रकाश के घर तक नाला निर्माण कराये

---

† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री राम गोपाल व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अनिल कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की तहसील सदर के ग्राम मवीखुर्द में मेघ छप्पर राजवाहे की माइनर की पटरी जयपाल के खेत से मोतीराम पुत्र श्री हरमल सिंह के खेत कच्चे मार्ग पर खड़न्जा/पी0सी0सी0 निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम मऊ गुरदरी में स्थित वरदहा नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका व्यपगत हुई।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के ब्लाक कसमण्डा के अन्तर्गत भज्जापुर नहर पुल से मास्टर बाग कमलापुर मार्ग तक नहर पटरी पर अवशेष सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कल्लू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की स्वच्छ भारत मिशन योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा का स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/ आर0जी0एस0ए0 योजनान्तर्गत कार्यरत कर्मियों के मानदेय वृद्धि एवं एच0आर0 पॉलिसी लागू किये जाने के सम्बन्ध में डा0 नरेन्द्र सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत नगरों/ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर तारों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नाहिद खां व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका†

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के जेठवारा (कानपुर) कटरा गुलाब सिंह मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंशी लाल पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित याचिका†

श्री जियाउद्दीन रिजवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर अन्तर्गत घाघरा नदी के खरीद-दरौली घाट पर निर्माणाधीन पुल का आवंटित बजट समाप्त हो जाने के कारण अतिरिक्त बजट आवंटित कर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सरसवां अर्जुनगंज में साई दाता विग्रिडा कानवेन्ट स्कूल के पास कच्ची सड़क का निर्माण (आर0सी0सी0) कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ब्लाक अरनिया के ग्राम रामबास अन्तर्गत रामपाल सिंह की दुकान से तालाब होते हुए अनिल सिंह की चक्की तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीष प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित याचिका†

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिबियापुर के अन्तर्गत दिबियापुर नहर के पुल से लेकर महामाई पुल तक पटरी पर सड़क की मरम्मत/निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित कठेरिया व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हरिओम, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर से नगला बंजारी तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित याचिका†

डॉ0 पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद कौशाम्बी के विकास खण्ड सिराथू के कलुआपुर उदिहिन बुजुर्ग कड़कू सिंह के खेत से श्री किशन सिंह के घर तक 800 मी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कड़कू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कौशाम्बी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विकास खण्ड भीतरगांव की ग्राम पंचायत रार में चल रहे जय बाला जी महिला सहायता समूह के नाम पर होम टेक राशन (टी0एच0आर0) लगाये जाने के सम्बन्ध में कुमारी दिव्यांशी देवी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के सदर विधान क्षेत्र सभा के अन्तर्गत ग्राम कुडबल बनारस में चन्ना के घर से वाल्मिकी वाली गली तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर के ब्लाक तुलसीपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बेला के पास से गुजरने वाली राप्ती नदी पर पीपे का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम मनोहर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खड्डा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटवा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छितौनी में एक्स-रे मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुपम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के ग्राम नामदापुर चान्दन उर्फ गल्लाखेडी के अन्तर्गत स्थित कब्रिस्तान से पी0डब्लू0डी0 रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फैजान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित याचिका†

श्री तसलीम अहमद, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के भागूवाला कांशीरामपुर जालपुर मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नफीस अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज से सम्बन्धित याचिका†

श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद, महाराजगंज विधान सभा क्षेत्र पनियरा में नगर पंचायत पनियरा व परतावल को मानक के अनुरूप बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में श्री विनय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महाराजगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री मोहम्मद हसन 'रूमी', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर की विधान सभा क्षेत्र छावनी के वार्ड सं0-74 के अन्तर्गत भगवन टटिया, गदियाना तथा सतभरी, न्यू आजाद नगर, यादव चौराहा व शिवपुरम् व प्लाट नं0-3 की सड़कों का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वरुण यादव व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सिंधौली में भोलेनाथ के मंदिर से हरबल्लभपुर मार्ग तक नियमित सफाई के निर्देश देने के सम्बन्ध में श्री टिंकू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच से सम्बन्धित याचिका†

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा के विकास खण्ड मिहीपुरवा स्थित कारीकोट नामक पौराणिक मंदिर परिसर में

---

† छापी नहीं गयी।

बाउण्ड्रीवाल, अतिथि गृह, मंदिर के चारों तरफ लाइट, शौचालय, स्नान घर व पेयजल की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में श्री रंजीत कौर व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

[12:49] कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2023 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 09 अगस्त, 2023 को निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनायें ली जाएं।

2-दिनांक 10 अगस्त, 2023 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज (संशोधन) विधेयक, 2023

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2023

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[12:51] उ0प्र0 अट्ठारहवीं विधान सभा की नियम समिति (2022-2023) का द्वितीय प्रतिवेदन जो उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 से सम्बन्धित है, में संशोधन पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

यह हम सबको मालूम है कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष के पश्चात् पूरे देश की पहली विधान सभा है, जहाँ पर प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियामवली पर पुनः विचार किया है। समय के साथ संसदीय लोकतंत्र का स्वरूप बदला है तथा आधुनिक तकनीक भी संसदीय परिवेश में लागू हुई है। जैसे कि ई-विधान एवं ऑन-लाइन संचार, जिसके फलस्वरूप नियमों में परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य था। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाधीन सुधार नियमावली में किये

गये हैं, जो समय के साथ आवश्यक है। प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में संशोधन एवं परिवर्तन, माननीय सदस्यों को जनहित के मुद्दे अधिक से अधिक उठाने का अवसर दिया जाये, ऐसे उद्देश्य से किये गये हैं। वर्ष 1958 में यह नियमावली अंग्रेजी में बनायी गई थी तथा उसका हिन्दी में अनुवाद किया गया था, इसी कारणवश इसकी भाषा भी जटिल है। जो नियमावली अब बनाई जा रही है, उसमें भाषा का सरलीकरण भी किया गया है, जिससे कि प्रथम बार निर्वाचित हुए विधायकों को नियमावली से अरुचि न हो एवं उनको समझें और अपना कार्य पूरी तरीके से लागू कर सकें। पहले वाली, 1958 वाली नियमावली अंग्रेजी में बनाई गई थी और उसका हिन्दी में अनुवाद किया गया था। 2023 की नियमावली हिन्दी में बनाई गई है और उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया जायेगा, यह बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले अंग्रेजी से हिन्दी में किया गया था, अब हिन्दी से अंग्रेजी में किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश की इस पहल के पश्चात् देश के अन्य विधान सभाओं में यहाँ तक कि लोकसभा द्वारा भी प्रक्रिया नियमावली में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। नेता सदन, माननीय योगी आदित्यनाथ जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के साथ नियमावली में संशोधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया एवं उनके संसदीय अनुभव का लाभ प्राप्त हुआ। श्री योगी जी के नेतृत्व में विधान सभा का मात्र सौन्दर्यीकरण ही नहीं हुआ है, वरन् प्रक्रिया नियमावली को पुनः विचारण एवं निर्माण का वृहद् अकादमिक कार्य भी हुआ है, जो आने वाले कई वर्षों तक उत्तर प्रदेश की विधान सभा की दिशा निर्धारित करेगी। आप सब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि नियमावली के संशोधन के विषय में आप अपनी बात यहाँ रखें और जो संशोधन युक्ति-युक्त होंगे, उन्हें सर्वसम्मिति से या नियमावली में सहभागित किया जायेगा, उसके ऊपर नियम समिति बैठेगी, क्योंकि उसमें यह आवश्यक भी है, नियमानुसार भी है कि उसमें नेता सदन और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की सहमति आवश्यक है। ये जो नियमावली है, इसमें जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, पहले दिन ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था और उसमें दो दिन का समय दिया गया था कि यदि कोई उसमें अपना संशोधन देना चाहता है तो दे सकता है। एक संशोधन माननीय श्री लालजी वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो यहाँ पर हमारी कार्य-सूची में उपस्थित है। इसके अलावा अन्य कोई सदस्य भी अपना संशोधन देना चाहते हैं तो उनको भी अवसर दूँगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। 65 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश में नियमावली पुनः लिखी जा रही है, इसीलिए किसी भी माननीय सदस्य का उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई सुझाव होगा तो वह विचारार्थ लिया जायेगा, विचार करने के बाद जो होगा उसका परसों पारण कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि नियमावली के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्या की पुस्तक पर भी कार्यवाही चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो मैं बता रहा हूँ, यह वाला पैराग्राफ। नियामावली के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्या कौल एवं शकधर का हम लोगों ने पढ़ा है, जिस समय

लोक सभा में लिखी गई थी तो उसको उन्होंने पूरी विस्तृत व्याख्या की थी, तो इसकी विस्तृत व्याख्या की पुस्तक के ऊपर भी कार्यवाही चल रही है।

हमारे प्रमुख सचिव और हमारी विधान सभा का स्टाफ मेरे परामर्श से और मेरे निर्देश से उसके ऊपर काम कर रहा है। संसदीय परिवेश में कौल एवं शकधर द्वारा रचित पुस्तक की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के विषय में भी पुस्तक प्रकाशित की जायेगी तथा माननीय सदस्यों को नियमों के निर्वचन में सहायता मिलेगी। अब मैं इस सदन को इसके ऊपर चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूँ। सबसे पहला संशोधन जो नत्थी (घ) के अन्तर्गत है, वह श्री लालजी वर्मा जी के द्वारा दिया गया है। मेरा निवेदन है कि इसमें सब लोग भाग लें। अब श्री लालजी वर्मा जी बोलें।

***श्री लालजी वर्मा-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-संचालन नियमावली वर्ष 2023 में प्रस्तावित निम्न में, निम्न संशोधन कर दिया जाय। मान्यवर, नियम-42 में जहाँ जो लिखा है कि अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसको पहले की तरह रहने दिया जाय। नियम-74 में 50 हजार रुपये के स्थान पर, पहले 500 रुपये का जुर्माना था अब समय बीता है तो आपने एक साथ जो प्रस्ताव 50 हजार का किया गया है। मेरा सुझाव है कि उसको 50 हजार के स्थान पर 5 हजार रुपये कर दिया जाये। नियम 315 जिसके सापेक्ष अग्राह्यता है जो नियमावली हमारी प्रतिदिन की कार्यवाही होती है उसके सापेक्ष अग्राह्यता के लिए दिया गया है। जिसमें क्रमांक-27 पर अंकित है सदन के कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा। उसको क्रमांक जीरो आवर में क्रमांक-4 पर रख दिया जाये। मेरे तीन मुख्य रूप से संशोधन हैं। विस्तृत व्याख्या के लिए नियमों के निर्देश हैं। उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के निर्देश हैं जिसमें विस्तृत व्याख्या है कि किस नियमावली को किस तरह से हम विधान सभा में उसकी क्या प्रक्रिया होगी यह दिया है, उसके परिपेक्ष्य में आपने कहा है कि हम एक अलग से किताब बनवाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें काल और संघर्ष की तरह व्याख्या की जायेगी। निश्चित रूप से वह स्वागत योग्य है। अनुसूची में भी जो निर्देश हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष के निर्देश अनुसूचियों में दी गई है और उस अनुसूचियों में बहुत सी हमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे चुनाव के सम्बन्ध में जब हम विधान परिषद् या कोई कमेटी में समानुपातिक चुनाव करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। यह सारी चीजें इसमें दी गई हैं। तो मेरा यह भी सुझाव है कि जो निर्देश इस अनुसूची में दिया गया है, वह सारी अनुसूची भी नियमावली में जोड़ दी जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ-साथ मेरा एक निवेदन और भी है कि नियम-14 में जो प्रस्तावित अनुच्छेद-174 है, के अधीन रहते हुये स्वभावतः प्रत्येक वर्ष में सभा के तीन अधिवेशन अर्थात् आय-व्यय अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और 90 दिन के उपवेशन होंगे जिसमें यथासम्भव दो माह के अन्तराल पर कम से कम 10 कार्यकारी दिवसों के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा। मान्यवर, यह नियमावली में है। अब जो नियमावली हमारे संज्ञान में आई है, जो विधान सभा में प्रस्तुत हुई है, उसमें भी यह यथास्थिति रखने का काम किया गया है, लेकिन अगर नियमावली में है और उसका पालन नहीं हो पाता है, तो हम इस बात को सुनिश्चित करें कि नियमावली का जो बिन्दु है और निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाये रखने के लिए सदन की बैठकें ज्यादा होना आवश्यक है। यह किसी के विवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए अगर नियमावली है तो हमें पूरी तरह से उस नियमावली का पालन करना चाहिए और यथासम्भव 90 दिन है तो 90 दिन का यथासम्भव तात्पर्य यह नहीं है कि 90 दिन 9 दिन भी हो सकता है कि हमने भी किया हो, किसी ने किया हो हम यह नहीं कहते है कि किसकी गलती है। मेरा यह तात्पर्य है कि 90 दिन का 80 दिन भी हो सकता है, 100 दिन भी हो सकता है, 110 दिन भी हो सकता है, लेकिन जितना ही अधिक सदन चलेगा। मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी, लोकतंत्र मजबूत होगा और निश्चित रूप से कार्यपालिका को विधायी के प्रति जिम्मेदार रहना पड़ेगा। बहुत से ऐसे बिन्दु होते हैं, जो हम सदन में जब उठाते हैं तो हमारे संज्ञान में आता है और सरकार को उसमें संशोधन या सुधार करने का अवसर मिलता है। इसलिए इस नियमावली को बना देना जितना ऐतिहासिक है, उसके लिए हम आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहे हैं और उसी तरह से यह भी आवश्यक है कि हम उसका निश्चित रूप से पालन भी करें। मैंने लिखित संशोधन में इस बात को नहीं दिया है, लेकिन मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि जो अनुसूची निदेश में दी गई है उनको इस नियमावली में शामिल कर लिया जाय, यही मेरा निवेदन है।

***श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-**

माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम इस ऐतिहासिक क्षण की हम सभी भागीदारी कर रहे हैं, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। बहुत लम्बे 6 दशक के बाद नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और नये स्वरूप में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके लिए पूरा सदन आपके प्रति आभार प्रकट करता है। मेरे दो सुझाव हैं, सर्वप्रथम मैं एक महिला सदस्य हूं और यह गर्व का विषय है कि जब हम अट्ठारहवीं विधान सभा में आये हैं तो सर्वाधिक महिला विधायक इस सदन में बैठी हैं मैं सभी मातृशक्ति का नमन करती हूं, यह हम सभी के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गर्व का विषय है। महिला सशक्तिकरण को लेकर आपने कई सारी नई परम्पराएं शुरू कीं, एक तो आपने एक दिन का सत्र शुरू किया, जिसमें सभी महिला सदस्यों ने अपने विचार रखे। इससे केवल मनोवैज्ञानिक सुधार ही नहीं होगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आयेगा कि उन्हें इस गौरवमई सदन में अपनी बात रखने का मौका, मिला इसके लिए मैं सभी महिला सदस्यों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि यह परम्परा जो आपने शुरू की यह महत्वपूर्ण परम्परा है और यह 50 प्रतिशत आबादी का असली नेतृत्व करने की क्षमता वाली महिलाओं को मौका देगा तो इस नियमावली में महिलाओं की भूमिका को कैसे प्राथमिकता दी जाय, इसको इस नियमावली में कहीं न कहीं जरूर इन्क्लूड कराया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है। सभी महिला सदस्यों की ओर से मैं प्रस्ताव करती हूं कि ऐसा अवसर हर सदन में जरूर दिया जाय, जिसमें महिला सदस्य अपनी बात को रख सकें।

इसके अतिरिक्त जो हमारे प्रमुख नियम हैं जैसे नियम-56, 301 या 51 है खासकर प्रश्न में, इन सभी में महिलाओं की भागीदारी कम है, मैं यह नहीं कहती कि मेरिट को दरकिनार करके इसलिए उनके प्रश्नों को लिया जाय कि वह महिला सदस्य हैं, मैं चाहती हूं कि मेरिट को ध्यान में रखते हुए इस बात को प्राथमिकता दी जाय, ताकि वह प्रोत्साहित हो सकें। मान्यवर, दूसरी बात कि इस विधान सभा में हम सब आते हैं, यहां पर सदन में कानून बनते हैं और कानून जो बिल और ऑर्डिनेंस के रूप में आते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपने बहुत सारी नई चीजों की शुरुआत की है, जो पार्लियामेंट और अन्य विधान सभाओं में होती रही हैं उनका अनुसरण आप इस सदन में जरूर करें और विल के लिए स्टैंडिंग कमेटी जरूर बननी चाहिए। बिल जब आते हैं तो बहुत कम समय होता है हम सब उसको ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, अध्ययन भी नहीं कर पाते हैं और बिल एक बार जब यहां आकर पास हो जाता है तो फिर वह कानून बन जाता है और उसका असर आज नहीं वर्षों बाद उसके परिणाम दिखायी देते हैं तब हमें लगता है कि शायद उसको और बेहतर बनाया जा सकता है और फिर हम उसमें एमेंडमेंट लेकर आते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि बिल के लिए स्टैंडिंग कमेटी जैसी कि पार्लियामेंट में है उसे बनना चाहिए, उसमें पक्ष के भी लोग हों, विपक्ष के भी लोग हों, गहन चर्चा हो, क्योंकि कानून प्रदेश के भविष्य से जुड़े होते हैं इसलिए बिना चर्चा के कानून न बनें। इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान नियमावली में हो, यह मेरा आपसे अनुरोध है, ये मेरे दो सुझाव हैं, धन्यवाद्।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने इस नियमावली के संशोधन पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका बहुत आभारी हूं। वैसे तो मा0 अध्यक्ष जी जिस कमेटी में आप अध्यक्ष हों और आपके नेतृत्व में दिशा-निर्देशन में यह नियमावली बन रही हो, उसमें कुछ संशोधन

करना हमारे जैसे सदस्य के लिए सूर्य के सामने दीपक दिखाने जैसा है। क्योंकि उसमें दो वरिष्ठ एक तो आप हैं और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, जिनका इसमें दिशा-निर्देशन भी आपको प्राप्त है। हम लोग जबसे इस हाउस में आये हैं, कुछ न कुछ आप लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं और यह हमारे सदन के लिए एक पॉजिटिव सोच है आपकी कि आप सबको लगा कि नहीं यह जो हमारी नियमावली है, इसमें कुछ और परिवर्तन किया जाना चाहिए। जिसके लिए काफी दिनों से आपके कार्यालय में चर्चा होती रही है और आपने इसको बेहतर करने का हमेशा प्रयास किया है। जिस तरह से दिन-प्रतिदिन विधान सभा में परिवर्तन हो रहे हैं, विधान सभा को हम एक देश की एक अच्छी विधान सभा के रूप में परिवर्तित करने के कदम में रोज आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उसी तरह से यह भी एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है, जिसको आपने संशोधन किया, इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा जिसके आप आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, के नेतृत्व में नियम समिति की कमेटी है, उन्होंने नियमावली को संशोधित किया है।

इसमें मेरा आपसे आग्रह है कि सत्र में जब एक-एक प्रश्न आ रहे हैं, तो एक प्रश्न पर हमारे कई-कई मा0 सदस्यगण उस पर मूल प्रश्नकर्ता हो रहे हैं और एक प्रश्न पर 6-6 मूल प्रश्नकर्ता हैं और आपने नई नियमावली में यह व्यवस्था भी दी है। इसके लिए हम आभारी हैं कि सभी मूल प्रश्नकर्ता जो हैं वह अपना अनुपूरक कर सकेंगे, अब एक प्रश्न में अगर 6 सदस्य हैं अगर वह 6 अनुपूरक करेंगे तो वह 6 प्रश्न के बराबर हो गया और फिर आपने इसमें यह भी व्यवस्था दी है कि इसके अतिरिक्त आदरणीय अध्यक्ष जी दो अनुपूरक और ले सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जी, क्या यह सम्भव है कि हम 1 घंटा 20 मिनट के समय में इन सभी तारांकित प्रश्न जो आप लेते है क्या हम उसको उत्तरित कर सकते हैं ? मान्यवर, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैंने देखा था जब इधर आप भी रहते थे, मा0 संसदीय कार्य मंत्री भी रहते थे, कई बार यह बात नियम-300 में लेकर आप लोगों ने रखी है कि प्रश्न का समय बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी देख रहे हैं कि 6-7-8 प्रश्न से अधिक नहीं हो पा रहा है और जैसे कल मेरा एक 16 नम्बर पर प्रश्न था, आज 18 नम्बर पर प्रश्न है। आपके कक्ष में हमारे कई मा0 सदस्यों ने जाकर कहा था कि इसमें क्या व्यवस्था है कि हमारा प्रश्न 19वें नम्बर पर आ जाए, हमारा 17वें व 18वें नम्बर पर आ जाए। मा0 अध्यक्ष जी, इसमें और आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी और मुझे लगता है कि इसमें बड़े दिल से आप और संसदीय कार्य मंत्री जी यह जो 1 घंटा 20 मिनट का समय है, इसको 2 घंटा बढ़ाने की कृपा करें। इससे एक नई मिसाल कायम होगी, इसलिए मैं बस यही आग्रह करूंगा कि मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने इसे पढ़ा है, इसमें आपने काफी बारीकी से कार्य किया है, क्योंकि संसदीय ज्ञान के जो 2-4 लोग बचे हैं, अब तो वह इसमें इनवॉल्व नहीं हैं।

अध्यक्ष जी, मा0 वर्मा जी भी संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। इनका भी मैंने संशोधन देखा, तो कोई ऐसा संशोधन नहीं है कि आप लोगों द्वारा जो किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन हो। आदरणीय माता प्रसाद पाण्डेय जी बैठे हैं, जो स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन आपका संशोधन नहीं आया। इसका मतलब यह इस बात का प्रतीक है कि आपने इस नियमावली में काफी मेहनत किया है। जो वर्तमान परिवेश है, इस परिवेश को ध्यान में रखते हुए आपने इस नियमावली को आगे बढ़ाया है। इसलिए मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि प्रश्न का जो समय है, उसको दो घण्टे करने की कृपा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

और भी कोई मा0 सदस्य बोलना चाहते हैं।

***श्री अजय कुमार-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी पहल पर जो नई नियमावली बन रही है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। मैं मा0 लालजी वर्मा, मा0 मोना जी और मा0 उमाशंकर जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए ये कहना चाहूँगा कि सत्र की अवधि बढ़नी चाहिए। सत्र 90 दिन तक चलने का नियम है। प्रायः देखा गया है कि सत्र 4-5 दिन और बजट सत्र अधिकतम 10 दिन चलता है। इसमें आप अपने प्रयास और मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी अपना प्रयास इसमें रखें। इस सदन की अवधि हर हाल में बढ़नी चाहिए।

दूसरा, मेरा एक विषय यह है जो प्रश्न काल है। 11:00 बजे पूर्वाह्न से हाउस शुरू होता है और प्रश्न संख्या-1 से आते-आते उसमें 20 प्रश्न लिए जाते हैं। मेरा सुझाव है कि 20 के 20 सवालों के जवाब जब तक उत्तरित न हो जाएं, उन पर पूरक सवाल न पूछे जाएं, तब तक ये प्रश्नकाल जारी रहे। आज ही मेरा गन्ना भुगतान के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, वह नहीं आ पाया और आपने 10वें प्रश्न पर ही कह दिया कि प्रश्नों का समय समाप्त हुआ। इसलिए मेरा अनुरोध है कि प्रश्नों का समय तब तक रखा जाए, जब तक 20 के 20 सवाल पर पूरक न पूछे जाएं, तब तक प्रश्न प्रहर चले, यह मेरा आपसे अनुरोध, सुझाव और आग्रह है। अगर मा0 सदस्य मेरे इस अनुरोध पर आप सहमत हों, तो आप मेज थप-थपाकर इसका स्वागत करें

(पक्ष एवं विपक्ष के काफी सदस्यों ने मेजें थप-थपाईं)।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

***श्री समर पाल सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बोलने का समय दिया। जैसा हमारे मा0 सदस्य अजय जी ने कहा। हमारे मा0 लालजी वर्मा जी अभी बोले है, मा0 मोना जी बोली हैं और हमारे बीएसपी के नेता मा0 उमाशंकर सिंह जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मैं आपसे चाहूँगा कि समय बहुत कम है। यह आपके अधीन आता है कि विधान सभा 90 दिन चलायी जाए। आप इतने हंसमुख तथा बढ़िया आदमी हैं कि आपकी बात ये भी नहीं टाल सकते हैं। सदन तीन माह चलने चाहिए। इससे प्रशासन पर भी दबाव रहता है कि कहीं कोई बात हो जाने पर हाउस में प्रश्न न उठा दें। अब 2-3 दिन की बैठी हुई विधान सभा ऐसे लगती है, जैसे नगर निगम की बैठक हो रही। आप सब भी हमारी बात से सहमत होंगे। विधान सभा तीन माह चलाएं। आप कृपा करके प्रश्न प्रहर का समय बढ़ाएं और विधान सभा का समय जरूर बढ़वा दें। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इसको विधान सभा ही बनाये रहने दें, जिससे यह नगर निगम की बैठक की तरह न लगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

इधर से भी कोई मा0 सदस्य बोलेंगे।

***श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपने जिस प्रकार नियमावली बनायी है, उसमें लगभग सारे विषय आ गये हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे विषय हैं, जो हमारे विधान सभा सदस्यों के संरक्षण से सम्बन्धित हैं। जैसे हम लोग किसी अधिकारी को फोन करते हैं और वह काल तुरन्त वायरल कर देता है। तो यह भी विशेषाधिकार हनन में आना चाहिए कि अगर कोई अधिकारी इसको वायरल करेगा, तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर उसको करना है तो कोर्ट में जाकर हमारे साक्ष्य को प्रस्तुत करे। हमारे खिलाफ गवाही के रूप में उसको प्रयोग करे, लेकिन सार्वजनिक वायरल करता है, तो वह विशेषाधिकार का हनन है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, आपने सारे विषय ले लिये हैं, वेल में आने से रोक दिया है, लेकिन हमारे जो विपक्ष के साथी हैं।

श्री अध्यक्ष-

पॉलिटिकल बातचीत न करिये, नियमावली पर सुझाव दीजिए।

श्री माधवेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जब राज्यपाल जी आती हैं, तो उनको बोलने नहीं दिया जाता है, यह लोग बॉयकाट करें, सीटी बजाते हैं, कागज के गोले फेंकते हैं, इस पर प्रतिबन्ध लगाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाय। अपनी सीट से चले जाएं, बॉयकाट कर दें, लेकिन सदन में हो-हल्ला न करें। इससे सदन की गरिमा नष्ट होती है और सदन का समय खराब होता है। माननीय अध्यक्ष जी यह मेरे दो सुझाव हैं, इसको शामिल कर लिया जाये। आपका बहुत-बहुत आभार।

श्री प्रदीप कुमार यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि विधान सभा में जितने प्रश्न उठाये जाते हैं, बहुत छोटे-छोटे प्रश्न रहते हैं, लेकिन उन पर नीचले स्तर पर कार्यवाही नहीं होती हैं,। चूँकि आपने सारे विधायकों को संरक्षण दिया है, आपसे यह अनुरोध है कि जो हम लोग याचिका करते हैं, वह भी बहुत छोटी याचिकायें होती है तो कम से कम उसे सदन में रखने के बाद पूरी कर दी जाये। मान्यवर, इतना अनुरोध है कि इसे आप जरूर करा दें।

डॉ0 रागिनी-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे नियम समिति के द्वितीय प्रतिवेदन पर बोलने का अवसर दिया। पिछले वर्ष सत्र में एक दिन केवल महिला जनप्रतिनिधियों को बोलने का अवसर दिया गया था। अभी मा0 मोना जी ने भी कहा कि नियमों में कुछ इस तरीके के परिवर्तन करने चाहिए जिससे आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हमारी महिला जनप्रतिनिधि हैं उन्हें सदन में भी प्रोत्साहन मिले। उसी के अन्तर्गत मैं बोलना चाहूँगी। नियम-287 के तहत अध्यक्ष जी, अगर कभी भी दो सदस्य किसी प्रश्न में खड़े होते हैं तो अगर उसमें एक महिला सदस्य को वरीयता मिल सके तो उस पर विचार कर लीजिए। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, मैं यह भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई सदस्य सदन से किन्हीं कारणोवश अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में एक लिखित सूचना दे तो उसकी जगह पर किसी और सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति मिले तो ठीक रहेगा। इस तरीके का नियमों में कोई चेंज हो तो उसकी आशा आपसे रखती हूँ। साथ ही साथ अभी हमारे माननीय सदस्यगण ने भी कहा कि जो 20 प्रश्न हैं उन्हें पूरा करने तक प्रश्नकाल हो। तो मैं 20 प्रश्नों की बात तो नहीं करूंगी, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगी कि कम से कम प्रश्नकाल की अवधि को बढ़ाया जाये।

***डॉ0 संग्राम यादव-**

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं अपने नेता माननीय श्री लालजी वर्मा जी, आदरणीय उमाशंकर जी, मा0 आराधना मिश्रा 'मोना' जी तथा डॉ0 रागिनी जी से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूँगा कि जो हमारे मा0 सदस्य प्रश्नकाल की अवधि बढ़ाने की बात कह रहे थे। बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें काफी समय लग जाता है। हमारे बहुत से नये सदस्य तैयारी करके आते हैं और सोचते

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं कि हमारा प्रश्न आयेगा और उस पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा, लेकिन वह हो नहीं पाता हैं आज ही मान्यवर, आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन आपके प्रयास के बावजूद जो हमारा लक्ष्य था उस तक पहुँच नहीं पाये। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा पिछला सत्र चल रहा था तब मैंने मा0 प्रधानमंत्री जी को सुना था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सत्र जितना चलेगा उतना हमारे जो मा0 सदस्य नये चुनकर आते हैं उन्हें डिबेट में भी भाग लेने का अवसर मिलेगा और जब वह उसमें भाग लेंगे तो उनके क्षेत्र की चर्चाएं और बहुत सी बातें निकल करके आयेंगी और डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभाकर एक जिम्मेदार सदस्य के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब होंगे। मान्यवर, हम नगर निगम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, उससे कहीं न कहीं हमारे सत्र की अवधि कम हो रही है, विधान सभा के बारे में जो धारणा थी कि विधान सभा सत्र चलेगा, अमुक-अमुक बातें आयेंगी। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी का प्रदेश है। आज कुछ इलाके बाढ़ से कुछ इलाके सूखे से ग्रस्त हैं, आज बहुत तरह की समस्यायें उत्तर प्रदेश के अन्दर आ गयी है। आप प्रयास करते हैं कि सारी बातें आ जायें। हमारी महिला सदस्य कह रही थीं कि हमें एक दिन का मौका दिया जाए। आपने इनको एक दिन का मौका भी दिया। कल आपने एक बहुत अच्छा काम किया जो हमारे सदस्य कभी नहीं बोले थे, आपने उनको भी शामिल किया। आंकड़े तो हमारे बहुत अच्छे हो गये कि उत्तर प्रदेश विधान सभा एक ऐसी विधान सभा है, जहां सारे मा0 सदस्यों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है, लेकिन जब आप किसी मा0 सदस्य से कहते है कि आप अपनी बात 2 मिनट में, 5 मिनट में, समाप्त करिये तो जो पुराने लोग हैं, वह तो अपनी बात नियमों में लाकर कह लेते है, लेकिन जो नये सदस्य हैं, उनको सीखते-सीखते ही लगभग एक-दो साल चला जाता है और उनकी बातें प्रमुखता के साथ नहीं आ पाती है, इसलिए अच्छा माहौल हो। एक दिन हम लोगों ने अपनी बात रखने के लिए डेमोक्रेसी में असहमति व्यक्त की थी और कल भी सदन बहुत अच्छे से संचालित हुआ है। आज भी आप नियमावली पर चर्चा करा रहे हैं। सदन की अवधि बढ़ाने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है ? संसदीय कार्य मंत्री जी तो हम सबके उदाहरण हैं। विपक्ष में भी हमने आपको देखा है। आप सब बोलते थे तो मुस्करा-मुस्करा कर बोलते थे। हमारे सिंचाई मंत्री जी मुस्कराकर बोलते थे। हम आप पर बहुत विशेषाधिकार रखते हैं कि आप हमको संरक्षण देंगे। अभी सत्तापक्ष के मा0 सदस्य ने कहा कि हमारे फोन को रिकार्ड करके अधिकारी वायरल कर देते हैं। इससे गम्भीर विषय और क्या हो सकता है। हम लोग विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। आपके सारे मा0 सदस्य, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, हम सब जनता के लिए ही तो काम करते हैं। सबका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश की भलाई हो। जब हमारे पास लोग बैठे रहते हैं, हम फोन किसी अधिकारी को मिलाते हैं और जब फोन नहीं उठता है तो वह जाकर दस जगह और कहते हैं कि विधायक जी के फोन का कोई मतलब नहीं है। फोन ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

इसके ऊपर कल चर्चा होगी। मा0 मंत्री जी ने व्यवस्था दी है।

डॉ0 संग्राम यादव-

मा0 अध्यक्ष जी, आप कोई ऐसी व्यवस्था दें, जिससे आपकी गरिमा, विधान सभा की गरिमा और साथ ही जनता की गरिमा बढ़ाने का काम हो। अब आपने बाढ़ पर चर्चा स्वीकार की है। हमारे तत्कालीन समय के सिंचाई मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी और स्पीकर साहब स्वयं भाग लेंगे। समय की अवधि पर विशेष ध्यान दें। उत्तर प्रदेश विधान सभा देश की सबसे बड़ी आबादी की विधान सभा है। जब आप 4-5 दिन का कार्यक्रम घोषित करते हैं तो हम सब पढ़कर थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं कि कैसे अपना नाम उसमें सेट करें, जिससे जनता को लगे कि विधायक जी ने क्षेत्र की समस्या उठायी है और जब हम गैलरी में जाते हैं तो नये सदस्य हमसे कहते हैं कि आप लोगों ने तो अपनी सेटिंग कर ली है। सेटिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं आता है। हमारा कोई मतलब नहीं है कि हम आपको पोस्टर दिखायें, लेकिन हम कैसे अपनी बात को रखें, समय आप देंगे नहीं तो पोस्टर ही दिखाकर अपनी फोटो वायरल कर लेते हैं। हम आपकी नियमावली से सहमत हैं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय-**

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने दोनों नियमावली को पढ़ा है। कितना हटाया जा रहा है, कितना बढ़ाया जा रहा है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारी कमेटियां हैं, जिसके माध्यम से आप विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर कंट्रोल करने की बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट सदन में रखी जाती है, लेकिन कभी भी उस पर चर्चा नहीं होती है। वैसे ही रख दिया जाता है। आज तमाम समितियों की रिपोर्ट रख दी गयीं कि इतना पूरा कर लिया गया। उसमें यह नहीं पता चला कि कहां क्या दिक्कत थी. कहां नहीं थी. कहां क्या कठिनाई थी, उस पर विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें यह प्वाइंट जोड़ दें कि इन कमेटियों के प्रतिवेदन पर चर्चा होगी, अनिवार्य रूप से चर्चा होगी तो इन कमेटियों के माध्यम से बहुत सारी नई बातों की जानकारी मिलेगी। छप जाता है लोग ले जाते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से जो बातें उठनी चाहिए वह उसमें उठ नहीं पाती हैं। यही मेरा आपसे अनुरोध है कि कमेटियों के प्रतिवेदन पर अनिवार्य रूप से चर्चा की व्यवस्था करा दी जाए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शशांक त्रिवेदी-

मान्यवर, एक नियमावली संशोधन के लिए लेकर आए हैं सुधार के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुधार का कदम है यह जिस तरह से विधान सभा में यह जो 1953 के पुरान से पुराने जो नियम थे उनमें बदलाव जरूरी था। 2017 में जब जीत कर आया तो मैं देखता था कि इस पर बदलाव होना बहुत ही आवश्यक था। आपने इस पर नजर डाली आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो यह 90 दिन का कर रहे हैं तो 90 दिन का सदन मेरा इसमें आप सभी वरिष्ठ लोगों से निवेदन है कि 90 दिन अनिवार्य जरूर कर दें इसको, ताकि सदन चले तो 90 दिन चले। दूसरा यह कहना चाह रहा हूँ कि 90 दिन जब कार्य दिवस हो जाए अगर यह नहीं भी कर रहे हैं जो भी आप लोग तय करेंगे वरिष्ठ लोग हैं, लेकिन प्रत्येक दिन कम से कम दस विधायकों को बोलने का मौका अवश्य दिया जाए उसमें नये पुराने सभी मिलाकर दस विधायक अपनी-अपनी बात कुछ समय के लिए जरूर कहें एक यह भी मेरा इसमें सुझाव है, ताकि सभी विधायक अपने क्षेत्र की बात, अपनी बात, अपना विषय आप सभी के सम्मुख रख सकें। मैं एक विषय और कहना चाहता हूँ कि जो यह मोबाइल पर रोक लगाने की बात हो रही है। मोबाइल आज के जमाने में अभिन्न अंग हो गया है, सोशल मीडिया हम लोगों से जुड़ा है। आप यहां पर नियंत्रण रखें कि यहां पर लोग मोबाइल को यूज नहीं करें। लेकिन मोबाइल लाने पर रोक लगाना यह थोड़ा सा सही नहीं लगता है। मेरा इस पर यही सुझाव था और मुझे विश्वास है कि सुझाव माना जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

उसके बाद भी तो मोबाइल की घंटी बजती है। हाउस के अन्दर घंटी उसके बाद भी बजी। कहने के बाद भी घंटी बजी ही उसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए विषय किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यह विषय पूरी विधायिका का और सबका है इसमें कोई यह इशू नहीं है कि किसी को परेशान करना है। लेकिन मना करने के बाद भी घंटी बजी कि नहीं बजी। एक गलती जो आज से 30 वर्ष पहले हुई हो उसको भी आज जनता कोट करती है कि आज विधान सभा में यह हुआ। 30 साल पहले की गलती। अभी भी लोग यह कहते हैं कि माइक फेंके गए थे कब फेंके गए थे किन परिस्थितियों में फेंके गए थे।

(कई सदस्यों द्वारा आपस में बात-चीत करने पर)

आप लोग आपस में डिबेट नहीं करिए। अगर आप इतने सीरियस मामले में भी अगर आप नियमावली पर आपस में बात करेंगे तो यह गलत बात है। आप हमेशा बोलते हैं आप अपने मुँह पर थोड़ा ताला लगाइए, जरूरी थोड़ी नहीं है कि हर विषय पर बोलिए मैं इधर बात कर रहा हूँ आप उधर बात कर रहे हैं। आपकी आवाज यहां पर सुनाई पड़ रही है।

श्री शशांक त्रिवेदी-

मान्यवर, उस पर आप सख्ती कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

हमारा किसी भी माननीय सदस्य के प्रति कतई एक सेकेंड भी इस प्रकार का भाव नहीं है कि उनको कोई असुविधा हो। लेकिन विधान सभा अच्छी तरह से चले यह हम सभी की जिम्मेदारी है सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर विधान सभा को चलाने की सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो तो मैं यहां पर नहीं बैठा हूँ यह सभी की जिम्मेदारी है। सभी की बराबर से जिम्मेदारी है। आपसे ज्यादा मेरी और मेरे से ज्यादा आपकी सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए उसमें इसके ऊपर विचार किया जा सकता है। देखिए एक वक्त मैंने यह अपने भाषण में भी बोला था जब मैं पहली बार चुना गया था कि दो व्यक्तियों ने यहां पर अपने कपड़े उतारे तो जनता के बीच में दो व्यक्तियों के कपड़े नहीं उतरे पूरी विधान सभा के 403 सदस्यों के कपड़े उतरे। अगर एक भी बात गलत होती है तो उसका सन्देश पूरी जनता में सबके लिए जाता है। इस बात पर भी हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए जिस प्रकार से यह सत्र चल रहा है, यह सत्र चला, पांचवां सत्र है, यह बहुत अच्छा है सभी की तरफ से माननीय प्रतिपक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग किया गया और सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी करके आया गया और सरकार ने उसका पूरा जवाब दिया। तो इस प्रकार का डिबेट वाद-विवाद होना लोकतंत्र को मजबूत करने का विषय होता है। उसकी मजबूती के कारण इसलिए मैंने जिस समय यह बोला है कि सब लोग बोलेंगे और पहले मैंने बोला है।

अगर नियमावली में कोई परिवर्तन लाया गया है तो वह सबके हित के लिये है। हम सब लोग जिस उद्देश्य के साथ यहाँ पर चुनकर आते हैं उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये है और वह उद्देश्य केवल एक ही है कि कैसे हम अपने क्षेत्र की जनता का भला कर सकें, कैसे हम शहर का भला कर सकें और कैसे हम प्रदेश का भला कर सकें। अल्टीमेटली हम सब प्रदेश का भला करने के लिये यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका जो सुझाव है हम उस पर विचार करेंगे। श्री जगदीश नारायण।

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत लम्बे समय से हम सभी को यह इन्तजार था कि एक नयी नियमावली विधान सभा तथा इस प्रदेश को मिले। नियमावली में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा का जो प्रावधान है तो जो 18वीं विधान सभा गठित हुयी उसमें किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुयी। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह अनिवार्यता चाहता हूँ कि कम से कम एक दिन का सेशन सिर्फ चर्चा के लिये

रखा जाये कि जनता के जो ज्वलन्त मुद्दे हैं, जो नियम-कानून है अथवा सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं, वह जनता तक कैसे पहुँचें और उसमें क्या खामियाँ हैं, उस पर चर्चा होना अति आवश्यक है। इसलिये एक दिन की चर्चा के लिये नियमावली में अलग से प्रावधान जरूर होना चाहिये। उस दिन प्रश्नकाल भी न हो और सभी कार्य रोककर सिर्फ चर्चा हो। मान्यवर, दूसरा आपने एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि नियम-51 में आपने 30 दिन के अन्दर कार्यपालिका की जवाबदेही तय कर दी है। मान्यवर, हम लोग सदन में जो भाषण देते हैं और जनता के ज्वलन्त मुद्दे उठाते हैं तो मैं चाहूँगा कि उसमें भी अनिवार्यता कर दी जाये कि सदन में मा0 सदस्यों द्वारा जो मुद्दे उठाये जाते हैं उनका जवाब मा0 सदस्यों को 30 दिन के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। यह मेरा छोटा-सा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, नियमावली में यह व्यवस्था दी गयी है।

श्री कमाल अख्तर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपने आपको आदरणीय लालजी वर्मा जी से, आदरणीय मोना जी से एवं अन्य सभी मा0 सदस्यों से सम्बद्ध करते हुये कहना चाहूँगा कि इसमें समिति की प्रक्रिया के ऊपर कई संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं। मेरा एक छोटा-सा अनुरोध है कि कई ऐसी समितियाँ हैं जिनमें सदन के मा0 सदस्यों का नाम निर्वाचन के जरिये जाता है। जैसे शिया वक्फ बोर्ड तथा सुन्नी वक्फ बोर्ड के अन्दर यहाँ से दो-दो सदस्य निर्वाचित होकर जाते हैं। पूरा साल निकल गया और लगभग 13-14 महीने हो गये, लेकिन अभी तक उनका निर्वाचन नहीं हुआ, इसलिये नियमावली में इस सम्बन्ध में कम्पल्सरी व्यवस्था कर दी जाये। यह मेरा पहला सुझाव है। मान्यवर, मेरा दूसरा सुझाव है कि वर्ष 1958 के बाद निश्चित तौर पर आपने यह एक बड़ा काम किया है और जिसकी सभी लोग तारीफ भी कर रहे हैं। जब आपने इतना परिवर्तन किया है तो हम लोगों का अनुरोध यह भी है कि आप इसके अन्दर कुछ ऐसे ऐतिहासिक काम और कर दें जो आने वाले विधायक याद करें। मान्यवर, महंगाई इतनी बढ़ रही है, डीजल इतना महंगा हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि हम लोगों की तनख्वाह तथा पेंशन में कुछ बढ़ोत्तरी कर दी जाये।

श्री अध्यक्ष-

हम इसमें चेक भी डाल देते हैं, क्रेडिट कार्ड भी डाल देते हैं। (हंसी)

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं। इस सम्बन्ध में नियमों में इस तरह की कोई व्यवस्था जरूर कर दी जाये कि हर वर्ष इतना बढ़ेगा। मेरा इतना ही सुझाव था। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, यह गवर्नमेंट का अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है।

***श्री अतुल प्रधान-**

मान्यवर, आपने मुझे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद। जिस समय देश आजाद हुआ, उस समय देश की आबादी लगभग 30 करोड़ थी और आज इस समय तक उत्तर प्रदेश भी उधर की तरफ ही जा रहा है। आपने जिस तरह का बदलाव सदन में किया है, चूंकि हम लोग जब सदन के सदस्य नहीं थे तो उस समय भी यहाँ आते थे और सदन के अन्दर जब देखते थे तो उस समय से आज के समय में कई ऐसे बदलाव किये गये हैं जैसे सदन में टैबलेट लग गये, गैलरियों में कभी विधायकों की फोटो नहीं दिखायी देती थी, लेकिन आज हर जगह पर सदन के मा0 सदस्यों की फोटो लगी है। मान्यवर, आपके लिये सदन के सभी 403 सदस्य बराबर हैं। चूँकि नियमों में चेंज आ रहा है और महंगाई की अभी चर्चा हुयी तो मैं चाहूँगा कि पेंशन और सैलरी में बढ़ोत्तरी की बात भी नियमों में जोड़ दी जाये। मान्यवर, सत्ता और विपक्ष में कभी कोई इधर रहता है तो कभी कोई उधर रहता है। कभी कोई सत्ता में रहता है तो कभी कोई विपक्ष में रहता है। हमने वह स्थिति भी यहाँ पर देखी है कि जिन्होंने किसी एक मा0 सदस्य के साथ बदतमीजी की थी, लाठी मार-मारकर उनका पैर तोड़ दिया था। उसको भी आपने यहां पर खड़ा किया। मुझे लगता है देश की आजादी के बाद इस तरह का पहला या दूसरा वाकया रहा होगा। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि चाहे अनुश्रवण समिति हो, चाहे विशेषाधिकार समिति हो जब हम यहां पर कोई एप्लीकेशन देते हैं तो कई बार दूसरा सदन आ जाता है और उस एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं होती है। मेरी खुद की घटना है मैंने आपको भी उससे अवगत कराया था। मैं 29 तारीख को एम0एल0सी0 का वोट डाल कर जहाज से दिल्ली गया।

श्री अध्यक्ष-

आप नियमावली पर बोलें। आपकी कोई व्यक्तिगत घटना है तो आप उसे नोटिस में दें। नोटिस में मैं सुनूंगा, आप मुझे दें।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, उसी पर बोल रहा हूं। मेरा यह कहना है कि अनुश्रवण समिति हो चाहे विशेषाधिकार समिति हो उनकी पावर को घटाया न जाये। चूंकि विपक्ष में सभी रहते हैं। कोई न कोई व्यक्ति जिसके साथ घटना घटती है। अनुश्रवण समिति और विशेषाधिकार समिति में कुछ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे बदलाव हो जायें जिससे कहीं न कहीं अपने विपक्ष के सदस्य हों चाहे सत्ता पक्ष के सदस्य हों, उनको आपका संरक्षण मिल सके। सदन का संरक्षण मिल सके। मैं आपसे इसलिए भी निवेदन करूंगा कि आपका विशेष आशीर्वाद सबके साथ रहता है। 403 एम0एल0ए0 के ऊपर आपका आशीर्वाद ही है। आप पीठ पर बैठे हैं। आप तो गार्जियन की तरह हैं। उम्र के हिसाब से भी और अध्यक्ष के हिसाब से भी, मान्यवर, पेंशन की बात है कि महंगाई बढ़ी है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं उससे इसे जोड़ दिया जाये। अभी कई लोग यहां पर नहीं है। कई लोग यहां पर ऐसी स्थिति में भी हैं जिनको डीजल की बढ़ोत्तरी नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग विषय है। नियमावली से सम्बन्धित नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे माननीय वर्मा जी ने बात की, 1, 2, 3 बिन्दु रखकर इस प्रकार से बात की। केवल नियमावली पर बात करें तो चर्चा सार्थक होगी। नियमावली का जो स्वरूप है उसी के परव्यू में बात करें। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी ने कितनी अच्छी बात की। कमेटी और चर्चा वाली नई बात की। महिलाओं वाली बात भी आ गयी। ऐसी बात करें तो चर्चा सार्थक हो। बाकी के लिए आप हमसे अलग से बात कर लें। यहां पर नियमावली पर बात होनी चाहिए। अभी अगले मद पर भी चर्चा होनी है।

श्री अध्यक्ष-

बस एक घण्टे के लिए यह चर्चा रखी थी। एक बजे शुरू किया था 2 बजे दूसरा विषय रखेंगे। अगला मद लेंगे। लेकिन विषय पर बोलिये।

***श्री मनोज कुमार पारस-**

माननीय अध्यक्ष जी, नियमावली संशोधन पर जो प्रस्ताव माननीय लालजी वर्मा जी ने रखा उससे और अपने विपक्ष के सभी विधायकों से अपने आपको जोड़ते हुए एक-दो बात कहना चाहता हूं। एक तो सदन को कम से कम 90 दिन चलाना चाहिए। आपसे यह विनम्र निवेदन है चूंकि अपने-अपने क्षेत्र की समस्यायें होती हैं। पूरे प्रदेश में 403 विधायक हैं और सभी की अपनी समस्यायें हैं। कहीं न कहीं किसी न किसी नियम के माध्यम से हम लोगों को उन समस्याओं को उठाने का मौका मिले। जिससे जब हम क्षेत्र में जायें तो जिस गरिमामयी विधान सभा के आप अध्यक्ष हैं, हम यह कह सकें कि पहले इतना समय नहीं मिलता था, अब माननीय अध्यक्ष जी ने नियमावली में बदलाव किया है, तो आज पूरे 90 दिन से ज्यादा सदन चल रहा है। दूसरा आपसे निवेदन है कि हम लोग प्रश्नकाल के समय में क्वेश्चन लगाते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ी मेहनत से लगाते हैं और उसके लिए तैयारी भी करते हैं। कई बार उत्तर पूर्ण नहीं आता है। मेरा आपसे निवेदन है कि पूर्ण और स्पष्ट उत्तर मिले जिससे हम जो पूछना चाहते हैं, जो हमारा आशय होता है, जो हमारी चाह होती है कि उस पर क्या कार्यवाही हुई, वह क्षेत्र की जनता तक स्पष्ट रूप से जानी चाहिए कि जो हमने पूछा उसका उत्तर सही आया है। अगर अधिकारी गलत उत्तर देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। तीसरा एक छोटा सा सुझाव था कि नियमावली संशोधन में यह है कि कई बार हम लोग नियम-51 और नियम-301 में सूचना लगाते हैं। उसमें हमने नगर विकास से सम्बन्धित लगाया तो पता चलता है कि वह ग्रामीण में चला गया। अगर कृषि से लगाई तो कहीं और चली जाती है। इस तरह से जो विषय जिस विभाग से सम्बन्धित हो उस विभाग में जाना चाहिए। उसकी समय अवधि तय हो जाये कि 15 दिन के अन्दर उसका जवाब निश्चित तौर से मिलेगा और उसी विभाग के अधिकारियों द्वारा दिया जाये। धन्यवाद।

श्री रवि शर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद, आपने मुझे नियमावली संशोधन पर बोलने का मौका दिया। देश को आजाद हुए तो 75 वर्ष पूर्ण हो गये हैं, लेकिन हम लोग वहीं क्लिष्ट भाषा, वही क्लिष्ट नियमावली जिसमें हमको कई शब्दों के अर्थ समझ में नहीं आते हैं। मुझे याद है जब मैं वर्ष 2012 में पहली बार सदन का सदस्य चुनकर आया था तो उस समय नियमावली की किताब और एक अटैची सभी सदस्यों को मिली, लेकिन उसमें से किताब निकाली और पढ़ने का प्रयास किया और जब समझ में नहीं आयी तो जैसे की वैसे ही वापिस कर दी, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूं परिवर्तन के लिए जहां एक ओर विधान सभा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ चाहे वह ई-विधान के माध्यम से हो और हमारे पूर्वज जिन्होंने मुख्य मंत्री के रूप में सेवा दी प्रदेश की सेवा के लिए उनके चित्रों को प्रदर्शनी के माध्यम से आपने संजोया है और अन्य परिवर्तनों के माध्यम से हो निश्चित रूप से आपने 403 विधायकों के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर मेरा आपसे निवेदन यह है कि नियमों में सत्ता पक्ष और विपक्ष लेकिन विपक्ष के पास तो अपने काम कराने के लिए अवसर होते हैं और अपनी बात रखने के लिए भी, लेकिन कहीं न कहीं हम सारे लोग अपनी बात कहने से चूक जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि जो प्रश्न कार्य-सूची में छपा हुआ देखकर हम प्रसन्न होते हैं। कार्य-सूची में छपे हुए प्रश्न पर जो अतारांकित के रूप में है उन पर भी प्रभावी कार्रवाई अगर नीचे होगी तो हम लोगों के भी काम आसानी से हो जायेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सभी को निर्देश देने का काम करेंगे, जो अतारांकित प्रश्न कार्य-सूची में छपे हैं उनपर भी नीचे कार्रवाई हो। धन्यवाद।

***श्री राकेश प्रताप सिंह-**

मा0 अध्यक्ष जी, आपने नियमावली संशोधन की चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार। मैं आपको बधाई दूंगा कि जो हम लोग यहां बैठे हैं उसमें से 80 प्रतिशत लोगों के जन्म से पहले की नियमावली चली आ रही थी तो उस नियमावली को संशोधित करने का आपने काम किया है। मैं रवि भाई की उस बात से सहमत हूं कि यह कोई 2012 में नहीं 2017 व 2022 में भी हमको अटैची मिली और वह नियमावली भी मिली और पढ़ने का प्रयास भी हुआ और बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको हम दो-तीन बार पढ़ने के बाद भी उन शब्दों का मतलब नहीं समझ पाये तो आप इसमें कुछ सरलीकरण कर रहे हैं और हिन्दी शब्दों का सरलीकरण हो रहा है, इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। मैं दो सुझाव केवल देना चाहूंगा जो प्रश्नों के बाद एक-दो विषय लेने के बाद निधन के निर्देश के बाद कार्य-स्थगन ले लिया जाता है। जब उस समय कार्य-स्थगन लेते हैं तो मा0 नेता सदन भी उपस्थित होते हैं और मा0 नेता प्रतिपक्ष व बड़े-बड़े नेता भी उपस्थित होते है। हमारी पत्रकार दीर्घा भी भरी होती है और हमारी राज्यपाल दीर्घा भी भरी होती है उस समय सारे अधिकारी उपस्थित होते हैं तो उसको अगर आप 27वें नम्बर में ले जा रहे हैं तो वही स्थिति होगी जो नियम-51 के वक्तव्य के समय किसी तरह से कोरम पूरा होता है उस समय न तो कोई अधिकारी होता है और न कोई पत्रकार होता है और न ही मा0 नेता सदन होते हैं तो उस समय कार्य-स्थगन बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। हम प्रदेश की बड़ी घटना को लेकर सदन में आते हैं और उसकी उतनी गम्भीरता नहीं रह जायेगी, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा जो पूर्व विधायक हैं वर्ष 1989 के पहले के विधायक रहे हैं उनके साथ जब मैं बैठता हूं मेरी पट्टीदारी में भी राजपति देवी आपके साथ विधायक रही हैं मैं उनके साथ बैठता था और सोचता था कि सदन में खड़े होकर यदि कोई विधायक किसी अधिकारी के विषय में कोई शिकायत करता था तो जांच का कोई विषय नहीं होता था पहले कार्रवाई होती थी फिर जांच होती थी आज की स्थिति यह है कि हम प्रश्न लगाते हैं हम विशेषाधिकार देते हैं हम विशेषाधिकारी की बैठकों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन उस अधिकारी के न तो व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है और न ही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। जो भी विशेषाधिकार के मामले आये। उनको समयबद्ध करते हुए ज्यादा से ज्यादा तीन महीने में निर्णय लेकर निस्तारित किया जाये। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मैं आज आपकी पीठ के पीछे एक पेपर लेने गया था तो वहां मुझे सत्ता-पक्ष के एक विधायक मिले। मैंने उनसे पूछा कैसा चल रहा है तो उन्होंने कहा कि जो काम आपने कहा था तो मैं एस0डी0एम0 के पास गया और वह काम करवा दिया। मैंने कहा कि आपको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस0डी0एम0 के पास जाने की क्या जरूरत थी। आप डाक बंगला में बैठते होगें तो आप उनको वहां बुलवा लेते।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप नियमावली पर बोलिये।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं इसलिये कह रहा हूँ कि नियमावली के माध्यम से इसको सुनिश्चित किया जाये कि हम किन अधिकारियों को बुला सकते हैं और किन अधिकारियों के यहां जाकर हमें अपनी बात कहनी है। आज स्थिति यह है कि अगर हम दरोगा को बुलाते हैं तो वह भी आने को तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अभी तो नियमावली पर चर्चा हो रही है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियमावली से जुड़ा मामला है, यह हमारे सम्मान का मामला है, यह विधायिका से जुड़ा मामला है। विधायिका का सम्मान बचा रहे इसकी पूरी जिम्मेदारी इस पीठ की है। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई विधायक जनहित से जुड़े किसी मामले को लेकर एस0डी0एम0 को, तहसीलदार को, सी0ओ0, को एस0एच0ओ0 को बुलाना चाहे तो वह बुला सकता है। हम यह नहीं कहते कि विधायक डी0एम0 और एस0पी0 को बुलाये। हम लोग डी0एम0 और एस0पी0 के यहां तो जाते ही हैं, लेकिन उनके नीचे के अधिकारियों को अगर विधायक डाक बंगले अथवा सरकारी प्रतिष्ठानों में बुलाना चाहे तो वह अधिकारी आये और हमारे और जनता के बीच आकर बैठें। इस आदरणीय पीठ को यह सुनिश्चित करना चाहिये। मेरा बस इतना सा सुझाव था। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री सुरेश्वर सिंह-**

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 को संशोधित करके उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 2023 बनाने के लिए आपकी अध्यक्षता में विचार-विमर्श हुआ। इसका प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किया गया और द्वितीय प्रतिवेदन 07 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर आज चर्चा हो रही है। आपकी अध्यक्षता में इस समिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की बैठकें हुई है। माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा-निर्देशन और आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के सुझावों के आधार पर आपकी अध्यक्षता में नियमावली में जो संशोधन हुआ है उसके लिए मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ। जहां तक आदरणीय श्री लालजी वर्मा, पूर्व संसदीय कार्य मंत्री जी का सुझाव है कि नियमावली के नियम-42 में 02 की जगह 03 रख दिया जाये तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने तो सभी मूल प्रश्नकर्ता सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है, जबकि मूल प्रश्नकर्ता पहले बोलने से रह जाते थे, दूसरे सदस्य अनुपूरक करते थे। आपने अनुपूरक पर भी ध्यान दिया है। उसके बाद भी आपके विवेक पर है कि आप दो और लोगों को बुलवा सकते है। आपके द्वारा यह महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष का सदस्य हो अथवा विपक्ष का सदस्य हो किसी ने आपके द्वारा बनाई गई नियमावली पर किसी प्रकार की कमी निकालने जैसी बात नहीं कही है। आदरणीय श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' जी ने महिलाओं की भूमिका पर चर्चा की और आपने जो एक दिन महिलाओं का सत्र चलाया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। सदन में कानून बनते हैं इसके लिए एक सुझाव दिया है कि बिल के लिए स्टैण्डिंग कमेटी बने। आदरणीय श्री उमाशंकर जी ने आपको धन्यवाद दिया है। सकारात्मक सोच के आधार पर आपने नियमावली में जो परिवर्तन किया है वह एक ऐतिहासिक कार्य किया गया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। डा0 अजय कुमार जी ने सदन चलने के कार्य दिवस को बढ़ाये जाने का जिक्र किया है। आपने पहले ही 90 कार्य दिवस सदन को चलाने को लेकर नियमावली में रखने का काम किया है।

विशेषाधिकार समिति की बात भी कई सदस्यों ने की है। नई नियमावली में आप द्वारा और समिति द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि सदन में कटघरा लगाने में बहुत दिक्कतें आती हैं और बहुत मार्मिक मामलों में ही कटघरा लगाया जा सकता है, जिसको आपने इस अट्ठारहवीं विधान सभा के सत्र में लगाया भी था। अगर कोई अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसका एक दिन का वेतन काटने का उसको दण्डित करने का अधिकार आपने विशेषाधिकार समिति को ही दे रखा है। आदरणीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी जो पूर्व विधान सभा अध्यक्ष हैं, ने समितियों की जो रिपोर्ट आती है उस पर चर्चा करने का विषय उठाया है। आदरणीय श्री जगदीश राय जी ने एक कार्य दिवस पर मात्र चर्चा ही हो इसकी मांग की है और आपने इस नियमावली में एक महत्वपूर्ण कार्य और किया है। वह यह है कि नियम-51 में एक महीने में जवाबदेही निश्चित करने का नियम बनाया है और आपने जो नियम बनाये हैं उससे सारे लोग सहमत हैं। केवल एक विषय बार-बार आया है कि नियम-315 में जो क्रमांक-27 पर अंकित सदन के कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव करने की अनुज्ञा को क्रमांक-04 पर रख दिया जाये, यह आपके विवेक पर और आपके अधिकार के अन्तर्गत आता है। यदि आप सहमत होंगे तो समिति के माध्यम से फिर से चर्चा कराकर और इस आधुनिक युग में जब मोबाइल भी है, ई- मेल भी

है, आपने टैबलेट भी लगवा रखा है तो सदन चलाने का समय भी जहाँ 14 दिन की सूचना पर सदन चलाया जा सकता था आपने 7 दिवस के अन्तराल पर सूचना देकर सदन चलाने की व्यवस्था की है। ऐसे ऐतिहासिक नियम बनाने के लिए नियमों को सरल करने के लिए क्लिष्ट भाषा को ठीक से मा0 सदस्य उसको समझ सकें, उस क्लिष्ट भाषा में संशोधन करने का जो ऐतिहासिक कार्य आपकी अध्यक्षता में हुआ है। मैं पूरी समिति की ओर से और पूरे सदन की ओर से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मेरा निवेदन है कि जो लोग बोलने के लिए बाकी बचे हैं वह अपना लिखित संशोधन दे देंगे वह नियम समिति में जायेगा। मा0 मुख्य मंत्री जी से, मा0 संसदीय कार्य-मंत्री जी से चर्चा करने के बाद उस पर फाइनल डिसीजन करेंगे। मा0 संसदीय कार्य-मंत्री जी आप कुछ बोलेंगे।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, जो कुछ प्रस्ताव आया है, आपने जैसा कि प्रारम्भ में ही इंगित कर दिया, काफी कुछ सोच-विचार करने के बाद यह प्रस्ताव आया है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में मार्गदर्शन भी किया और हम समझते हैं कि जो प्रस्ताव आये हैं उसमें बहुत ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए उसी को एडाप्ट करना चाहिए। हमने इसीलिए सदन का समय कम नहीं किया है। जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें हर तरीके से यह सोचा गया कि हम किसी भी प्रकार से ऐसी कोई परम्परा न डालें जिससे आगे भी लोग इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करें।

मान्यवर, और जितनी भी व्यवस्था प्रपोज की गयी है, मैं समझता हूँ कि यह सरलीकरण और लोगों की सुविधा में सबसे ज्यादा सहायक होगी। जब हमारे पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे तब 14 दिन की बात कही जाती थी और आज तो एक सप्ताह भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर लोग अपना प्रोग्राम इस हिसाब से तय कर लें कि उनको विधान सभा में जाना है। इसलिए इसको रख दिया गया और कम्युनिकेशन के इतने बड़े साधन हैं कि हर तरह से आदमी को कम्युनिकेट किया जा सकता है और जितने भी मा0 सदस्यों ने अनुपूरक प्रश्न किए हैं और आज जितनी भी बातें सदन में कही गयी हैं वह चाहे श्री लालजी वर्मा जी, चाहे श्री माता प्रसाद जी, श्रीमती मोना जी, चाहे उमाशंकर जी, चाहे श्री संग्राम सिंह जी, चाहे महौली के विधायक द्विवेदी जी एवं श्री कमाल अख्तर जी ने कही है। विशेष रूप से इसमें जो कुछ भी प्रस्तावित किया गया है उसमें बहुत ज्यादा संशोधन की बात नहीं कही गयी है। सवाल यह है कि जो कुछ प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि इसको नियम समिति में ले जाकर औपचारिकताएं पूर्ण करा ली जाएं और इसको ही एडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने

पहले से ही इसमें बहुत ज्यादा थ्रो-आउट किया है। जहां तक महिलाओं की बात है हम इसमें व्यक्तिगत रूप से सहमत हैं कि महिलाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और आपने स्वयं अलग से सत्र बुलाया और मा0 मुख्य मंत्री जी इस पर बराबर लगातार बल देते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि व्यवहारिक रूप यह है कि पुरुष विधायक को भले ही बोलने के लिए चार मिनट मिले, लेकिन जब महिला विधायक की बात आ जाती है तो आप स्वयं संज्ञान ले लेते हैं और उनको बोलने के लिए समय भी ज्यादा देते हैं। चाहे अनुपूरक का मामला हो, चाहे प्रश्न हो, चाहे चर्चा की बात हो, मैं देखता हूँ कि जो महिलाएं बोलना चाहती हैं वह बोल लेती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इनको प्राथमिकता देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इससे सहमत हूँ और मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर ही एक दिन का सत्र बुलाया गया था, जिससे महिलाएं बोल लें और यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेण्ट गोल्स पर 36 घण्टे की चर्चा हुई है। आज तक कभी भी किसी भी विधान सभा में रातभर चर्चा का यह पहला उदाहरण है। हम लोग भी चाहते हैं कि सदन ज्यादा चले, लेकिन आप लोगों का भी सहयोग होना चाहिए। आप लोगों ने अपने जमाने में इतिहास बनाया है। हम समझते हैं कि जो कुछ भी आपने पहले से प्रस्तावित किया है और जितने भी मा0 सदस्यों को सुना है उसमें कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, 2-3-4 बातें आई हैं उन पर अलग से विचार कर लेंगे। मैं समझता हूँ कि उसी को एडॉप्ट किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

बाकी किसी का कोई होगा तो वह लिखकर दे देंगे और उस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी विचार करने के पश्चात् मा0 मुख्य मंत्री जी से बात कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम मद संख्या-21 लेते हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी एक निवेदन करना है कि वक्तव्य तो रख दें, लेकिन पहले कार्य-स्थगन ले लें।

श्री अध्यक्ष-

यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन सुन लीजिए कि कार्य-स्थगन जो लाया गया, चाहे कल लाए हों, चाहे आज लाए हों। वह ज्यादातर लोगों का, मैं सभी मा0 सदस्यों की बात कर रहा हूँ, जो कार्य-स्थगन में बोल सकते हैं उनके लिए भी और जो कार्य-स्थगन में नहीं बोलते हैं उनके लिए भी। आज उत्तर प्रदेश में सभी का भाव एक है। सर्वदलीय बैठक में मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि सूखा और बाढ़ पर बात करना आज की तात्कालिक आवश्यकता है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे और वही विषय

आप कार्य स्थगन में कल भी लाए थे, आपके द्वारा बोला गया है और आदरणीय मोना जी के द्वारा बोला गया था। आपने उस विषय के ऊपर बोला है और आज की तारीख में सदन को सिस्टम से चलने दीजिए। मा0 वर्मा जी आपको जाने की जल्दी क्या है, आप बैठे रहिए। सत्र तब तक चलेगा जब तक पूरी कार्यवाही नहीं हो जायेगी, चाहे जितनी देर हो जाए, यह मेरा आपसे वायदा है। मेरा सभी मा0 सदस्यों से निवेदन है कि मा0 कृषि मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे और उनके द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा। एक मिनट सभी लोग सुन लें।

[02:00] प्रदेश में मानसून के विलम्ब से आने, सूखा, बाढ़, बादल फटने आदि से फसलों के आच्छादन में हुये विलम्ब पर आज तक उठाये गये कदमों के सम्बन्ध में कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

माननीय कृषि मंत्री जी के द्वारा जो वक्तव्य दिया जाएगा, उस वक्तव्य पर मैं दो घण्टे की चर्चा मा0 मंत्री जी के बोलने के बाद निर्धारित करता हूं। दोनों तरफ से नाम आ गये हैं, मा0 मंत्री जी के बोलने के बाद पांच-पांच मिनट हर सदस्य को दो घण्टे के समय तक बोलने के लिए अवसर दिया जायेगा। कल मा0 मुख्य मंत्री जी एवं मा0 नेता प्रतिपक्ष इस पर अपना मत रखेंगे, कल तक इस चर्चा को जारी रखेंगे। मा0 मुख्य मंत्री जी कल बोलेंगे।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गम्भीर विषय पर मैं सरकार का पक्ष रखने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वर्ष प्रदेश में मानसून विलम्ब से आया जिसकी वजह से सूखे की आशंका व्यक्त की जा रही थी। कुछ जिलों में बादल फटने के कारण, पर्वतीय क्षेत्रों में अति वर्षा की वजह से एवं बादल फटने के कारण गंगा और यमुना जैसी नदियों में आकस्मिक रूप से तेज पानी आया और उसकी वजह से बाढ़ की कुछ सम्भावनाएं भी परिलक्षित हुईं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है और एक तरीके से कहें तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र मेरुदंड की तरह से काम करता है। लगभग 2.5 करोड़ किसानों का यह उत्तर प्रदेश, उसमें स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आपदा एवं मौसम का हमारी फसलों पर विशेष रूप से खरीफ की फसलों पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं और इस स्थिति में सरकार की ओर से, जो वास्तविक स्थिति प्रदेश की है, उससे आप सबको अवगत कराने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं।

इस वर्ष 2023 में लक्ष्य के रूप में 96 लाख 20 हजार हेक्टेयर के भीतर खरीफ की फसलों के लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया। मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि इस वक्त तक 93 लाख 14 हजार हेक्टेयर के भीतर हमारी फसलों का आच्छादन हो चुका है। धान का 98.75 प्रतिशत, मक्का का लगभग 93 प्रतिशत, मूंगफली में 176 प्रतिशत, ज्वार में

100 प्रतिशत, बाजरा में 89 प्रतिशत, मूंग में 110 फीसदी, अरहर में 95 फीसदी, तिल के भीतर 82 फीसदी इस प्रकार से लगभग 03 लाख हेक्टेयर क्षेत्र ही इतना बचा है जिसके अन्दर अभी तक आच्छादन नहीं हो पाया है। विगत 25 जुलाई के उपरान्त मानसून उत्तर प्रदेश के भीतर आया और जब सूखे की आशंका हो रही थी उसी समय आदरणीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा एक शीर्ष बैठक आहूत की गयी जिसमें सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों एवं अधिकारियों के साथ बैठकर रणनीति बनाई गयी। लगातार इस परिस्थिति की समीक्षा हम लोगों ने की कि वर्षा कम होने के नाते या अति वर्षा के भीतर क्या स्थिति रही। इस साल प्रदेश के भीतर वर्षा का संतुलन भी ठीक प्रकार से नहीं रहा। पश्चिमी क्षेत्र के भीतर और बुन्देलखण्ड में सामान्य से 100 से 200 फीसदी के करीब बारिश हुई और पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मध्य क्षेत्र के भीतर सामान्य से 50 प्रतिशत के करीव वर्षा रही है, जिसकी वजह से उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि सूखे की स्थिति से उत्तर प्रदेश को निपटना होगा, लेकिन मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि आज प्रदेश के भीतर सूखा जैसी स्थिति नहीं है। राज्य के भीतर अब तक सामान्य वर्षा 447 मिलीमीटर होना चाहिए था उसके स्थान पर 354.3 मिलीमीटर वर्षा हुई है जो सामान्यतः 80 प्रतिशत के करीब है। गत वर्ष इस अवधि के भीतर 240 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल 150 मिली मीटर ज्यादा बारिश हुई है और गत वर्ष बरसात 63.9 फीसदी थी और इस बार लगभग हमारी वर्षा 80 प्रतिशत के करीब है।

(इस समय 02 बजकर 02 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।)

तो ऐसी स्थिति में गत वर्ष की तुलना में इस साल आच्छादन भी हमारा बढ़ा है और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खरीफ की फसल उत्तर प्रदेश के लिए एक लाभकारी फसल के रूप में आने वाले दिनों में यदि स्थितियाँ सामान्य रहती हैं तो निश्चित रूप से इस साल उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने उत्पादन का लक्ष्य रखा है 243 लाख मीट्रिक टन, गत वर्ष से 45 लाख मीट्रिक टन बढ़ा करके यह लक्ष्य हम पूरा कर सकेंगे। 09 जनपद इस प्रकार के हैं, जहाँ 40 प्रतिशत से कम वर्षा हुई है, उसमें विशेष रूप से कौशाम्बी, देवरिया, मिर्जापुर, भदोही, बस्ती, पीलीभीत, मऊ, कुशीनगर और चन्दौली, इन कुछ जनपदों के भीतर कुशीनगर में, चन्दौली में, पीलीभीत के भीतर, बस्ती में, देवरिया में हमारी नहरें भी हैं जो ठीक प्रकार से काम कर रही है।

जैसा मैंने बताया कि 27 जुलाई को आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने एक बैठक की थी और उस बैठक के भीतर उन्होंने विभिन्न निर्देश जारी किए थे और उसके भीतर इस बात का निर्देश दिया था कि हमारी सभी नहरें टेल तक चलायी जायें और उसके लिए व्यवस्था की जाय। दूसरा उन्होंने इस बात का निर्देश दिया कि सभी राजकीय नलकूप यदि वह विद्युत दोष या यान्त्रिक दोष, किसी भी दोष से यदि खराब हैं तो उनको तुरन्त ठीक कराया जाय और

24 घण्टे के भीतर नलकूपों के जले हुए ट्रान्सफार्मर को बदला जाय। उन्होंने इस बात के भी विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि वह इस बात की व्यवस्था करें कि राजकीय नलकूपों को 10 घण्टे के स्थान पर 12 घण्टे विद्युत आपूर्ति करके, किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और उनके खेत का आच्छादन हो और सूखे का कोई प्रभाव न पड़े, इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने 27 तारीख को कार्य योजना बनायी और उसके अनुसार 5-6 दिन के भीतर ही यह सारी व्यवस्थाएँ ठीक करके और आज ऐसी स्थिति है कि आज हम उन परिस्थितियों से बाहर हो चुके हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं, जहाँ पर अति वर्षा के कारण या नेपाल में ज्यादा वर्षा होने के कारण भी बाढ़ आ जाती है। इस बार हम लोगों को पश्चिमी क्षेत्र के भीतर बाढ़ की स्थितियों का सामना को करना पड़ा है तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रशासन को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन सदैव सतर्क रहेंगे और हर जनपद के भीतर बाढ़ बचाव के कार्यक्रमों के लिए आपदा चौकियों का निर्माण और साथ-साथ में राहत की क्या व्यवस्था होगी, उसकी अग्रिम व्यवस्था करके रखेंगे। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि नहरों की सिंचाई की व्यवस्था भी ठीक प्रकार से की जा रही है। जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया था कि नहरों की टेल तक पानी पहुँचाया जाय, उत्तर प्रदेश के भीतर 74919 किमी0 हमारी नहरें हैं और उनके भीतर 11224 नहरों के माध्यम से उनके टेल तक पानी जाता है। इस समय तक जो व्यवस्था हमारी हुई है, 8523 टेलों तक निरन्तर पानी पहुँच रहा है और यह कल तक की सूचना, वहाँ पर किसी प्रकार का किसी तरीके का व्यवधान नहीं है। सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से 34263 राजकीय नलकूप हैं। विद्युत विभाग और नलकूप विभाग इस बात की व्यवस्था कर रहा है कि यदि यान्त्रिक या विद्युत दोष से नलकूप खड़ा होता है तो 01 से लेकर 02 दिन के भीतर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनको ठीक करके उन सिंचाई के साधनों को चलाया जाए और किसानों के खेत की सिंचाई की जाय।

प्रदेश के भीतर 69 जलाशय हैं और उन जलाशयों में से 22 ऐसे जलाशय हैं, जहाँ पर वर्षा होने के नाते 50 परसेण्ट से ऊपर पानी है और उन सभी जलाशयों के माध्यम से सिंचाई सुविधा किसान भाइयों को उपलब्ध करायी जा रही है। उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने पिछले 05 वर्षों के भीतर निरन्तर प्रयास करके और खेत-योजना के माध्यम से किसानों के खेत में ही तालाब खोदी जाती है, उसमें 50 परसेण्ट योगदान किसान भाइयों को दिया जाता है और इस तरीके से 31973 खेत-तालाब पिछले 06 वर्षों में हम लोगों ने तैयार कराये हैं, जिस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 264 करोड़ 85 लाख रुपये व्यय किए और मुझे इस बात को कहने में प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरीके से 100 फीसदी से ऊपर वर्षा बुन्देलखण्ड के क्षेत्र में हुई, हमारे उन खेत-तालाबों की वजह से वर्षा जल संचयन करने में हमारा बुन्देलखण्ड आज सक्षम हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि 31 हजार 9 सौ 73 किसानों के पास अपने खेत- तालाब थे, वह खुद अपनी सिंचाई कर रहा है और दूसरे किसानों

को भी सिंचाई करने के लिए वह सुविधा मुहैया कर रहा है। हम लोगों की यह योजना बहुत कारगर तरीके से आगे की ओर चली है। विद्युत विभाग ने भी जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि न्यूनतम उन्होंने यह प्रयास किया है जिसके माध्यम से किसानों की सिंचाई सुविधाओं को आगे की ओर बढ़ाया जाए। राज्य के भीतर 14 लाख 65 हजार के करीब राजकीय नलकूप हैं और उन नलकूपों को जैसा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिया है कि दस से बारह घण्टे तक की बिजली आपूर्ति उनको की जा रही है और आपको यह विदित होगा और आज ऊर्जा मंत्री जी ने भी इस बात की जानकारी दी है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी इस बात की जानकारी दिया कि पिछली बार में भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प-पत्र के अनुसार किसानों को पचास परसेण्ट उनके बिजली बिल में सब्सिडी दी गई थी और अबकी बार शत-प्रतिशत उनको माफ करने का फैसला करते हुए इस साल के बजट में 16 सौ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अधिकांश भाइयों को अपना बिल नहीं देना पड़ रहा है और राज्य सरकार योगी जी की सरकार ही उस व्यय को वहन कर रही है। इस प्रकार लगातार किसानों के हित में हमारे कार्यक्रम चलते रहते है। पिछले छः वर्षों के भीतर राजकीय नलकूप को बिजली कनेक्शन दिए जाने में कठिनाइयों का समाधान करते हुए 83 हजार 7 सौ 43 निजी नलकूपों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए कराए गए हैं और इस बार 1 अप्रैल से लेकर अब तक 14 हजार 7 सौ से ज्यादा विद्युत नलकूपों का कृषि किसानों के विद्युत नलकूपों का ऊर्जीकरण कराया जा चुका है।

इस तरीके से लगातार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों को कैसे सुविधा प्रदान किया जाए और किसान का हित सर्वोपरि मान करके मिशन मोड पर हमारी सरकार काम कर रही है। इस दृष्टि से राज्य के भीतर हम लोगों ने किसानों को इस बार लगभग 4 लाख 32 हजार मिनी किट निशुल्क हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। दलहन और तिलहन के साथ-साथ में श्रीअन्न के लगभग 56 हजार मिनी किट हम लोगों ने किसान भाइयों को उपलब्ध कराए हैं। गत सीजन के भीतर दलहन और तिलहन के कार्यक्रम को भी राज्य के संसाधनों से हम लोगों ने चलाया था और पिछले साल रवि के सीजन में खरीफ का सीजन मिला करके लगभग साढ़े नौ लाख किसानों को हमने दलहन और तिलहन के मिनी किट उपलब्ध करवाए और इस बार भी हम लोगों ने 4 लाख 32 हजार किसानों को यह मिनी किट उपलब्ध कराए है जिसके माध्यम से किसान भाइयों को खासतौर से श्रीअन्न की खेती की दृष्टि से मोटे अनाजों की दृष्टि से और दलहन और तिलहन के उत्पादन में हमारा उत्तर प्रदेश आगे की ओर बढ़े इस दृष्टि से हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष इस योजना की वजह से हमारे दलहन उत्पादन में 18 परसेण्ट की वृद्धि हुई है। एक वर्ष में देश के भीतर सर्वाधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को भारत सरकार ने मान्यता प्रदान किया तो यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इस सम्बन्ध में

निरन्तर हमारे ट्रांसफार्मर ठीक किए जा रहे हैं, बीज के लिए हमने उन्नतिशील व्यवस्था की है इस साल हम लोगों ने 7 लाख 86 कुण्टल उन्नतिशील बीज हम लोगों ने किसान भाइयों को उपलब्ध कराएं है। हमारी योजनाओं के अर्न्तगत जिन किसान भाईयों ने बीज लिए हैं उस पर 50 परसेण्ट के अनुदान पर उनको उपलब्ध कराया गया है।

राज्य के भीतर बुन्देलखण्ड प्राकृतिक खेती की दृष्टि से सबसे मुफीद है और इस नाते वहां पर सबसे कम रासायनिक खादों का इस्तेमाल होता रहा है, इस बात को ध्यान में रख कर के दूसरी बार में हमारी मा0 योगी आदित्यनाथ की जो सरकार बनी उसमें हम लोगों ने बुन्देलखण्ड के भीतर प्राकृतिक खेती की योजना राज्य सरकार की ओर से, राज्य पोषित योजनाओं को हम लोगों ने शुरू किया, जिसके माध्यम से हम लोगों ने अगले चार वर्षों के लिए 68 करोड़ रुपए का प्राविधान किया है, इस समय बुन्देलखण्ड में सातों जनपदों के भीतर और 47 विकास खण्डों के भीतर 50-50 हेक्टेअर के क्लस्टर बनाकर के और पांच सौ का कलस्टर चार वर्षों के भीतर बनाएंगे और प्राकृतिक खेती के हब के रूप में बुंदेलखण्ड को हम लोग विकसित कर रहे हैं। जिसके माध्यम से कम पानी से भी कम वर्षा में भी उत्पादन किया जा सके।

इस दृष्टि से भी एक दूरगामी योजना हम लोगों ने तैयार की है और जो तात्कालिक प्रभाव से शुरू की हैं। उस योजना के माध्यम से राज्य के भीतर 39600 सोलर पम्प अभी तक लगाये गये जिसमें किसान भाइयों को 40 प्रतिशत पैसा जमा करना पड़ता हैं और 60 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश और भारत सरकार दोनों सरकारें मिलकर प्रदान करती हैं। अभी तक 39,600 सोलर पम्प लगाये गये हैं और इस बार हम लोगों ने पिछले अप्रैल से लेकर अब तक 5742 सोलर पम्प लगाये हैं और अभी भारत सरकार के पत्राचार करने के बाद 30,000 सोलर पम्प हमको इस वर्ष लगाये जाने हेतु मिले हैं तो इस तरीके से यह प्रयास हम लोगों ने किया है जिसके माध्यम से किसान भाइयों को स्थायी सिंचाई मिल सके और बिना लागत के वह अपनी सिंचाई वर्ष भर कर सकें इस तरह की व्यवस्था इस पी0एम0 कुसुम योजना के सोलर पम्पों के द्वारा करायी जा रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर किसान भाइयों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि उनके द्वारा फसल का बीमा कराया जाना चाहिए। 31 जुलाई अंतिम तारीख रहती है खरीफ की फसलों के बीमा कराये जाने के लिए। खरीफ की फसलों पर 2 प्रतिशत प्रीमियम किसान को देना पड़ता है और बाकी प्रीमियम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर अदा करते हैं और दोनों प्रकार के किसान, जो किसान ए0सी0सी0 से लोन ले रहा है वह भी अपना बीमा करा सकता है और जो किसान गैर-ऋणी है जो ऋण नहीं ले रहा है वह भी अपना बीमा करा सकता है। राज्य के भीतर बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई थी, जिसको बढ़ाने के लिए भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया उन्होंने तिथि को बढ़ाकर 10 अगस्त, 2023 कर दिया

है। मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने 2 तारीख से जो अभियान अब तक चलाया है उसमें तेज गति आई है और अब तक 16 लाख 79 हजार किसान बीमा कल की डेट तक करा चुके हैं और यह सबसे अच्छा संकेत है कि आपदा से क्षति होने की अवस्था में किसानों की क्षतिपूर्ति हो सके इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा बहुत ही कारगर साबित होगी और इस नाते मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के अन्तर्गत अपनी फसलों को वीमा करायें तथा राज्य में अब तक इस बीमा के माध्यम से 58 लाख 31 हजार किसानों को 4580 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति बीमा योजना के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा उनको अब तक अदा की गयी है और गत वर्ष के खरीफ सीजन में 8 लाख 36 हजार किसानों को 634 करोड़ 83 लाख रुपये की धनराशि का भुगतान इन बीमा कंपनियों ने किया है जो अपने आप में दर्शाता है कि बहुत अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर यह योजना कारगर है।

राज्य के भीतर खरीफ की फसलों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की व्यवस्था की है। इस समय 52 लाख 65 हजार मैट्रिक टन के मुकाबले 57 लाख 11 हजार मैट्रिक टन रसायनिक उर्वरक हमारे पास है जिसमें डी0ए0पी0 एन0पी0के0, यूरिया, एस0एस0पी0 और पोटाश शामिल है और इस तरह से राज्य के भीतर किसी भी प्रकार की केमिकल फर्टिलाइजर की कोई भी कठिनाई नहीं होगी किसान को सुविधाजनक तरीके से यह उपलब्ध होगा और जो आज की तारीख में माँग है उससे सरप्लस हमारे पास यूरिया और डी0ए0पी0 दोनों है। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि राज्य के भीतर जब योगी जी की सरकार बनी थी तो उसने इस ओर ध्यान दिया। आप के जमाने में संकट क्यों आता था इसलिए कि आप उधर ध्यान नहीं देते थे और आप के न ध्यान देने की वजह से 75 जनपदों में से 22 जनपदों के भीतर ही रैक प्वाइंट था, मा0 योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोगों ने 11 और रैक प्वाइंट बढ़ाये तथा बदायूँ, संतकबीरनगर, बहराइच, बलरामपुर, भदोही, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, कुशीनगर, सोनभद्र, बागपत और कासगंज के भीतर और अभी फिर से मैंने रेल मंत्री जी से बात की है कुछ जनपदों के भीतर वह रैक बनाये जाने के लिए तैयार हैं। रैक के माध्यम से आज हम त्वरित आपूर्ति फर्टिलाइजर की कर रहे हैं और किसान भाइयों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आ रही है। हम लोगों ने राज्य के भीतर पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना को भी चालू किया है, जिससे इस योजना के भीतर बीहड़ और बंजर को सुधार करके खेती योग्य भूमि बनायी जाए इस दृष्टि से भी हम लोगों ने प्रयास किये हैं। पिछले 5 सालों के भीतर लगभग डेढ़ लाख हेक्टेअर जमीन को हम लोगों ने कृषि योग्य बनाया और इस बार हम लोगों ने पंचवर्षीय योजना में इस बात की व्यवस्था की है कि ढाई लाख हेक्टेअर की हम व्यवस्था करेंगे, उसे ठीक करेंगे और जिस पर 6 सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से भी जो हम लोगों ने खेती

योग्य भूमि बढ़ायी है, उसी की वजह से राज्य का आच्छादन गत वर्ष की तुलना में इस साल हमारा बढ़ा है और पिछले साल भी विगत वर्ष की तुलना में बढ़ा है, हमारा क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है।

जहां त्वरित विकास की वजह से या एक्सप्रेस-वे, हाई-वे बनने की वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, कृषि योग्य भूमि घटती जा रही थी, मा0 योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उसके बारे में भी चिंता की और चिंता करके उसकी भी व्यवस्था की कि कैसे हम बीहड़ और बंजर भूमि को खेती के रूप में उपयोग लाये जाने के लिए उसका सुधार करें। इस दृष्टि से हम लोग निरंतर प्रयत्नशील हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई विगत वर्षों के भीतर किसानों को नहीं हुई है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का किसान सुख और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कहीं पर भी अशांति नहीं है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी राज्य के भीतर किसानों के भीतर किसी भी प्रकार की अशांति नहीं रही। वर्ष 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश के किसानों का इन्हीं योजनाओं की वजह से बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला। राज्य सरकार उनके जनादेश का आदर करती है और उनकी चिंता करती है। उनकी कैसे समृद्धि हो, उसका प्रयास करती है और मिशन मोड पर काम करती है। चूंकि कल आप लोगों ने चिंता व्यक्त की थी, समाचार-पत्रों में भी यह बात आ रही थी परंतु मा0 मुख्य मंत्री योगी जी ने उससे पहले ही इस बात को कहा था कि हम राज्य विधान सभा के भीतर इस स्थिति पर चर्चा करायेंगे इसलिए मैं आहूत करना चाहूंगा कि आप में से जिन सदस्यों को कोई विचार रखना है या अपने जनपद की बात करनी है, वह कह सकते हैं। राज्य सरकार उसका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है और हर तरह से किसानों के साथ खड़ी है, उनकी चिंता करेगी और किसी तरह की कठिनाई उन्हें नहीं होने देगी। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

धन्यवाद मंत्री जी। मा0 सदस्य श्री लालजी वर्मा।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मा0 मंत्री जी ने विस्तृत वक्तव्य रखने का काम किया। जो आज का विषय है, वह मुख्य रूप से सूखा और बाढ़ से सम्बन्धित है। किन्हीं क्षेत्रों में कम वर्षा हुई और किन्हीं क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा या नदी की बाढ़ की वजह से बाढ़ आयी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहां कम वर्षा हुई है। आच्छादित फसल भी सूख रही है। फसल की बुआई भी हो गयी, रोपाई भी हो गयी लेकिन वर्षा न होने के कारण वह फसल सूख रही है। जरूरत इस बात की है कि उसको पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके, जिससे किसान अपनी फसल की सिंचाई कर सके। नहरों में जितनी मात्रा में पानी की आवश्यकता है, उतना पानी नहीं आ रहा है। हर वर्ष हर सरकार इस बात की घोषणा करती है कि हमने टेल तक पानी पहुँचा दिया। मैं आपके

माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब लोग ग्रामीण परिवेश के हैं और प्रायः सब लोग अपने गांव में जाते हैं, खेत में जाते हैं और पूरी जानकारी भी रखते हैं। पानी एक बार पहुँचा देना और सिंचाई के लिए उपयुक्त पानी होना, दोनों में अन्तर है। हमने एक बार प्रयास करके टेल तक पानी पहुँचा दिया तो यह हुआ कि पानी टेल तक पहुँच गया परंतु आज जब टेल तक सूखा पड़ गया तो उस सूखे की स्थिति में धान की फसल को पानी की ज्यादा आवश्यकता है। जो पहले की नहर पड़ती है, उस स्तर तक ही पानी की भरपूर सिंचाई नहीं हो पा रही है। जो मुख्य नहरें हैं, जैसे हमारे जिले में शारदा सहायक कैनाल है और दूसरी एक माहरीपुल लिफ्ट कैनाल है जिससे तमाम माइनर निकली हुई हैं। जब शारदा सहायक कैनाल में हम पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं चूंकि नदियों में पानी की तो भरमार है लेकिन नहर में पानी कम है जिसके कारण माइनर में पानी नहीं चढ़ पा रहा है। हमने फैजाबाद के, अयोध्या के अधीक्षण अभियंता से बात की कि अमुक माइनर में पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमें जितनी मात्रा में पानी मेन नहर में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम माइनर में पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, स्वयं मेरा गांव पोसरा राजवाहा भी नहर के किनारे टेल की तरफ है। मैं दस वर्षों से यह देख रहा हूं कि बरसात के दिनों में जब पानी की कमी होती है, बरसात कम होती है, सूखा पड़ जाता है तब उस नहर में एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचता है और जब सूखा समाप्त हो जाता है, बरसात हो जाती है तब वह नहर इतनी बहती है कि उससे हम लोगों का खेत डूब जाता है। दोनों तरह का नुकसान उठाना पड़ रहा है। नहर के माइनर से दूसरे माइनर में पानी नहीं जा रहा है, उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं, इसके लिए जरूरत है कि किसान को पम्प का कनेक्शन मिले, बिजली से वह अपने खेत में पानी लगा सके। किसान को जो 68,000 रुपये प्रति कनेक्शन में सब्सिडी दी जाती थी और किसान सामान्य योजना में बिजली का कनेक्शन ले सकता था। फरवरी, 2019 से उस छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब जब 68,000 की छूट को समाप्त कर दिया गया है तो एक किसान को बिजली का कनेक्शन लेने में सवा लाख, डेढ़ लाख, पौने दो लाख, ढाई लाख रुपये तक का खर्च आ रहा है, लेकिन कम-से-कम सवा लाख रुपये का खर्च आ रहा है, जो उसके बस की बात नहीं है। एम0डी0 मध्यांचल ने एक नया शासनादेश जारी किया है कि अगर किसी ट्रांसफार्मर पर घरेलू कनेक्शन है, भले वह किसान के खेत में है, उससे 40 मीटर पर ही उसको अपने पम्प का कनेक्शन लेना है तो अगर एक भी कनेक्शन उस पर लाईट का है तो उससे ट्यूबवेल का कनेक्शन न दिया जाय। अगर किसी भी जे0ई0 के द्वारा ऐसा किया जायेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। किसान के खेत में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वह अपने खेत के पम्प के लिए कनेक्शन लेना चाहता है वह भी उसे नहीं मिल पा रहा है। सूखे की स्थिति में हम तमाम व्यवस्थाएं करते हैं, सुविधा दिलाने का काम करते हैं, सहयोग दिलाने का

काम करते हैं। हम लोगों के क्षेत्र में, विशेषकर अम्बेडकरनगर में मैं निवेदन करना चाहता हूं सिंगल फेस से मोटर चलती है और उसी मोटर से पानी निकल कर खेत की सिंचाई हो जाती है। लम्बा-लम्बा तार लगाकर लोग सिंचाई कर लेते हैं। आज जब सूखा पड़ा है, जब तक बरसात नहीं हो रही है। मैं माननीय नेता सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि एक महीने के लिए किसान को छूट दे दीजिये, उसके ऊपर विजीलेंस न दौड़ाईये। कम-से-कम वह अपने खेत की सिंचाई कर ले। अगर उससे उद्योग चलाता है, कोई दूसरा काम करता है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन अगर खेत के पानी के लिए वह व्यवस्था कर रहा है तो निश्चित रूप से इतनी छूट उसको मिलनी चाहिए, ये हम कर सकते हैं। न हम ज्यादा पानी बरसा सकते हैं और न ही बाढ़ को रोक सकते हैं। यह शासन का कर्त्तव्य है कि हम उसमें क्या सुविधा जुटा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर इस काम को हम करेंगे तो इससे किसान को फौरी राहत मिलेगी। हम उसको फसल सूख जाने पर तमाम सुविधाएं बाद में देते हैं। फसल सूखने न पावे यह मानकर हम उसको यह सुविधा दे दें। बिजली विभाग अगर इस एक महीने के लिए जब तक सूखा है, पानी कम बरस रहा है उसको सिंचाई करने की सुविधा उपलब्ध करा दे तो मैं समझता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल फेस से वह तार ले जाता है अपना मोटर चला लेता है और हर खेत में वह बोरिंग कराये हुए है, लम्बा-लम्बा पाईप है उससे वह चला लेता है। अगर इस समय इतनी सुविधा आप दे दें तो सूखे से काफी राहत हो जायेगी, विजीलेंस वहां न जाने का काम करे। उसको 5-10 बिसवा सींचना है, विजीलेंस गया और उसका मोटर भी उठा लाया, साथ ही साथ 43000 रुपये का उस पर सरचार्ज लगा दिया। किसान सूखे की मार से मर रहा है और दूसरा बिजली विभाग की मार से मर रहा है दूसरा मेरा निवेदन है कि जहां कनेक्शन भी है चूँकि जब सारे ट्रान्सफार्मर अतिभारित हैं, एक सर्वे करा लें। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध भी किया था कि आप साधारण सर्वे करा लें। इस समय मैक्सिमम ट्रान्सफार्मर, 70 फीसदी से ज्यादा ट्रान्सफार्मर ड्योढ़ा से लेकर दूना ओवरलोडेड हैं। हम एक साथ सबको बदल भी नहीं पा रहे हैं, जिससे उसके कारण वह जल जा रहे हैं। वह बदले जा रहे हैं, लेकिन बदलकर लगते हैं, दूसरे दिन फिर जल जाते है। अभी कल माननीय राकेश जी ने एक सवाल उठाया था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, जल्दी बोल लीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, बस खत्म कर रहा हूँ। उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि ट्रान्सफार्मर की जो मरम्मत हो रही है, उसमें जो तेल की मात्रा है, उसमें कुछ चोरी हो रही है, उसकी मरम्मत ठीक से नहीं होती है। इसीलिए लगते ही दूसरे, तीसरे दिन जल जाता है।

मेरे क्षेत्र में अहिरौली गाँव है और उस गाँव में एक ट्रान्सफार्मर 25 के0वी0ए0 का लगा है और उस पर लगभग 100 के0वी0ए0 से ज्यादा लोड है। जिस दिन लगता है, उसके दूसरे दिन वह जल जाता है। सिफारिश करते-करते मैं भी थक जाता हूँ और निश्चित रूप से बार-बार हर रोज उसी ट्रान्सफार्मर के लिए कहना, निश्चित रूप से अनुकूल नहीं पड़ता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि विस्तृत स्तर पर सर्वे कराकर जितने भी ओवरलोडेड ट्रान्सफार्मर हैं, उनको बदला जाये, उनकी क्षमतावृद्धि की जाये। साथ ही साथ मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूँ कि नहरों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो और साथ-साथ बिजली की जो व्यवस्था है, उससे किसान को छूट दिया जाये। हमारे क्षेत्र में एक किसान ने अक्टूबर, 2019 में 51 हजार रुपये बिजली के कनेक्शन के लिए जमा किया। आज तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ। अब कहा जा रहा है कि आप अपना पैसा वापस ले जाओ। पैसा वापस लेने के सम्बन्ध में हम कह रहे है कि आपका अगर बकाया हमारे ऊपर होता तो आप सरचार्ज लगाते है तो हमें भी आप ब्याज दीजिए। अगर आप हमें वापस भी कर रहे हैं तो आप व्याज दीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी, इस तरह का बहुत लोगों का पैसा नहीं जमा होगा। एक मुश्त बिजली विभाग को शासन से दे दीजिए। जिनका पैसा इस प्रकार से 2019 से जमा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 2021 और 2022 में जमा है, जिनका 2019 में पैसा जमा है, इस तरह के जितने भी काश्तकार हैं, उनको एक मुश्त 68 हजार वाली जो छूट थी, उसको आप शासन से कम्पन्सेट कर दें, जिससे उनका बिजली का कनेक्शन हो जाये, जिससे उसको वापस करने की बात न करें। मैं आपसे ऐसा भी निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आप इस काम को करेंगे तो यह किसानों के हित में होगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय लालजी वर्मा जी, आप जल्दी समाप्त कर दीजिए, आपके 10 मिनट हो गये है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इसकी व्यवस्था तत्काल करायें, जिससे किसान की जो फसल सूख रही है, वह सूखने से बचे। दूसरा, माननीय मंत्री जी ने खाद की चर्चा की, जिप्सम आदि कहीं भी नहीं है, आप उसको मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। उसके यंत्रों पर कोई छूट नहीं दे पा रहे है। जी0एस0टी0 तक भी उसको कम्पन्सेट नहीं कर पा रहे है। किसान दिन-रात मेहनत करके फसल उत्पादन कर रहा है और लगातार उत्पादन बढ़ रहा है, यह कोई आपकी सरकार में नहीं बढ़ा है। 2011-12 में भी उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष में खाद्यान्न उत्पादन में पहला पुरस्कार मिला था। लगातार हमारे किसान प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो आज जरूरत है, सूखे और बाढ़ के कारण उसकी समस्या का तत्काल समाधान करें। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राज्य मंत्री, श्री बल्देव सिंह औलख जी अपनी बात रखें।

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान राज्य मंत्री (श्री बल्देव सिंह औलख)-

अधिष्ठाता महोदया, हमें सूखे और कृषि पर चर्चा करने का मौका मिला। हमारा देश, कृषि प्रधान देश है। जय किसान, जय जवान के नारे से यह देश चल रहा है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आने के बाद यह देश जय विज्ञान हो गया है क्योंकि आजकल के युग में जिस तरह से बहुत सारी चीजें जो कृषि से जुड़ी हुई हैं। मान्यवर, आगे विज्ञान के तरीके से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसा कृषि में बदलाव लाया गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपदा आई, चाहे कोरोना काल में, मगर किसान का पहिया कहीं पर नहीं रुका। किसान ने हमेशा पूरा का पूरा काम किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से कोई भी चीनी मिल हो, गेहूँ हो, धान हो किसी भी प्रकार से बिक्री करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के मसीहा के रूप में किसानों को आगे बढ़ाने का काम किया है और जो सुविधा देने का काम किया है उससे किसान खुशहाल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से किसानों की आय दुगनी करने का जो विषय था और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की और वर्ष 2017 में जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी तब से किसान की आय को दुगना नहीं चार गुना, आठ गुना करने का काम किया है।

आज सूखे की चर्चा का विषय यहाँ पर रखा गया है। माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जिन जनपदों में वर्षा कम हुई है, जिन जिलों में वर्षा अधिक हुई है, उनके आच्छादन के लिए, उनकी फसल के लिए फ्री बीज देने का काम किया है। जिससे किसान को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आये। मैं विपक्ष के साथियों से भी कहना चाहता हूँ, यह बार-बार सदन में सवाल करते हैं किसानों से कि आपकी सरकार ने जो वायदा किया, किस तरह से उसको निभाने का काम कर रहे है। मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कृषि विभाग की तरफ से एक योजना बनाई है जिसमें खेती के साथ उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि व्यवसायिक खेती पर बल देने का काम किया है। हमने किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, आधार संतुलित उर्वरक का भी प्रयोग किया है। प्रदेश में जहाँ कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा को बहुत विस्तार करने का काम किया है और अन्य जगहों पर भी सिंचाई की सुविधा पर भी विचार किया गया है। कृषि विविधीकरण प्राकृतिक संसाधनों का प्रबन्धन करने का भी काम किया है। उत्तर प्रदेश में सोलर के सम्बन्ध में वर्ष 2014 और 2015 में क्या स्थिति थी और वर्ष 2017 के बाद से जिस तरह से किसानों को सोलर पम्प देने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज किसानों को 30 हजार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है।

यह ऐतिहासिक है। जो किसान बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाते थे उनको सीधा-सीधा सोलर देने का काम किया गया है। कम्प्यूटर सिस्टम से सोलर पम्प को निकालने का काम हमारे अधिकारी करते थे। बहुत सारी शिकायतें उसमें रहती थी जिसमें हमने किसानों को सुविधा देने के लिए ब्लाक वाइज टारगेट किट दिया गया है। लाटरी के माध्यम से माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर किसान को उस सोलर पम्प का कनेक्शन मिलेगा यह हमने कृषि विभाग की तरफ से व्यवस्था की है।

कृषि आय की लागत को कम करने का काम किया है। कृषि यंत्रों में 80 प्रतिशत छूट देने के साथ किसानों को ओपन कहा है कि आप अपनी मशीनरी के हिसाब से अपनी फसल के हिसाब से आप अपनी-अपनी मशीनरी क्रय करिये सरकार आपको 80 प्रतिशत तक छूट देने का काम करेगी। किसानों की खेती में बहुत सारी लागत कम करके और उर्वरक के संतुलित प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हमने 2.30 करोड़ कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करके उपलब्ध कराने का काम किया है। अब हम प्रथम चक में 170.15 लाख के, द्वितीय चक्र में 203.5 लाख के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने का काम किया है।

सिंचाई के लिए अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बहुत सारे तालाब, पोखर बनाने का काम किया है और बड़े-बड़े तालाबों को भरने का काम किया है। किसानों का जो वाटर लेविल नीचे जाता है उसको दूर करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को क्योंकि उन्होंने जैसा कि पिछली सरकारों में था कि आपने देखा कि बहुत सारे डार्क जोन थे, माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा से उन क्षेत्रों को डार्क जोन से निकालकर वहां के किसानों को पम्प की सुविधा देने का हम लोगों ने काम किया है। साथ में मैं कहना चाहता हूं कि आज हमने देखा कि किस तरह से फसलों का मंडियों में सीधा-सीधा जाना होता है। किसानों को मंडियों में बहुत सारी सुविधा देने का हम लोगों ने काम किया है। मैं किसान होने के नाते कहना चाहता हूं कि पहले किसान गेहूं और धान की फसल को फ्रीज करते थे, आज किसान इतना जागरुक है कि अपनी ट्रैक्टर-ट्राली से मंडियों तक जाता है और वहां से नकद पेमेंट ले करके अपने घर को आता है।

साथियों, यह बोलने की बात नहीं, 2017 से पहले हर तरीके की लाइनें लगती थीं, चाहे डीजल की, चाहे खाद की, चाहे गैस की लाइन हो, परिवार का एक आदमी लाइन में खड़ा रहता था लेकिन 2017 के बाद सारी लाइनें समाप्त करके किसान को बेहतर करने का काम हम लोगों ने किया है। आप धान देखिये, कितने मीट्रिक टन धान मंडियों में है, किसान को किस तरह से फायदा होता है, मंडियों में किसानों को नकद भुगतान किया जाता है, गेहूं का नकद भुगतान किया जाता है और पर्याप्त किसानों को सेल्टर लगाने का काम हम लोग करते हैं जिससे कि किसान को कोई दिक्कत न हो। साथियों, अभी खाद का जिक्र आया था, हमने खाद

का रेट बढ़ने नहीं दिया चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो और चाहे यूरिया हो सरकार ने इनको सब्सिडी देकर किसान पर एक रुपए का भी बोझ डालने का काम नहीं किया गया है। किसान की आय को बेहतर बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह काम किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम सपना था मिलेट्स, ज्वार, मक्का, जौ हम लोग पहले लगाया करते थे, जो कि खाने में स्वादिष्ट थे लेकिन वह फसलें विलुप्त हो गई, माननीय योगी जी के नेतृत्व में इन फसलों को फिर से बढ़ाने का काम किया है। यह पौष्टिक आहार है, इसमें किसी तरह की खाद और दवाई का प्रयोग नहीं होता है, श्री अन्न के नाम से हम लोगों ने इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है, हमने प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, हम चाहते हैं कि बहुत सारी फसलों में बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी खाद डालने का काम होता है जिसका आम आदमी की सेहत पर फर्क पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि इस प्राकृतिक खेती की बढ़ोत्तरी की जाय और उसका प्रयोग किया जाय।

मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने फसल बीमा योजना लागू की, हम चाहते है कि किसान फसल बीमा योजना के माध्यम से फसल का बीमा कराये जिससे कि कोई भी आपदा आ जाय तो किसान का नुकसान न हो। किसान को पैसा मिलना चाहिए, किसान को जिन्दा रखने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, अगर बाकी सरकारें होतीं तो किसान डूब जाता। आज किसान खुशहाल है, आज किसान खुश है, साथियों जो प्रधानमंत्री किसान निधि है हमने उसको अभियान के रूप में चलाने का कार्य किया है। हमने लगातार 1 महीने तक अपने अधिकारियों को भेज कर किसान खाली न रह जाए, जिससे किसी को प्रधान मंत्री सम्मान निधि किस्त न मिले, हम उसके खाते में सीधे-सीधे किस्त डालने का काम करते हैं। किसान को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है, हमने उसको दूर करने का काम किया है और साथियों हमने किसान पाठशाला के नाम से किसानों की एक योजना चलाई है, जिसमें किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं क्योंकि आज के समय में खेती भी एक इलेक्ट्रॉनिक खेती हो गयी है। हम चाहते हैं अच्छे बीज, अच्छी मशीनरी के साथ किसान खेती करे जिससे किसानों का लाभ हो, किसानों का फायदा हो, किसान खुशहाल हो।

मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि आप भी सत्ता में रहे हो और जिस तरह से किसान को डुबाने का काम आप लोगों ने किया था, आज अगर योगी जी के नेतृत्व में सरकार नहीं होती तो किसान बहुत पिछड़ जाता, आज किसान बहुत खुशहाल है, यह मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा है और अगर आज किसान खुशहाल है तो मा0 प्रधान मंत्री जी की कृपा है। आज किसानों की योजनाओं के बारे में जो सरकार काम कर रही है, आप लोगों को इसकी सराहना करनी चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से खेती हो और अच्छे बीज देने का कार्य सरकार कर रही है और मा0 मुख्य मंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं किसानों की समस्याओं के

लिए। इसमें चाहे बाढ़ की चिंता हो, चाहे बीज की चिंता हो, चाहे खाद्य की चिंता हो, किसी भी चीज की चिंता हो, उसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी हमेशा चिंतित रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश-

मान्यवर, 25 मिनट मा0 मंत्री जी बोले हैं और 15 मिनट यह बोले हैं।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं मान्यवर, क्योंकि वह मंत्री है वह 12 मिनट बोले हैं।

***श्री ओम प्रकाश-**

अधिष्ठाता महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि 2 घंटे यह बोल लें, उसके बाद हम बैठकर ताली बजायेंगे। मेरा एक निवेदन है कि हम तो यह ही तय नहीं कर पाये हैं कि यह बहस सूखा या बाढ़ पर हो रही है या अनुदान पर हो रही है। दोनों मंत्री जी ने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि लग रहा है कि न तो यह सूखे की बहस है और न ही बाढ़ की बहस है, यह सरकार की उपलब्धियों की बहस है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी मा0 मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा, वह हमारे बगल के ही हैं, इनकी रिश्तेदारी भी मेरे जनपद में है। इन्होंने पूरी बातें बाढ़ की बतायी है लेकिन 10 जनपदों में बारिश नहीं हुयी है। मंत्री जी आप रिश्तेदारी में तो फोन कर लीजिए कि गाजीपुर में बारिश हुयी है कि नहीं हुयी है। आपको चंदौली, बनारस याद है और भी जगह याद हैं। गाजीपुर बहुत पुराना जिला है और उस जिले में बारिश नहीं हुयी है। यह बहस वाढ़ की और सूखे की है। हमारे नेता सदन यहां रहे हैं उन्होंने गोरखपुर के बारे में अच्छा काम किया है। बाढ़ के लिए कृषि मंत्री है, लेकिन बाढ़ के लिए सिचाई मंत्री जी कहां हैं ? सिचाई मंत्री जी का काम यह है कि अगर वह सोनभद्र जायेंगे तो वहां पर नहर खोदेंगे और कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है इसकी उच्च स्तर से जांच करायेंगे। कहां जांच हो रही है, किससे जांच हो रही, क्या रिपोर्ट आ रही है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल भी मंत्री जी बोल रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अधिष्ठाता महोदया, अगर इस्तीफा देना था, तो मंत्री क्यों बन गये ? आज बाढ़ पर चर्चा हो रही है, तो यहाँ बाढ़ मंत्री नहीं है। अभी मा0 मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि 11 हजार 224 टेल हमारे पास है और खुद मा0 मंत्री जी कह रहे हैं कि 8 हजार टेल पर पानी पहुचाए हैं। आप स्वयं बोले और ये भी बोला कि सूखा नहीं है। हम यह जानना चाहते है कि हमारे यहाँ चौधरी चरण सिंह पम्पवेली है, जो बहुत पुरानी है। बहुत मेहनत, मशक्कत के बाद मा0 मुलायम सिंह जी की सरकार में उस पानी को मैंने चालू कराया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गाजीपुर पुराना जनपद है। पूरब में जनसंख्या का दबाव है। आप तो दिल्ली के नजदीक हैं इसलिए आपको नहीं मालूम होगा। वहाँ लोग रोजगार के लिए जाते है। हमारे यहाँ जनसंख्या का इतना दबाव है, यह हमारा रिपोर्ट नहीं है वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि हिन्दुस्तान में 60 प्रतिशत लोगों के पास एक एकड़ या एक एकड़ से कम जमीन है। 28 प्रतिशत लोगों के पास 3 एकड़ या 3 एकड़ से कम जमीन है। मात्र 12 प्रतिशत लोगों के पास सीलिंग एकड़ जमीन है।

हमारे यहाँ 9 छोटी लिफ्ट कैनाल है। विद्युत मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे यहाँ एक देओल लिफ्ट कैनाल है। वहाँ 11 साल से स्वतंत्र फीडर बन रहा है। पैसा पूरा जमा है, लेकिन ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से इस सूखे में भी वह स्वतंत्र फीडर चालू नहीं हुआ। 30 क्यूसिक की नहर है। हमारे यहाँ गहमर पूर्वी, पश्चिमी देओल, राजमल, सुरहां, शायर आदि मिलाकर करीब 11 लघु लिफ्ट कैनाल है और किसी लिफ्ट कैनाल में पानी टेल तो क्या हेड तक भी नहीं पहुँचा है ? कहीं बिजली की वजह से, कहीं नहर टूट जाने के कारण। सिंचाई मंत्री यहाँ नहीं है कि उनसे हम कहें कि आप लाइजनिंग क्यों नहीं करा रहे है, उसको ठीक क्यों नहीं करा रहे हैं ?

हमारे गाजीपुर जनपद में वीरपुर कैनाल है। मा0 मंत्री जी प्रस्ताव रखे हैं। शेरपुर उनके बगल में है। वह 40 क्यूसिक की लिफ्ट कैनाल आज तक नहीं चली। जब तक दोनों लोग प्रस्ताव रख रहे थे और राज्य मंत्री साहब अनुसंधान वाले है। ये तो ऐसे रख रहे है, जैसा लगता है कि बाढ़ पर नहीं बोल रहे है। हमारी सरकार में योगी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया, आप भी कुछ करेंगे या बाजा बजाने आए हैं। जो भी बोल रहा है योगी जी की सरकार है, सब हो रहा है। जब सब वहीं कर रहे हैं, तो आप तबला बजाने के लिए है।

(मंत्री जी के खड़े होकर कुछ बोलने पर।)

आप बैठिए। आप जब बोल रहे थे, तो हम कुछ नहीं बोले। अब हमको बर्दाश्त करिए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कुशी माईनर, देवइता रजबाहा, दिलदार नगर रजबाहा, ताड़ीघाट रजबाहा, नवली रजबाहा के मुख्य नहर पर एक भी टेल पर पानी नहीं पहुँचा है। आप यहीं से किसी को भेजकर पता करा लीजिए। पश्चिम बाढ़ से परेशान है और हम सूखा से परेशान हैं। आज टेल पोर्सन पर कोई आउट स्टैंडिंग, कोई स्टेट ट्यूबवेल लगवा देते। बिजली मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं। मा0 मंत्री जी आप बताइए कि आप किसान से 12 माह का बिजली का पैसा लेते हैं और किसान बिजली 4 से 6 माह इस्तेमाल करता है। ये तो खुल्लम-खुल्लम लूट है साहब।

(सत्ता पक्ष के किसी सदस्य के कुछ बोलने पर।)

हमारी सरकार में रु0 400/- लिया जाता था, लेकिन आपकी सरकार में रु0 900/- लिया जाता है। समाजवादी पार्टी ने कभी किसानों के ट्यूबवेल का रेट नहीं बढ़ाया है (विपक्ष के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाई)। आप ने तो डकैती डाल दी है।

श्री अधिष्ठाता-

अभी बाढ़ और सूखे पर चर्चा कर लीजिए, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा।

श्री अतुल प्रधान-

वो लोग जो कर रहे थे।

श्री अधिष्ठाता-

अपने क्षेत्र की परेशानी बता दीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

मैं क्षेत्र की ही क्यों बताऊँ, प्रदेश की न बताऊँ ?

श्री अधिष्ठाता-

पहले क्षेत्र की बता दीजिए, अन्यथा वह रह जायेगा।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि धान की रोपाई 98 प्रतिशत हुई और आच्छादित 93 प्रतिशत है, ज्वार की खेती 110 प्रतिशत, यह कहाँ से बोल दिया ? जब इस तरह से आँकड़ा बताना है तो फिर इस चर्चा की क्या जरूरत है ? यहाँ सिंचाई मंत्री जी हैं नहीं, 1381 कि0मी0 गंगा उत्तर प्रदेश में है। सिंचाई मंत्री जी को बुलवाईये, उनको तो मनरेगा का मजदूर बना दिया है कि जाईये फावड़ा लेकर खोदिये। जब मजदूरी करना है तो मंत्री क्यों हो गये ?

(किसी सदस्य द्वारा टोकाटाकी करने पर)

आप इस तरफ, उस तरफ में चला ही रहे हैं। पिछली बार इनकी सरकार आ गयी। भाग्य और भगवान अगर कहीं दिखायी दे रहा है तो इन लोगों के पास दिखायी दे रहा है, कर्म तो कहीं नहीं है। कर्म तो इतना खराब है कि नीचे वाला, नीचे वाले के साथ इंसाफ नहीं करता है तो ऊपर वाला कठोर इंतजाम करता है और यह होगा, यह जायेंगे तो बीस साल तक वापस नहीं आयेंगे।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।)

श्री अधिष्ठाता-

वह विषय आप छोड़ दीजिए, बाढ़ और सूखे पर अपनी बात रखिये।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

यदि इनके कर्म अच्छे रहते तो इतना जल्दी उधर चले जाते ? यह अपने कुकर्मों का भोग, भोग रहे हैं जो उधर बैठे हुए हैं। (सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपायी।) प्रदेश की जनता ने पूरे शानदार तरीके से हम लोगों को वापस किया है और आपको ले जा करके वहाँ पर बैठा दिया। यह दूसरी बार बैठे है। कम से कम सत्य बोलिये, सत्य से परे मत जाईये।

श्री ओम प्रकाश-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, जैसे हमारे कुकर्म से हम यहाँ पहुँचे हैं तो यह तो पता नहीं कहाँ चले जायेंगे, पता ही नहीं चलेगा।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय ओम प्रकाश जी अभी आप अपने को बाढ़ और सूखे की चर्चा तक सीमित कर लीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

बाढ़ आता नहीं कि बाढ़ की चौकी बनना शुरू। बाढ़ की चौकी आपदा में भी लूट का धन्धा बना हुआ है और आप कह रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मैडम, हमारे यहाँ 04 ट्रंक ड्रेन है, चारों ट्रंक ड्रेन में नक्सर ड्रेन, पचोखर ड्रेन, गोधनी ड्रेन और बलेसर ड्रेन। ये चार मुख्य ड्रेन है और छोटी-छोटी ड्रेन तो काफी संख्या में है। मेरी विधान सभा क्षेत्र के एक तरफ कर्मनाशा नदी, दूसरी तरफ गंगा नदी है और दोनों नदियों के बीच में मेरी पूरी विधान सभा क्षेत्र है। हम लोग बहुत परेशान रहते हैं सूखा से अलग परेशान, बाढ़ से अलग। बारिश अधिक हो गयी तो बाढ़ का प्रकोप और बारिश कम हो गयी तो सूखे का प्रकोप। हम लोग इतने परेशान हैं कि पूर्वान्चल में गाजीपुर, आजमगढ़ या उस क्षेत्र के अन्य जिलों से इसलिए पलायन होता है कि हमारे पास जोत की जमीन कम है और जो है उसके लिए पर्याप्त सिंचाई नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, गहमर एक ऐसा गाँव है, वह 22 हजार रकबे का गाँव है, उस गाँव में 5 हजार से अधिक मिलेट्री के कैप्टेन है। यह बुरा हाल है कि हम अथक प्रयास करके भी हम अपने टेल तक पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आपने कहा कि मा0 योगी जी की सरकार में इतना प्रयास हुआ है कि सब जगह पानी पहुँच गया, कहाँ पहुँचा ? यह नहीं बताया, आप पता कर लीजिए अगर मेरी बात गलत हो। आज क्या स्थिति है ?

श्री अधिष्ठाता-

आपके 10 मिनट हो गये, अब जल्दी एक मिनट में अपनी बात खत्म कर लीजिए।

श्री ओम प्रकाश-

मैडम, दो मिनट और दे दीजिए। हमारे यहाँ अर्शिया प्रथम, द्वितीय और तृतीय 22 हजार की आबादी का गाँव है। अधिष्ठाता महोदया, एक-एक गाँव में 18 से 24 हजार वोट

है। मेरे गाँव में 12 हजार वोट हैं। बड़ी-बड़ी आबादी के गाँव हैं उनका क्षेत्रफल अधिक है और सिंचाई का इतना बुरा हाल है कि हमारे क्षेत्र के किसान पलायन के लिए मजबूर हैं। मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं यह जरूर चाहूंगा ऊर्जा मंत्री जी भी बैठे हैं, कृषि मंत्री जी ने तो इतना अच्छा बजट बोल दिया हम समझ ही नहीं पाये कि यह पूरब के रहने वाले हैं। गोरखपुर में एक काम हुआ है, जहां गोरखपुर में वाटर लॉकेज था। जब नेता सदन सांसद हुए तो हम भी सांसद थे मैं जानता हूं मैंने देखा है लिफ्टिंग के लिए बहुत लोड था। गाजीपुर पुराना जनपद है, मा0 कृषि मंत्री जी आपके पड़ोस से भी है, आप वहां से जुड़े भी रहे हैं। मैं ऊर्जा मंत्री जी से भी कहूंगा कि मऊ पी0एम0 से सटा हुआ है। गाजीपुर से आजमगढ़ और मऊ की संरचना हुई है स्थिति इतनी खराब है। अभी हमारे वर्मा जी कह रहे थे कि ओवरलोडिंग सिस्टम है आप पता कर लीजिए। सिस्टम इम्प्रूमेन्ट में 2 साल से कोई पैसा नहीं गया है। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं अभी हाउस से पहले मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें 25 के0वी0ए0 के 70 ट्रांसफार्मर जले हैं, 63 के0वी0ए0 के 40 जले हैं, 250, 400 और 600 के0वी0ए0 के ट्रांसफार्मर मैंने अपने गांव में लगवाये हैं। इन परिस्थितियों में ओवरलोड सिस्टम है। सिस्टम से कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए गाजीपुर के बारे में मा0 मंत्री जी स्वयं पता कर लें कि अब तक कितने ट्रांसफार्मर जले हैं ? इस सूखे में जो दैवीय आपदा आयी है, इसके लिए हमें एक आन्दोलन की तरह कार्य योजना बनानी चाहिए, इसलिए मैं जरूर चाहूंगा कि इन परिस्थितियों में कम से कम जो सूखे से गाजीपुर प्रभावित है, उसके लिए सरकार उस पर काम करने का काम करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

***श्री राजीव गुम्बर-**

मान्यवर, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं सहारनपुर नगर सीट से विधायक हूं। मेरे सहारनपुर नगर में एक ढमोला नदी और एक पांवधोई नदी होकर निकलती है। अब से कुछ वर्ष पूर्व 2013 में जब मैं विधायक नहीं था तब भी इस प्रदेश के अन्दर एक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। हमारा सहारनपुर जिला उत्तरांचल और हिमाचल से लगा हुआ जिला है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो उसका अधिक पानी हमारे यहां की इन नदियों में और हमारे जनपद की अन्य नदियों में आता है। जब वर्ष 2013 में बरसात हुई थी तब बहुत भारी पैमाने पर नुकसान हुआ था, उस समय की सरकार के द्वारा जो भारी पैमाने पर नुकसान हुआ था, उसकी प्रतिपूर्ति लोगों को नहीं दी गयी थी। उस समय बहुत बड़ी संख्या में जानमाल का नुकसान हुआ था, लोगों के घरों का सामान बेकार हो गया था, मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हो गए थे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी का कि अभी कुछ दिन पूर्व बाढ़ आई, मा0 मुख्य मंत्री जी की सहृदयता से, उनकी दूरदर्शिता से नुकसान तो लोगों का हुआ, लेकिन जो जान की हानि वर्ष 2013 में बहुत अधिक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुई थी इस बार बहुत कम हुई है। जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन मकानों को मुआवजा देने का काम हुआ है। जब बाढ़ आती है तो लोग अपने घर छोड़कर बाहर सड़कों पर रहने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने उन लोगों के लिए राहत कैम्प लगाने का काम किया है और राहत कैम्प में भी केवल जमीन पर खुलवाने का काम नहीं किया अपितु उनके लिए बिस्तरों की और तखत तक की व्यवस्था कराने का काम किया है। इस बार हमारी सरकार ने 2608 लोगों को राशन किट देने का काम किया और जो राहत कैम्प लगे हुए थे, उन राहत कैम्पों के अन्दर भी अच्छी सुविधायें देकर उन पर मरहम लगाने का काम किया है। आप घर से तो बाहर हैं, लेकिन आपको भूखा नहीं सोना पड़ेगा आपके लिए सरकार ने हर व्यवस्था करने का काम किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मा0 मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने अपनी कीमती समय से समय निकालकर इन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया, जिसमें आप सहारनपुर भी आये और उन्होंने राहत क्षेत्र कैम्पों का भी दौरा किया। उन्होंने हवाई दौरे करके वहां की पूरी स्थिति को देखा कि किस प्रकार से बाढ़ के कारण नहरें अपना स्थान छोड़कर इधर-उधर बढ़ गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने तत्काल वहां के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेरे उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। राशन किट के साथ उनको तिरपाल की व्यवस्था, प्रत्येक राशन किट में प्रत्येक चीज की व्यवस्था देने का काम किया है। मान्यवर, तीन सौ चौरासी मकान क्षतिग्रस्त हुए। तीन सौ चौरासी में से दो सौ सत्तर मकानों को उनका क्षतिग्रस्त होने का मुआवजा दिया गया। चार सौ बयासी घरों का समान खराब हुआ, उन लोगों को भी आंशिक रूप से मुआवजा देने का काम किया गया है। छब्बीस सौ आठ लोगों को राशन किट मिली, सात लोगों को विभिन्न कारणों से बाढ़ के अंदर आए पानी में डूब गए और उनको जान से हाथ धोना पड़ा जिनमें से चार लोगों के परिवार को तत्काल चार-चार लाख रुपये मुआवजा देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारी शहर की नदी हैं चाहें ढमोला नदी हो, चाहे और कोई नदी हो उसमें जबसे हमारी सरकार आई है उससे पहले की स्थिति बहुत खराब थी। जबसे हमारी सरकार आई हमारी ढमोला नदी में पिचिंग कराने का काम किया जिससे बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर मकानों में और जान माल का नुकसान होने से बचा। मेरे को 2013 से पहले का याद है जब बाढ़ आई थी उस समय ढमोला नदी के दोनो तटबन्ध से लोगों के सैकड़ो लागों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे और उनको मुआवजा भी नहीं मिला था। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जो नगर क्षेत्र से दोनों नदी जो बह रही हैं मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया है और मैं सदन के माध्यम से भी माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप बहुत कृपालु हैं आपने पहले भी सहारनपुर के लिए बहुत काम किया है, बहुत विकास का काम किया है और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो ढमोला नदी का बचा हुआ क्षेत्र है जो पिछली हमारी सरकार के अंदर रह गया था उसकी भी पिचिंग कराई जाए और उसके अंदर

जो बहुत बड़ी संख्या में कीच और सिल्ट जमा हो गई है उसकी सफाई के लिए निर्देश भी देने का कष्ट करें। इसी प्रकार से जो हमारी पांवधोई नदी है जहां से उसका उद्गम स्थल है वहां से आगे उस पांवधोई के अंदर भी बहुत अधिक सिल्ट जमा हो गई है उस सिल्ट को साफ कराया जाए और उसके किनारों पर भी पैचिंग कराई जाए। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि सहारनपुर गंगा और जमुना के बीच का क्षेत्र है उत्तरांचल से लगा हुआ है जब जब बरसात आती है तो सहारनपुर के लोगों को उस बरसात के पानी के साथ-साथ बैराज के पानी के साथ जूझना पड़ता है। सरकार में ऐसी व्यवस्था कराया जाए जिससे लोगों की जानमाल की सुरक्षा हो और जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको और भी मुआवजा दिया जाए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कमाल अख्तर-

मान्यवर, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बाढ़ और सूखे के ऊपर बोलने का मौका दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम की वजह से लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। कई जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ है और कई जनपद ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ा है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं हमारे कई जिले ऐसे हैं कि जहां पर बारिश हुई नहीं है लेकिन उसके बाद भी गंगा नदी, राम गंगा और कई नदियां ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र से बहती हैं और जिलों के अंदर बाढ़ की वजह से कहर बरसता है। हालत यह है कि हजारों-हजारों लोग नदियों के तटों पर पड़े हुए हैं और कई जगह पर लोग पलायन करके तटबन्धों पर डेरा डाले हुए है और पलायन की तैयारी में है। अभी मा0 मंत्री जी बोल रहे थे और हमारे कई सत्ता पक्ष के साथी बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारा काम हो गया है और इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है तो जब उनका सारा काम हो गया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि हम लोगों को ही बोलने का मौका दे दिया जाए क्योंकि हम लोगों की जो समस्या है कम से कम उनका ही समाधान हो जाएगा। मैं आपसे इतना ही बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंदर राम गंगा नदी बहती है उसके ऊपर बांध नहीं बना है और उत्तराखंड से लगा हुआ एरिया है वहां से जब कालागढ़ डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पूरे एरिए के अंदर मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गांव ऐसे हैं चटकाली है, सलमसराय है, काजीपुरा है, बडेरा है, रीठावाला है, स्यालीखदर है, मनोली है, हसनगड़ी है, महदूद है, बहुत सारे गांव है कम से कम सौ गांव ऐसे हैं जिनकी फसले पूरी तरह से बरबाद हो जाती हैं सरकार कहती है कि हम लोग मुआवजा दे रहे हैं बहुत सारे किसान हैं जो के0के0सी0 क्रॉप लोन लेते है उस लोन के अंदर पांच हजार रुपया काट लिया जाता है किसान का, इसलिए क्योंकि उसकी फसल का बीमा होता है। एक भी जगह मा0 मंत्री जी यह बता दें जहाँ पर किसान को उसकी फसल वर्बाद होने के बाद बीमा दिया गया हो। मा0 सिंचाई मंत्री जी, आप आईये और आकर देखिये कि एरिये के अन्दर पूरी फसलें बर्बाद हो गयीं हैं, किसान बर्बाद हो गया है, लेकिन उसको एक भी पैसे का मुआवजा नहीं

मिला। अभी हमारे गुम्बर भाई कह रहे थे कि सहारनपुर के अन्दर लोग मरे और मरने के बाद उन्हें सरकार ने 04-04 लाख रुपये का मुआवजा दे दिया। मेरे क्षेत्र के सलेमपुर गाँव में एक नौजवान बाल्मीकी लड़के की बाढ़ में डूबकर मौत हो गयी। एक बच्चे की मौत हुयी। बेगमसरांय के अन्दर एक गुर्जर भाई की मौत हुयी। एक सैनी लड़के की मौत हुयी, लेकिन जब उनकी लाशें बरामद नहीं हुयीं और पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ तो सरकार ने कह दिया कि बिना पोस्टमॉर्टम के मुआवजा नहीं मिलेगा। यह हालत है।

इसके अतिरिक्त एक दरियापुर गाँव है, बरसात के बाद 04 महीने उस गाँव का कनेक्शन बाकी जगहों से टूट जाता है, बच्चे दो-दो महीने स्कूल नहीं जाते हैं। वहाँ पर सड़क नहीं है। लोग सड़कों पर है और धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। एक हसनगढ़ी गाँव है जिसका दूसरे एरिया से कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार से बराबर माँग हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि दरियापुर तो ऐसा गाँव है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 90 प्रतिशत वोट मिलता है, लेकिन इनकी दो बार सरकार होने के बाद भी न तो दरियापुर के अन्दर पुल बना है और न ही वहाँ के लोगों के लिये सड़क बनी है। आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। हसनगढ़ी गाँव को 50 साल हो गये। अगर बरसात होती है और बाढ़ आ जाती है तो उस गाँव के लोग तीन-तीन महीने दूसरे गाँव से अपने गाँव तक नहीं जा पाते हैं। वह लोग बहुत बड़ी विपदा का सामना कर रहे हैं। मा0 ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं। यह पहली दफा है, इसके पहले किसानों के साथ कभी ऐसा अन्याय नहीं होता था। आज चीनी मिलों पर किसानों का पैसा बकाया है। उसे ब्याज नहीं मिलता। पता नहीं किसानों को पैसे का भुगतान कब होता है। यह पहली बार हो रहा है कि जो गरीब किसान है उसका सिंचाई का कनेक्शन भी काट दिया जाता है। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी से कहूँगा कि किसान की फसल जब बिकती है तब उसको पैसा मिलता है। इसलिये कम से कम किसानों के लिये इतनी छूट जरूर कर दी जाये कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जायें और उन्हें फसल आने तक और पैसा मिलने तक इतनी छूट दी जाये कि वह अपना बिल जमा कर सकें। मा0 सिंचाई मंत्री जी अगर यहाँ होते तो कहते कि हम लोगों ने टेल तक पानी पहुँचा दिया है। मेरे क्षेत्र के अन्दर धारक नगला रजबहा, मनकुआ रजबहा तथा चंगेरी रजबहा इन तीन रजबहों से लघु नहरें बहती हैं, लेकिन एक में भी आज पानी नहीं है और सफाई की स्थिति यह है कि एक जे0सी0बी0 मशीन आ जाती है और सारी नहरों की सफाई करके चली जाती है। आज भी उन नहरों के ऊपर पूरी तरह से अतिक्रमण कायम है और उनमें पानी नहीं है। मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यही कहूँगा कि इस बाढ़ से जो लोग मरे हैं कम से कम उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिये। जो बच्चे मरे हैं उनके परिवारवालों को राहत मिलनी चाहिये। हमारा जो दरियापुर तथा हसनगढ़ी गाँव है उसके अन्दर सड़क और पुल का निर्माण होना चाहिये जिससे वह लोग शहर से जुड़ सकें और अपने बच्चों के लिये अच्छी व्यवस्था कर सकें। इसके अतिरिक्त मेरे क्षेत्र के गाँवों की जो फसल बर्बाद हुयी है, उसका

आदेश यहाँ से हो कि उसमें कितना नुकसान हुआ है और नुकसान के बाद उन लोगों को फसल का मुआवजा मिलना चाहिये। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार वाकई लोगों के हित में काम कर रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि उन गरीबों को मुआवजा भी मिलेगा और फसल के लिये किसान जो के0के0सी0 लोन लेते थे, उसके अन्तर्गत उनको फसल का मुआवजा भी मिलेगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 राजेश चौधरी जी।

श्री राजेश चौधरी-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है कि बाढ़ और सूखे पर यह बहस किसी न किसी सार्थक परिणाम पर पहुँचेगी। आलोचना करना तो बहुत आसान काम है। हमारे विपक्ष के मित्र बहुत आलोचना कर रहे थे तो मैं कहना चाहूँगा कि-

'यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुनून दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना तो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार-बार और तिनका तिनका उठाना पड़ता है।'

आलोचना करना बहुत आसान काम है। आलोचना करना दुनिया का सबसे आसान काम है। आप भी सत्ता में थे। आप भी कुछ अच्छा कर जाते और अगर उधर बैठकर आप प्रशंसा कर रहे होते तो वास्तव में आपकी बात सार्थक होती। यमुना नदी में बाढ़ आई। मेरा क्षेत्र यमुना नदी के किनारे बसा है और लगभग दोनों तरफ यमुना नदी का प्रकोप झेलना पड़ता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। वर्षा पहाड़ में हो रही थी लेकिन परिणाम हमारे क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा था।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी व्यवस्था की जाये। दिल्ली में भी बाढ़ थी। हथनीकुण्ड से बिना किसी सूचना के पानी छोड़ दिया गया। रात में किसान अपने खेतों में सो रहे थे। सुबह जगे तो देखा कि खेतों में पानी भरा हुआ था ऐसा कोई सिस्टम बनाया जाये जिससे बाढ़ आने की सूचना पूर्व में हो तो किसान पहले ही अपनी तैयारी कर लें। बाढ़ के कारण जो नुकसान होता है, वह न झेलना पड़े। बाढ़ के कारण पूरे क्षेत्र के किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। अनेक ट्यूबवेल जो प्राइवेट डीजल का इन्जन लगाकर बोरिंग करते हैं, वे सारे बर्बाद हो गये। उसके लिए सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाये। मैं योगी जी की सरकार को धन्यवाद दूँगा। उन्होंने समय रहते एन0डी0आर0एफ0 को तैनात कर दिया। एन0डी0आर0एफ0 ने पूरी तल्लीनता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ वहां काम किया और लोगों की जान बचाई, सम्पदा बचाई, लोगों के धन की रक्षा की। लोगों के पशु धन

की रक्षा की। नहीं तो और भयावह स्थिति हो सकती थी। 45 साल से इतनी बड़ी बाढ़ नहीं आई थी। सन 1978 में जो प्रकोप पूरे ब्रज क्षेत्र को झेलने को मिला था। वह प्रकोप पहली बार हम अपने जीवन में देख रहे थे। एक राजस्व गांव चमरगढ़ी, पूरा ग्राम तबाह हो गया। उस गांव में एक भी घर नहीं बचा। पानी के अन्दर यदि आप देखेंगे तो केवल बिजली का खम्भा नजर आता है। सारा गांव जल समाधि ले गया। सारा गांव यमुना नदी में बह गया। चूंकि वह उत्तर प्रदेश का राजस्व गांव है। कोई छोटा-मोटा गांव नहीं था। पूरे गांव के अन्दर सिर्फ एक स्कूल नजर आता है क्योंकि वह गांव से एक किलोमीटर बाहर था इसलिए वह स्कूल बच गया। मेरा आपसे आग्रह है कि उस गांव को दुबारा बसाने की व्यवस्था की जाये और उस जगह पर जहां से वह गांव कटा है। 7-8 गांव और उसके किनारे से आते हैं। यमुना का कटाव उसी तरफ जा रहा है। यदि एक-दो बार ऐसे ही और बाढ़ आ गयी तो 5-7 गांवों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बहुत बड़ी जन हानि हो सकती है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि वहां तटबन्ध की प्रॉपर व्यवस्था की जाये। उस क्षेत्र की पुरानी समस्या है। बाढ़ के कारण पुराने क्षेत्रों की रोड यमुना नदी में बह गयी है। रोड के निशान तक नहीं बचे। कहीं आपको गिट्टी तक देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे स्थान है। पी0डब्लू0डी0 विभाग उनकी प्रॉपर व्यवस्था करेगा। समय रहते सड़कों का निर्माण हो। एक और बात कहना चाहूंगा कि बाढ़ तो आ रही थी। सरकार सक्रिय थी, प्रशासन सक्रिय था, हम लोग सक्रिय थे। कई जगह ट्रैक्टर पर चलकर, पानी में चलकर, नाव पर बैठकर वहां जाते थे। गांव वाले बड़ी ताकत के साथ बाढ़ से संघर्ष कर रहे थे। एक चमत्कार इसी सरकार के कारण वहां देखने को मिला।

विद्युत मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। 4-5 घण्टे, 8 घण्टे, 10 घण्टे जब बिजली नहीं तो गाँव वालों को समस्या थी। आज कल गांव में समरसेबिल है, हैण्डपम्प पानी में डूब गये थे। पानी की समस्या थी, मोबाइल चार्ज करने की समस्या थी। गांव वाले बोले बिजली नहीं आई है, बिजली कैसे आयेगी ? मैं आपको बहुत स्वाभिमान और सम्मान के साथ बताना चाहूंगा कि गांव में पानी भरा हुआ था। बिजली के खम्बे पानी में खड़े थे और तारों में करेन्ट दौड़ गया और बिजली चालू हुई, ऐसा इस सरकार ने करके दिखाया है। इतने अच्छे काम हुए हैं। हमारे मित्र आलोचना कर रहे थे। मैने जैसा पहले कहा कि आलोचना करना बहुत आसान काम है। ऐसी बहुत बड़ी भूमि वहां है जिसमें खेती होती थी। यमुना 4-5 किलोमीटर तक पहुंच गयी। 4-5 किलोमीटर तक नदी सिल्ट छोड़कर चली गयी है। फसल करना तो दूर खेतों में जाना मुश्किल हो रहा है। यमुना के बीच में कहीं-कहीं सिल्ट जमा हो गयी है। मेरा आग्रह है कि सरकार उसे हटवाने की व्यवस्था करे।

अधिष्ठाता महोदया, सरकार पूरी तरह से तैयारी के साथ बाढ़ से नहीं जूझ रही होती तो बहुत बड़ी जनहानि हो गयी होती। यमुना नदी तो ऐसी नदी है उसे केजरीवाल के पाप भी धोने पड़ते हैं। दिल्ली के अंदर जो गंदगी होती है, वह यमुना नदी में आती और वह बह करके मथुरा जिले में आती है उसको भी हमें ही झेलना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि

बाढ़ के कारण जिन गांवों में नुकसान हुआ है उन गांवों के किसान की भरपाई हो ट्यूबवेल के कनेक्शन प्रापर लगाये जायें जिनकी बोरिंग डूब गयी है, इंजन बह गया है, उन सभी की समुचित व्यवस्था की जाये और मैं ऊर्जा मंत्री जी से भी कहूंगा कि बाढ़ प्रभावित जितने भी क्षेत्र हैं वहां के किसानों को प्रॉपर ट्यूबवेल के कनेक्शन दिये जाए और पुनः उसकी समीक्षा करवाकर कार्रवाई करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अधिष्ठाता महोदया, मैं जिस जिले से आता हूँ, उस जिले में नेपाल से बहुत सारी नदियां आती हैं। उसका परिणाम हमेशा यह होता है कि वहां आदमी सशंकित रहता है कि कब बाढ़ आ जाये और बाढ़ की रोकथाम के लिए जो करना चाहिए था, वह हुआ नहीं है। हमारे यहां पिछली बार बाढ़ आयी तो सभी कुछ डूब गया, बर्बाद हो गया। फसलों के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया गया कहा गया कि जिसकी फसल डूब गयी है, उसको दिया जायेगा। तहसील इटवा, डुमरियागंज और शोहरतगढ़ में मुआवजे का प्रावधान होते हुए भी सबको मुआवजा नहीं दिया गया। इस वर्ष तो सूखे की स्थिति है, लेकिन थोड़ा सा पानी बरसेगा तो बाढ़ आ जायेगी क्योकि पहाड़ी नदियां है और यह बहुत दिनों से प्रयास हो रहा है कि नेपाल में बांध बनाकर जलकुंडी योजना के नाम से और पानी वहां रोका जाये और इधर न आये, उसी का परिणाम है तराई क्षेत्र डूब जाता है। इसकी व्यवस्था सरकार आज तक नहीं कर पायी है यही नहीं नेपाल से जो पानी आता है तो नेपाल के बार्डर पर तटबन्ध भी नहीं बनाये जाते हैं क्योकि नेपाल सरकार इसका विरोध करती है। जहां तक सूखे की स्थिति है सरयू कैनाल योजना की नहरे हैं यह 327 करोड़ की योजना थी और कई हजार करोड़ खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक योजना पूरी नहीं हुई है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बलरामपुर में इस योजना के पूरे होने का प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है और लोकार्पण भी कर दिया है लेकिन वह अभी पूरी नहीं हुई है। अभी नहरें पूरी बनी नहीं है। एक नहर हमारे ही चक से निकलती है लेकिन उसमें हमने कभी पानी पूर्ण रूप से देखा नहीं है। जब जरूरत होती है तो उसमें पानी नहीं होता है। इन नहरों का मुख्यालय बलरामपुर में बना है और बलरामपुर में वह 9-10 किलोमीटर ही नहर है। उसके बाद वह पूरी नहर सिद्धार्थनगर में पड़ जाती है। हम लोग बराबर प्रयास करते हैं कि इसके अधिकारी सिद्धार्थनगर में रहें तो यहां की स्थिति को समझेंगे लेकिन वह यहां नहीं रहते है। बलरामपुर में रहने के कारण उसकी स्थिति को नहीं जान पाते हैं। एक नहर सिद्धार्थनगर की भोजपुर शाखा से निकली है लेकिन वह अभी बनी ही नहीं है। सैफई गांव है तहसील इटावा का, वहाँ जमीन तो इन्होंने ले ली है, उसके बाद एक साल हो रहा है, खुदाई नहीं हो पायी है। खुदाई करने के लिए इन्होंने कोई प्रयास ही नहीं किया है। केवल पैसे देकर के बैनामा कराकर किसानों से जमीन ले ली है और न ही खोद पा रहे हैं, जमीन वैसी ही पड़ी है और न ही इनकी नहर बनी है। तो माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है

कि आप इसमें फण्ड देकर नहर बनवाईये, बढ़ाईये और चलाईये क्योंकि नहर न बनने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। किसानों की जमीन तो चली ही गई, वह लोग पानी भी नहीं पा रहे हैं। इसलिये मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप इसको आगे बढ़ाइये। तीसरी कहना चाहूँगा कि बाढ़ को रोकने के लिए तटबन्ध की व्यवस्था है। हमारे यहां भोजपुर-शाहपुर बन्धा है जो 75 करोड़ की लागत का स्वीकृत हुआ था। यह दस वर्ष से अधिक समय से बनाया जा रहा है। इसमें कभी पांच करोड़ रुपये चले गये तो कभी दस करोड़ रुपये चले गये। जब वहां रुपये नहीं जाते हैं तो बन्धा बन नहीं पाता है जिसके नाते सैकड़ों गांव डूब जाते हैं। यह गांव ऐसे डूबते हैं कि लोग पांच-पांच और सात-सात दिन घर के ऊपर छतों पर जाकर बैठते हैं। उनके खाने की व्यवस्था तक नहीं हो पाती है। मैंने इसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह किया था और मैंने पिछली बार भी काम रोको प्रस्ताव दिया था कि इस बन्धे को बनाने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिये और पूरा धन दिया जाना चाहिये। इसमें कुल 15 गैप हैं। अधिकारियों का कहना है कि हमने 9 गैप भर दिये है और 6 गैप भरने अभी बाकी हैं। अगर यह 6 गैप भर दिये जायें तो कम से कम 50-60 गांव बाढ़ से बच जायेंगे। इस प्रकार शाहपुर-भोजपुर बन्धा की लागत 75 करोड़ थी लेकिन उसके लिए बहुत मुश्किल से 10 करोड़ रुपये दिये गये हैं, तो इतनी कम धनराशि से क्या होगा। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस बन्धे का बचा हुआ काम प्राथमिकता पर पूरा करा दें ताकि हम लोग बाढ़ के प्रकोप से बच सकें।

मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि आप सूखे की बात कर रहे हैं, लेकिन के0सी0सी0 करने के बाद भी बैंक और बीमा कंपनियाँ लोगों को पैसा नहीं देती हैं। वह इतना दौड़ाते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं तो मेरा आग्रह है कि आप कोई ऐसी व्यवस्था करिये कि जो के0सी0सी0 दिये हैं उनकी अगर फसल बर्बाद हो तो बीमा कंपनियाँ जल्दी जांच करके पैसा दे दें। तमाम लोगों के के0सी0सी0 के पैसे डूब जाते हैं और किसी को कुछ मिलता भी नहीं है तथा उनकी फसल भी नष्ट हो जाती है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पर भी ध्यान दें कि के0सी0सी0 के बाद जो पैसा काट लेते है उसके बदले में जो हमारी फसल डूब जाती है या सूख जाती है तो हमें उसका मुआवजा मिलना चाहिये लेकिन यह कभी नहीं देते हैं। इसलिये आपसे निवेदन है कि इसकी बड़े पैमाने पर जांच करा लें और जांच कराकर कार्यवाही करें। मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया जिसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

राजस्व राज्य मंत्री (श्री अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि)-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे सूखा एवं बाढ़ की इस चर्चा पर सदन के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया जिसके लिए मैं आपको हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता जी, आपदा इंसान के बस में नहीं है लेकिन उसके जोखिम को कैसे

कम किया जाये, इसके लिए इंसान को लगातार प्रयास करने चाहिये। मैं इस सदन के माध्यम से अपने मा0 मुख्य मंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विगत छह वर्षों के अंदर बहुत ही सार्थक प्रयास किया है। मैं बताना चाहूंगा कि वर्ष 2017 से पहले उ0प्र0 के अंदर बाढ़ से लगभग 38 जनपद प्रभावित थे। वर्ष 2017 में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद यह जनपद घटकर 19 रह गये हैं। दूसरा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के दौरान अगर मैं बाढ़ की बात करूँ तो बाढ़ से जिन किसानों की फसलों को विगत वर्ष 2022 में जो नुकसान हुआ था तो उसमें 9,90,000 किसानों की फसलों की जांच कराकर 405 करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में देने का काम किया गया है। बाढ़ के अंदर जो हमारे किसान और मजदूरों के आवास प्रभावित हुये थे या क्षतिग्रस्त हुये थे उनकी भी जांच कराकर मुआवजा देने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहूंगा कि बाढ़ से ग्रस्त जनपद में सर्च एवं रेस्क्यू कार्यों हेतु एन0डी0आर0एफ0 की एक टीम, एस0डी0आर0एफ0 की एक टीम और पी0ए0सी0 की तीन टीमें यानी पांच रेस्क्यू टीमें कार्यरत हैं। अब तक कुल 17 एन0डी0आर0एफ0, 09 एस0डी0आर0एफ0 तथा 13 पी0ए0सी0 की टीमों द्वारा प्रभावित जनपदों में बचाव एवं राहत के कार्य किये जा रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित जनपदों में अब तक 26,964 राशन की किट वितरित की गयी है। 1,43,011 लंच पैकेट वितरित किये गये हैं और 2550 डिग्नटी किट भी वितरित किये गये हैं।

प्रदेश में अब तक 909 शरणालय बनाये गये हैं जिसमें बाढ़ आने पर उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है। 522 पशु शिविर भी बनाये गये हैं जिसमें चारे आदि की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, प्रभावित क्षेत्रों में 16 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है और 799 बाढ़ की चौकियाँ बनायी गयी हैं। 908 मेडिकल की टीम गठित करके चिकित्सा व्यवस्था की गयी है। राहत बचाव कार्यों में 286 नावों को उपयोग में लाया गया है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 2775 गौशालाओं के 4,00,075 जानवरों हेतु पर्याप्त चारे की व्यवस्था आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। प्रदेश के समस्त संवेदनशील जनपदों में 4010 स्थानों पर राहत चौपाल का कार्य मान्यवर किया गया है। साथ ही साथ मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने सूखे पर मा0 मंत्रीगण के साथ ही अधिकारियों के साथ मीटिंग करके सूखे पर चर्चा की और हमारे मुख्य मंत्री जी ने निर्देश दिये कि नहर एवं रजवाहों की टेल तक पानी पहुंचे। ट्यूबवेल के लिए किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिले। प्रदेश के अंदर सभी राजकीय नलकूपों को लगातार चलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। सभी फुंके हुये ट्रांसफार्मरों को 24 घण्टे और 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देशित किया है। आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुशील कुमार शाक्य-

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने बाढ़ एवं सूखा की स्थिति पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। मा0 अधिष्ठाता जी, फर्रूखाबाद जनपद में मेरी विधान सभा क्षेत्र अमृतपुर तीन नदियों से घिरी हुयी है। गंगा, राम गंगा और काली नदी। लेकिन गंगा नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और इस वर्ष भी बारिश पर्वतों पर हुयी लेकिन पानी हमारे जिले में आया जिसके कारण लगभग 70 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुये हैं। लेकिन सरकार की अच्छी व्यवस्था के कारण सरकार की पूर्व से तैयारी थी इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत किसानों के सामने नहीं आ पायी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाढ़ पीड़ित थे, उन्हें पर्याप्त मात्रा में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। गंगा नदी खतरे से 15-20 सेमी0 ऊपर 19 जुलाई से बह रही है। इतने लम्बे समय के बाद भी 42 राजस्व गाँव प्रभावित हुये और 14 मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपया 4 दिन के अंदर उपलब्ध करा दिया गया। मान्यवर, आवश्यक खाद्यान्न के साथ-साथ लगभग सात हजार परिवारों को अभी तक बाढ़ राहत सामग्री वितरित की जा चुकी है। पिछली सरकारों के कार्यकाल में बाढ़ राहत के नाम पर लाई, चना एवं मोमबत्ती वितरित की जाती थी लेकिन हमारी सरकार ने बाढ़ राहत में सम्पूर्ण पैकेज दिया है जिसमें बारिश से बचने के लिए त्रिपाल भी है, 10 किलो आटा, 10 किलो चावल 10 किलो आलू, 05 किलो लाई, 02 किलो अरहर की दाल, 02 किलो भुना चना, 01 किलो गुड़, 01 लीटर सरसों अथवा रिफाइण्ड का तेल, 01 किलो नमक, बच्चों के लिए 10 पैकेट बिस्कुट के हैं, एक पैकेट मोमबत्ती, 01 पैकेट माचिस, 200 ग्राम हल्दी, 200 ग्राम सब्जी मसाला, 100 ग्राम मिर्च और 02 साबून के पैकेट भी हैं और यह सभी स्टैण्डर्ड कम्पनी के मसाले और सामान हैं जो डिब्बे में पैक किए हुए हैं। कहीं पर कोई भी चोरी की गुंजाइश नहीं है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि भविष्य में बाढ़ की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आवश्यक है और मेरा सुझाव भी है कि ग्राम अमृतपुर से फर्रुखाबाद तक 15 किमी0 तटबन्ध का निर्माण दोनों ओर करा दिया जाए जिससे जल के फैलाव को सीमित कर किसानों की फसलों को बचाया जा सके तथा गंगा नदी में ड्रेजिंग कराया जाना भी आवश्यक है जिससे नदियों में गहराई होगी और गहराई में इजाफा होगा। जल के फैलाव को रोका जा सकेगा तथा किसानों की फसल को बर्बाद होने से रोका जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम सूखे की बात करें तो फर्रुखाबाद में हमारी विधान सभा क्षेत्र इस प्रकार की है कि आधी विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ रहती है और आधी विधान सभा क्षेत्र में सूखे की स्थिति बन जाती है लेकिन सूखे की स्थिति में भी सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो गत वर्ष जून माह से सितम्बर माह तक 53.50 प्रतिशत वर्षा हुई है। 33 जनपदों में 40-60 प्रतिशत और 16 जनपदों 40 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है। सूखे का सीधा प्रभाव उगाई जाने वाली

हजारों एकड़ कृषि भूमि में धान, मक्का, आलू एवं गन्ना की फसलों पर पड़ता है। जनपद की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों पर निर्भर है जोकि एक बड़ी संख्या है। पिछले दो वर्षों के अंदर हमारी विधान सभा क्षेत्र में 216 सोलर पम्प पी0एम0 कुसुम योजना के तहत् लगवाये गये हैं जिससे किसानों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हुई है और उनको बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ा क्योंकि वह सोलर से चलते हैं। ट्रांसफार्मरों की क्षमता को बढ़ाया गया है, विद्युत व्यवस्था में सुधार कर बहुत प्रशंसनीय कार्य किए जा रहे हैं जिससे क्षेत्र के किसानों को सीधा लाभ पहुंच रहा है।

हमारे जिले में मक्के का उत्पादन बहुत अच्छा होता है और पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 50 प्रतिशत अधिक मक्का की फसल हुई है। हमारे यहां पर इतनी मक्का हुई कि रेलवे के रेक के माध्यम से कर्नाटक में भी मक्का भेजी जा रही है जिससे किसानों को आर्थिक लाभ हुआ है। सरकार द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों के साथ मेरा यह भी सुझाव है कि यदि नहरों में टेल तक पानी पहुँचा दिया जाए तो सूखे की उत्पन्न स्थिति से निपटा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जनपद के नलकूपों के सुचारु संचालन के लिए विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। मान्यवर, अमृतपुर तहसील जो कि गंगा नदी से सबसे ज्यादा पीड़ित है, वहां पर अगर अमृतपुर से फर्रुखाबाद तक 15 किमी0 दोनों ओर गंगा के तटबन्ध का निर्माण करा दिया जाये तो बाढ़ से बहुत से गांवों एवं फसलों का नुकसान बचाया जा सकता है तथा मेरा सुझाव और भी है कि डबरी से लेकर भठौली तक रामगंगा पर तटबन्ध बना हुआ है अगर उसकी लम्बाई दो किमी0 बढ़ा दी जाये तो एक बहुत बड़े एरिया को हम बाढ़ से प्रभावित होने से बचा सकते हैं। इसी के साथ मेरी एक मांग और भी है कि यदि अमृतपुर विधान सभा क्षेत्र में अमृतपुर से फर्रुखाबाद के बीच में यदि गंगा का पुल बन जाये तो किसानों को अपने सामान्य आवागमन में बहुत सुविधा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बाढ़ एवं सिंचाई पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं जनपद चंदौली से आता हूँ। पूरा जनपद बाढ़, सिंचाई एवं जल निकासी इन तीनों समस्याओं से परेशान हो चुका है। वर्तमान समय में सिंचाई की इतनी बड़ी समस्या है जबकि चंदौली जनपद धान का कटोरा कहा जाता है। हमारे यहां कैनालों के माध्यम से, राजकीय नलकूपों के माध्यम से, निजी नलकूपों के माध्यम से एवं बंधों के माध्यम से पानी मिलने का काम सिंचाई के लिए होता है। वर्तमान समय में बिजली की इतनी बड़ी प्राब्लम है कि एक भी कैनाल, न तो राजकीय नलकूप और न ही निजी नलकूप, लो-वोल्टेज की समस्या से एक भी पूरी क्षमता से चलने का काम नहीं कर रहे हैं। बार-बार ट्रिपिंग होने से लगातार नुकसान भी हो रहा है। अभी हम लोगों के जनपद में ऊर्जा विभाग से

सम्बन्धित बैठक जिलाधिकारी एवं पूर्वांचल के एम0डी0 द्वारा ली गयी थी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, पूरे जनपद के जन-प्रतिनिधियों ने पूरी तरह से मांग की लेकिन आज तक भी कुछ नहीं हुआ। बड़े-बड़े कैनाल हमारे यहां हैं जैसे भपौली पम्प कैनाल हो, नारायनपुर पम्प कैनाल हो, चाहे बलुआ पम्प कैनाल हो, नगवा, बुरैनी, वीरासराय और कर्मनासा में करीब 20 पम्प कैनाल लगे है लेकिन एक भी कैनाल बिजली की दुर्व्यवस्था एवं लो-वोल्टेज के कारण चल नहीं पा रहे हैं। वही हाल राजकीय नलकूपों का है। लो-वोल्टेज की प्राब्लम से बार-बार ट्रिपिंग हो रही है जिससे मोटरें नहीं चलतीं, पानी की दिक्कत होती है। वही दशा किसानों के निजी नलकूपों की है। मूसाखाड़, चंद्रप्रभा एवं नौगढ़ बांध के माध्यम से सिंचाई का काम होता है, बन्धे पूरी तरह से सूख गये हैं जिससे भीषण समस्या सिंचाई की चंदौली जनपद में बनी हुई है।

(इस समय 03 बजकर 47 मिनट पर अधिष्ठाता श्री इन्द्रजीत सिंह सरोज पीठासीन हुए)

यहां जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो नदी में बाढ़ की वजह से किसानों की जमीनें बड़े पैमाने पर कट रही हैं जो आबादी एवं गांव गंगा के किनारे बसे हैं वह चाहे टाण्डाकला हो, धानापुर हो, मौरिया एवं कांवर गांव हों तमाम ऐसे गांव हैं जिनकी जमीनें कटान से प्रभावित हो रही है। तमाम नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के नाम पर रोज सरकार के आदेश होते हैं, आपके स्तर पर भी अधिकारियों को आदेश होते है लेकिन जब पूर्ववर्ती सरकार थी अर्थात् समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब साल में दो बार सिल्ट सफाई का काम होता था लेकिन जब से यह आई है मतलब पिछली सरकार और अबकी सरकार, निर्देश दे रखा है कि साल में केवल एक बार नहरों की सिल्ट की सफाई होगी। नहरों की सफाई न होने से पानी जाने का काम टेल तक नहीं होता है। हमारे जनपद में जहां सिंचाई की समस्या है, वहीं जल निकासी की बड़े पैमाने पर समस्या है। तमाम नाले हैं, चाहे लेहरा-मनिहरा ड्रेन हो, चाहे रायल-ताल ड्रेन हो, चाहे चंद्राताल ड्रेन हो, चाहे बाणगंगा हो, तमाम ड्रेनों की सफाई न होने से जलप्लावन की स्थिति जब होती है तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो चंदौली जनपद धान का कटोरा कहा जाता है, यहां का चावल विदेशों तक में भी जाता है, बासमती चावल जिसे विदेश तक भेजा जाता है जिससे किसानों को बहुत बड़ी आमदनी होती थी लेकिन आज किसान लाचार है। पूरे जनपद में 30 प्रतिशत से ज्यादा धान की रोपाई नहीं हो पाई है। अभी भी समय है, किसान परेशान है, चाहे किसान यूनियन के लोग हों या समाजवादी पार्टी के लोग हों, नहरों में सफाई के सवाल पर, अपनी सिंचाई के सवाल पर आंदोलन कर रहे है लेकिन पानी मिलने का काम नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम आपके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि नहरों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए कम-से-कम नहरों की सफाई की जाये ताकि नहरों की टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया जाये।

जहाँ बाढ़ और सिंचाई की चर्चा हो रही है, नहर चलाने के लिए बिजली की परम आवश्यकता है। बगैर बिजली के न तो नहर चल सकती है, न तो राजकीय नलकूपों को चलाया

जा सकता है, न तो निजी नलकूपों को ही चलाने का काम हो पाता है। पूर्वांचल में एक बड़ी समस्या लो-वोल्टेज की है, जिसके कारण रोज ट्रान्सफार्मर भी जल रहे हैं, किसान परेशान है। चाहे राजकीय नलकूप हों, चाहे पम्प कैनाल हों, जिनको इन्डिपेंडेंट फीडर भी दिया गया है, लेकिन बिजली की दुर्व्यवस्था के चलते न तो नहरें चल पा रही है, न छोटी नहरें, न बड़ी नहरें, एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम आपके माध्यम से सरकार से माँग करते है कि तत्काल पूर्वांचल में खासतौर से चन्दौली जनपद में जो लो-वोल्टेज की समस्या बनी हुई है, उसका समाधान निकाल करके पूरी क्षमता के साथ, चाहे भपौली पम्प कैनाल हो, चाहे नारायनपुर पम्प कैनाल हो, चाहे ललुवा कैनाल हो, नदवा कैनाल हो, चाहे वीरा सरांय हो, चाहे गुरैनी हो, इनको पूरी क्षमता से चलाया जाए ताकि किसानों को पानी पहुँचाया जा सके। गंगा के किनारे जो गाँव हैं, गंगा नदी में जब बाढ़ आती है, बड़े पैमाने पर उनकी खेती की ज़मीन कटान हो रही है, उनके घर-मकान भी गिर रहे हैं। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि सरकार इन तमाम गंगा के किनारे के गाँवों का सर्वे कराये। जिन किसानों की जमीन गंगा के कटान से गंगा में विलीन हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई योजना चलाने का काम करे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गम्भीर विषय पर चर्चा करने का मौका दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ और यह माँग करता हूँ कि चन्दौली जनपद जो धान का कटोरा कहा जाता है, आज वहाँ के किसानों के हित में, वहाँ की जनता के हित में नहरों को पूरी क्षमता से चलाया जाए, बिजली की समस्या को दूर किया जाए। यदि इतना हो पाएगा, तभी किसान को पानी मिलने का काम होगा। अब मैं अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस चर्चा के बाद, यहाँ माननीय मंत्री जी बैठे हैं, वह हम लोगों के बगल के जिले के रहने वाले हैं। हम लोगों ने इनसे भी कई बार कहा, इनको भी सारी समस्या से हम लोगों ने अवगत कराने का काम किया। माननीय मंत्री जी से हम चाहेंगे कि जनपद चन्दौली पर आप विशेष रूप से ध्यान देते हुए नहरों को पूरी क्षमता से, नलकूपों को पूरी क्षमता से यहाँ पर बिजली मंत्री जी भी बैठे हैं, हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि जो लो-वोल्टेज की समस्या हमारे पूर्वांचल में है, खास तौर से जनपद चन्दौली में न तो नहर चल पा रही है, न तो कैनाल चल पा रहे हैं, न ट्यूबवेल चल रहे हैं, न निजी ट्यूबवेल चल पा रहे हैं, आप इन समस्याओं का समाधान करें और नहरों के टेल तक पानी पहुँचाने का काम करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बाढ़ और सूखा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मंत्री जी ने सूखा और बाढ़ पर बोलने से पहले जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 74900 किमी0 नहरें है और यह भी कहा था कि 4629 किमी0 मुख्य नहरें हैं। 7483 मुख्य शाखाएँ है, यह भी बताया था, 23627 रजबहे हैं, 38187 अल्पिकाएँ हैं। यह माननीय मंत्री जी ने बताया था। यह नहरें अग्रेजों के समय की

1823 की बनी हुई हैं। तब सिंचित एरिया बहुत कम था और अब एरिया कितना बढ़ा होगा, एरिया बहुत बढ़ा है। सिंचित एरिया लगभग 73.36 लाख एकड़ बढ़ चुका है। हम पूछना चाहते हैं कि सन् 1830 में जब इतनी नहरें थी तो क्या इन नहरों में कितनी क्षमता बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि एरिया बहुत बढ़ चुका है और इस वर्ष पश्चिमांचल में लगभग 48 जनपद बाढ़ प्रभावित हैं और 23 संवेदनशील हैं और 11 अतिसंवेदनशील हैं और पूर्वांचल सूखे से ग्रसित है। हमने अभी दौरा भी किया था प्रतापगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया और आजमगढ़ में। जहां पर धान की फसल लग गई है और पूरी लागत भी लग चुकी है, खाद, पानी की। उन्होंने अपने ट्यूबवेल से, अपने साधनों से जैसे भी रोपाई कर सके हैं, उसको किया है, लेकिन अब उसमें पानी नहीं है और पूरी लागत भी लग चुकी है। बिजली की ट्रिपिंग बहुत हो रही है, पहले तो आपने हाउस में डिक्लेयर किया था कि जिलों में हम 24 घण्टे बिजली देंगे और तहसील स्तर पर 22 घण्टे बिजली देंगे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जिलों में 24 घण्टे बिजली नहीं जा रही है। हमने तो कई जिलों में देखा आजमगढ़ में पूछा, मऊ में पूछा और आपके जिले में भी पूछा आठ से दस घण्टे से ज्यादा बिजली जिले में नहीं जाती है।

आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर और सहारनपुर में भी बिजली का यही हाल है। हम पूछना चाह रहे हैं कि बिजली ट्रिपिंग कितनी हो रही है। हमने तो अपने जिले में देखा और जौनपुर में भी देखा था और आजमगढ़ में हम रुके भी थे। बिजली ट्रिपिंग एक घण्टे में कम से कम 10 से 12 बार, यहां तक की 20 बार बिजली ट्रिपिंग हुई है। अगर किसान अपना निजी ट्यूबवेल चलाए तो एक घण्टे में अगर दस बार बिजली ट्रिपिंग हो जाएगी तो कितना पानी खेत में जाएगा, कैसे फसल बचेगी यह तो हालत है और कृषि मंत्री जी ने तो ऐसा बता दिया था कि कहीं कोई समस्या है ही नहीं। न सूखे की समस्या है और न बाढ़ की समस्या है और हम जानते हैं कि कई नदियां हैं जिनमें बाढ़ आती है, गंगा में भी बाढ़ है, यमुना में भी बाढ़ है, गोमती में बाढ़ है, जो नेपाल से नदियां आती हैं कोयना में, शारदा में, करनाली में, राप्ती में बाढ़ की स्थिति है, आपने इन नदियों के लिए कितना प्रबन्ध किया है, कितने तटबन्ध बनाए हैं, मुझे तो लग रहा है कि आपने इस वर्ष तो एक भी तटबन्ध नहीं बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो रोस्टर है मंत्री जी। रोस्टर तो समझ ही गए होंगे। यह जो अंग्रेजों का बनाया हुआ रोस्टर था उस समय तो कृषि का क्षेत्रफल बहुत ही कम था और अब क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है तो क्या आपने या आपके अधिकारियों ने अंग्रेजों के रोस्टर को बदला है। रोस्टर को क्या बदला है ? नहीं बदला है। अगर आपने रोस्टर बदल दिया होता तो नहरों में पानी चल जाता। हम पूछना चाहते हैं कि क्या अभी नहरों में पानी चल रहा है ? हम पूर्वांचल के लोगों से पूछना चाह रहे हैं, मैंने तो स्वयं देखा है कि पूर्वांचल की किसी भी नहर में पानी नहीं चल रहा है। मेरी तरह से साल में दो बार नहरों की सफाई करवायी होती, यदि आपने रोस्टर बदला होता तो इस सूखे से बहुत राहत मिल गयी होती। अंग्रेजों के जमाने में तो एक ही बार

सफाई होती थी, कौन से महीने में सफाई होती थी अक्टूबर के महीने में सफाई होती थी। लेकिन अक्टूबर के महीने में भी आपके समय में सफाई नहीं हुई है। वैसे तो सितम्बर माह के लास्ट में और अक्टूबर के महीने में नहरों की सफाई हो जानी चाहिए थी लेकिन पिछले साल नहीं हुई। मैंने तो अपने समय में अप्रैल और मई के महीने में सफाई करायी थी। आप मई और जून माह में नहरों में पानी नहीं देते हैं। मैंने तो देखा कि जब धान की फसल के लिए पौध डाली जा रही थी, तब भी आपने पानी नहीं दिया। किसी तरीके से किसानों ने अपने निजी साधनों से पौध लगा भी दी है, रोपाई भी कर ली है लेकिन अब सूखे की वजह से उनको बहुत ही दिक्कते हैं परेशानियाँ हैं, पूरी फसल खराब होती जा रही है। वैसे तो सिंचाई देने की जिम्मेदारी तो सरकार की थी। सरकार को नहरों में पानी देना चाहिए था, ट्यूबवेल से पानी देना चाहिए था लेकिन उधर विजली भी नहीं आ रही है, ट्यबवेल का पानी भी किसानों को नहीं मिल रहा है और इधर नहरों का पानी भी किसानों को नहीं मिल रहा है। यदि किसान ने कहीं से भी अपने किसी साधन से, अपने पम्प के माध्यम से खेतों में पानी लगा लिया है तो उस पर चेकिंग करने के साथ-साथ, जुर्माना और एफ0आई0आर0 हो जाती हैं।

मा0 मंत्री जी इतनी ज्यादा एफ0आई0आर0 हुई हैं पता लगा लें हमारे क्षेत्र में तो इतनी एफ0आई0आर0 हुई हैं, पूरे प्रदेश में ज्यादा संख्या में एफ0आई0आर0 हो रही हैं। अब जबकि बाढ़ है, सूखा है तो आपको कम-से-कम किसानों के लिए तो बिजली बिल के लिए छापा मारना समाप्त कर देना चाहिए था। ऊर्जा मंत्री हम भी रहे हैं वर्ष 2004 से 2007 तक। आप पता लगा लेना उस समय एक भी किसान पर, एक भी छोटे व्यापारी पर कोई छापा नहीं पड़ा था और राजस्व बढ़ा था लेकिन अब आपके इतने छापे पड़ रहे हैं, इतनी एफ0आई0आर0 हो रही हैं, तब भी आपका राजस्व नहीं बढ़ रहा है। ट्रिपिंग होने के कारण, पानी नहीं मिलने के कारण किसानों की फसल पैदा नहीं हो पा रही है और जब फसल पैदा होती भी है तो मा0 कृषि मंत्री जी एम0एस0पी0 के बराबर कृषि किसानों को उसकी कीमत भी नहीं मिल पा रही है। किसानों पर इसकी वजह से कर्जा बढ़ रहा है, सूखे की वजह से कर्जा बढ़ रहा है और अतिवृष्टि की वजह से उसकी फसल खत्म हो रही हैं और उसकी वजह से भी किसानों पर कर्जा बढ़ रहा है तो आपको उसे माफ भी करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त एरिया जहाँ पर है, सहारनपुर में अतिवृष्टि है, शामली में और मथुरा से लेकर पश्चिम के लगभग हर जिले में अतिवृष्टि है। जहाँ-जहाँ पर जलाशय हैं, उनका पानी छोड़ दिया जा रहा है, उसकी वजह से पशु हानि भी हो रही है और जन हानि भी हो रही है। परेशानियाँ हैं, लोग तटबन्धों पर रह रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं और जितने भी पश्चिम के जिलों को मैंने देखा सहारनपुर से लेकर के जितने भी पश्चिम के जिले हैं, उनमें जितने भी कच्चे मकान थे सब के सब गिर गये। नष्ट हो गये, कहां पर रहें और कैसे रहें ?

(इस समय 04 बजकर 02 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

गांव के लोग किस तरह से अपना जीवन-यापन कर रहे हैं, उस पर तो आपको बहुत संवेदनशील हो जाना चाहिए था। अभी तक आपकी राहत भी समय से नहीं पहुँची है। यह सब दिक्कतें किसानों को हैं। गांव के लोगों को दिक्कतें है परेशानियां है और परेशानियों के साथ-साथ, जबकि सत्तापक्ष के तो जितने भी माननीय सदस्य बोले हैं, सबने कहा कि कोई परेशानी नहीं है। जब परेशानी नहीं है और विपक्ष के लोगों के सामने दिक्कतें हैं तो कम से कम संसदीय कार्य मंत्री जी इनको ही समय दे दीजिए बोलने का, वह कम से कम अपनी समस्याएं तो रख लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्तापक्ष के लोगों को तो कोई दिक्कत है नहीं। समय से इनको बिजली भी मिल जाती है, इनके यहां ट्रिपिंग भी नहीं है, इनको 22 घण्टे, 24 घण्टे बिजली मिल रही है। सूखा भी नहीं है, बाढ़ भी नहीं है और कृषि मंत्री जी ने बता दिया कि इतनी सुविधाएं किसानों को दे दी हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसान को कोई परेशानी है ही नहीं। जबकि डी0ए0पी0 की खाद पिछले वर्ष कहीं पर भी नहीं मिली। नहीं मिली है, मान लीजिए, और मैं बोल रहा हूँ कि फिर आप डी0ए0पी0 नहीं दे पाएंगे। हम जानते हैं कि आप डी0ए0पी0 नहीं दे पाएंगे। आपकी सरकार के जो अधिकारी हैं और यहां तक कि आपके जो कॉपरेटिव के प्रमुख सचिव हैं, वह किसी का फोन नहीं उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर कहीं पर भी समस्या हैं तो कॉपरेटिव के प्रमुख सचिव किसी का फोन नहीं उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

कल इस पर बोल दिया गया है, फोन उठाना पड़ेगा। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कह दिया है, संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कह दिया। यदि आप किसी के लिए भी शिकायत लेकर आएंगे कि किसी ने टेलीफोन नहीं उठाया तो सरकार उसका संज्ञान लेगी।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो कई बार इसकी शिकायत की थी, उसके बावजूद भी उनका फोन नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कभी बताया नहीं, वैसे आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का फोन न उठाना अपने आप में गलत है, फोन उठाना ही चाहिए।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अब सिंचाई में पता नहीं क्या होगा ? प्रमुख सचिव फोन उठाएं या नहीं, मंत्री जी तो उठा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात का जवाब देना ही पड़ेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रमुख सचिव जो फोन नहीं उठाते हैं, वह कम से कम फोन उठा लें, बात कर लें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने 2 घण्टे की चर्चा के लिए कहा था, वह 2 घण्टे हो गये हैं, इसलिए मेरा अनुरोध है कि कल यह चर्चा जारी रखें क्योंकि 2-3 हमारे मा0 मंत्रियों को जवाब भी देना है, मा0 स्वतंत्र देव जी हैं, मा0 ऊर्जा मंत्री जी हैं, कल माननीय मुख्य मंत्री जी भी और दलीय नेता भी हैं तो कल यदि चर्चा जारी रखें तो बाकी लोग भी बोल लेंगे और चर्चा का जवाब भी आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

चर्चा जारी रखेंगे लेकिन कल के एजेण्डे को देखकर उसका समय निर्धारित करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन मान्यवर, शिवपाल जी जो बात कह रहे थे, उसका जवाब देना चाहेंगे कि अगर गम्भीरता न समझते तो यह चर्चा तो सरकार की तरफ से आयी है, सरकार ने ही इसके महत्व को समझा और इसीलिए चर्चा विधान सभा में करवायी। मा0 शाही जी ने इसीलिए चर्चा प्रारम्भ की। इसकी गम्भीरता तो है अपनी जगह, आवश्यकता भी है।

(किसी सदस्य के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

सब नोट कर रहे हैं, जो आपने कहा सब नोट है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी मांग को स्वीकार कर लिया है, इसी पर चर्चा हो रही।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आपकी सब बात का संज्ञान ले लिया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, मेरा यही अनुरोध है कि अगर कहें तो आज का बाकी सब एजेण्डा ले लें। यह चर्चा कल जारी रहेगी।

[04:12] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 अगस्त, 2023 को नियम-56 में कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित दो सूचनाओं को ग्राहयता हेतु सुना जाएगा। पहली सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह, श्री शाहिद मंजूर, श्री पंकज मलिक की प्रदेश में साइबर ठगी के जरिए बेरोजगार युवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर लगातार हो रही ठगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, अति महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका आभार। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवान साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। दलालों द्वारा कुछ प्रदेश की संस्थाओं का नाम लेकर और कुछ सेन्ट्रल की संस्थाओं का नाम लेकर ठगे जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा कि समय-समय पर सरकार ने काम भी किया है, लोगों को जेल भी भेजा है, मुकदमें भी लिखे हैं, लेकिन अगर सरकार ने विषय की गम्भीरता को लेते हुए इसका पूरा संज्ञान ले लिया होता और पूरी तरह से सम्पूर्ण कार्रवाई कर दी होती तो यह लोग ठगने से बच जाते, लोग लुटने से बच जाते, लोगों का परिवार बर्बाद होने से बच जाता, लोगों की जमीनें बिकने से बच जातीं, लोगों के घर की महिलाओं के गहने बिकने से बच जाते। मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं, मोहम्मद आरिफ पुत्र श्री अब्दुल मजीद, निवासी-हरकरनपुर जामो के साथ ठगी होती है। इनसे रु0 11.90 लाख पे0टी0एम0 के माध्यम से ले लिया जाता है और रु0 3.10 लाख नौकरी के नाम पर नकद ले लिया जाता है। इनको बाकायदे ट्रेनिंग करायी जाती है, इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, इनका मेडिकल कराया जाता है और इनको नियुक्ति पत्र देकर भेज दिया जाता है। यह नियुक्ति-पत्र लेकर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं पर इन्हें नियुक्ति कहीं नहीं मिलती है। लोकल पुलिस के यहां थाने में लगातार पीड़ित परिवार चक्कर लगाता है, मुकदमा नहीं लिखा जाता है, मैं स्वयं जाकर उच्च अधिकारियों से मिलता हूँ, लेकिन जिले में मुकदमा नहीं लिखा जाता है। आज रिटायर्ड हो चुके ए0डी0जी0 जोन बृज भूषण शर्मा के यहां मैं पीड़ित परिवार को लेकर जाता हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि वह वहीं से मुकदमे का आदेश करते हैं और गम्भीर धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 में मुकदमा लिखा जाता है और तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है और लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। बिहार से, बंगाल से, पंजाब से ये तीन लोग जेल भेजे गये हैं लेकिन इनका इतना बड़ा गैंग है, इसको संचालन करने वाले प्रदेश से बाहर बैठे इतने लोग हैं कि पुनः जादे रहमत पुत्र जलाल, ग्राम-गंगा नगर, मजरे-भागीरथपुर, थाना मोहनगंज, जनपद अमेठी से रु0 11.00 लाख ले लिया जाता है। मोहम्मद खुर्शीद पुत्र चांद से रु0 10.67 लाख पे0टी0एम0 के माध्यम से और रु0 84,800 नौकरी के नाम पर नकद ले लिया जाता है। इस तरह से

सैकड़ों उदाहरण मेरे पास हैं, जिनसे इस तरह से नौकरी के नाम पर ठगी की गयी है। उनकी मेरे पास इतनी मोटी फाइल तैयार है जिसे मैं यहाँ दे सकता हूँ। आप चाहेंगे तो मैं इसको टेबुल भी कर दूंगा।

माननीय अध्यक्ष जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हद तो तब होती है, जब इन ठगों द्वारा भारत में रेलवे की नौकरी के नाम पर इस तरह से आई0डी0 कार्ड बनाकर दे दिया जाता है। आप इस आई0डी0 कार्ड को देखिये जिसको लेकर ये पूरे भारत में ट्रेनों पर घूम आते हैं, कोई न तो इनसे पूछता है। न इन्हें रोका जाता है, न कहीं ये टोके जाते हैं। इनको बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है, लेकिन इनकी जहां ज्वाइनिंग होनी है वह इनको कहीं नहीं मिलती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस तरह के गैंग का संचालन करने वाले मुखिया को जब तक पकड़ा नहीं जायेगा, उसको जेल नहीं भेजा जायेगा, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह के गैंगों का जब तक सफाया नहीं होगा, तब तक हमारे प्रदेश का बेरोजगार लुटता रहेगा, बिकता रहेगा, बर्बाद होता रहेगा, उसका परिवार कर्ज में डूबता रहेगा, आत्महत्या करने पर मजबूर होता रहेगा। मोहम्मद जावेद अहमद पुत्र जमाल, मोहम्मद खुर्शीद पुत्र चांद मोहम्मद लगातार थानों, पुलिस अधीक्षक, सी0ओ0 के चक्कर लगा रहे हैं, इनके मुकदमे तक नहीं लिखे जा रहे हैं। और यदि मुकदमे नहीं लिखे जायेंगे तो भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और लोगों को लूटने वालों को दण्ड कहां से मिलेगा ? मैं चाहता हूँ कि इस प्रकरण में मुकदमा भी लिखा जाये और मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करूँगा कि इस पूरे प्रकरण की जाँच या तो प्रस्ताव भेजकर सी0बी0आई0 से करा लिया जाये। यदि सी0बी0आई0 से न करवाया जाये तो कोई प्रदेश की स्वतंत्र एजेंसी से जरूर इस विषय की जाँच करा लिया जाये। जो बड़े लोग हैं, जो बंगाल में बैठकर, पंजाब में बैठकर, हरियाणा में बैठकर हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को लूटने, ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवानों को बचाने का जरूर काम किया जाये, यही आपसे अनुरोध है। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी ने एक विशेष घटना की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और दो मामले ऐसे बताये हैं, जिस पर कार्रवाई की भी मांग की है। मान्यवर, योगी जी की सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की बात कही गई थी, आप सहमत होंगे और पूरा हाउस सहमत होगा कि अपराधियों को एक्सेम्पलरी पनिशमेंट दिये गये हैं और लोगों ने इस बात को महसूस भी किया है। आज कानून-व्यवस्था के नाम पर उत्तर प्रदेश को लोग रोल मॉडल मानते हैं। आपने स्वयं इस बात को कहा और एक घटना का जिक्र किया कि उसमें तीन मुल्जिम गिरफ्तार हुए। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मैंने कल भी हाउस में कहा था

कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के लिए अभी तक जबसे योगी सरकार-2 आई है। पहले बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं, लोगों के लिए अवेयरनेस कैम्प लगाये जाते हैं। खास तौर से स्कूल-कॉलेजेज में, रेलवे स्टेशन पर और 35935 स्थानों पर अभी तक जागरूकता कैम्प लगाये गये ताकि लोग अवेयर हो सकें। कुछ लोग धोखा देकर आधार नम्बर, बैंक नम्बर या इस प्रकार का कोई नम्बर ले लेते हैं और उसके बाद ठगी भी करते हैं। मान्यवर, अपने आपमें सबसे बड़ा इसका हथियार यही है और इसका इन्तजाम भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक करें, ताकि लोग ठगी का शिकार न हो सकें। जहाँ कहीं पर भी लोग पकड़े गये, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूर की गई है। इन्होंने जो दो अन्य मामले हमारे संज्ञान में दिये हैं, हम इसको दे देंगे और निश्चित रूप से इसमें परीक्षण करवा कर कार्रवाई होनी होगी। जो भी सही होगा, वह जरूर होगा।

मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। मान्यवर, कल एक प्रश्न आया था तो मैंने उसका जवाब दिया था कि उस पीरियड में कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और कितना पैसा रिकवर हुआ। आज 01-01-2022 से लेकर 06-08-2023 तक जितने साइबर क्राइम हुए और उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्रवाई की, हम यह बता देते हैं। 01-01-2022 से लेकर 06-08-2023 तक प्रदेश में साइबर अपराध की अद्यतन स्थिति, पंजीकृत अभियोग 16385 हैं, आरोप-पत्र 4379 है, अन्तिम रिपोर्ट 4537, खारिज 50,कार्रवाई की गई अभियुक्तों की संख्या 7482, बरामद धनराशि 121,82,292 रुपये। मान्यवर, इसमें अभी तक 121 करोड़ रुपये की धनराशि वापस कराई जा चुकी है। पंजीकृत मुकदमों में धनराशि वापस कराये गये व्यक्तियों की संख्या इसमें 1150 लोग इन्वाल्व थे, जिन लोगों को रुपया वापस कराया गया। यह अपने आपमें एक एग्जाम्पल है कि 121 करोड़ रुपये की धनराशि वापस कराई गई। इसलिए सरकार की मंशा के ऊपर, सरकार की नीयत के ऊपर यह शक करना ठीक नहीं है। सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए है कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी स्तर का हो, उसके साथ में इस प्रकार की कोई ठगी या कोई जालसाजी होती है तो हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं और हर स्तर पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं। निश्चित रूप से हम इस मामले को दिखवा भी लेंगे और आज ही इसको जाँच के लिए दे देंगे। मान्यवर, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसमें जो न्यायोचित कार्यवाही होगी वह मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि वह निश्चित होगी, जरूर होगी। जैसा कि आप कह रहे थे कि सरकार अगर ऐसा करे वैसा करे। आज दूसरे प्रदेशों और देशों के लोग यह चाहते हैं कि योगी जैसा मॉडल हमारे यहाँ आ जाये। इसको हमसे कहलवाइये मत कि हम क्या करना चाहते हैं। इतनी कार्रवाई शायद कहीं नहीं की गई होगी जितनी योगी जी के नेतृत्व में आने के बाद हुई है। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आता है, इसलिए यह अग्राह्य करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय राकेश प्रताप सिंह जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, यह नियम-56 में नहीं आता इसको अग्राह्य करता हूँ। दूसरी सूचना श्री मनोज कुमार पारस की है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मान्यवर, आज आपने मुझे नियम-56 के तहत बहुत गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आज जंगली जानवर जैसे सुअर, शेर, लेपर्ड आदि मानव की जान के लिए दुश्मन या एक तरह से आतंक के पर्याय बन चुके हैं। मान्यवर, आज जंगल काट दिये गये हैं और जंगल कटने की वजह से जंगली जानवर जंगलों से निकल करके जहाँ पर किसान खेती करता है, उन जंगलों में आ गये हैं। अभी हमारे बिजनौर की एक घटना है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के निवासी ब्रहमपाल सिंह को अपने खेत में काम करते हुए एक गुलदार ने बुरी तरह फाड़ दिया है। अगर आप उसका फोटो देखेंगे तो शायद आप भी देख करके घबरा जायेंगे कि पूरा ऊपर का हिस्सा उस गुलदार ने खा लिया। मान्यवर, आज बिजनौर में यह स्थिति है कि आज बच्चे स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, स्कूल बन्द कर दिये गये हैं कि स्कूल को यहाँ से हटा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दो। आज किसान अगर खेती के काम से अपने खेत में जाना चाहता है तो वहाँ पर पहले से ही खेतो में इतने ज्यादा गुलदार और जंगली जानवर इकट्ठा हो गये है कि वह किसान के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेते हैं। आज किसान मजबूर है। किसानों की खेती को पहले छुट्टा जानवरों ने बर्बाद कर दिया, अगर किसान जानवरों को निकालने के लिए खेतों में जाता है तो जंगली जानवर उसकी जान ले लेते हैं। आज यह परिस्थितियाँ बन गई हैं कि किसान अपनी खेती को छोड़ने पर मजबूर है।

हमारे विधान सभा क्षेत्र जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र हो, चाहे बड़पुर क्षेत्र हो, नजीबाबाद के बराबर में लगा हुआ बिजनौर हो, जौनपुर हो इस तरह से जितने भी क्षेत्र लगे हैं आज अगर बिजली भी खराब हो जाती है तो लाइन मैन दो-दो दिन तक लाइट ठीक करने नहीं जाते हैं कि वहाँ पर गुलदार बैठा होगा। अभी का वाकया है जो पेपरों में छपा हुआ है, कोई भी पेपर जो जनपद बिजनौर का छपता हो जिसमें गुलदार का जिक्र न होता हो, जंगली जानवरों का जिक न होता हो। बिजली का तार ठीक करने के लिए तीन घण्टे लाइन मैन खम्बे पर बैठा रहा इस डर से कि नीचे गुलदार है। लाइन मैन ने खम्बे पर बैठ कर अपनी जान बचाई। इस तरह एक नहीं इसी चार-पांच महीने में मेरे जनपद बिजनौर में 14 लोगों को गुलदार ने जान से मार दिया। आज परिस्थिति इतनी विषम हो गई है कि वहाँ पर कोई किसान खेत में खाद डालने या चारा लेने जाता है तो उसे मजबूरी के नाम पर पहले गनमैन को मजदूर रखता है, दूसरा कोई बर्छी भाले वाला करता है, तीसरा कोई ढोल बजाने वाला करता है जिससे कि आवाज तेज हो जाये, जंगली जानवर भाग जाये। वह किसान और चार-पांच लोगों

को ले जा करके अपने खेत में खाद डालने या चारा लाने का काम करता है। ऐसी परिस्थिति में किसान पांच-दस लोगों की मजदूरी दे करके कैसे अपना जीवन-यापन करेगा। हमारे जनपद बिजनौर में इन 5-6 दिनों में लोगों को, जिनका मैं क्रमवार जिक्र करना चाहता हूँ। दिनांक 2 मार्च, 2023 को नैटोर के ग्राम बल्ला शेरपुर में एक मासूम बच्ची को मार दिया। 17 फरवरी, 2023 को एक 14 साल की बच्ची को मार दिया। 18 मार्च को नगीना के ग्राम काजीवाला में एक महिला मिथलेश को मार दिया। 19 अप्रैल, 2023 को अफजलगढ़ के ग्राम सिरवासचंद में एक तुंगल सैनी थे, उनको मार दिया। 5 अप्रैल, 2023 को रेहड़ के ग्राम उदयपुर चांदपुर के मासूम अर्शी को मार दिया। इसी तरह से 25 अप्रैल, 2023 को ग्राम मूसापुर में मासूम खुशी को मार दिया। 26 अप्रैल, 2023 को सुबह घूमने निकले एक नवयुवक राहुल को मार दिया। 21 जून को अफजलगढ़ के ग्राम मोहम्मदपुर राजौरी के कमलेश देवी को फाड़ दिया। 22 जून को रेहड़ के ग्राम मच्छमार में दस वर्षीय बच्ची को फाड़ दिया। 17 जुलाई को कोतवाली देहात के ग्राम मखवाडा में एक महिला गुड्डी देवी को मार दिया। इस तरह से 14 लोगों को चार-पांच महीने में मार दिया और सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया, पशुओं की तो कोई गिनती ही नही; क्योंकि जब उसे भोजन नहीं मिला तो वह बस्तियों की तरफ कूच करने लगा। गांव में जो पालतू जानवर थे, हजारों की संख्या में उनको इस गुलदार ने मारने का काम किया।

यह केवल हमारे जनपद का ही मामला नहीं है, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत में, दूसरे प्रदेश का जिक्र यहां नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि रुद्रपुर, नैनीताल, खटीमा जो पहाड़ जंगलात से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां भी यही हालात हैं। इसी तरह से बिजनौर में अफजलगढ़, नगीना, नजीबाबाद, चांदपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ इन सारे जनपदों में गुलदार आतंक का पर्याय बन चुका है और मानव जाति का दुश्मन बन चुका है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूँ कि आज इस मानव जाति के दुश्मन को जो खास तौर से लेपर्ड के नाम से जाना जाता है, इसको जब भोजन नहीं मिला तो वह गन्ना क्षेत्र में आ गया, क्योंकि जहां यह रहता था, वहां बड़ी घास होती थी, अब वह गन्ना क्षेत्र में आ गये और गन्ना क्षेत्र को अपना घर समझ लिया। जो इसकी फीमेल है, वह चार-चार, छः-छः बच्चे देती है। साल में दो बार बच्चे देती है। आज की तारीख में सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिजनौर में 300 लेपर्ड/गुलदार जीवित हैं और हो सकता है कि उनकी संख्या ज्यादा भी हो। अगर इन पर समय रहते रोक नहीं लगायी गयी, पाबन्दी नहीं की गई तो आने वाले समय में इनकी संख्या इतनी हो जायेगी कि आम आदमी का वहां जीना दुश्वार हो जायेगा। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इस तेंदुआ जाति को, जो संरक्षित जाति है या तो इनको मारने की अनुमति दी जाय, लेकिन अगर इनको संरक्षित करना है, बचाना है तो कम से कम जनपद बिजनौर में 6 सौ, 7 सौ पिंजड़ों की व्यवस्था करने का काम करें। जिसकी जान चली जाती है, उसको 4-5 लाख रुपए मुआवजा दे करके सरकार सोचती है कि हमने बड़ा काम कर दिया। मरने वाले की जान

की कोई कीमत नहीं होती, आज इस महंगाई के दौर में चार-पांच लाख रुपए कुछ नहीं होता इसलिए मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से मांग है कि अगर किसी किसान, बच्चे या बच्ची की जान जाती है तो उस मुआवजे को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का काम करें और जो घायल, अपाहिज हो जाते हैं, उसके बाद कोई काम करने के लायक नहीं रहते उनको भी कम से कम 5 लाख रुपए दे करके उनकी मदद करने का काम करें।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं शेर हो या गुलदार हो, इनको संरक्षक श्रेणी से अगर बाहर निकाल लिया जाय तो कम से कम गुलदार को बाहर निकाल करके संरक्षित करने का कोई ऐसा उपाय सरकार करे जिससे कि मानव जाति के लिए खतरा बन चुके इस जंगली जानवर से मानव जाति को बचाया जा सके। जब कभी किसान या किसी की जान पर बन आती है तो उस समय अगर वह अपनी जान बचाने के लिए जंगली जानवर को मार दे तो कम से कम किसानों पर मुकदमे न लिखे जाएं। आज की तारीख में पशु क्रूरता नियम लागू है। बदायूं की घटना है पेपर में छपा था कि किसी ने एक चूहे को मार दिया तो जज साहब ने सजा कर दी, नोएडा में मार दिया तो उसको सजा कर दी। एक चूहे को तो मारने की सजा हो सकती है लेकिन अगर कोई जानवर मानव जाति को मार रहा तो उन जानवरों के लिए हम क्या करेंगे। मेरा अनुरोध है कि इसे गम्भीरता से लेते हुए खास तौर से गुलदार जाति को संरक्षित प्रजाति से निकाल करके इसको मारने के आदेश दें और इसमें इस तरह से सांड़ को भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन सांड़ छुट्टा जानवर है, सांड़ जंगली जानवर नहीं है, लेकिन छुट्टा जानवर से भी लोगों की जान जा रही है, उनको भी 25 लाख रुपया कम से कम मुआवजा देने का काम करें। इसलिए मान्यवर, आज मानव जाति के लिए जंगलों के कटान के कारण जंगली जानवरों को पर्याप्त भोजन न मिलने से यह जानवर जंगलों से निकलकर खेतों में आ गये हैं और मानव जाति के दुश्मन बन गये हैं।

वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ0 अरुण कुमार)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मनोज पारस जी द्वारा जो सूचना दी गयी है उसके सम्बन्ध में यही कहूंगा कि बिजनौर जनपद का अमानगढ़ और नजीबाबाद का वन क्षेत्र उत्तराखंड की तराई के वनों में जिम कार्बेट और अमानगढ़ से लगा हुआ है। जहां पर साल, सागौन प्रजातियों का सघन वन है। इन क्षेत्रों में बाघ, हाथी, तेंदुआ और लेपर्ड काफी संख्या में हैं। वन्य जीव की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भोजन के लिए तेंदुए को वनों से बाहर गन्ने के खेतों में आना पड़ा है। किसी मांसाहारी जीव की उपलब्धता न होने के कारण भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा का अभाव है इसलिए वहां पर गुलदार काफी मात्रा में हैं। जनपद में बड़े पैमाने पर लगभग 60 प्रतिशत भूमि पर गन्ने की फसल उगाये जाने से गन्ने के खेतों में गीदड़, सुअर, खरगोश आदि पर्याप्त मात्रा में गुलदार को उपलब्ध हो जाते हैं। गन्ना के खेत गुलदार के छिपने के लिए काफी उपयुक्त होने के कारण कृषि क्षेत्र में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि हुयी है और यह गन्ने के खेत

लोगों के घरों के पास तक हैं। भारी वर्षा के कारण कृषि क्षेत्र में गुजरने वाले नदी, नाले व गन्ने के खेत जिनमें गुलदार प्रवास करता है, उनमें पानी भर जाने के फलस्वरूप, तेंदुए का गांव के आस-पास रजवाहों, चकरोड़ों व अन्य ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होने के कारण यहां इनका मनुष्यों से टकराव हो जाता है और यह बात बिल्कुल सही है कि यहां पर काफी लोगों की जनहानि हुयी है। यह जगह नगीना, मैडी, धामपुर, नजीबाबाद है। इस पूरे क्षेत्र को 12 हिस्सों में बांटा गया है, 12 टीमें बनायी गयी हैं, जो कि गुलदार को पकड़ने का सघन प्रयास कर रही है। इसी साल में 12 तेंदुए पकड़े गये हैं और कल भी एक तेंदुआ पकड़ा गया है, जो कि केज (पिंजड़े) में आया है। यह ऐसी 03 तहसीलें नगीना, धामपुर, नजीबाबाद है और यहां के लिए हमने 12 टीमें बनायी हैं और हर टीम में एक कन्जरवेटर फॉरेस्ट, डी0एफ0ओ0, रेंजर्स और अधिकारी लगाये गये हैं और एक-एक टीम में 20-20 व 25-25 लोग लगाये गये हैं, जो दिन रात सघन चेकिंग कर रहे हैं कि वहां पर किसी प्रकार की परेशानी न हो। पांच पशु चिकित्सक लगाये गये हैं, जो उन्हें निश्चेन विधि से रेस्क्यू करने में मदद करें।

तेंदुए के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का सहयोग भी लिया जा रहा है। दुधवा टाइगर रिजर्व और कार्बेट रिजर्व से भी 4 हाथी मंगाये गये हैं, जो इनको ट्रेस कर रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर 40 ट्रेप केज लगाये गये हैं, ताकि तेंदुए को उन केज में पकड़ा जा सके। उपयुक्त स्थलों पर 33 ट्रेप केज लगाये गये हैं, जिससे पता लग सके कि तेंदुआ कहां पर है। कुछ जगहों पर जहां पर ज्यादा इंसीडेंट हुए हैं, वहां मचान बनाकर उस पर बैठकर रेस्क्यू किये जा रहे हैं। 5 ड्रोन कैमरे लगाये गये है, ताकि तेंदुए का पता लग सके। इसमें ड्रोन कैमरा भी लगाये गये हैं क्योंकि पेड़ों के नीचे अगर कोई तेंदुआ है तो उसका पता नहीं लग सकता जंगल के अन्दर, लेकिन थर्मल ड्रोन कैमरा ऐसा है कि अगर कोई जानवर पेड़ों के नीचे भी है तो वह भी पता लग जायेगा। सूचना के आदान-प्रदान हेतु प्रभागीय निदेशक, बिजनौर के कार्यालय में एक नियंत्रक कक्ष बनाया गया है। अन्तर राज्य समन्वय के लिए उत्तराखंड के समीपवर्ती वन विभाग के अधिकारियों से भी संयुक्त प्रयास किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में टीमों द्वारा नियमित रात्रि गस्त की जा रही है। बचाव हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम तथा प्रसार सामग्री का वितरण किया जा रहा है।

अध्यक्ष जी, वहाँ के प्रधानों एवं ग्रामीण वासियों से वार्ता की जा रही है। उन्हें समझाया जा रहा है कि यहाँ तेंदुआ है, इससे किस तरह से बचा जाए। आप सब शाम को अकेले मत निकलो और जब निकलो तो हाथ में डण्डा लेकर ग्रुप में निकलो। ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों से कहा गया है कि गाँव वालों को बताएं कि तेंदुए से किस तरह से जान बचाई जाए। जनहानि वाले गाँवों में दो कर्मचारियों की नियमित ड्यूटी लगायी गयी है। जनहानियों के लिए जिम्मेदार तेंदुआ को उपर्युक्त उल्लिखित विधियों के प्रयासों से रेसक्यू किए जाने में सफलता न मिलने पर अपरिहार्य स्थिति में आखेट विधि से विलोपन हेतु प्रधान मुख्य संरक्षक वन्य जीव उत्तर प्रदेश, लखनऊ से भी अनुमति दे दी गयी है।

साथियों, मानव वन्य जीव संघर्ष की रोक-थाम हेतु राज्य आपदा कार्यक्रम के अन्तर्गत उस जगह पर हम जल्दी ही चेनलिंग और सोलर फेन्सिंग के कार्य के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ताकि गुलदार से आम-जनता को बचाया जा सके। जिला प्रशासन के साथ बैठक की जा रही हैं। इसमें गन्ना, कृषि, पंचायती राज, पशु चिकित्सा, पुलिस प्रशासन विभाग आदि का सहयोग लिया जा रहा है, ताकि आमजनता को गुलदार से बचाया जा सके।

आपकी ये बात सही है कि जंगल पहले से कम हो गये हैं और बाघों की संख्या जिम कार्बेट में भी और हमारे क्षेत्र में भी बढ़ रही है। बाघों में इलाकेदारी ज्यादा होती है, जिसके कारण तेंदुआ उधर से बढ़कर नीचे की तरफ आ रहा है। गन्ने के खेत में उसको छुपने की जगह मिल जाती है, जंगली सुअर और अन्य जानवर मिल जाते हैं। यहाँ पर जब पानी भरा होता है, तो वह वहाँ से निकल कर ऊँची जगह पर आ जाते हैं और जब उसको कोई भी आदमी मिलता है, तो वह उन पर अटैक करता है। आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि गुलदार की वजह से वहाँ लोग भयभीत रहते हैं, इसलिए हम गुलदार को पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और गुलदार से जनता को बचाने के लिए जो भी उपाय हो सकेगा, वह हम करेंगे।

(श्री मनोज पारस के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर।)

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बताया है कि उस पर कार्य कर रहे हैं। जब कुछ हो रहा है तभी तो आपने प्रश्न उठाया है। मैंने मा0 मनोज कुमार पारस जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में था, मैं इसे अग्राह्य करता हूँ।

मा0 माता प्रसाद पाण्डेय जी का जो विषय था, चूँकि आज सिंचाई के ऊपर बोलने का अवसर दिया गया था, इसलिए मैंने इसे सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मेरा कार्य-स्थगन था।

श्री अध्यक्ष-

आज प्रातः एक और सूचना थी, लेकिन माननीया मंत्री जी आज यहाँ पर उपस्थित नहीं थीं, इसलिए उसको कल ले लेंगे। कल आप दीजिएगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक मेरा भी बहुत महत्वपूर्ण मामला था।

श्री अध्यक्ष-

अब कुछ नहीं।

[04:33] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प

श्री अध्यक्ष-

उक्त प्रस्ताव के अननुमोदन के लिए श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' एवं डॉ0 पल्लवी पटेल का नाम प्रस्तावक के रूप में है। दोनों मा0 सदस्य नहीं हैं तो फिर इसके अननुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, डॉ0 पल्लवी पटेल जी मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संकल्प प्रस्तुत करें।

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है।

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस विधायिका और पूरे देश में कांस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया को फॉलो करते हैं। उसमें जो वर्णित है, उसके एक-एक शब्दों को हम अपने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में उसका अनुसरण करते हैं। ऐसे में मैं यह बात कहना चाहूँगी कि इसके आर्टिकल नम्बर-213 में यह क्लीयरली मेंशन है कि आपको अध्यादेश लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ? जब कृषि उत्पादन मण्डी में आप चेंजेज करना चाहते हैं, उसकी इतनी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं थी कि उसको लाया जाये। तो मैं इसको अस्वीकार करती हूँ और यह स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि आपको इसको लाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[04:35] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी।

उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश प्रताप सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाए।

मा0 अध्यक्ष जी, यह संशोधन विधेयक राज्य के किसानों के व्यापक हित में लेना उचित होगा। पहले जब भी कोई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाती थी, तो उस पर मण्डी टैक्स और विकास उपकर लगाया जाता था। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने यह मण्डी टैक्स और उपकर से राज्य के खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को मुक्त कर दिया है, जिससे अब खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अधिक से अधिक हो सकेगी। यह सुविधा पुरानी स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर भी लागू होगी और जो नई खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित होंगी, उन पर भी लागू होगी, इसलिए राज्य के व्यापक हित में यह आवश्यक है। राज्य में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों, इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी, मद संख्या-24 पर माननीय मंत्री जी ने अपनी बात रख दी है। अब आप बोलना चाहें तो बोलें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, श्री सचिन यादव जी बोलेंगे।

श्री सचिन यादव-

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

आदरणीय अध्यक्ष जी, जो यह विधेयक लाया जा रहा है, तो मण्डी की स्थापना किसानों को फायदा देने के लिए, किसानों की फसलों का उचित मूल्य देने के लिए, उनको ठगी से बचाने के लिए और किसानों की फसलों की जो बिक्री हो, उसको फैसिलटेट करने के लिए की गयी थी, लेकिन यह जो संशोधन लाया जा रहा है, यह उस सबके विपरीत है। आपने कहा है कि एक ही लाइसेंस होगा, वह सारी समितियों में हर जगह काम करेगा। इससे फायदा किसको होगा ? इससे बड़े-बड़े व्यापारियों को फायदा होगा। क्योंकि जो बड़े व्यापारी होंगे, वह सब छोटे व्यापारी जो हर मण्डी तक छोटे-छोटे लाइसेंस लेकर काम करते हैं, वे सब खत्म हो जायेंगे और बड़े व्यापारी पनप जायेंगे और सारी मण्डियों पर कब्जा कर लेंगे। तो इससे न किसान को फायदा होगा, न छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। दूसरा, सरकार यह कह रही है कि जो बाहर से एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स आयेंगे उन पर मण्डी टैक्स फ्री कर दिया जायेगा। अब एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स बाहर से क्यों आ रहे हैं ? हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, सबसे ज्यादा किसान यहाँ पाये जाते हैं, सबसे ज्यादा फार्मिंग यहाँ पर होती है तो जो इक्विपमेंट्स किसानों के लिए हैं उनकी कम्पनीज यहीं होनी चाहिए थी। हमने बहुत सारे

इन्वेस्टर्स समिट्स भी किये, बहुत से बाहर की कम्पनीज को बुलाने की कोशिश भी की। अगर ये सब इन्वेस्टर्स समिट्स सफल हुये होते तो ये कम्पनीज पहले से ही यहाँ होतीं और बाहर से इक्विपमेंट्स नहीं लाने पड़ते।

माननीय अध्यक्ष जी, यह संशोधन बड़ी कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है, जिससे जो बाहर बड़ी कम्पनियां लगी हैं, उनको इससे टैक्स का फायदा हो सके। तीसरा सीधे किसानों से जब कम्पनीज सिक्योर करेंगी तो उनका मण्डी टैक्स माफ कर दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अगर जब मण्डियां कमजोर हो जायेंगी तो जो किसान हैं, उससे डायरेक्ट नहीं लिया जाएगा, बड़ी-बड़ी कम्पनियां मिडिल मैन से जो अभी भी ले रही हैं, वह और बढ़कर लेंगी और मिडिल मैन को खत्म करने के लिए यह मण्डियां बनी थीं। आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध है कि मिडिल मैन इससे भर जायेंगे या तो यह सुनिश्चित किया जाए कि जिनको टैक्स में छूट मिल रही है, उनका फाइनेंशियल ऑडिट हो, जिससे यह पता चले कि जिन्होंने टैक्स की छूट ली है, वह सीधे किसानों से जो प्रिक्योर किया है, उसी पर ली है या मिडिल मैन से ली है। जब तक हम प्रॉपर ऑडिट नहीं करेंगे, तब तक यह छूट उनको मिलती रहेगी। उससे बड़ी कम्पनीज को फायदा होगा और किसानों को फायदा नहीं होगा। पहले से ही हमारी मण्डियों का राजस्व घट रहा है। पहले हमारी मण्डियां रोडें बनाया करती थीं। नयी-नयी रोडें नव निर्माण में लेती थीं, पुरानी रोडों की मरम्मत हुआ करती थी। बड़ी-बड़ी मण्डियां जगह-जगह पर बनायी जाती थीं। आपको भी पता होगा, सारे विधायकों को यहां पर पता है कि मण्डी विभाग ने रोडें बनाना बन्द कर दिया है। मण्डी की जितनी भी रोडें हैं, जो मरम्मत मांग रही हैं, वह सब टूटी पड़ी हैं, इसकी वजह सिर्फ यही है कि उनका राजस्व घट रहा है। इस संशोधन के माध्यम से फिर से मण्डी का राजस्व और भी घट जाएगा। जो मण्डी पहले से ही स्ट्रगल कर रही है अगर उसका राजस्व और घटाने का काम किया जाएगा तो वह अपने आपको सरवाइव करने के लिए कैसे आगे बढ़ पायेंगी ? अब इसमें यह कह रहे हैं कि जितना राजस्व घटेगा, उसको सरकार की तरफ से इनकॉपरेट करके दे दिया जाएगा, लेकिन पहले से ही राजस्व घट रहा है, अभी तक सरकार ने उस पर मदद नहीं की है तो फिर कैसे होगा ? अगर यह किसी प्रवर समिति को दिया जाए तो वहां पर जो प्रॉपर राजस्व लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी मिलेगी, जिससे कि इस लॉस से मण्डी को बचाया जा सकेगा।

पहले किसान के साथ अपनी किसानी करते वक्त, खेत में काम करते वक्त कोई दुर्घटना हो जाती थी तो उनको पैसा मिलता था, आज भी वह स्कीम आदरणीय मुख्य मंत्री जी की कृषक दुर्घटना योजना है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है, क्योंकि मण्डी का राजस्व दिन पर दिन घटता जा रहा है, बहुत से किसान खत्म हो जाते हैं और उनको पैसा नहीं मिल पाता है। मेरे क्षेत्र जसराना में एक उस्मानपुर गांव है, उसमें आकाशीय बिजली से विजयपाल जी की मृत्यु हो गयी। हमने अनुरोध किया कि उनको इस योजना से लाभ मिल जाए, लेकिन आज तक उनको कोई लाभ नहीं मिला। ऐसे ही गांव गहेरी में हमारी विधान सभा क्षेत्र जसराना में

लोग खत्म हुए उनको कोई लाभ नहीं मिला। वहां के प्रधान सत्यवीर जी हैं, वह सचिव से कई बार मिलने गए तो उन्होंने कहा कि पैसा ही नहीं है, मण्डी तो वैसे ही घाटे में चल रही है। मण्डियां पहले से ही घाटे में चल रही हैं और राजस्व घटाने के काम के लिए यह संशोधन फिर से लाया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए, जिससे इसमें प्रॉपर संशोधन पर काम हो सके। जो किसान के फायदे की चीजें हैं, उसको लेकर आया जाए न कि बड़ी कम्पनियों के फायदे की चीजों को लेकर आया जाए, उन पर संशोधन के माध्यम से लेकर आया जाए।

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी मण्डी परिषद के सभापति हैं, उन पर हम सबको भी भरोसा है और पूरे राज्य के किसानों को भरोसा है तभी बहुमत की सरकार आज की तारीख में राज्य के लोगों की सेवा कर रही है। मण्डी में जब 2 प्रतिशत टैक्स लिया जाता था 3 कृषि कानून से पहले उससे भी ज्यादा अब हम एक प्रतिशत ले रहे हैं तो भी हमारी मण्डी की आय है फिर भी जब हम किसानों को लाभ देने के लिए किसानों का हित करने के लिए जिसका कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय योगी जी दोनों का संकल्प है कि हम उनकी आय दोगुना करेंगे तो किसानों के हित में जो फैसले लिये जाते हैं, उस पर यह आपत्ति समझ में नहीं आती कि जो अपने को किसानों का मसीहा दल कहते हैं, उनको इस पर क्या आपत्ति है। हम किसानों की उपज को प्रसंस्कृत करने के लिए राज्य में अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना चाहते हैं। जब हम मण्डी टैक्स को एग्जम्प्ट कर रहे हैं तो उससे हमारी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना अधिक से अधिक होगी और जब हमारे किसानों की उपज प्रसंस्कृत होगी तो वह वैल्यू एडिट होगी और मान्यवर, हम अपने प्रसंस्कृत उत्पादों को दुनिया की बाजारों में ले जा करके अपने राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने का काम कर रहे हैं और रही बात जो चिंता मण्डी की आय कम होने की की जाती है हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने निर्णय लिया है कि जितना भी किसानों को हम टैक्स से छूट देंगे और उससे जो मण्डी की आय में कमी आएगी हम उसकी भरपाई करेंगे, रिम्बर्समेंट करेंगे, और उन्होंने बजट का भी एलोकेशन कर दिया हमारे उद्यान विभाग को जिससे हम रिम्बर्स करेंगे उस मण्डी को जितना भी मण्डी शुल्क में छूट वह देंगे। तो मैं समझता हूं कि इससे कोई मण्डी की आय घटने का सवाल नहीं उठता है।

दूसरी बात कही गई कि बड़े व्यापारियों का और छोटे व्यापारियों का, आदरणीय अध्यक्ष जी बड़े और छोटे व्यापारियों को सामान्य रूप से टैक्स का एग्ज़ेम्प्शन है किसी को कोई अतिरिक्त अथवा कम ज्यादा नहीं दिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसका तो सबको स्वागत ही करना चाहिए। हम अगर डेढ़ प्रतिशत का टैक्स किसी भी खाद्य प्रसंस्करण इकाई को छूट देते हैं तो वह लाभ कमाएगी। वह लाभ कमाएगी तो हमारी किसान की उपज को अधिक

दामो में वह खरीद सकती है। तो वैसे भी किसानों की उपज का ज्यादा मूल्य निश्चित तौर से मिलेगा। और तीसरी चीज कही गई कि मण्डी की आय से हमारी सड़कों का निर्माण नहीं हो पा रहा है तो मैं समझता हूं कि मा0 सदस्य को जानकारी बढ़ानी चाहिए। मैंने विगत वर्ष लगभग दो सौ मा0 सदस्यों की अनुसंशा पर सड़कों की मरम्मत और नये निर्माण कराये हैं तो इससे भी कोई इनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार मण्डी किसानों के हक में काम कर रही है। हम चाहे राज्य के किसानों की उपज खरीदें, चाहे राज्य के बाहर के किसानों से उपज लायें, हम पूरी तरह से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को टैक्स मुक्त करके और यह देश के कई राज्यों में लागू है, यह कोई नयी चीज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि वहां के राज्य के किसानों का व्यापक हित हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हो रही है और ज्यादा से ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष उपस्थित है, मैं इस सदन के सभी उपस्थित सदस्यों से, पीठ से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको पारित करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 20 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964 की धारा 9-क का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी मण्डी समिति द्वारा यथा विहित रीति से थोक व्यापारी हेतु जारी लाइसेंस को एकीकृत लाइसेंस माना जायेगा। एकीकृत लाइसेंसधारी राज्य के किसी मण्डी क्षेत्र में व्यापार करने के लिए प्राधिकृत होगा।"

धारा 17-क का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 17–क की उपधारा (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना आवश्यक और समीचीन है वहाँ वह, राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:"

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के बाहर से लाये गये कृषि उत्पाद को प्रसंस्करण इकाई द्वारा सीधे क्रय किया जायेगा और विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर राज्य, जहाँ कृषि उत्पाद लाया गया हो, में प्रवृत्त विधि, यदि कोई हो, के अनुसार मण्डी शुल्क एवं उपकर, यदि कोई हो, का सम्यक रूप से भुगतान किया जायेगा।

"(घ) खण्ड (क) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना को प्रोत्साहित करना और राज्य में उत्पादित विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन और उसे उक्त इकाईयों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किये जाने हेतु प्रोत्साहित करना लोकहित में आवश्यक एवं समीचीन है वहाँ वह, ऐसे विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद पर यथा विहित रीति से मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में छूट प्रदान कर सकती है:"

प्रतिबन्ध यह है कि प्रसंस्करण इकाई उत्तर प्रदेश राज्य में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद, राज्य सरकार द्वारा यथा विहित रीति से, उत्तर प्रदेश राज्य में सीधे कृषकों से क्रय करेगी।

"(ङ) राज्य सरकार पूर्वोक्त खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन प्रदत्त छूट के फलस्वरूप राज्य की समस्त मण्डी समितियों की आय में विहित रीति से आगणित कुल कमी की प्रतिपूर्ति, वार्षिक आय–व्ययक के माध्यम से करेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश कृषि उप्तादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यावाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1-प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री दिनेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[04:49] उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प

डॉ0 पल्लवी पटेल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करती हूँ कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है''।

मैं सर्वप्रथम इस सदन में यह बात उल्लेखित करना चहूंगी कि इस संविधान के अध्याय-4 में वर्णित आर्टिकल नम्बर-213 पूरी डिटेलिंग के साथ यह मेंशन करता है कि जब दोनों सदन चल रहे हों तब विधेयक लाया जाए। किसी भी विषय को ले करके चर्चा हो, उस पर पक्ष और विपक्ष अपना मत रखे। चर्चा के उपरान्त सभी सहमतियों को उसमें अंकित करते हुए उस विधेयक को पास करके जनहित के मुद्दों को उठाते हुए आगे ले जाया जाए। तब मेरा यहां पर प्रश्न यह उठता है कि इतनी क्या अनिवार्यता थी और ऐसी क्या परिस्थितियां बनीं कि सदन नहीं चल रहा था, तब इस अध्यादेश को लाया गया। इन्हीं आधारों के दम पर मैं यह कहना चहूंगी कि इसको एक प्रवर समिति को सौंपते हुए इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसी आधार पर मैं इस संकल्प का अननुमोदन करती हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

[04:51] उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

नागरिक सुरक्षा, पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, शहरी जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। नागरिक सुविधाओं की आवश्यकता थी इसलिये हम इस विधेयक को लाये हैं। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास

अधिनियम, 1973 की धारा-8 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा महायोजना तैयार किये जाने का प्रावधान है। वहीं पर जनसंख्या घनत्व में वृद्धि के कारण कृषि उपयोग हेतु आरक्षित भूमि पर नगरीय उपयोग प्रस्तावित किये जाते हैं जिससे ऐसी भूमि के बाजार मूल्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होती है। फलस्वरूप नयी महायोजना तैयार होने के पश्चात् किसी भूमि का उच्च भू-उपयोग होने की दशा में भूमि के स्वामी को भूमि के बढ़े हुये मूल्य का लाभ तो मिलता ही है, किन्तु इसके एवज में सम्बन्धित विकास प्राधिकरणों का कोई लाभांश प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, इसीलिये इस महायोजना में प्रस्तावित सामुदायिक सुविधाओं तथा सड़क, पार्क, खुले स्थान, ग्रीनवर्ज, एस0टी0पी0 आदि का बढ़ती मांग के अनुरूप समय से निर्माण तथा विकास किये जाने हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मान्यवर, इसलिये उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-2 (8) (टट) के पश्चात् नयी धारा के अन्तर्गत विशेष सुख-सुविधाओं हेतु सुलभता प्रदान करते हुये इससे प्राप्त होने वाली धनराशि पर नियंत्रण तथा इस धनराशि को नये महायोजना मार्ग व अन्य अवस्थापना एवं जन सुविधाओं पर व्यय किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसलिये हम इस विधेयक को लाये हैं। विशेष सुख-सुविधाओं के अन्तर्गत महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे मेट्रो रेल, लाइट रेल, क्षेत्रीय रैपिड रेल, बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली, रोप-वे तथा ऐलिवेटेड रोड इत्यादि शहरी पुनरोद्धार परियोजनाएं तथा नदी तटीय विकास जैसी अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। मान्यवर, इसलिये हम इस विधेयक को लाये हैं।

श्री अध्यक्ष-

विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव कौन रखेगा ?

श्री अतुल प्रधान-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, जब प्राधिकरणों का जिक्र आता है और उसकी महायोजनाओं का जिक्र चलता है और आप जब यह संशोधन लेकर आये हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, चाहे मेरठ का एरिया हो अथवा उसके आस-पास चाहे गाजियाबाद का एरिया हो, चाहे हापुड़ का एरिया हो, चाहे बुलन्दशहर का एरिया हो, इन सभी जगहों पर बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। पूरे प्रदेश में आबादी बढ़ रही है, लेकिन हमारा क्षेत्र एन0सी0आर0 का क्षेत्र है और पूरे प्रदेश के 59 जिलों को, नगरों को आपने इस महायोजना में इसके अन्तर्गत जोड़ा है। यह सही बात है कि हमारे यहाँ भी मेट्रो आ रही है,

रैपिड रेल आ रही है, लेकिन जब संशोधन की बात आती है तो इस विधेयक को इसलिये प्रवर समिति को सौंपने की जरूरत है कि उधर की तरफ की सारी कृषि योग्य भूमि अगर हम लोग महायोजना के अन्तर्गत ले लेंगे और जिस तरह से आबादी का फैलाव तेजी से बढ़ता जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि जहाँ से अन्न आता है, जहाँ से पशुओं का चारा उपलब्ध होता है, ऐसी कृषि योग्य भूमि जो बहुत बड़ी संख्या में लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। अगर हम सब उसका अधिग्रहण कर लेंगे तो आने वाले समय में सिर्फ कंक्रीट की दीवारों के अलावा कुछ दिखायी नहीं देगा।

हम लोग प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार कई बार सुनते रहते हैं। वहां की समस्यायें, दिक्कतें सुनते रहते हैं। मेरठ और अपने आस-पास के कई जिलों का जिक्र करूं तो आज के समय में आप प्राधिकरणों की हालत देखें। आज प्राधिकरणों की हालत यह है कि उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण प्राधिकरण के कर्मचारियों को सैलरी तक ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। प्राधिकरण की जमीन जिसको अधिग्रहण कर लिया गया, जो महायोजना 10 साल पहले 15 साल, 20 साल पहले थी, अगर आप उनका आकलन करें तो उन जमीनों के ऑकलन में हजारो हेक्टेयर जमीन पर या तो अवैध कब्जा धारकों द्वारा कब्जा कर लिया गया है या तो भू-माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और उन पर कॉलोनियां काट दीं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि आप जांच कराकर देख लें। मुरादाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, हापुड़, बागपत, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के प्राधिकरण आप देख लें। सब जगह हम लोगों ने सवाल लगाये। उससे यह सामने आया कि महायोजना का विस्तृत रूप एक डायरी बनाकर या बुकलेट बनाकर आपके प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अपनी आपत्तियां दे दीजिए। जब हम लोग आपत्तियां देते हैं तो आपत्तियां देने के बाद वे ऐज इट इज उसको फाइनल कर देते हैं। कई बार भू-माफियाओं के चंगुल में आकर, विशेष लोगों के चंगुल में आकर हम लोग ऐसी योजना का विस्तार कर देते हैं जिससे वहां के किसान, व्यापारी, नौजवान तमाम चीजें प्रभावित होती हैं।

मेरा प्रवर समिति को सौंपने का मत इसलिए था, क्योंकि जब आप प्राधिकरणों का जिक्र करते हैं। जिसमें कर्मचारियों की संख्या होती है। वहां पर उनको मेट बोलते हैं। कई जगह अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारी भी हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है कि कर्मचारियों के पद रिक्त है। उनकी पूरी उपलब्धता नहीं है। इस उद्देश्य से भी अगर प्रवर समिति को सौंप दिया जाये तो 20-20 साल से जो अस्थायी कर्मचारी हैं, उनको स्थायी करने का प्रबन्ध हो जाता। आप लखनऊ प्राधिकरण में ही देख लीजिए। कई बार बड़ी-बड़ी योजनायें हम लोग चलाते हैं। चूंकि बहुत तेजी से गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और वह पलायन इसलिए होता है, क्योंकि जो महायोजनाओं के अन्तर्गत गांव आते हैं। आप पुराने शहर में जायें और जब ग्रामीण इलाकों में आउटर में जायें तो जो उस योजना के अन्तर्गत आते हैं, शहरों के

उन गांव की हालत कितनी खराब है। उस महायोजना के अन्तर्गत आने में सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को हुई तो उन गांव को हुई। न वहां कोई प्रधान बन पाता है, न वहां जिला पंचायत का सदस्य बन पाता है। मान्यवर, विधायक निधि इतनी कम होती है कि वह उससे उस गांव का विकास नहीं कर सकता। न ही प्राधिकरण उस गांव को लेना चाहते हैं। वहां सीवर लाइन हो, चाहे अन्य व्यवस्थायें हों, सफाई की व्यवस्था हो। इसके अलावा कोई भी ऐसी व्यवस्था हो तो उनके गांव की हालत न घर की न घाट की जैसी हो जाती है। मान्यवर, इसको प्रवर समिति को सौंपा जाये। आप यह संशोधन का प्रस्ताव लाये हैं जिसमें महायोजना का जिक्र किया। आपने मेट्रो रेल का जिक्र किया। आपने रैपिड रेल का जिक किया। हमारे यहां रेपिड रेल आ रही है और भी कई योजनाओं का जिक कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ किसानों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इसको प्रवर समिति को सौंपा जाये। कर्मचारियों की समस्या, अन्य समस्यायें तथा सफाई को ठीक से व्यवस्थित करने के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाये जिससे सब लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव आ सकें। हम और आप सब मिलकर उसको बेहतर बना सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-9 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह दिनांक 10 जुलाई, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति के अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973, (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है), की धारा 2 में :–

(क) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) 'सुख–सुविधा' में सड़क, जलापूर्ति, मार्ग–प्रकाश, जल–निकासी, मल वहन, सार्वजनिक पार्क एवं खुला स्थल विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं निस्तारण मल–जल उपचार संयत्र तथा उपयोगिताओं एवं सेवाओं सहित अन्य लोक संकर्म और अन्य सुविधाएं, जैसाकि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सुख–सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करें, सम्मिलित है; "

(ख) खण्ड (छछछ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(छछछ) 'विकास शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में सुख–सुविधाएं प्रदान करने और उनके सुधार एवं अनुरक्षण के लिए धारा 15 के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है।"

(ग) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(टट) 'विशेष सुख–सुविधा' में अत्यन्त महत्वपूर्ण परियोजनाएं यथा त्वरित जन अभिवहन प्रणाली (मेट्रो रेल, लाईट रेल, क्षेत्रीय त्वरित रेल, त्वरित बस अभिवहन प्रणाली, रोपवे इत्यादि), फ्रीवेज (एलीवेटेड रोड इत्यादि), नगरीय पुनरोद्धार परियोजनाएं (नदी तट विकास इत्यादि) अथवा कोई अन्य प्रमुख अवस्थापना परियोजना, जो राज्य सरकार द्वारा इस रूप में गजट में अधिसूचित की जाय, सम्मिलित हैं।

"(टटट) 'विशेष सुख–सुविधा शुल्क' का तात्पर्य विकास क्षेत्र में विशेष सुख–सुविधाओं, उनके सुधार तथा अनुरक्षण हेतु उपबन्ध के लिए धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन उद्गृहीत शुल्क से है;"

(घ) खण्ड (टट), खण्ड (टटटट) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा;

(ङ.) खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(दो) 'नगरीय उपयोग प्रभार' का तात्पर्य धारा 38ख के अधीन किसी व्यक्ति अथवा निकाय से उद्गृहीत प्रभार से है।"

(च) खण्ड (दो) को, खण्ड (तीन) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा।

धारा 7 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात:–

"7–प्राधिकरण का उद्देश्य योजना के अनुसार विकास क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित और सुनिश्चित करना है और उक्त प्रयोजनार्थ प्राधिकरण के पास भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन तथा निस्तारण करने, निर्माण, अभियन्त्रण, खनन और अन्य संक्रियाओं को क्रियान्वित करने, जल तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी कार्य को निष्पादित करने, मलवहन का निस्तारण करने, गजट में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सेवाओं, सुविधाओं तथा विशेष सुख–साधनों का उपबंध करने और सामान्यतः ऐसे विकास के प्रयोजनार्थ एवं उससे आनुषंगिक प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन कोई कार्य करने की शक्ति होगी:

परन्तु यह कि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का अर्थ प्राधिकरण द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अवहेलना को प्राधिकृत किया जाना नहीं लगाया जायेगा।"

धारा 8 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप–धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) महायोजना को प्रत्येक 10 वर्ष के समाप्त होने पर अथवा उससे पूर्व, यदि राज्य सरकार ऐसा उचित समझे, पुनरीक्षित किया जा सकता है।"

5–मूल अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :– धारा 15 में संशोधन

"(2ख) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां प्राधिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत करने का हक होगा:

परन्तु यह कि विशेष सुख–सुविधा शुल्क उद्गृहीत किये जाने के फलस्वरूप उद्गृहीत तथा संगृहीत अतिरिक्त धनराशि इस अधिनियम की धारा 20–क के अधीन यथा स्थापित "विशेष सुख–सुविधा विकास निधि" में जमा की जाएगी और इसका उपयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा अधिसूचित रीति से एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा।"

6–मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :– नई धारा 20क का बढ़ाया जाना

विशेष सुख–सुविधा विकास निधि

"20–क(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में राज्य सरकार एक या उससे अधिक विशेष सुख–सुविधा परियोजनाओं का दायित्व ग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है, वहां राज्य सरकार संबंधित प्राधिकरण को एक ऐसी पृथक निधि स्थापित करने और उसे अनुरक्षित रखने का निदेश देगी, जिसे "विशेष सुख–सुविधा विकास निधि" कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित आगम जमा किये जायेंगे:–

(क) धारा 15 की उपधारा 2(ख) के अधीन विशेष सुख–सुविधा शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि;

(ख) विशेष सुख–सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अनुपात में तथा रीति से किन्हीं अन्य शुल्कों/प्रभारों के कारण संग्रहीत धनराशि।

(2) निधि का उपयोग सम्बन्धित विशेष सुख–सुविधा परियोजना (परियोजनाओं) की वित्तीय वहनीयता के लिये ही ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष सुख–सुविधा विकास निधि के प्रशासन के लिए अधिसूचना द्वारा एक बोर्ड का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:–

(क) सम्बन्धित प्राधिकरण का अध्यक्ष;

(ख) सम्बन्धित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष;

(ग) सम्बन्धित विकास क्षेत्र में विशेष सुख–सुविधा परियोजना के क्रियान्वयन अभिकरण का परियोजना प्रतिनिधि।"

7–मूल अधिनियम की धारा 38क में, उपधारा (1) का द्वितीय परन्तुक निकाल दिया जायेगा। धारा 38क का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 38क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :– नई धारा 38ख का बढ़ाया जाना

नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने की प्राधिकरण की शक्ति

"38ख–जहां किसी विकास क्षेत्र में धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन महायोजना के पुनरीक्षण अथवा धारा 9 के अधीन परिक्षेत्रीय विकास योजना तैयार किए जाने के परिणामस्वरूप सड़क, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्टी व जन सुख–सुविधाओं से भिन्न किसी विशिष्ट भूमि के भू–उपयोग, जैसा कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास भू–उपयोग संपरिवर्तन प्रभार का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण नियमावली, 2014 में विनिर्दिष्ट हो, में उच्चतर उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाता है, वहां प्राधिकरण को धारा 15 के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के समय ऐसी भूमि के स्वामी से ऐसी रीति से एवं ऐसी दरों पर जैसा कि विहित किया जाए, नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत करने का हक होगा।

परन्तु यह कि जहां महायोजना प्रथम बार तैयार की जाए, वहां ऐसी भूमि के स्वामी से कोई नगरीय उपयोग प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

9–(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या–12 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-9 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:00] उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, अभी तक उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा विभाग हैं उनकी चयन प्रक्रिया अलग-अलग है या अलग-अलवा संस्थाएं या अलग-अलग आयोग अध्यापकों व अनुदेशकों का चयन करते हैं और उससे शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होती है और गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। समय पर चयन न होना और पारदर्शिता न होना उस पर निरन्तरता का अभाव, उस पर तर्कता का अभाव यह सभी ऐसी विसंगतियां हैं जिससे समय समय पर शिक्षकों

व अनुदेशकों का चयन नहीं हो पाता है शिक्षण व्यवस्था भी प्रभावित होती है। पिछली किसी सरकार ने इसको नहीं देखा और इस पर भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो रहा था। हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री मा0 योगी जी शिक्षा के प्रति एक खास लगाव रखते हैं और वह जानते हैं शिक्षा और चिकित्सा, पढ़ाई और दवाई जीवन के लिए कितनी आवश्यक है और शिक्षा मानव जीवन की एक नींव है, इसलिए इसको सुधारना जरूरी है और उन्होंने विचार किया कि एक शिक्षा आयोग बने जिसके अन्तर्गत सभी, चयन हो बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, प्राविधिक शिक्षा हो, व्यवसायिक शिक्षा हो। इन सभी का एक आयोग बन जाये और उस आयोग के माध्यम से शिक्षकों व अनुदेशकों का चयन हो जिससे काफी सुधार आयेगा इन विसंगतियों को दूर करने के लिए मा0 योगी जी ने व्यक्तिगत रूचि लेकर नया आयोग दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग-2023 इस पर इसके गठन का आध्यादेश प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों, आशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों, सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम-1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हाई स्कूल या उनसे संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कालेजो अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा संचालित अथवा प्रबन्धकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों, प्राथमिक विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन या उ0प्र0 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक-फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन हेतु उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है और एतद्द्वारा अधिनियम प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसका केन्द्र प्रयागराज होगा और इसकी संरचना में हर विभाग का एक-एक प्रतिनिधि होगा, आयोग का एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, जो सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होगा वह बहुत ही कुशल शिक्षाविद् या प्रशासनिक अधिकारी जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद हो या उसके समकक्ष कोई पद उसने धारण किया हो, अथवा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो, या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम दस वर्ष तक आचार्य रहा हो और उसके पास कम से कम

तीन वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। इस क्वालीफिकेशन को पूरा करने वाला व्यक्ति अध्यक्ष चुना जायेगा। जो आयोग के सदस्य होंगे, क-उसमें एक ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो या हो, जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या अन्य कोई समकक्ष पद धारित किया हो। ख-एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा से अनन्य रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की हों। ग-एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपर निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो और जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की रही हों। घ-इसमें एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो और जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की हों। ङ-इसमें एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो और जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की हों। च-इसमें एक सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के स्तर का हो या रहा हो और जिसकी सेवायें उत्कृष्ट कोटि की हों। मान्यवर, इसमें छह सदस्य शिक्षाविद् होंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यह प्रतियाँ सभी सदस्यों के पास उपलब्ध हैं। आप विधेयक के कारण और उद्देश्य बता दीजिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें जहाँ एक ओर कुशल प्रशासनिक अधिकारी भी होंगे, वहीं उत्कृष्ट कोटि के शिक्षाविद् भी होंगे। यह सब मिलकर जो आयोग बनेगा वह अध्यापकों और अनुदेशकों का चयन करेगा। जब एक छत के नीचे शिक्षा के सभी विभागों के शिक्षकों और अनुदेशकों का चयन होगा तो वह सब विसंगतियाँ दूर होंगी जो पिछले कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं। उक्त विसंगतियों से शिक्षा की कार्यशैली भी प्रभावित हो रही है और शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इसलिये इस विधेयक का आना जनता, छात्र और शिक्षा के हित में है। मैं इसको प्रस्तुत करता हूँ जिससे इसको सदन का अनुमोदन प्राप्त हो सके।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने अपने भाषण में इसके महत्व को उजागर करते हुये जो कारण बताया कि हमारे तमाम पद रिक्त हैं चयन समय से नहीं हो पा रहे हैं। मान्यवर, उच्च शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है और उसके बाद भी आज भी अनेक महाविद्यालयों, अनेक माध्यमिक विद्यालयों में और बेसिक शिक्षा के जो अनुदानित विद्यालय हैं उसमें आयोग द्वारा परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट भी निकाल दिया गया।

4200 लोगों का रिजल्ट निकाला, 1800 की नियुक्ति होनी है। रिजल्ट निकालने के बाद भी उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। जब हम अलग-अलग चयन आयोग से उन पदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अनेक महाविद्यालयों में और माध्यमिक विद्यालयों में अगर आज कहीं 16 पद हैं तो 60 प्रतिशत पद उसमें रिक्त हैं। इस तरह से 50-60 प्रतिशत पद रिक्त हैं जब अलग-अलग आयोग है। अगर आप सबका मिलाकर एक आयोग बना देंगे और सभी का चयन उस आयोग से करायेंगे तो इसमें और विलम्ब होगा। हमने लोक सेवा आयोग बनाया है। आज जब हम प्रश्न करते हैं कि महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है तो कहा जाता है कि हमने आयोग को भेज दिया है। आयोग दो-तीन साल तक चयन नहीं करता है। जब अलग-अलग आयोग है तो यह स्थिति है। उनमें भी पारदर्शिता और योग्यता वही है जो योग्यता आप करने जा रहे हैं। फिर आप क्यों उन पर शंका करते हैं कि वह अच्छा चयन नहीं कर पायेंगे।

मान्यवर, अलग-अलग आयोग रहने से और अच्छा चयन होगा और जल्दी चयन होगा। लेकिन लटकाये रखने के लिए जैसे अभी 4200 शिक्षकों का रिजल्ट निकले दो साल हो गया है लेकिन उनको नियुक्ति देने का काम नहीं किया जा रहा है। जब आपकी इच्छाशक्ति नहीं होगी तो एक बना दीजिये या दस बना दीजिए, न बनाइये उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तीन आयोग हैं अलग-अलग विशेषता के लोग उसमें हैं। जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग है तो उसमें माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित लोग हैं जो उसके बारे में अच्छे लोगों को चयन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा आयोग है तो उसमें उसी तरह से लोग हैं जो उच्च शिक्षा के लिए अच्छा चयन कर सकते हैं। वेसिक शिक्षा आयोग है, वह बेसिक शिक्षा के लिए अच्छा चयन कर सकता है। इसी तरह से हमने अल्पसंख्यक संस्थाओं को अधिकार दिया है कि वह अपने से चयनित करें। आप इसको लाकर उनकी जो अलग स्थिति है जो हम उनको अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अवसर दिये हुये हैं उनका भी कार्य बाधित करने की नीयत से यह एक चयन आयोग बनाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको निश्चित रूप से विचार करके एक अच्छा विधेयक लाया जाये जिसमें चयन करने में ज्यादा समय भी न लगे। मान्यवर, आज चाहे महाविद्यालय हो चाहे अनुदानित महाविद्यालय हो, सरकारी के लिए तो लोक सेवा आयोग है उससे चयन होता है। तो यह अनुदानित कालेजों के लिए है चाहे वह महाविद्यालय हों चाहे माध्यमिक विद्यालय हों और चाहे वह बेसिक विद्यालय हों उसमें यह मदरसों को भी लाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, अगर एक आयोग होगा तो इसमें और अधिक विलम्ब होगा। 50 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब यह उत्तर दें तो यह बता दें कि माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद खाली हैं ? माध्यमिक चयन आयोग केवल शिक्षकों के चयन के लिए ही है और उसके बाद भी शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। बेसिक शिक्षा के लिए अलग आयोग बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पद खाली पड़े हुए हैं। फिर एक आयोग बना देंगे तो कैसे पद भर जायेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसकी आवश्यकता है ही नहीं। पहले से ही चयन आयोग बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसा

आप उचित समझते हैं तो उसके ऊपर ढंग से विचार किया जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए और उस समिति में सत्तापक्ष एवं विपक्ष दोनों के मा0 सदस्य रहेंगे। विशेषकर अल्पसंख्यक विद्यालयों को जो स्वायत्तता मिली हुई है उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सांस्कृतिक विकास पर चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री गुलाम मौहम्मद-

मान्यवर, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मा0 खन्ना जी यहां पर तशरीफ फरमाये हैं और मैं गालिब के एक शेर से शुरुआत करना चाहूँगा। 'हमसे फरियाद करना तो आता है, आप ही नहीं सुनते तो क्या कीजिए' इसी के साथ-साथ एक अल्लामा का शेर है कि 'अंदाज-ए-बयाँ गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात।' मान्यवर, बात वहां से शुरू होती है जब इस देश के लिए एक संविधान सभा बनती है और उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की जाती है। चूंकि यह माइनॉरिटी है और जब मैं माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ तो उसमें मुसलमान, सिख, ईसाई एवं बौद्ध भी है। सरदार पटेल साहब इस देश के गृह मंत्री रहे हैं, उनका इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में एक मुकाम है, उनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसमें माइनॉरिटी के राइट्स की बात की गयी है और उन्हीं के सुपरविजन में सारी कमेटियां बनाई गयीं, सारे अधिकार दिए गये। आर्टिकल-30 में माइनॉरिटी को सुविधा उन्हीं की देख-रेख में दी गयी है। अल्पसंख्यक लोग अपने शैक्षिक इदारे, अपनी शैक्षिक संस्थाएं बना सकते हैं और उनको संचालित कर सकते हैं। उनको इस बात की स्वतंत्रता होगी, वह आजाद होंगे इस बात के लिए कि वह इदारे खड़े करें और उनको अपनी तरह से संचालित करें। यह बड़े अफसोस की बात है कि उन्हीं इदारो में हमारी गंगा-जमुनी तहजीब फलती-फूलती है लेकिन न जाने क्यों, जो लोग उस वक्त के हमारे बुजुर्गों एवं पूर्वजों ने जो हमारे अग्रज थे उन्होंने हमें जो सुविधाएं दी, उन्होंने जो जरूरी समझा कि इनके इदारों, तहजीब, कल्चर, इनकी नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की मिली-जुली संस्कृति, तहजीब इन्हीं इदारों में पलेगी, पढ़ेगी तो यह गुलदस्ता अनेकता में एकता वाला यहां महकेगा, न जाने क्यों इस तरफ नजर आ रही है वह इदारे जिनमें उनके प्रबन्धकों एवं उनकी मैनेजमेण्ट कमेटी को छूट थी कि वह अपने पसन्द के लोग, अच्छे लोग सेलेक्ट करके वहां पर शिक्षण कार्य करायें, लेकिन शायद नजर लग गयी है। मुझे लगता है कि शायद आप बातें नहीं मानेंगे, क्योंकि बहुमत है और बहुमत का नाजायज इस्तेमाल होता है, चाहे दूसरा कितना भी सताया जाये। हमें सताया जा रहा है। अल्पसंख्यक शब्द बार-बार मंत्री जी दोहराये हैं। वे अल्पसंख्यक संस्थाएं जो अनुदानित हैं उन सबको इस आयोग के तहत लाया जा रहा है। जो विधेयक आप लाये हैं उसे मैंने पढ़ा है, इसमें खण्ड-10 का जो उपखण्ड-3 है उसमें एक व्यवस्था दी गयी है कि इसमें कुछ विशेषज्ञ होंगे। जो भाषायी

अल्पसंख्यक हैं उनकी भाषा के हिसाब से विशेषज्ञ रखा जायेगा। जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उसमें धार्मिकता के हिसाब से विशेषज्ञ रखा जायेगा। जब उन विशेषज्ञों को कोई अधिकार ही नहीं है, उनके हाथ में कोई मार्क्स नहीं है, कोई गुणांक नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आप मैनेजमेंट का हिस्सा खुद डिसाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या रह जाता है। मैं तो कहूंगा कि इससे हमारी संस्कृति बर्बाद होगी, इससे हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद होगा, लेकिन हमारी बर्बादी में ही आपकी खुशी है तो उसको हम क्या कहें। मेरी दरख्वास्त है कि हमारे अल्पसंख्यक इदारों को कम-से-कम इससे अलग रखा जाये और यही नहीं जब हमारा चयन बोर्ड सन् 1982 में बना था तब भी हमारे इन इदारों को इनसे एग्जेम्ट किया गया था। वह चयन बोर्ड भी हम पर लागू नहीं था। उसके बाद में माननीय उच्चतम न्यायालय के 11 न्यायाधीशों का एक केस में बाकायदा डिसीजन आया हुआ है, उसके बावजूद आप जिद पर आमादा हैं। मैं तो चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों को इससे अलग कर दीजिए, उनको उनकी आजादी दे दीजिए, वे सभी राष्ट्रवादी मुसलमानों की औलादें हैं जिन्होंने इस देश का बंटवारा करने वाले जिन्ना एवं उनके साथियों का विरोध किया था और इस भारतवर्ष की मिट्टी से खुशबू बिखेरी थी। यहां अपने बड़े भाइयों के साथ रहने का वादा किया था, इरादा बनाया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहता हूं और आपका संरक्षण चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंपा जाये, वह अपनी रिपोर्ट दे, उस समिति में सभी पार्टियों के सदस्य हों और मैं फिर दरख्वास्त कर रहा हूं कि हमारे अल्पसंख्यक इदारों को इससे अलग रखें, इससे बरी रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, और तो सब ठीक है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मंत्री जी भी जल्दी में हैं लेकिन जो संविधान का आर्टिकल-30 है Right of minorities to establish and administer educational institutions (1) All minortities whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. (राइट ऑफ माइनॉरिटीज टु इस्टैबलिश एण्ड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स-(1) ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन ऑर लैंग्वेज शैल हैव दि राइट टु इस्टेबलिश एण्ड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स ऑफ देयर च्वाइस) यानी धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। जब संविधान यह कहता है और आप एक कॉरपोरेशन बना रहे हैं, निगम बना रहे हैं। आपने लिखा है कि आयोग जो होगा वह निगम होगा। जब निगम है तो फिर इस आर्टिकल में जो अल्पसंख्यकों के लिए लिखा हुआ है तो क्या कन्ट्राडिक्शन नहीं होगा। कन्ट्राडिक्शन होगा तो उसका निदान क्या होगा ? ये लोग सुप्रीम कोर्ट या कहीं पर जायेंगे तो कुछ तो परिणाम मिलेगा। आपका आयोग बन कहां पायेगा, इसलिए इस पर विचार कर लीजिए यही मेरा कहना है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रवर समिति को सौंपने के लिए कई तर्क सामने आये। लेकिन तर्क देते समय अलग-अलग विषय पर जिन्होंने वातें रखीं, मैं उस पर अपनी बात रखूँगा। वर्मा जी स्वयं उस विसंगति का जिक्र कर रहे थे, जिसकी चिन्ता हम सबको है और उस चिन्ता की वजह से एकरूपता लायी गयी। क्योंकि इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है "too many cooks spoil the broth" (टू मेनी कुक्स स्पॉइल दि ब्रोथ) अर्थात जरूरत से ज्यादा रसोइये सोरवे का मजा किरकिरा कर देते हैं। अलग-अलग आयोग थे, अलग-अलग ढपली बजती थी, अलग-अलग राग होता था, अब एक छत के नीचे फैसला होगा, शिक्षा व्यवस्था का। इसलिए शिक्षा व्यवस्था में जो दुरूहता है, विसंगतियाँ हैं, वह दूर होंगी, यह एक विषय है। दूसरा, इसमें प्रत्येक विभाग के विशेषज्ञ, बेसिक शिक्षा के भी, माध्यमिक शिक्षा के भी, उच्च शिक्षा के भी, व्यावसायिक शिक्षा के भी, जब हर शिक्षा का विशेषज्ञ इस बोर्ड का सदस्य है तो वह परेशानियाँ भी दूर हो जायेंगी जो अलग-अलग होने से हो रही थीं। तीसरा, जहाँ तक प्रवर समिति को सौंपने का सवाल है, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, बेसिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग का अभिमत आ चुका है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अभिमत आ चुका है, श्रम विभाग का अभिमत आ चुका है, न्याय विभाग का अभिमत आ चुका है, वित्त विभाग का अभिमत आ चुका है, कार्मिक विभाग का अभिमत आ चुका है, इसलिए इन सबके अभिमत के बाद ये ऐक्ट बनाया गया। बड़े मंथन के बाद यह अमृत निकला है, जिसका वितरण समाज में होना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अभी जो गुलाम मौहम्मद साहब ने कुछ बातें रखीं, उन्होंने कहा 'नजर लग गयी', मैं कहता हूँ कि बहुत सालों बाद 'नजर उतर गयी' क्योंकि इस देश की अब तक की जो व्यवस्थाएँ थीं, उन्होंने ही नजर लगायी थी, इसकी एकता पर।

मान्यवर, हम उस विचार के हामी हैं कि 'अनेकता में एकता, भारत की विशेषता'। हम इसके समर्थक हैं, हमारे दिल से निकलती है आवाज, लेकिन जिन्होंने 'हिन्दी लादी नहीं जायेगी', एक राजनैतिक जुमला दिया उन्होंने भेद पैदा किया। यानी दक्षिण को उत्तर भारत से अलग किया इस शब्द ने, इस सेन्टेंस ने। इसी तरह से अल्पसंख्यक को अलग व्यवस्था दो। क्यों अलग कर रहे हो ? हमने तो इस आयोग में भी धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के सम्बन्ध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों, धर्म शास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वालों को अनिवार्य रूप से चयन प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करने का प्राविधान दिया है।

(इस समय सायं 05 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्री उमाशंकर सिंह पीठासीन हुए।)

इसलिए यह कहना गलत है कि यह अल्पसंख्यकों के विरोध में है। हम वह नहीं हैं जो व्यवस्थाओं को दो भागों में बाँटें। हम वह हैं जो एक साथ एक छत के नीचे बैठाओ, तब एकता स्थापित होगी। अलग-अलग करोगे, एकता टूटेगी। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) यह वह मूल है, जड़ है, जिससे एकता बनी हुई है।

माननीय पाण्डेय जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत समझदार हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इनके चरणों में सिर रखकर बहुत कुछ समझा है। लेकिन जो थोड़ा-बहुत मुझे भी ज्ञान है, इसी विषय पर, चयन प्रकिया पर मा0 उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है और उसमें कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए यह जो अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं, यह नहीं होनी चाहिए, यह फैसला उच्चतम न्यायालय की फुल बेंच का है। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो अधिनियम ला रहे हैं, यह शिक्षा के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, छात्रों के हितों के लिए है। इसलिए इसको पारित होना जरूरी है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, से प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों और इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन आच्छादित अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाईस्कूलों या उनसे सम्बद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अधीन शासित उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, प्रयागराज द्वारा संचालित एवं प्रबन्धकृत विद्यालयों एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूलों तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालयों अथवा अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के अध्यापकों के चयन अथवा उत्तर प्रदेश सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों के चयन और उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा संचालित एवं आयोजित करने और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2023 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

परिभाषाएं

2-(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों सेवा नियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में नियुक्ति करने हेतु सशक्त किसी प्राधिकारी से है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" का तात्पर्य निदेशक अथवा राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से है;

(ग) "परिषद" का तात्पर्य क्रमशः माध्यमिक शिक्षा,बेसिक शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद,प्रयागराज अथवा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश,लखनऊ से है;

(घ) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है और इसमें अध्यक्ष की अनुपस्थिति में,तत्समय अध्यक्ष के कृत्यों का सम्पादन करने वाला कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ङ) "आयोग" का तात्पर्य धारा-3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से है;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, उच्च शिक्षा या निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या निदेशक, बेसिक शिक्षा या निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण या निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन तथा महानिदेशक, अटल आवासीय विद्यालय से है और इसमें संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा सम्मिलित हैं;

(छ) 'संस्था' का तात्पर्य निम्नलिखित किसी संस्था से है:-

(एक) कोई सम्बद्ध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय,सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय,जिन्हें सम्बद्धता का विशेषाधिकार, क्रमशः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो;

(दो) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(तीन) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम,1921 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इण्टरमीडिएट कालेज या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या अल्पसंख्यक हाईस्कूल तथा इनसे सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(चार) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं प्रबंधकृत कोई विद्यालय;

(पाँच) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(छः) उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा शासित कोई सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाईस्कूल तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय;

(सात) व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान;

(आठ) अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित अटल आवासीय विद्यालय।

(ज) "अनुदेशक" का तात्पर्य व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है;

(झ) किसी संस्था के सम्बन्ध में "प्रबन्धतन्त्र" का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति से या उस संस्था के कार्यों का प्रबन्ध तथा संचालन करने की शक्तियों से युक्त किसी व्यक्ति या प्राधिकारी से है;

(ञ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के किसी सदस्य से है;

(ट) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़ें वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ठ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित से है;

(ड) "विनियमावली" का तात्पर्य धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली से है;

(ढ) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी संस्था में अनुदेश देने के लिए नियोजित किसी व्यक्ति से है तथा जिसमें कोई प्रधानाचार्य या उप प्रधानाचार्य या प्रधान अध्यापक सम्मिलित हैं;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की एक जुलाई को प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(2) इसमें प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम, नियमावली तथा परिनियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।

अध्याय–दो

आयोग की स्थापना और उसके कृत्य

आयोग की स्थापना

3–(1) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से नियत किये जाने वाले दिनांक से "उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग" नामक एक आयोग स्थापित किया जायेगा।

(2) आयोग एक निगमित निकाय होगा। वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में शक्तियों का प्रयोग करेगा और इसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा।

आयोग की संरचना

4–(1) आयोग में एक अध्यक्ष और बारह सदस्य होंगे जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्ह होगा, यदि वह,–

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य हो या रहा हो और राज्य सरकार के प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष पद धारण किया हो; या

(ख) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति हो या रहा हो; या

(ग) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय का न्यूनतम 10 वर्ष तक आचार्य हो या रहा हो और जिसके पास कम से कम 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो;

(3) सदस्यों में से,–

(क) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई सदस्य हो या रहा हो और जिसने राज्य सरकार के अधीन सचिव का पद या कोई अन्य समकक्ष पद धारित किया हो;

(ख) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ग) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो अपर निदेशक, व्यावसायिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(ङ) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो संयुक्त निदेशक, बेसिक शिक्षा से अनिम्न रैंक का हो या रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(च) एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश स्तर) से संबंधित रहा हो, जिसकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों;

(छ) छह सदस्य ऐसे शिक्षाविद् होंगे, जिनकी सेवाएं उत्कृष्ट कोटि की रही हों, और जिन्होंने राज्य सरकार की राय में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति, उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को उसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

5–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, इनमें से जो भी पहले हो।

इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन सदस्य नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक के लिए पद धारण करेगा और पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात् इस रूप में पद धारण नहीं करेगा, जो भी पहले हो।

(2) कोई व्यक्ति दो पदावधियों से अधिक के लिए अध्यक्ष या सदस्य नहीं होगा।

(3) अध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित लिखित रूप में स्वहस्ताक्षर से अपना पद त्याग सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा/रहेगी जब तक कि उसका त्याग-पत्र राज्य सरकार द्वारा स्वीकार न कर लिया जाय।

(4) अध्यक्ष या सदस्यों का पद, पूर्णकालिक होगा और अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने की राज्य सरकार की शक्ति

6–(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकती है, यदि वह,–

(क) न्यायालय द्वारा दिवालिया न्याय–निर्णीत किया गया हो; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी संदत्त सेवायोजन में अभिनियोजित हो; या

(ग) राज्य सरकार की राय में, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता या सिद्धकदाचार के कारण पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त हो; या

(घ) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन किसी अनर्हता का भागी हो।

स्पष्टीकरण :–(1) जहाँ अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य किसी संस्था द्वारा या उसकी ओर से किसी संविदा या करार से, किसी रूप में सम्बद्ध हो या उसमें हितबद्ध हो या उसकी प्रसुविधाओं में या उससे उद्भूत होने वाली किसी प्रसुविधा या परिलब्धि में सदस्य से भिन्न अन्यथा रूप में सहभागी हो वहां उसे खण्ड (ग) के प्रयोजनार्थ कदाचार का दोषी समझा जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन कदाचार का अन्वेषण करने और उसे सिद्ध करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

सहयुक्त करने की शक्ति

7–आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह, वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

आयोग का कर्मचारी वर्ग

8–(1) आयोग का सचिव, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और उपसचिव राज्य सरकार द्वारा अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जायेंगे और उनकी अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किये जाने वाले निदेशों के अध्यधीन, आयोग, ऐसे अन्य कर्मचारियों को, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक समझे, ऐसे निबन्धन और सेवा शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर नियुक्त कर सकता है।

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

9–आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात–

(क) अध्यापकों या अनुदेशकों की सीधी भर्ती की रीति से सम्बन्धित मामलों में मार्गदर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) अध्यापकों या अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए, जहाँ आवश्यक हो, परीक्षा संचालित करना और साक्षात्कार आयोजित करना तथा अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित और संचालित करना;

(घ) खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ विशेषज्ञों का चयन करना तथा उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(ङ) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में संस्तुति करना;

(च) अध्यापकों या अनुदेशकों की सदस्य संख्या और अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए रिक्तियों के सम्बन्ध में संस्थाओं से नियतकालिक विवरणियां या अन्य सूचनाएं शासन के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त करना;

(छ) विशेषज्ञों की परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्ते नियत करना;

(ज) आयोग के निस्तारणार्थ रखी गयी निधियों को प्रशासित करना;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसा कि विहित किया जाय, या जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली या विनियमावली के अधीन अपने कृत्यों का निस्तारण करने के लिए आनुषंगिक या सहायक हों;

(ञ) चयन/नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय–समय पर बनायी गयी नीति/प्रक्रिया के उपबन्धों का अनुसरण करना।

रिक्तियों का अवधारण, अधियाचन एवं चयन प्रक्रिया

10–(1) सीधी भर्ती द्वारा अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति करने के प्रयोजनार्थ नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबन्धतंत्र या प्राधिकृत अधिकारी विद्यमान या भर्ती वर्ष के दौरान सम्भावित रिक्तियों की संख्या और संस्था के प्रधान के पद से भिन्न किसी पद की स्थिति में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण अधिनियम, 2020 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 2020) के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निदेशों के अनुसार अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और रिक्तियों को ऐसी रीति से और ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी, जैसा कि विहित किया जाय, के माध्यम से आयोग को अधिसूचित करेगा। आयोग पात्रता का विनिश्चय करेगा और तदनुसार यथा विहित रीति से प्राप्त रिक्तियों को विज्ञापित करेगा।

(2) अध्यापकों या अनुदेशकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों में नियुक्ति के संबंध में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु उस धर्म एवं भाषा विशेष के शिक्षाविदों (धर्मशास्त्र एवं संस्कृति का ज्ञान रखने वाले) को अनिवार्य रूप से चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित करते हुए चयन की प्रक्रिया सम्पन्न करायी जायेगी।

अभ्यर्थियों का पैनल/सूची

11-(1) आयोग, धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रिक्ति अधिसूचित किये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र जहां कहीं आवश्यक हो परीक्षा आयोजित करेगा अथवा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा अथवा परीक्षा आयोजित करेगा और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगा और जो नियुक्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पायें जायें उनका पैनल/सूची तैयार करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैनल, धारा 10 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को, ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाय, अग्रसारित किया जायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पैनल प्राप्त होने के पश्चात् विहित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित रिक्तियों के सम्बन्ध में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, विहित रीति से नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा और विहित रीति से चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण में सुगमता प्रदान करेगा।

(5) जहाँ ऐसा चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र में अनुज्ञात समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गये समय के भीतर जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी इस निमित्त अनुज्ञात करे, ऐसी संस्था में किसी अध्यापक या अनुदेशक पद का कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहता है या जहां ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर आयोग द्वारा उपधारा (2) के अधीन अग्रसारित पैनल/सूची से नया नाम या नये नाम, विहित रीति से सूचित करेगा। ऐसी समय सीमा नियुक्ति-पत्र जारी किये जाने के दिनांक के पश्चात् अधिकतम एक वर्ष के लिए होगी।

(6) यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी किसी चयनित अभ्यर्थी को युक्तियुक्त कारणों (प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी को यथोचित कारण उल्लिखित करना है) से नियुक्ति-पत्र जारी करने में विफल हो जाता है तो उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थियों की सूची/पैनल से शेष अभ्यर्थियों का एक पैनल संस्थान को केवल एक बार उपलब्ध कराया जायेगा। फिर भी यदि प्रबन्धतंत्र/नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति-पत्र जारी करने में विफल रहता है तो संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार समाप्त कर दिया जायेगा।

अध्याय तीन

चयनित अध्यापकों/अनुदेशकों की नियुक्ति

आयोग की संस्तुतियों पर ही नियुक्ति किया जाना

12-अध्यापक या अनुदेशक की प्रत्येक नियुक्ति, आयोग की संस्तुति पर ही नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी कोई नियुक्ति शून्य हो जायेगी:

परंतु यह कि किसी अध्यापक या अनुदेशक की एक संस्था से दूसरी में स्थानांतरण द्वारा अथवा किसी संस्था में पदोन्नति द्वारा नियुक्ति अथवा सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित के रूप में किसी अध्यापक या अनुदेशक की नियुक्ति सुसंगत अधिनियमों या नियमावलियों या विनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार की जा सकती है।

निदेशक द्वारा जाँच

13-(1) जहाँ कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने का हकदार हो, किन्तु तद् निमित्त उपबन्धित समय के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, वहां वह निदेशक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को इस धारा की उपधारा (2) के अधीन निदेश के लिए अपील कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त किये जाने के दिनांक से यथा सम्भव एक माह के भीतर, निदेशक, या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जाँच आयोजित कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि नियुक्ति प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आवेदक को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में नियुक्त करने में विफल हो गया हो तो वह आदेश द्वारा,-

(क) नियुक्ति प्राधिकारी को अध्यापक या अनुदेशक के रूप में आवेदक को तत्काल नियुक्त करने और आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से उसे वेतन का भुगतान करने का निदेश दे सकता है; और

(ख) सम्बन्धित संस्था के प्रधान को आवेदक से अध्यापक या अनुदेशक के रूप में कार्य लेने का निदेश दे सकता है।

(3) ऐसे अध्यापक या अनुदेशक को देय वेतन की धनराशि, यदि कोई हो, निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर कलेक्टर द्वारा संस्था को चलाने वाली सोसायटी या निकाय की, या उसमें निहित सम्पत्ति से भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूली की जा सकती है।

आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार न ग्रहण करने पर समायोजन की रीति

14–यदि त्रुटिपूर्ण अधियाचन या सेवाकाल में मृत किसी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति या मा0 उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी आदेश अथवा पद समाप्ति अथवा अन्य किसी कारण (विनिर्दिष्ट कारण का उल्लेख सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र द्वारा किया जाएगा), से धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रेषित पैनल/सूची में आयोग द्वारा संस्तुत कोई चयनित अभ्यर्थी, अनुज्ञात संस्था में कार्यभार ग्रहण करने में विफल हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:–

(क) ऐसे चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण न करने के कारणों का उल्लेख करते हुये अपना अभ्यावेदन निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा;

(ख) निदेशक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विस्तृत जाँच करने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण अधियाचन प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी संस्था या नियुक्ति प्राधिकारी के विरुद्ध उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और चयनित अभ्यर्थी के समायोजन हेतु अपनी संस्तुति सहित रिपोर्ट आयोग को प्रेषित करेगा;

(ग) निदेशक की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर आयोग अविज्ञापित अधियाचन के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थी का समायोजन करेगा और समायोजन के पश्चात् चयनित पैनल/सूची विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा या उपलब्ध कराएगा;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन प्रेषित पैनल/सूची के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी, धारा 11 के उपबन्धों के अनुसार चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण सुनिश्चित करेगा।

सूचना मंगाने और अभिलेख एवं रजिस्टर आदि का निरीक्षण करने की शक्ति

15–आयोग धारा 9 में निर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के माध्यम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना या विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और प्राधिकृत अधिकारी तद्नुसार उसका अनुपालन करेगा।

अध्यापकों या अनुदेशकों की सेवा शर्तें

16–अध्यापक या अनुदेशक की सेवा शर्तों का विनिश्चय, यथास्थिति सुसंगत अधिनियमों/सेवा नियमावलियों/विनियमावलियों/विश्वविद्यालय परिनियमावलियों में दिये गये उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है।

अध्याय–चार

वार्षिक रिपोर्ट और लेखा

आयोग का वित्तीय प्रबन्ध

17–(1) आयोग का वित्तीय प्रबन्ध, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 1, 2, 3 और 5 में निर्धारित नियमों के अनुसार किया जायेगा:

परन्तु यह कि आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मामलों में विशेष विनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(2) आयोग का व्यय, राज्य सरकार द्वारा दिये गये अनुदानों से और फीस आदि स्वरूप प्राप्तियों से उपधारा (1) में उल्लिखित नियमों और राज्य सरकार के नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उपगत किया जायेगा। कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियमों या राज्य सरकार के आदेशों, यदि कोई हों, का उल्लंघन करके कोई व्यय उपगत करता है तो वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।

(3) आय–व्ययक का प्राक्कलन, सचिव के पर्यवेक्षणानुसार और निदेशानुसार वित्त नियत्रंक द्वारा तैयार किया जायेगा और व्ययक को, आयोग द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात् बजट के उपबंधों के अनुसार उपगत किया जायेगा।

(4) अध्यक्ष स्वयं के, सदस्यों, सचिव, उप सचिव और वित्त नियंत्रक के संबंध में नियत्रंक अधिकारी होगा और आयोग द्वारा अध्यक्ष को प्रत्यायोजित की जाने वाली अन्य समस्त वित्तीय शक्तियों के अतिरिक्त ऐसी समस्त वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विभागाध्यक्ष में साधारणतया निहित हों।

(5) (एक) सचिव, आहरण एवं वितरण अधिकारी होगा किन्तु यदि वह आवश्यक समझे तो लिखित आदेश द्वारा ऐसी समस्त या कोई शक्तियां उप सचिव को प्रत्यायोजित कर सकता है।

(दो) सचिव किसी कार्यालयाध्यक्ष में निहित समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त आयोग ऐसी अन्य वित्तीय शक्तियां सचिव को प्रतिनिधानित कर सकता है जैसा कि वह आवश्यक समझे।

वार्षिक रिपोर्ट

18–आयोग, प्रतिवर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसे समय पर, जैसा विहित किया जाय वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें उसके पूर्ववर्ती वर्ष के कार्यकलापों का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां, राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेंगी और राज्य सरकार द्वारा उसे राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

लेखा और लेखा परीक्षा

19–(1) आयोग अपने लेखा के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से रखवायेगा जैसा कि राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे।

(2) आयोग अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र लेखा विवरण ऐसे प्रपत्र में तैयार करेगा और उसे महालेखाकार को नियंत्रक–महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम–1971 (अधिनियम संख्या 56 सन् 1971) की धारा 14 के अधीन लेखा परीक्षा के लिये ऐसे दिनांक, जैसा कि राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से अवधारित करे, तक अग्रसारित करेगा।

(3) आयोग का वार्षिक लेखा और उसके साथ–साथ उस पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी।

अध्याय–पाँच

प्रकीर्ण

अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके अध्यापकों या अनुदेशकों की नियुक्ति किये जाने के लिए दण्ड

20–नियुक्ति प्राधिकारी, प्रबन्धतंत्र तथा संस्था से तात्पर्यित कोई इकाई, जो आयोग की संस्तुतियों का अनुपालन करने में विफल हो या धारा–13 के अधीन निदेशक के आदेश या निदेश का अनुपालन करने में विफल हो या इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके किसी अध्यापक की नियुक्ति करे, विधिक कार्यवाही के लिये दायी होगा।

सद्भावनापूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

21–इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अभियोजन का वर्जन

22–इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, निदेशक या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी की, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त सामान्य व विशेष आदेश से विनिर्दिष्ट करे, पूर्व स्वीकृति के बिना संस्थित नहीं किया जायेगा।

कतिपय कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

23–आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि–

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका तत्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण

24–आयोग के समस्त आदेश और विनिश्चय, धारा 8 के अधीन नियुक्त सचिव या आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

प्रत्यायोजन

25–आयोग धारा 28 के अधीन बनायी गयी विनियमावली द्वारा अपने अध्यक्ष या अपने किसी सदस्य या अधिकारी को आयोग द्वारा या आयोग में किये गये कार्य के सामान्य अधीक्षण और उनके सम्बन्ध में निदेश देने की अपनी शक्ति, जिसमें कार्यालय अनुरक्षण और आयोग के आन्तरिक प्रशासन हेतु उपगत व्यय से सम्बन्धित शक्ति सम्मिलित है, प्रत्यायोजित कर सकता है।

26–आयोग को व्यावहारिक रूप से क्रियाशील करने के लिए उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के कर्मचारि–वर्ग आयोग को अन्तरित किये जायेंगे। समय के प्रक्रम में, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाप्त किये जाने के पश्चात् उनके समक्ष लम्बित कोई मामला, उनकी आस्तियां, ऋण, देनदारियां, बाध्यतायें एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों की सेवायें आयोग को अन्तरित हो जायेंगी। आस्तियों एवं मामलों का अन्तरण

27–(1) राज्य सरकार गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियमों को बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र कुल चौदह दिनों की अवधि का हो, जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो, रखा जायेगा और जब तक कि कोई पश्चात्वर्ती दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से ऐसे उपान्तरणों अथवा बातिलकरण के अध्यधीन प्रभावी होंगे, जो विधानमण्डल के दोनों सदन उक्त कालावधि में करने के लिये सहमत हों, तथापि इस प्रकार का कोई उपान्तरण अथवा बातिलकरण तद्धीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

28–(1) आयोग, परीक्षाएं आयोजित करने तथा साक्षात्कार आयोजित करने के लिए शुल्क विहित करते हुए और इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करते हुए, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनियमावली बना सकता है या उसमें संशोधन कर सकता है। विनियम बनाने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे।

29–(1) राज्य सरकार, । कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ किसी अधिसूचित आदेश द्वारा यह निदेश प्रदान कर ती है कि ाधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, के दौरान ऐसे ॰ ुलनों के अध्यधीन,उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे: कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

30–अध्यापकों या अनुदेशकों के चयन के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972, उत्तर प्रदेश राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (अनुदेशक और फोरमैन) सेवा नियमावली, 2021 में अन्तर्विष्ट नियमों, विनियमों या परिनियमों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे। अध्यादेश के अभिभावी प्रभाव

31–(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2019 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं। निरसन और व्यावृत्तियां

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत किसी कार्य या की गयी किसी कार्यवाही को इस अधिनियम के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध समस्त सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

(3) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियमों के निरसन से, उपबंध प्रवर्तन से संबंधित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक, 2023 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विधेयक, 2023 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:32] उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)-

मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के लिए यह एक सुनहरा अवसर है जब पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर एक नए विश्वविद्यालय कुशीनगर जनपद के भीतर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में सृजित किए जाने का आज यह प्रस्ताव आपके बीच में लाया गया है और इसीलिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के धारा-2 को संशोधित करते हुए उसके भीतर एक नए विश्व विद्यालय महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय जनपद कुशीनगर रखने का यह प्रस्ताव अधिनियम के माध्यम से है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर किसानों और विद्यार्थियों को कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी और अनुसंधान और उसकी शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके, इस आशय से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने इस बात का निर्णय किया है कि वहां पर दशम् अवतार भगवान महात्मा बुद्ध के नाम पर उनको सम्मानित और गौरवान्वित किए जाने के लिए वहां पर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, जिसके लिए यह अधिनियम यहां पर लाया गया है, इसमें से तीन मण्डल गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मण्डल के दस जनपद आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र से हटाकर के एक नया विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाएगा और इसी के माध्यम से यथाशीघ्र हम कुशीनगर के भीतर कृषि विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। जो दस जनपद होंगे उसका नाम मैं बता देता हूं गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया किसी में कृषि विश्व विद्यालय नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भीतर उन तीनों मण्डलों पर कहीं भी कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, कृषि विश्वविद्यालय पूर्वी क्षेत्र के भीतर हो इस नाते कुशीनगर के भीतर यह विश्व विद्यालय स्थापित करने का निर्णय हो रहा है जिसके भीतर समावेश किया जा रहा है। इसमें

गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया और गाजीपुर यह उस विश्वविद्यालय के अंग हो जाएंगे और उस जनपद के भीतर जितनी भी आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय की सम्पत्तियां होंगी। वह उसके साथ सन्निहित हो जाएंगी इसीलिए यहाँ पर यह संशोधन लेकर आए हैं। इसके माध्यम से स्वाभाविक रूप से उस पिछड़े एरिया के भीतर कृषि तकनीकी का प्रसार उनके अन्वेषण, शोध का लाभ किसान भाइयों को मिल सकेगा और स्थानीय स्तर पर विद्यार्थियों को वहाँ पर पठन-पाठन में सुविधा प्राप्त हो जाएगी, साथ ही साथ में वहाँ का विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस आशय से यह अधिनियम लाया गया है और मैं समझता हूँ कि आप सब सर्वसम्मति से इस अधिनियम को स्वीकार करेंगे और उसके भीतर कोई आपत्तियाँ नहीं होंगी। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के भीतर एक अभूतपूर्व क्रांति लाई है। प्रदेश के भीतर यह सातवां नया विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा है। लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय, सहारनपुर में शाकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, मेरठ के भीतर मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय और कुशीनगर के भीतर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। भारत सरकार को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बुन्देलखण्ड के भीतर रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करके एक तरह से सभी क्षेत्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रेतर भूमिका अदा करने के लिए जो अवसर दिया है उस कड़ी में ही कुशीनगर के भीतर महात्मा गौतमबुद्ध कृषि विश्वविद्यालय की नींव रखी जाएगी और मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान कीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, विश्वविद्यालय का तो मैं स्वागत करता हूँ और वह भी महात्मा गौतमबुद्ध के नाम से जो विश्वविद्यालय बन रहा है, निश्चित रूप से वह अच्छा कदम है। कुशीनगर में जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ पर यह एक अच्छा विश्वविद्यालय कृषि से सम्बन्धित बन रहा है। निश्चित रूप से वह उस क्षेत्र के विकास के लिए, कृषि की उन्नति के लिए काम करेगा, लेकिन जो विश्वविद्यालय पहले से बने हैं, मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले से कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं चाहे वह मेरठ का हो, चाहे बाँदा का हो या अयोध्या का विश्वविद्यालय हो या कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय हो उन विश्वविद्यालयों की भी जिस ढंग से प्रगति होनी चाहिए, जो विकास के कार्य होने चाहिए, उसमें जिस तरह से आज भी तमाम पद रिक्त हैं

और उसकी भरपाई करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन करते हैं और इस विधेयक का भी हम समर्थन करते हैं, लेकिन जो पहले से स्थापित हैं उनको भी पूरी सुविधायें मुहैया कराने का काम किया जाए, जिससे वह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा सकें। मेरा भी यह मानना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर नई-नई टैक्निक्स यदि कृषि के लिए आएंगी तो उससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, निश्चित रूप से यह हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। मैंने यह प्रस्ताव लाने का काम किया है, लेकिन मैं और मेरा दल इस विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का समर्थन करते हैं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जैसा लालजी वर्मा जी ने कहा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार शुरू से ही इस बात के लिए गम्भीर है कि विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती शीघ्रता के साथ की जाए। नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के भीतर भी विगत वर्षों में हमारे द्वारा भर्तियाँ हुई हैं, बाँदा विश्वविद्यालय में भी भर्तियाँ हुई हैं और जितने सैंक्शन रिक्त पद हैं उन सारे पदों की भर्ती के लिए हम लोगों ने आलरेडी निर्देश दे रखे हैं और उस पर कार्यवाही प्रारम्भ करायी जा रही है और जैसा श्री लालजी वर्मा जी ने अपेक्षा की है उनके अनुसार हमारे सारे शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। नये शोध और अन्वेषण के भी कार्य कराये जा रहे हैं। वहाँ पर एमब्रियो टैक्निक के आधार पर हमारे लैब्स स्थापित हो गये हैं। हम टिश्यू कल्चर की लैब वहाँ पर स्थापित करने जा रहे हैं। हमारा पहली बार आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा कृषि विश्वविद्यालय और मेरठ कृषि विश्वविद्यालय और चन्द्र शेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर इनका एग्रीगेशन पहली बार हुआ और आगे भी उनको अपडेट करके और अच्छे तरीके से चलाया जाये, उस दिशा में हम लोग प्रयत्नशील हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को वापस लेता हूँ, लेकिन इसके साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि अम्बेडकरनगर में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की शाखा, कृषि इंजीनियरिंग कालेज है। उसमें काफी दिक्कतें हैं और उसका कैम्पस भी कम है, जिसके कारण वहां पर पठन-पाठन का काम जितना अच्छा होना चाहिए, वह नहीं हो पा रहा है। मैं चाहूंगा कि उसको भी माननीय मंत्री जी देखने की कृपा करें और उसका विस्तार करने का काम करें।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है। माननीय श्री लालजी वर्मा ने संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया है।

(कुछ सदस्यों के अपने-अपने स्थान से एक साथ बोलने पर)

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, चूंकि संशोधन प्रस्ताव वापस ले लिया गया है, तो अब तो सर्वसम्मति से विधेयक पारित हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, अब हम खण्डशः विचार ले लेते हैं।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में विधेयक एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-2 में विद्यमान खण्ड-(झ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(झ) विश्वविद्यालय का तात्पर्य यथास्थिति गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा या महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुशीनगर से है।"

धारा-2-क का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा-2-क में,-

(क) उपधारा (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :-

"(1-ग) उपधारा (1), (1-क) और (1-ख) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त ऐसे दिनांक से जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस निमित नियत करें, कुशीनगर में एक विश्वविद्यालय जो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर के रूप में जाना जायेगा, की स्थापना की जायेगी।"

(ख) उपधारा-(2) में शब्द और अंक "उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख)" के स्थान पर शब्द और अंक "उपधारा (1), (1-क) या (1-ख)" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

4-मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

(क) क्रम संख्या-2 के स्तम्भ-3 की प्रविष्टि से शब्द "गोरखपुर", "बस्ती" और "आजमगढ़" मण्डल" निकाल दिये जायेंगे।

(ख) क्रम संख्या-5 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और इससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात :-

6	महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुशीनगर	गोरखपुर, बस्ती व आजमगढ़

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

[05:43] उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 के अननुमोदन का संकल्प

डॉ0 पल्लवी पटेल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जब सदन चले और उसमें हर विधेयक पर हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है, तो कॉस्टीट्यूशन के अध्याय-4 के आर्टिकल नम्बर, 2013 के अनुपालन में सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि इतनी अनिवार्यता क्या थी और इतनी टाइम लिमिटेशन क्या थी कि इस अध्यादेश को लाया गया, अतः मैं इसका अननुमोदन करती हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

[05:45] उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

दिव्यांगजन सशक्तिकरण, पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 पर विचार किया जाये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का एकमात्र निजी विश्वविद्यालय रहा है। जिसे वर्ष 2001 के अधीन स्थापित किया गया। जिसके कुलाधिपति जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी हैं। ये निजी क्षेत्र के रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान, चित्रकूट धाम द्वारा प्रायोजित है, जिन्होंने अपनी दीर्घ आयु और सीमित आर्थिक संसाधनों से उक्त विश्वविद्यालय का संचालन न कर पाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित किये जाने का अनुरोध किया। राज्य सरकार एवं जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षण संस्थान के कुलाधिपति के मध्य सहमति के आधार पर एक समझौता ज्ञापन दिनांक 31 जनवरी, 2023 को निस्पादित हुआ और इस विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देने पर विचार हुआ, उस समय सदन उपस्थित नहीं था। इस विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 1542 दिव्यांग छात्र-छात्रायें पढ़ते हैं और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा विश्वविद्यालय है, जो दिव्यांगजनों के शैक्षणिक विकास के लिए बना है। उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार अच्छी बात यह देखने के लिए मिलेगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री जी का शिक्षा के प्रति, जो उनकी चिंतनशीलता है और दिव्यांगजनों को लेकर जो उनके मन में संवेदनशीलता है उससे प्रभावित होकर चित्रकूट के इस विश्वविद्यालय को राजकीय विश्वविद्यालय बनाने के सन्दर्भ में एम0ओ0यू0 साइन हुआ और उसमें तमाम चीजों को डिसकस किया गया इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा, क्योंकि यह विषय दिव्यांगजनों से जुड़ा है, निजी विद्यालय को शासकीय विद्यालय बनाने के सन्दर्भ में है, इसलिए सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास करते हुए दिव्यांगजनों के लिए इस विश्वविद्यालय का उपयोग करने में हमारा साथ दें।

(इस समय 05 बजकर 48 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव सिर्फ पढ़े दे रहा हूँ। बाकी डॉ0 आर0 के0 वर्मा जी इसे रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

इसमें रखने के लिए क्या है ? यह दिव्यांग विश्वविद्यालय जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी महाराज का है। उन्होंने सारा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसी दिव्य प्रतिमूर्ति कहां मिलती है ? रामभद्राचार्य जी महाराज जब 02 महीने के थे तबसे दृष्टिहीन हो गये थे, यह दिव्यांग विश्वविद्यालय रामभद्राचार्य महाराज जी का है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दूं।

श्री अध्यक्ष-

संशोधन डालो ही नहीं, उसमें क्या है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप इसमें क्या बोलेंगे ?

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के द्वारा जो विधेयक के उद्देश्य और कारण सदन को अवगत कराये गये हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-32, सन् 2001 जो अधिनियमित किया गया था। अब वह राज्यपाल जी के दिनांक 18 जुलाई, 2023 को उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, अध्यादेश, 2023 एवं उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-17, सन् 2023 के रूप में प्रख्यापित किया जा रहा है और उसके पीछे जो उद्देश्य और कारण बताया गया कि उनकी वृद्धावस्था और सीमित संसाधन, यह बात सच हो सकती है कि अगर कोई भी व्यक्ति बड़े दायित्वों पर है, उसे बड़े दायित्व निभाने हैं, तो उम्र एक कारण बन सकती है, लेकिन मान्यवर, जब हम अध्यादेश को पढ़ते हैं तो अध्यादेश में जो विश्वविद्यालय के अधिकारी, जो विधेयक की धारा-9 की उपधारा-1, उपधारा-2, उपधारा-3, इसमें जो व्याख्या दी गई है, उसमें स्पष्ट रूप से धारा-9 की उपधारा-1 में कहा गया है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, परन्तु यह कि राघवीयो जगद्गुरू स्वामी रामभद्राचार्य जीवन पर्यन्त कुलाधिपति होंगे। मान्यवर, एक तरफ उद्देश्य और कारण यह बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था की वजह से वह अपने दायित्वों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं हैं। वहीं पर दूसरी तरफ जीवन पर्यन्त कुलाधिपति बनाये जाने की बात आपके इस विधेयक में कही गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक की विभिन्न धाराओं और उसके उप खण्डों में उन्हें सर्वाधिकार दिया गया है। इसी विधेयक की धारा-7 की उपधारा ब एवं भ, जो आपत्तिजनक भी है। मान्यवर, इसमें जो कार्य परिषद् को पट्टा, उपहार आदि सब लेने का अधिकार है और

उन्हें अपनी स्वेच्छाचारिता से उन खण्डों को विक्रय करने का भी अधिकार है। मान्यवर, यह शिक्षा की जगह व्यवसाय की ओर भी इंगित करता है कि चाहे जिस रूप में उपहार ले लें, दान ले लें या पट्टा करा लें और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार उसका विक्रय भी कर दें, मान्यवर, यह खण्ड आपत्तिजनक है। मान्यवर, वहीं पर जो सामान्य परिषद् है, सामान्य परिषद् की धारा-20 की उपधारा-5 और 4, यहाँ पर भी कुछ आपत्तियाँ जरूर हैं। मैं संशोधन जरूर चाहूँगा। सामान्य परिषद् की धारा-4 और धारा-5, जहाँ पर परिषद् की किसी विषय पर कोई बैठक होती है और मत भिन्नता होती है तो मत भिन्नता की स्थिति में एक अतिरिक्त मत अध्यक्ष को ही देने का अधिकार है। इसमें जो गणपूर्ति की बात कही गई है, यह शायद पहला ऐसा अवसर होगा कि गणपूर्ति एक तिहाई संख्या पर ही मानी जा रही, उसका कोरम पूरा माना जा रहा है। जबकि किसी भी परिषद् में या तो आधे से अधिक या दो तिहाई, हम बहुत छोटी इकाइयों में भी अगर जाते हैं, क्षेत्र पंचायत में भी जाते हैं तो आपके द्वारा ही अध्यादेश दिया गया है कि गणपूर्ति के लिए दो तिहाई होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े विश्वविद्यालय के लिए कार्य परिषद् की गणपूर्ति एक तिहाई रखी गई है और उसमें भी अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत प्रदान करने के लिए विशेषाधिकार प्राप्त है।

माननीय अध्यक्ष जी, वहीं धारा-22 की उपधारा-1 के खण्ड-5, जो कार्य परिषद् के अध्यक्ष के रूप में कुलाधिपति जी हैं, उनको 3 अन्य सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है, इससे लगता है कि यह परिषद् एक तरीके से पूरा का पूरा विश्वविद्यालय प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के तरीके से आगे बढ़ेगा। तीन अन्य सदस्य जो कार्यपरिषद् में कुलाधिपति की अनुज्ञा से नामित होते हैं, उससे कार्य परिषद् की जो शक्तियाँ और कर्तव्य हैं, उसके दुरुपयोग होने की सम्भावनायें बढ़ जाती हैं।

मान्यवर, इस विधेयक की धारा-24 की उपंधारा-5 में भी विश्वविद्यालय की जो सम्पत्तियाँ हैं उसको अपनी मर्जी के अनुसार अपने द्वारा परिभाषित करके उनको भी विक्रय करने का अधिकार इसमें दिया गया है। कार्य परिषद् में जो प्रवेश और नीतियों से सम्बन्धित विधेयक में व्यवस्था दी गई है, धारा-24 की उपधारा-1 एवं उपधारा-3 बेहद आपत्तिजनक है। मान्यवर, उस समय जो व्यवस्था दी गई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण अधिनियम, 1994 का जो अधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है। मान्यवर, आप इस धारा के उन खण्डों को पढ़ लीजिये जो धारा-25 की उपधारा-1 एवं उपधारा-3 यह कहती है कि कार्य परिषद् पर नियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों एवं अनुसूचित

जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेश, सीटों के आरक्षण की व्यवस्था, यह कृपा पर हो गई है चाहे तो कर सकती है, अगर न चाहें तो न हो। इसी तरीके से नियुक्तियों में भी आरक्षण अधिनियम कृपा पर विश्वविद्यालय में जिंदा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह कृपा क्यों दे रहे हैं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, जब कार्य परिषद् की बैठकों के लिए भी इसमें धारा-26 की उपधारा-3 में वहाँ पर गणपूर्ति के लिए एक तिहाई सदस्य का कोरम पूरा करने के लिए माना गया है। वहाँ पर भी तीन सदस्य, कार्य परिषद् के अध्यक्ष अर्थात् कुलाधिपति के द्वारा नामित किये जाने का अधिकार है। इससे लगता है कि मत भिन्नता की दशा में यहाँ पर भी बहुमत हासिल करने का एक प्रयास किया गया है। विद्या परिषद् जो महत्वपूर्ण परिषद् है जिसकी धारा-26 की उपधारा-1 के खण्ड-ख में भी कुलाधिपति के द्वारा, अतः कार्य परिषद् के अध्यक्ष के द्वारा 3 सदस्य उनके मन के मुताविक नामित करने की बात भी इस धारा में कही गई है। जिससे लगता है कि विद्या परिषद् में भी मनचाहे तरीके से चाहे अध्यापकों की नियुक्ति हो, आचार्यों की नियुक्ति हो, समूह क, ख, ग किसी भी तरीके से नियुक्ति हो तो इससे शक्तियों और कर्तव्यों के दुरुपयोग की सम्भावनायें बड़ जाती हैं। जो इस विधेयक में चयन समिति बनाई गई है, चयन समिति की धारा-39 की उपधारा-2 के खण्ड-4 क एवं ख जो बेहद आपत्तिजनक है। चयन समिति के द्वारा ही चाहे वह दूसरे पदों पर हों या वहाँ पर आचार्यों या अन्य सहायक आचार्यों की भर्ती का विषय हो या क, ख, ग की भर्ती का विषय हो।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, आपने सारी विद्वता उस विकलांग विश्वविद्यालय के लिए लगा दी है। जिसने 300 विकलांगों को पाला है। यहाँ घर में एक विकलांग नहीं पाल पाते हैं और जिस नजर से विकलांगों को देखते हैं वह हम सब जानते हैं। पूरा समाज जानता है। 300 विकलांगों का विश्वविद्यालय पूरी जिन्दगी अपनी कथाओं से अपनी सेवा के बल पर पाला है। आज उससे बढ़कर 1526 लोग हैं। हम वर्ष 2001, 2002 में उस विश्वविद्यालय में गये थे। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि जिस तरह से उन्होंने विकलांगों को पाला है और हर तरह से उनकी सेवा सुश्रुषा की है उस पर आपने इतनी विद्वता दिखायी, आपकी विद्वता को सलाम करता हूं। लेकिन मेरा एक अनुरोध है कि उसके बाद सब

कुछ राज्य का हो जायेगा, राज्य अपने हिसाब से चलायेगा, सब सरकार में हो जायेगा, जब तक वह है तब तक उसको चलायेंगे। सरकार ने सारी चीजें देख ली है उस पर इतनी विद्वता दिखाने की आवश्यकता नहीं थी।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मेरा कथन स्वामी राम भद्राचार्य जी पर नहीं है। हमने जो कुछ संशोधन रखा है विधेयक पर रखा है स्वामी जी पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

यह यूनिवर्सिटी उन्होंने पाई-पाई जोड़कर बनायी है, इसमें सरकार का कुछ नहीं है और वह सब कुछ सरकार को दे रहे हैं।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उनका जीवन पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जिस तरह से उन्होंने विकलांगों की सेवा की और दिव्यांगजन को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, वहां जाकर देखने में लगता है कि उन्होंने किस तरह कितना बड़ा काम किया है। आज हम उनके इस काम के लिए सदन में उनकी भरपूर प्रशंसा करते हैं और हमारी पार्टी का बहुत पहले जब चित्रकूट में अधिवेशन था, हमारे माननीय स्व0 नेता जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे और मुझे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ भी जाने का अवसर मिला था तो हम यह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने बीड़ा उठाया वह सराहनीय है। जो आप प्रस्ताव लाये हैं हम उस पर कोई कमी निकालने के लिए नहीं खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

अभी कुछ बाकी रह गया है।

डॉ0 संग्राम यादव-

आपका कदम सराहनीय है, लेकिन जो हमारे विद्वान सदस्य डॉ0 आर0 के0 वर्मा साहव हैं उन्होंने कर्मचारियों वगैरह पर जो कुछ विसंगतियां थीं उन्हें इंगित किया है, उन्होंने डिटेल में उसे पढ़ा है, हम सब तो नहीं पढ़ पाये, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि दिव्यांगजन पर जो स्वामी रामभ्रद्राचार्य जी का जीवन है वह उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए उदाहरण है। ऐसे लोग जिन्हें परिवार के लोग भी अच्छी नजर से नहीं देखते ऐसे लोगों के लिए स्वामी रामभद्राचार्य जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन देने का काम किया है और पूरा विश्वविद्यालय राज्य को सौंप रहे हैं इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मान्यवर, इसमें जो धारा-43 है, जो निकायों के गठन के सम्बन्ध में विवाद समितियों का गठन है, उसको सरकार के स्तर से नहीं बल्कि निजी स्तर से निस्तारण करने की बात भी विधेयक में लिखी गई है। इससे लगता है कि जो निजी विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार रहे हैं वह विशेषाधिकार राज्य विश्वविद्यालय में ही यथावत् बने आ रहे हैं। इतनी सी बात है, धारा-41 की उपधारा-1 और 5, धारा-62 की उपधारा-1 और 3 तथा दूसरी चीज उत्तर प्रदेश अधिनियम, 32 सन् 2001, उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0-13, इस विधेयक को कोई भी पढ़ेगा तो पढ़ने के बाद निजी विश्वविद्यालय में जो विशेषाधिकार थे वह सारे के सारे राज्य विश्वविद्यालय के विधेयक में शामिल कर लिये गये हैं। इसलिए मेरा केवल इतना सा अनुरोध था कि इन संशोधनों पर एक बार विचार कर लेते।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मा0 सदस्य ने विधेयक पर कुछ सवाल उठाये हैं, मेरे ख्याल से उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी जिन्होंने मैं समझता हूं कि देश में पहला यह निजी विश्वविद्यालय है, जो किसी महापुरुष ने चित्रकूट जैसी जगह पर स्थापित किया है। 31 एकड़ में आकार लेता हुआ विश्वविद्यालय जिसकी लागत कुल जोड़कर देखें तो 100 करोड़ से ज्यादा है, उनकी एक ही शर्त थी कि मेरे मरने के बाद यह खुर्द-बुर्द न हो, दिव्यांगजनों का भविष्य सुरक्षित रहे इसलिए मैं अपने जीते जी यह विश्वविद्यालय सरकार को देना चाहता हूं। यह परिस्थितियां भी दो तरह से उत्पन्न हो रही हैं, एक तो रामभद्राचार्य का दिव्यांगजनो के प्रति जो संवेदनशीलता है, जो उनका स्नेह है, एक उस तरफ इशारा करता है। दूसरी तरफ हमें यह कहने में भी गुरेज नहीं है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार से दिव्यांगजनो के प्रति संवेदशीलता दिखाते हुए, उनके हितों में अनेकों फैसले लिये हैं। उससे भी विश्वविद्यालय के कुलपति जी प्रभावित हुए। महोदय केवल उनकी एक ही शर्त थी कि जब तक मैं जीवित हूं मैं कुलाधिपति इसका रहूं। मेरे जाने के बाद सम्पूर्ण अधिकार राज्य सरकार के अधीन हो, इसलिए जो अधिनियम बनाया गया है, उसमें किसी भी प्रकार के संशय की गुंजाइश नहीं है। मैं मा0 सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि विश्वविद्यालय पूर्णतया सरकार के अधीन है जो नियुक्तियाँ होंगी, सरकार के आधार पर होंगी रिजर्वेशन का पूरा ख्याल रखा जाएगा। एक चीज हमने इसमें और जोड़ी है दिव्यांगजनों के साथ-साथ हम 50 प्रतिशत सामान्य बच्चों को भी अवसर देंगे। क्योंकि वह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वह बच्चे शिक्षित होकर अपना भौतिक विकास कर सकें। मा0 अध्यक्ष जी, जगद्गुरू रामभद्राचार्य जी को 16 भाषाओं का ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष-

उनको 22 भाषाओं का ज्ञान है और उन्होंने 80 ग्रंथ लिखे और कई विषयों के ऊपर उनकी पी0एच0डी0 है।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

उनका बहुत बड़ा व्यक्तित्व है और मैं उनसे मिला हूं और मुख्य मंत्री जी भी उनसे मिले हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करके हमें दिव्यांगजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। धन्यवाद।

डॉ0 संग्राम यादव-

मान्यवर, सर्वसम्मति से इस विधेयक को पास कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

पहले जो संशोधन प्रस्ताव है, उसको वापस लीजिए।

खण्ड-2 से खण्ड-63 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

राज्य में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग शिक्षण संस्थान द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यमान जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय) चित्रकूट का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उन्नयन तथा पुनर्गठन करने और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसाकि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करें और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषाएँ

2-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-

(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है;

(ख) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है;

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(घ) "कार्य परिषद" का तात्पर्य धारा 21 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;

(ङ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सामान्य परिषद" का तात्पर्य धारा 17 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की सामान्य परिषद से है;

(छ) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो;

(ज) " दिव्यांगजन" का तात्पर्य "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में यथा परिभाषित किसी व्यक्ति से है;

(झ) "जगद्गुरु रामभद्राचार्य संस्थान" का तात्पर्य जगद्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान,4-एफ, नवाब युसुफ रोड, इलाहाबाद से है जो एक सोसाइटी है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश से रजिस्ट्रीकृत है;

(ञ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ट) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ठ) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत, जहाँ कोई प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है;

(ड) "कुलसचिव" का तात्पर्य धारा 13 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलसचिव से है;

(ढ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है;

(ण) "अध्यापक" का तात्पर्य किसी आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या घटक महाविद्यालय में अनुदेश प्रदान करने या शोध कार्य संचालित करने के लिये नियुक्त किया जाये और इसमें किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य सम्मिलित है;

(त) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित एवं निगमित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय से है।

जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय का निगमन

3-(1) "उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001" के अधीन स्थापित जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वाद करेगा एवं वाद किया जाएगा।

(2) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति और सामान्य परिषद, कार्य परिषद और विद्यापरिषद के प्रथम सदस्यों, और ऐसे समस्त व्यक्तियों, जो आगे ऐसे अधिकारी या सदस्य होंगे, से ऐसे पद या सदस्यता धारण करने तक, विश्वविद्यालय का गठन होगा।

(3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय चित्रकूट में होगा।

विश्वविद्यालय के निगमन का प्रभाव

4- नियत दिन से ही, -

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय का कोई निर्देश विश्वविद्यालय का निर्देश समझा जायेगा;

(ख) जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की या उससे संबंधित समस्त जंगम और स्थावर संपत्तियां, विश्वविद्यालय में निहित होंगी;

(ग) जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के समस्त अधिकार और दायित्व विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे और वे विश्वविद्यालय के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) नियत दिन के ठीक पूर्व जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति विश्वविद्यालय में अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तब तक धारण करेगा जो वह तब धारण करता यदि यह अधिनियम पारित न किया गया होता और वह ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि उसका नियोजन समाप्त नहीं किया जाता या ऐसी अवधि, पारिश्रमिक और निबंधन एवं शर्तें परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं की जातीं;

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या अन्य दस्तावेज में, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के किसी निर्देश का, वह चाहे किसी भी प्रकार के शब्दों में हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह निर्देश क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रतिकुलपति के निर्देश हैं;

(च) उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति इस अधिनियम के अधीन कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया समझा जाएगा और वह तीन मास की अवधि के लिए या उस समय तक जब तक कि कुलपति की नियुक्ति की जाए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) पारम्परिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से विकासशील क्षेत्रों में पुनर्वास पाठ्यक्रम सहित अध्ययन शोध एवं विस्तार कार्य में सहायता करना एवं बढ़ावा देना जिसमें दृष्टिबाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंन्दिता, पुनर्वास अभियान्त्रिकी /प्रौद्योगिकी, समुदाय आधारित पुनर्वासन, पुनर्वास मनोविज्ञान, वाक एवं श्रवण, अस्थिविकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात (सेरिब्रल पालजी) आन्ति रोग (आटिजग) अव्यवस्थित पुंज (स्पेक्ट्रम डिसआर्डर) पुनर्वासन थेरेपी, व्यावसायिक परामर्श व पुनर्वासन, समाज कार्य/ प्रशासन आदि विषयों पर ध्यान दिया जायेगा;

(ख) सामान्य शिक्षा सहित दिव्यांगता तथा संबंधित बिन्दुओं पर नियमित शिक्षा पद्धति द्वारा विद्यार्जन तथा ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा उसका प्रसार करना;

(ग) विशेष शिक्षा व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के संबंध में कौशल विकास करके छात्रों एवं शोधार्थियों में दिव्यांगता के क्षेत्र में समाज सेवा के दायित्व का भाव विकसित करना;

(घ) शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों को सशक्त करना और अन्य छात्रों के साथ सुगम वातावरण में उच्च शिक्षा का उपबंध करना;

(ङ) परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उपाधियों और अन्य शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना; और

(च) ऐसे समस्त अन्य कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आनुषंगिक, आवश्यक या, अनुकूल हो।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

6-विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते हैं, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कृत्य

7-विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे--

(क) अनुसंधान, शिक्षा और अनुदेश के लिए विश्वविद्यालय और ऐसे केन्द्रों का प्रशासन और प्रबन्ध करना जो विश्वविद्यालय के प्रायोजनों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(ख) दिव्यांगता से संबंधित ज्ञान या ज्ञानार्जन की ऐसी शाखाओं में जिनमें विश्वविद्यालय ठीक समझे, अनुदेशों का उपबंध करना और शोध के लिए तथा दिव्यांगता संबंधी ज्ञान की अभिवृद्धि तथा प्रसार के लिए उपबन्ध करना;

(ग) दिव्यांगता तथा सामाजिक विकास के समस्त पहलुओं में शोध प्रायोजित करना तथा उसका दायित्व लेना;

(घ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के लिए अर्हताएँ विहित करना और उन्हें विनियमित करना;

(ङ) अतिरिक्त भित्ति चित्र संबंधी अध्यापन तथा विस्तार सेवाओं का आयोजन करना तथा उनका दायित्व ग्रहण करना;

(च) परीक्षाओं का आयोजन करना और ऐसी शर्तों, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, के अध्यधीन व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र स्वीकृत करना और उन्हें उपाधि या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियाँ प्रदान करना और किन्ही ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों, उपाधि या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को उचित एवं पर्याप्त कारणों से वापस लेना;

(छ) मानद उपाधि या अन्य विशेष उपाधियों को यथा विहित रीति से प्रदान करना;

(ज) फीस और अन्य प्रभारों को नियत करना, उनकी माँग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(झ) हालों और छात्रावासों को संस्थित करना और उनका रख-रखाव करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता प्रदान करना और किसी ऐसे निवास स्थल को प्रदान की गयी ऐसी मान्यता को वापस लेना ;

(ञ) निवास स्थल का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिए व्यवस्था करना ;

(ट) विद्यार्थियों के निवास, अनुशासन और शिक्षण के लिए व्यवस्था करना ;

(ठ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना ;

(ड) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना और ऐसे अनुशासनात्मक उपाय करना जो आवश्यक समझे जायें ;

(ढ) आचार्य पद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित किन्हीं अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या शोध संबंधी पदों को राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्थित करना ;

(ण) आचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य के रूप में या अन्यथा विश्वविद्यालय के अध्यापक और शोध छात्रों के रूप में व्यक्तियों की नियुक्ति करना ;

(त) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, पारितोषिक और पदक संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(थ) शोध और अन्य कार्यों के मुद्रण, प्रतिलिपिकरण और प्रकाशन की व्यवस्था करना और प्रदर्शनियाँ आयोजित करना ;

(द) दिव्यांगता, सामाजिक विकास और सहबद्ध विषयों में शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध के मामले में किसी अन्य संगठन से, ऐसे प्रयोजनों के लिए जिसके संबंध में करार किया गया हो, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, सहकार करना ;

(ध) अध्यापकों और विद्वानों का सामान्यतः ऐसी रीति से, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए अनुकूल हों, आदान- प्रदान करके विश्व के किसी भाग में उच्चतर अध्ययन की ऐसी संस्थाओं से, जिनके उद्देश्य अंशतः विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के सदृश हों, सहकार करना ;

(न) विश्वविद्यालय के व्ययों का विनियमन करना और लेखाओं का प्रबन्ध करना ;

(प) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर या अन्यत्र ऐसी कक्षाओं और अध्ययन हालों की स्थापना और रख-रखाव करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे और उनकी पर्याप्त रूप से साज- सज्जा करना और ऐसे पुस्तकालयों और वाचनालयों की स्थापना और उनका रख-रखाव करना, जो विश्वविद्यालय के लिए सुविधाजनक और आवश्यक प्रतीत हों;

(फ) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए और उन उद्देश्यों से सुसंगत जिनके लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, संदान और उपहार प्राप्त करना;

(ब) किसी ऐसी भूमि या भवन या कर्मशाला को, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए आवश्यक और सुविधाजनक हो, ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन्हें वह ठीक व उचित समझे, पट्टे पर लेना अथवा उपहार के रूप में या अन्यथा रूप में स्वीकार करना और ऐसे किसी भवन या कर्मशाला का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करना या उसका रख-रखाव करना;

(भ) विश्वविद्यालय के हित और क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसी विश्वविद्यालय ठीक और उचित समझे, विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों या उसके आंशिक भाग का, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, विक्रय करना, आदान-प्रदान करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारण करना:

परन्तु यह कि जहाँ सम्पत्तियों का सृजन राज्य या केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से किया गया हो, वहां राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक होगा ;

(म) भारत सरकार के और अन्य वचन-पत्रों, विनिमय पत्रों, चेकों या अन्य परक्राम्य लिखतों को आहरित और स्वीकार करना, तैयार करना और पृष्ठांकित करना, मिति काटे पर भुगतान करना और परक्रामण करना ;

(य) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सम्पत्ति के संबंध में चाहे वह जंगम हो या स्थावर, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियाँ भी हैं, हस्तान्तरण पत्रों, अन्तरणों, प्रतिहस्तान्तरणों, बन्धकों, पट्टों, लाइसेन्सों और करारों का निष्पादन करना ;

(र) किसी लिखत को निष्पादित करने या विश्वविद्यालय के किसी कारोबार का संव्यवहार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक समझे, नियुक्त करना ;

(ल) अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों के साथ कोई करार करना ;

(व) बन्धपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या अन्य दायित्वों या प्रतिभूतियों पर, जो विश्वविद्यालय की समस्त या किन्हीं सम्पत्तियों और आस्तियों पर निधिकृत या आधारित हों या बिना किसी प्रतिभूति के और ऐसी निबन्धनों और शर्तों पर जैसा वह ठीक समझे, धन जुटाना और उधार लेना और विश्वविद्यालय की निधि से समस्त व्ययों, जो धन जुटाने के आनुषंगिक हो, का भुगतान करना और उधार लिये गये किसी धन का भुगतान और मोचन करना ;

(श) विश्वविद्यालय की निधियों या विश्वविद्यालय को न्यस्त निधियों का ऐसी प्रतिभूतियों में या पर और ऐसी रीति से जैसी वह उचित समझे, विनिधान करना और समय-समय पर किसी विनिधान का अन्तर्विनिमय करना ;

(ष) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृन्द के प्रसुविधार्थ, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी परिनियमावली द्वारा विहित की जाये, पेंशन, बीमा, भविष्य निधि और उपादान का सृजन करना जैसा वह उचित समझे और ऐसे अनुदान देना जैसा वह विश्वविद्यालय के किन्हीं कर्मचारियों के प्रसुविधार्थ उचित समझे और ऐसे संघों, संस्थाओं, निधियों, न्यासों और हस्तान्तरण की स्थापना व समर्थन में सहायता करना, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द तथा छात्रों के लिए लाभप्रद हों ;

(स) ऐसे समस्त अन्य कार्य व कृत्य करना, जिन्हें विश्वविद्यालय अपने समस्त या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति या विस्तार के लिए आवश्यक, सहायक या आनुषंगिक समझे।

8-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:- विश्वविद्यालय के अधिकारी

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति-कुलपति;

(घ) विभागाध्यक्ष;

(ङ) कुल सचिव;

(च) वित्त अधिकारी; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं।

9-(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे: कुलाधिपति

परन्तु यह कि राघवीयो जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जीवन पर्यन्त कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा प्रदान की जाय।

(4) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगी।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हों, उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

कुलपति

10-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से की जायेगी जिनके नाम उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा कुलाधिपति को भेजे जायें.

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(क) एक सदस्य राज्य के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव होगा।

(ख) एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट विख्यात दिव्यांग व्यक्ति होगा।

(ग) सामान्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक सदस्य।

(3) पूर्वोक्त समिति तीन नामों की संस्तुति करेगी।

(4) कुलाधिपति ऐसी समिति द्वारा संस्तुत तीन नामों में से एक को अपनी सहमति देगा/देगी।

(5) कुलपति अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु यह कि कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र स्वीकार कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसा कि विहित की जायें।

(7) कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्य निधि की प्रसुविधा का हकदार नहीं होगा।

(8) यदि कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण या त्याग-पत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाय या उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, जिसकी सूचना कुलसचिव द्वारा सामान्य परिषद के अध्यक्ष को तुरन्त दी जायेगी, तो राज्य सरकार किसी उपयुक्त व्यक्ति को कुलपति के पद पर अनधिक छः माह की अवधि के लिये नियुक्त कर सकती है।

(9) यदि सामान्य परिषद की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं करता है, या क्रियान्वित करने से इन्कार करता है, या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि सामान्य परिषद को अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है तो वह ऐसी जाँच करने के पश्चात् जिसे छः माह के भीतर अधिमानतः पूरा कर लिया जायेगा, उसको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आदेश द्वारा कुलपति को हटाने की संस्तुति कुलाधिपति को कर सकती है। कुलाधिपति कुलपति को पद से हटा सकता है।

(10) उपधारा (9) में निर्दिष्ट किसी जाँच के लम्बित या अनुध्यात रहने के दौरान राज्य सरकार यह आदेश दे सकती है कि अग्रतर आदेशों तक-

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों से विरत रहेगा किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियां प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (6) के अधीन हकदार था।

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का निष्पादन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

(11) कुलपति-

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस अधिनियम के उपबन्धों और परिनियमों का समुचित अनुपालन किया जाता है और उसमें उस प्रयोजन के लिए आवश्यक समस्त शक्तियां होंगी;

(ख) कार्य परिषद के विनिर्दिष्ट और सामान्य निदेशों के अध्यधीन कुलपति विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन में कार्य परिषद की शक्तियों का प्रयोग करेगा;

(ग) सामान्य परिषद, कार्य परिषद, विद्या परिषद की बैठकों को आहूत करेगा और समस्त अन्य कृत्यों का निष्पादन करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के निमित्त आवश्यक हों;

(घ) को विश्वविद्यालय में समुचित रूप से अनुशासन बनाये रखने से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी।

(12) यदि कुलपति की राय में कोई आपात स्थिति आ गयी हो, जिसके लिये तत्काल कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो तो वह ऐसी कार्यवाही करेगा जैसा वह आवश्यक समझे और उक्त के संबंध में संबंधित प्राधिकरण, जिसने सामान्य स्थिति के मामले में कार्यवाही की होती, को आगामी बैठक में पुष्टि के लिये सूचित करेगा।

11- प्रति-कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो विहित किये जायं। प्रति-कुलपति

12- विभागाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विहित किये जायं। विभागाध्यक्ष

13- (1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य के ऐसे ज्येष्ठ अधिकारियों में से की जायेगी जिसे दिव्यांगता के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव हो तथा उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करता हो। कुलसचिव

(2) कुलसचिव, कार्य परिषद, विद्या परिषद का पदेन सचिव होगा, किन्तु उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

(3) कुलसचिव-

(क) कार्य परिषद और कुलपति के समस्त निदेशों और आदेशों का अनुपालन करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक होगा जिन्हें कार्य परिषद उसके प्रभार में सुपुर्द करे;

(ग) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों, पाठ्य बोर्ड और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की बैठक आहूत करने वाली समस्त नोटिसों को जारी करेगा;

(घ) कार्य परिषद, विद्या परिषद, वित्त समिति, संकायों और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किसी समिति की समस्त बैठकों का कार्यवृत्त रखेगा;

(ङ) कार्य परिषद और विद्या परिषद का शासकीय पत्र व्यवहार करेगा;

(च) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की यथा शीघ्र जारी की जाने वाली कार्यसूची और बैठक आयोजित किये जाने के सामान्यतः एक माह के भीतर प्राधिकारियों की बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाधिपति को उपलब्ध करायेगा;

(छ) किसी आपात स्थिति में, जब न तो कुलपति, न सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी कार्य करने में सक्षम हो, कार्य परिषद का तत्काल बैठक आहूत करेगा और विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिये उसका निदेश लेगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेगा, मुख्तारनामा पर हस्ताक्षर करेगा और अभिवचनों का सत्यापन करेगा या उक्त प्रयोजन के लिए प्रतिनिधियों को प्रतिनियुक्ति करेगा;

(झ) अपने कर्तव्यों और कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति प्रत्यक्षतः उत्तरदायी होगा;

(ञ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन समय-समय पर समनुदेशित किया जाये।

(4) किसी कारण से कुलसचिव का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति, विश्वविद्यालय की सेवा के किसी अधिकारी को कुलसचिव की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे।

14- (1) विश्वविद्यालय के लिए एक वित्त अधिकारी होगा जो राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया जायेगा और उसका वेतन और भत्ता विश्वविद्यालय द्वारा संदत्त किया जायेगा। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी-

(क) कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा-विवरण प्रस्तुत करेगा और विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण भी करेगा;

(ख) मतदान को छोड़कर कार्यपरिषद के वित्तीय मामलों से सम्बन्धित कार्यवाहियों में होगा अन्यथा उनमें भाग लेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय, विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान के माध्यम को छोड़कर) उपगत नहीं किया जाता है;

(घ) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय की अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबंधों का उल्लंघन करता हो;

(ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा परीक्षा के दौरान इंगित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिए कार्यवाही करेगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबन्ध किया जा रहा है;

(छ) विश्वविद्यालय की निधियों का सामान्य पर्यवेक्षण करेगा;

(ज) वित्तीय मामलों में स्वप्रेरणा से या परामर्श मांगे जाने पर परामर्श देगा;

(झ) विश्वविद्यालय के आय का संग्रह करेगा, संदायों का वितरण करेगा और लेखाओं का अनुरक्षण करेगा;

(ञ) यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर के सामानों और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रूप में अनुरक्षित रखे जाते हैं और यह कि उपस्कर और अन्य खपने वाली सामग्री की स्टाक जाँच विश्वविद्यालय में नियमित रूप से की जाती है;

(ट) किसी अनधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं की जाँच करेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सुझाव देगा;

(ठ) वित्तीय मामलों में ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो उसे कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समनुदेशित किये जायें;

(3) किसी अन्य कारण से वित्त अधिकारी का पद रिक्त रहने की स्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय की सेवा में किसी अधिकारी को वित्त अधिकारी की ऐसी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों, जैसा कि वह उचित समझे, का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी, तथा वह ऐसे अभिलेखों एवं दस्तावेजों को प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो।

अन्य अधिकारी

15- (1) उक्त प्रयोजन के लिए बनाये गये परिनियमों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के प्रत्येक अन्य अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति, परिनियमों द्वारा यथा विहित सेवा शर्तों को उपवर्णित करते हुए लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय को सौंपी जायेगी, और इसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी अधिकारी या कर्मचारी के मध्य संविदा के कारण उत्पन्न हुए किसी विवाद को संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के अनुरोध पर या विश्वविद्यालय की प्रेरणा से अध्यादेशों द्वारा यथाविहित, कार्यपरिषद द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से गठित किसी न्यायाधिकरण को माध्यस्थम हेतु निर्दिष्ट किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

16- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे-

(एक) सामान्य परिषद

(दो) कार्यपरिषद

(तीन) विद्या परिषद

(चार) वित्त समिति और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो विहित किये जायं।

सामान्य परिषद

17- विश्वविद्यालय की एक सामान्य परिषद होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

एक-पदेन सदस्य

(एक) कुलाधिपति जो सामान्य परिषद का अध्यक्ष होगा;

(दो) प्रभारी अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव या उसका नामनिर्देशिती, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग;

(तीन) आयुक्त,दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार) अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद या उसका नामनिर्देशिती;

(पाँच) विश्वविद्यालय का कुलपति, जो सामान्य परिषद का सचिव होगा।

दो-नामनिर्दिष्ट सदस्य

(छः) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति;

(सात) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

सामान्य परिषद के सदस्यों की पदावधि

18- (1) सामान्य परिषद के नाम निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि, उपधारा (2) और (3) के अध्यधीन दो वर्ष होगी।

(2) सामान्य परिषद के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट कोई व्यक्ति ऐसा सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि इस रूप में उसका नाम निर्देशन यथास्थिति नाम निर्देशक निकाय या व्यक्ति द्वारा प्रत्याहृत कर लिया जाय।

(3) सामान्य परिषद का कोई सदस्य, यदि त्यागपत्र दे दे या विकृत मस्तिष्क का हो जाये या दिवालिया हो जाय या ऐसे दाण्डिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्विष्ट हो, के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाय या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह अध्यक्ष से छुट्टी स्वीकृत कराये बिना सामान्य परिषद के तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे तो वह सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा।

(4) सामान्य परिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य, अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है और अध्यक्ष द्वारा ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जायेगा।

(5) सामान्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो नामनिर्देशन करने के लिए हकदार हो, द्वारा किसी व्यक्ति के नाम निर्देशन द्वारा भरा जायेगा और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट व्यक्ति पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नामनिर्दिष्ट किया गया है, यदि रिक्ति न हुई होती, पद पर बना रहता।

सामान्य परिषद की शक्तियां

19- सामान्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:-

(एक)- इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन धारा 7 में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के कृत्यों और शक्तियों, का प्रयोग करना, सिवाय जबकि ऐसी शक्तियाँ विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी को प्रदान की गयी हों;

(दो)-विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और उसके कार्यक्रमों का समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय करना;

(तीन)- वार्षिक रिपोर्ट, वित्तीय प्राक्कलनों, वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा रिपोर्टों पर विचार करना और ऐसे संकल्प पारित करना जैसे उचित समझे जायं;

(चार)- अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों को कुलपति को या किसी समिति को या किसी उपसमिति को या अपने किसी एक या उससे अधिक सदस्यों को प्रत्यायोजित करना; और

(पाँच)- ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन और प्रशासन के लिए आवश्यक समझे।

सामान्य परिषद की बैठकें

20- (1) सामान्य परिषद वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(2) अध्यक्ष सामान्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) सामान्य परिषद की कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई भाग से किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि सामान्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का एक अतिरिक्त निर्णायक मत होगा।

(5) यदि सामान्य परिषद द्वारा अत्यावश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष सामान्य परिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारबार को संव्यवहृत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी, जब तक कि सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई द्वारा सहमति न हो जाये। इस प्रकार कृत कार्यवाही के संबंध में सामान्य परिषद के समस्त सदस्यों को तत्काल संसूचित किया जायेगा और पत्र जात को सामान्य परिषद के आगामी बैठक के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा।

(6) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट एवं साथ में प्राप्तियों और व्यय का विवरण, यथासंपरीक्षित तुलन-पत्र और वित्तीय प्राक्कलन, कुलपति द्वारा सामान्य परिषद के समक्ष उसके वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

कार्य परिषद

21- (1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी।

(2) विश्वविद्यालय का प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण और उसकी आय कार्य-परिषद में निहित होगी जो विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों पर नियंत्रण रखेगी और उन्हें प्रशासित करेगी।

कार्य परिषद का गठन

22-(1) कार्यपरिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात-

(एक)- कुलपति;

(दो)- निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार;

(तीन)- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार;

(चार)- विश्वविद्यालय का कुलसचिव;

(पाँच)- कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा क्षेत्र के तीन प्रख्यात व्यक्ति;

(छः)- तीन सामाजिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(सात)-ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय के दो पूर्णकालिक ज्येष्ठ आचार्य;

(2) कुलपति कार्यपरिषद का अध्यक्ष होगा और कुलसचिव कार्य परिषद का सचिव होगा।

कार्यपरिषद के सदस्यों की पदावधि

23-(1) जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं द्वारा धृत पद या नियुक्ति के कारण कार्यपरिषद का सदस्य हो वहाँ ऐसे पद पर या ऐसी नियुक्ति में उसके न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(2) कार्यपरिषद का कोई नामनिर्दिष्ट सदस्य उसका सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत चित्त का हो जाये या दिवालिया हो जाय, या ऐसे दांडिक अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, के लिए दोष सिद्ध ठहरा दिया जाय, यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या किसी संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार कर ले या यदि वह कार्यपरिषद के अध्यक्ष द्वारा अवकाश स्वीकृत कराये बिना कार्यपरिषद की तीन लगातार बैठकों में उपस्थित रहने में विफल रहे या विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल कार्य करे।

(3) जब तक पूर्वगामी उपधाराओं में उपबंधित रूप से कार्य परिषद की सदस्यता पहले से ही समाप्त न कर दी गयी हो, कार्य परिषद के नामनिर्दिष्ट सदस्य, स्वयं द्वारा कार्यपरिषद का सदस्य बनने के दिनांक से तीन वर्ष की समाप्ति पर अपनी सदस्यता का त्याग कर देंगे, किन्तु वे यथास्थिति पुनः नाम निर्देशन या पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(4) पदेन सदस्य से भिन्न कार्य परिषद का कोई सदस्य कार्य परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र कार्य परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जाएगा।

(5) कार्य परिषद में कोई रिक्ति ऐसे संबंधित प्राधिकारी, जो ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन करने के लिए सशक्त हो, द्वारा यथास्थिति या तो नियुक्ति द्वारा भरी जायेगी या नाम निर्देशन द्वारा भरी जायेगी और रिक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर ऐसी नियुक्ति या नाम निर्देशन प्रभावी नहीं रह जायेगा।

कार्यपरिषद की शक्तियाँ और कृत्य

24- धारा 21 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कार्य परिषद की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे :-

(एक) विद्या परिषद की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों को सृजित करना और उनसे संबंधित अर्हताओं, उपलब्धियों और कर्तव्यों को अवधारित करना;

(दो) उक्त प्रयोजनार्थ परिनियमों द्वारा गठित, चयन समिति की संस्तुतियों पर आचार्यों, उपाचार्यों प्राध्यापकों, अध्यापन कर्मचारिवृन्द के अन्य सदस्यों, पुस्तकालयाध्यक्ष और अध्यापन कर्मचारिवृन्द के आवश्यक अन्य सदस्यों की समय-समय पर नियुक्ति करना;

(तीन) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से प्रशासनिक, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों की न्यूनतम अर्हताओं और उपलब्धियों का अवधारणा करना;

(चार) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय के किसी धन को, जिसके अंतर्गत अप्रयुक्त आय भी है, ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे, या भारत में स्थावर सम्पत्ति क्रय करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधानों में परिवर्तन करना;

(छः) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण करना या अन्तरण को स्वीकार करना:

परन्तु यह कि कोई भी स्थावर सम्पत्ति राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना तीसरे पक्ष को अन्तरित नहीं की जायेगी;

(सात) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना और उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह ठीक समझे;

(आठ) विश्वविद्यालय के कार्य संचालन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचरों और साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(नौ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, छात्रों और कर्मचारियों, जो किसी कारणवश क्षुब्ध अनुभव करें, की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्याय-निर्णयन करना और उनका निराकरण करना;

(दस) विद्या परिषद से परामर्श करने के पश्चात परीक्षकों और अनुसीमको की नियुक्ति करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना और उनकी फीस, परिलब्धियों, यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के लिए एक सामान्य मुहर का चयन करना और मुहर की अभिरक्षा के लिए व्यवस्था करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों और प्रबन्धन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर ऐसे परिनियम बनाना जो आवश्यक समझे जायें, और उन्हें परिवर्तित, उपान्तरित एवं विखण्डित करना;

(तेरह) अपनी किन्हीं शक्तियों को, परिनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसी अधिकारी या प्राधिकारी को स्थायी या अस्थायी रूप से प्रत्यायोजित करना; और

(चौदह) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किया जाये।

प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण

25-(1) कार्य परिषद परिनियमावली द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 में यथा परिभाषित उत्तर प्रदेश राज्य के निवासियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

(2) कार्यपरिषद परिनियमावली द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अन्यून पचास प्रतिशत स्थान दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करेगी।

(3) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबन्ध और आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेश विश्वविद्यालय के प्रत्येक विद्यमान अध्यापन या अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द में सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर लागू होंगे।

कार्य परिषद की बैठकें

26-(1) कार्य परिषद तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और ऐसी बैठक के लिए उसके सदस्यों को अन्यून पन्द्रह दिन की नोटिस दी जायेगी।

(2) कार्य परिषद का अध्यक्ष कार्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य अपने में से किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए निर्वाचित करेंगे।

(3) कार्य परिषद के कुल सदस्यों के एक तिहाई संख्या से उसकी किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) कार्य परिषद का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा और यदि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर मत बराबर हो तो यथास्थिति, कार्य परिषद का अध्यक्ष या उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

कार्य परिषद द्वारा स्थायी समिति गठन और तदर्थ समितियों की नियुक्ति

27-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों या इस निमित्त बनाई गई परिनियमावली के अध्यधीन कार्य परिषद संकल्प द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों से युक्त जैसी कार्य परिषद किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए या विश्वविद्यालय के किसी कृत्य के निर्वहन के लिये या विश्वविद्यालय से संबंधित किसी मामले में जॉच, उस पर रिपोर्ट या सलाह देने के लिए ठीक समझे, ऐसी स्थायी समितियों का गठन या तदर्थ समितियों की नियुक्ति कर सकती है।

(2) कार्य परिषद किसी स्थायी समिति या किसी तदर्थ समिति, जैसा वह उचित समझे, के लिए ऐसे व्यक्तियों को सहयोजित कर सकती है और उन्हें कार्य परिषद की बैठकों में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दे सकती है।

विद्या परिषद

28- विद्या परिषद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन उसके पास नियंत्रण एवं सामान्य विनियमन की शक्ति होगी और वह विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेशों, शिक्षा और परीक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कर्तव्यों का निष्पादन करेगी, जैसे कि उसे इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा प्रदत्त या समुनिदेशित किया जाय। सभी शैक्षिक मामलों में उसे कार्य परिषद को सलाह देने का अधिकार होगा।

विद्या परिषद का गठन

29- (1) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा,

(दो) प्रख्यात शिक्षाविदों या विद्वानों या किसी वृत्ति के सदस्यों या प्रख्यात लोकप्रिय व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, सामान्य परिषद के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(तीन) विश्वविद्यालय के समस्त विभागाध्यक्ष;

(चार) चक्रानुक्रम द्वारा प्रत्येक विभाग से एक आचार्य, जिसे कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो,

(पाँच) अध्यापन कर्मचारिवृन्द के दो सदस्य जिनमें से एक-एक सदस्य विश्वविद्यालय के आचार्य और सह-आचार्य का प्रतिनिधित्व करेगा।

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति, पद या नियुक्ति, जिसे वह धारण करता हो, के कारण विद्या परिषद का सदस्य हो, वहाँ उसके पद या नियुक्ति पर न रह जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

(4) विद्या परिषद का कोई सदस्य, सदस्य होने से प्रविरत हो जायेगा, यदि वह त्याग-पत्र दे दे या विकृत चित्त का हो जाये या दिवालिया हो जाये या नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी दाण्डिक अपराध का सिद्ध दोष हो या यदि कुलपति से भिन्न कोई सदस्य या संकाय का कोई सदस्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार ले, या यदि वह विद्या परिषद के अध्यक्ष की छुट्टी के बिना विद्या परिषद की तीन लगातार बैठकों में सम्मिलित होने में विफल रहे।

(5) जब तक विद्या परिषद की उनकी सदस्यता पूर्वगामी उपधाराओं में यथा उपबन्धित रूप में पूर्व में समाप्त नहीं कर दी जाती है, तब तक विद्या परिषद के सदस्य उस दिनांक से जिस दिनांक को वे विद्या परिषद के सदस्य होते हैं, दो वर्ष के अवसान पर अपना पद त्याग कर देंगे, किन्तु यथास्थिति पुनः नामनिर्दिष्ट या पुनः नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(6) किसी पदेन सदस्य से भिन्न विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्या परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित किसी पत्र द्वारा अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है और ऐसा त्याग-पत्र विद्या परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वीकार करते ही प्रभावी हो जायेगा।

(7) विद्या परिषद में कोई रिक्ति, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उक्त को पूरा करने के लिये, यथास्थिति, नियुक्ति या नाम-निर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

विद्या परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

30- इस अधिनियम या परिनियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन विद्या परिषद को उसमें निहित अन्य समस्त शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् :-

(एक) सामान्य परिषद या कार्य परिषद द्वारा उसे निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्यापन के पदों के सृजन, समापन या वर्गीकरण और उससे सम्बद्ध अर्हताओं, परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करना;

(तीन) संकायों के संगठन के लिए योजनायें नियत करना और उपान्तरित करना या पुनरीक्षित करना और ऐसे संकायों को उनके अपने-अपने विषयों को समनुदेशित करना और कार्य परिषद को किसी संकाय के समापन या उप-विभाजन या एक संकाय को दूसरे के साथ संयोजन की समीचीनता के संबंध में भी रिपोर्ट करना;

(चार) विश्वविद्यालय के अंतर्गत शोध का संवर्द्धन करना और ऐसे शोध पर समय-समय पर रिपोर्ट की अपेक्षा करना;

(पाँच) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(छः) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मन्त्रियम बनाना और समितियां नियुक्त करना;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की डिप्लोमा तथा उपाधियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय की डिप्लोमा और उपाधि के संबंध में उनकी समतुल्यता अवधारित करना ;

(आठ) सामान्य परिषद द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अध्यधीन अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों और अन्य पारितोषिकों के लिए प्रतियोगिताओं का समय, तरीका और शर्तें नियत करना और उन्हें प्रदान करना;

(नौ) परीक्षकों की नियुक्ति और यदि आवश्यक हो, उनके हटाये जाने और उनकी फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य व्ययों को नियत करने के संबंध में कार्य परिषद को संस्तुति करना;

(दस) परीक्षाओं के संचालन की व्यवस्था करना और उन्हें आयोजित करने के लिए दिनाँक नियत करना;

(ग्यारह) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिये समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और उपाधियाँ, सम्मान, डिप्लोमा, अनुज्ञप्ति, अभिधान और सम्मान चिन्ह प्रदान करने या प्रदान करने के संबंध में संस्तुति करना ;

(बारह) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और विनियमावली और ऐसी अन्य शर्तों, जैसी कि पुरस्कारों से सम्बद्ध की जा सकें, के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना ;

(तेरह) विहित या संस्तुतिकृत पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और विहित पाठ्यक्रमों के पाठ्य विवरण प्रकाशित करना ;

(चौदह) ऐसे प्रपत्रों और रजिस्टरों को तैयार करना, जो परिनियमावली द्वारा समय-समय पर विहित किये जाते हैं, और

(पन्द्रह) शैक्षणिक विषयों के संबंध में ऐसे समस्त कर्तव्यों का निर्वहन करना और ऐसे समस्त कार्य करना जो इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों।

विद्या परिषद की बैठक

31- (1) विद्या परिषद किसी शैक्षणिक वर्ष के दौरान उतनी बार जितनी बार आवश्यक हो, किन्तु अन्यून दो हो, बैठक करेगी।

(2) विद्या परिषद का अध्यक्ष विद्या परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा, और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से किसी व्यक्ति का निर्वाचन करेंगे।

(3) विद्या परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से विद्या परिषद के किसी बैठक की गणपूर्ति होगी।

(4) विद्या परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और यदि विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जाने वाले किसी प्रश्न पर बराबर मत होंगे तो यथास्थिति विद्या परिषद के अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक अतिरिक्त मत निर्णायक होगा।

वित्त समिति

32- (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सामान्य परिषद द्वारा चक्रानुक्रम में नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक आचार्य;

(तीन) कार्य परिषद द्वारा अपने सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(चार) कुल सचिव;

(पांच) वित्त अधिकारी जो इसका सदस्य सचिव होगा।

(2) वित्त समिति के नाम निर्दिष्ट सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(3) वित्त समिति की निम्नलिखित शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट का परीक्षण तथा उसकी संवीक्षा करना और कार्य परिषद को वित्तीय मामलों में संस्तुति करना;

(दो) नये व्यय के समस्त प्रस्तावों पर विचार करना और कार्य परिषद से संस्तुतियाँ करना;

(तीन) कार्य परिषद को संस्तुतियाँ करने के लिए आवधिक लेखा विवरणों पर विचार करना और समय-समय पर विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था के संबंध में समीक्षा करना और पुनर्विनियोग विवरणों और संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना;

(चार) स्वप्रेरणा से या कार्य परिषद या कुलपति के निदेश पर विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में कार्यपरिषद को अपना विचार देना और संस्तुति करना।

(4) जब तक वित्तीय निहितार्थ वाले किसी प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा संस्तुति न की जाये तब तक कार्य परिषद इस पर कोई विनिश्चय नहीं करेगी और यदि कार्य परिषद, वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो वह उक्त प्रस्ताव को अपनी असहमति के कारणों के साथ वित्त समिति को वापस करेगी और यदि कार्य परिषद पुनः वित्त समिति की संस्तुतियों से असहमत हो तो कार्य परिषद का विनिश्चय अन्तिम होगा।

अन्य प्राधिकरण

33- विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

प्राधिकरणों या निकायों की कार्यवाहियों का विधिमान्य न होना

34- (1) इस बात के होते हुए भी कि सामान्य परिषद, कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय का कोई अन्य प्राधिकरण या निकाय सम्यक रूप से गठित नहीं है या किसी समय उसके गठन या पुनर्गठन में कोई त्रुटि रही है और इस बात के होते हुए भी कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, समिति या निकाय का कोई ऐसा कार्य या कार्यवाही केवल निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी :-

(क) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के किसी संकल्प को किसी सदस्य पर नोटिस तामील करने में किसी अनियमितता के कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसे प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों पर ऐसी अनियमितता द्वारा प्रतिकूल प्रभाव न पड़ा हो।

परिनियम

35- इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन, परिनियमों में निम्नलिखित विषयों में से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:-

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का चयन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पद पर बना रहना भी सम्मिलित है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकरणों से संबंधित ऐसे अन्य समस्त विषय, जिनके लिये उपबन्ध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालयों के अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित हैं), उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी अपनी वार्षिक रिपोर्ट का अनुरक्षण, उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण नियम और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य/ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिनमें न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव भी सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदि से सम्बन्धित उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, कर्मचारिवृन्द / कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए पेंशन, भविष्य निधि, उपदान, साधारण बीमा योजना, चिकित्सा भत्ता, बीमा, अवकाश यात्रा सुविधा, दो बच्चों के शुल्क की प्रतिपूर्ति, पारिवारिक पेंशन, सुलभ ऋण आदि का गठन और अन्य भत्ते / परिलब्धियां, बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, परास्नातक डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं संस्थित करना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों, डिप्लोमाओं तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लिया जाना;

(ञ) इकाइयों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और मान्यता;

(ट) विश्वविद्यालय के अवकाश और अन्य नियम, यदि यहाँ उल्लिखित न हों, वही होंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रनिवासों तथा छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और मान्यता;

(ड) प्रमाण-पत्रों के साथ-साथ, पुरस्कार आदि हेतु छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, विद्यावृत्ति, वजीफा, पदक एवं पर्याप्त वित्तीय पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ढ) दीक्षांत समारोह का आयोजन करना;

(ण) अन्य समस्त विषय जो इस अधिनियम द्वारा, परिनियमों द्वारा उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकते हैं।

36- सामान्य परिषद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी, या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी। परिनियमों में संशोधन करने की शक्ति

37- (1) इस अधिनियम या परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात्:- अध्यादेश

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की समस्त उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, साक्षीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश हेतु प्रभारित की जाने वाली फीस;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाए रखना;

(झ) अन्य समस्त विषय, जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित हों या उपबंधित हों।

(2) प्रथम अध्यादेश कुलपति द्वारा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से बनाया जाएगा और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेशों को परिनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य परिषद द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरस्त या परिवर्द्धित किया जा सकता है।

38- विद्या परिषद कार्य परिषद के अनुमोदन से राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी। अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

39- (1) कार्यपरिषद, विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यपरिषद से संस्तुति करने के लिए चयन समिति का गठन करेगी। चयन समिति

(2) क- चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो समूह 'क' और समूह 'ख' के समस्त अध्यापन पदों और अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(दो) कुल सचिव, समूह 'ग' और समूह 'घ' के समस्त अध्यापनेतर पदों के लिए समिति का अध्यक्ष होगा;

(तीन) संबंधित विभागाध्यक्ष यदि कोई हो, जो ऐसे पद, जिसके लिए चयन किया जाना हो, के स्तर से निम्न स्तर के पद का न हो;

(चार) (क) जहाँ किसी अध्यापन पद के लिए नियुक्ति की जानी हो वहाँ विद्या परिषद द्वारा संस्तुत और कार्य परिषद द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल में से कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ:

परन्तु यह कि विद्या परिषद और कार्य परिषद के गठन तक ऊपर निर्दिष्ट विशेषज्ञों को कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ कोई नियुक्ति अध्यापन से संबंधित पद से भिन्न किसी पद पर की जानी हो तो कुलसचिव समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों हेतु सीधी भर्ती की प्रक्रिया (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) नियमावली, 2002 के उपबंधों के अनुसार चयन समिति का गठन करेगा।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

40-(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी अन्तिम प्राधिकारी कुलपति होगा। इस निमित्त उसके निदेशों का पालन विभागाध्यक्षों, छात्रावासों और विश्वविद्यालय की संस्थाओं के प्रधानों द्वारा किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी छात्र को परीक्षा से विवर्जित करने या विश्वविद्यालय या किसी छात्रावास या किसी संस्था से निष्कासित करने के दण्ड पर विचार और अधिरोपण, कुलपति की रिपोर्ट पर कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा:

"परन्तु यह कि ऐसा कोई दण्ड सम्बन्धित छात्र को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं किया जायेगा"।

अपील करने का अधिकार

41- विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चय के विरुद्ध कार्य परिषद को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर कार्य परिषद ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकता है।

भविष्य एवं पेंशन निधियाँ

42-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाये, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों और निकायों के गठन के संबंध में विवाद

43- यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो उक्त मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

44-जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकरण का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे।

आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना

45- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों के मध्य से किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, नियुक्त किया गया हो, और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

अस्थायी उपबंध

46- (1) इस अधिनियम और परिनियमावली में अन्तर्विष्ट में किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिये ऐसी रीति और ऐसी शर्तों पर की जाएगी जो उचित समझी जाए। कुलपति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अधिनियम और परिनियमावली के उपबंधों का पालन करने के प्रयोजन से विश्वविद्यालय के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है और उस प्रयोजन के लिए किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है या किन्हीं कर्तव्यों का निष्पादन कर सकता है जिनका प्रयोग और निष्पादन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा तब तक इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा किया जाना है जब तक ऐसा प्राधिकरण इस अधिनियम और परिनियमावली द्वारा यथा उपबंधित रूप से अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन अध्यादेशों या परिनियमों द्वारा उपबंधित किये जाने वाले मामलों में उस समय तक जब तक कि धारा 37 की उपधारा (2) के अधीन प्रथम अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं, जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के उपबंधों के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व बनाये गये परिनियमों और अध्यादेशों के सुसंगत उपबंध लागू होंगे जहां तक वे इस अध्यादेश के उपबंधों से असंगत न हों।

स्थायी विन्यास निधि

47-(1) विश्वविद्यालय, कम से कम पांच करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि में ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, विनिधान करने की शक्ति होगी;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि में अन्तरित कर सकता है;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से आहरित की जा सकती है।

विश्वविद्यालय की निधि

48- (1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे "विश्वविद्यालय निधि" कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(एक) राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण;

(दो) समस्त स्रोतों से विश्वविद्यालय की आय;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियों, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियाँ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृतियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिये, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता-ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ; और

(पांच) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियाँ।

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, कार्य परिषद द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर उसके द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय-समय पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी;

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिये किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

49- (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन पत्र कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय की लेखासंपरीक्षा, वर्ष में न्यूनतम एक बार, निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश या ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, करायी जायेगी।

(3) लेखाओं की जब सम्परीक्षा हो जाय तो कार्य परिषद द्वारा प्रकाशन किया जायेगा, और सम्परीक्षा रिपोर्ट सहित लेखाओं की एक प्रति सामान्य परिषद के समक्ष रखी जायेगी और उसे राज्य सरकार को भी प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) सामान्य परिषद द्वारा अपने वार्षिक बैठक में वार्षिक लेखाओं पर विचार किया जायेगा। सामान्य परिषद उससे संबंधित संकल्प पारित कर सकती है और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकती है। कार्य परिषद सामान्य परिषद द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही कर सकती है जैसी वह उचित समझे। कार्य परिषद सामान्य परिषद को उसकी अगली बैठक में अपने द्वारा कृत समस्त कार्यवाहियों या कार्यवाही न करने के कारणों की सूचना देगी।

वार्षिक रिपोर्ट

50- (1) कार्य परिषद, ऐसे दिनांक से पूर्व, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाये, आगामी वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलन तैयार करेगी और उसे सामान्य परिषद के समक्ष रखेगी।

(2) कार्य परिषद, ऐसे मामले में जहाँ बजट में उपबन्धित धनराशि के आधिक्य में व्यय उपगत किया जाना हो या लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आत्ययिकता के मामलों में, परिनियमावली में विनिर्दिष्ट ऐसी निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन व्यय उपगत कर सकती है, जहाँ ऐसे आधिक्य व्यय के संबंध में बजट में कोई उपबन्ध नहीं किया गया हो वहाँ सामान्य परिषद को उसकी आगामी बैठक में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अधिभार

51-(1) धारा 8 में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोग के लिए अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

52- विश्वविद्यालय के कब्जाधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

क्षतिपूर्ति

53- विश्वविद्यालय, कुलपति, विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाहियाँ, ऐसी किसी बात के संबंध में नहीं की जायेंगी और किसी क्षतिपूर्ति का दावा भी नहीं किया जायेगा, जो इस अध्यादेश या तदधीन बनायी गयी किसी परिनियमावली के अनुसरण में सदभावनापूर्वक की गयी हो या की जानी तात्पर्यित हो।

निदेश जारी करने की शक्ति

54. राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

संविदाओं का निष्पादन

55- विश्वविद्यालय के प्रबन्धन और प्रशासन से संबंधित समस्त संविदायें ऐसे अभिव्यक्त की जायेंगी जैसा कि कार्य परिषद द्वारा करायी गयी हो और जब संविदा का मूल्य दस लाख रूपये से अधिक हो तो उनका निष्पादन कुलपति द्वारा किया जायेगा, और जब इसका मूल्य दस लाख रुपये से अधिक न हो तो कुलसचिव द्वारा किया जायेगा।

कठिनाइयों का निराकरण

56-(1) राज्य सरकार, विशेषकर उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 के विद्यमान उपबंधों से इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण के सम्बन्ध में, कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेशित कर सकती हैं कि इस अधिनियम के उपबंध उस अवधि के दौरान, जिसे आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे अनुकूलनों, चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन अथवा लोप के माध्यम से हों, के अध्यधीन प्रभावी होंगे जिन्हें वह आवश्यक अथवा समीचीन समझे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कृत प्रत्येक आदेश को राज्य विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश को किसी परिषद में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उसका निराकरण किया जाना अपेक्षित नहीं था।

सम्पत्ति का अन्तरण

57- राज्य सरकार विश्वविद्यालय को ऐसी शर्तों पर और ऐसी सीमाओं के अध्यधीन जैसा कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उचित समझे, विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग और प्रबन्धन के लिए भवनों, भूमि और किसी अन्य जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अंतरित कर सकती है।

प्रायोजित योजनायें

58-इस अधिनियम और परिनियमावली में किसी बात के होते हुए भी जब कभी विश्वविद्यालय, किसी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विश्वविद्यालय द्वारा निष्पादित की जाने वाली किसी योजना को प्रायोजित करने वाले अन्य अधिकरणों से निधियाँ प्राप्त करे तो:-

(क) ऐसी प्राप्त धनराशि, विश्वविद्यालय द्वारा निधि से पृथक रूप से रखी जायेगी, और उक्त योजना के प्रयोजनों के लिए ही उपयोग की जायेगी; और

(ख) योजना निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवर्ग की भर्ती, प्रायोजित करने वाले संगठन द्वारा नियत निबंधन और शर्तों के अनुसार की जायेगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान किया जाना

59-विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन उपाधि, डिप्लोमा और विद्या संबंधी अन्य विशिष्टियाँ और अभिधान प्रदान करने की शक्ति होगी।

60- यदि विद्या परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्य संस्तुति करते हैं कि किसी व्यक्ति को, इस आधार पर कि वह विख्यात उपलब्धि और पद के कारण ऐसी उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त करने के लिए उनकी राय में उपयुक्त और उचित है, कोई मानद उपाधि या शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान की जाय, तो सामान्य परिषद किसी संकल्प द्वारा यह विनिश्चय कर सकती है कि उसे संस्तुत किये गये व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है। मानद उपाधि

61- (1) सामान्य परिषद कार्यपरिषद की संस्तुति पर सामान्य परिषद के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा और बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सामान्य परिषद के अन्यून दो तिहाई सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गयी या प्रदान की गयी किसी विशिष्ट उपाधि, डिप्लोमा या विशेषाधिकार को वापस ले सकती है, यदि ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया हो, जिसमें सामान्य परिषद की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो या यदि वह घोर अवचार का दोषी रहा हो। उपाधि या डिप्लोमा को वापस लिया जाना

(2) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक उसे की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही के विरूद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया जाय।

(3) सामान्य परिषद द्वारा पारित संकल्प की प्रति संबंधित व्यक्ति को तत्काल प्रेषित की जायेगी।

(4) सामान्य परिषद द्वारा कृत विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को ऐसे संकल्प की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है।

(5) इस संबंध में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

62-(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय उसके भवनों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों, संस्थाओं या अनुरक्षित केन्द्रों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों तथा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रिया-कलापों और वित्त से संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जाँच कराने की शक्ति होगी; राज्य सरकार की निरीक्षण और जाँच करने की शक्ति

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को निरीक्षण कराने तथा कोई जाँच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा;

(3) राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जाँच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को परामर्श देगी;

(4) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर कार्यवाही नहीं की जाती है, वहाँ राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जायेंगे और विश्वविद्यालय को ऐसे निदेशों का अनुपालन करना होगा।

निरसन और व्यावृत्तियां

63- (1) उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) और उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2023

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2001) के अधीन कृत समस्त नियुक्तियाँ जारी किए गए आदेश, प्रदान की गई डिग्री और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं, प्रदान किए गए डिप्लोमा और प्रमाणपत्र, प्रदान किए गए विशेषाधिकार, या किए गए अन्य कार्य (स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण सहित) इस अध्यादेश के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन बनाया गया, जारी किया गया, प्रदान किया गया या किया गया माना जाएगा और इस अध्यादेश या परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे इस अध्यादेश या परिनियमावली के अधीन कृत किसी आदेश द्वारा अधिक्रमित न कर दिये जायें।

(3) ऐसे निरसन के होते हुये भी उत्तर प्रदेश जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2023 के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-63 तक तथा, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

अतः खण्ड-2 से खण्ड-63 तक तथा खण्ड-1 व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गये।

श्री नरेन्द्र कश्यप-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जगद्गुरू रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

[06:11] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09-08-2023 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 133 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री राजेश्वर सिंह की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर के अन्तर्गत कृष्णा लोक कालोनी में 11वीं के छात्र की करेंट लगने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री मौ0 फहीम इरफान की राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ में संविदा कर्मियों को अनुबन्ध करने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डॉ0 रागिनी की उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र खड्डा में कतिपय स्थान पर पक्के पुल के निर्माण के सम्बन्ध में तथा पाचवीं सूचना श्री धीरेन्द्र सिंह की उ0प्र0 में व्यापक लिफ्ट अधिनियम लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई।

पहली सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में गांगनौली शुगर मिल में किसानों के बकाया भुगतान के सम्बन्ध में तथा दूसरी सूचना श्रीमती सलोना कुशवाहा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है।

पहली सूचना श्री विवेक कुमार वर्मा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में राजकीय महाविद्यालय के अन्तर्गत शिक्षकों एवं शिक्षेत्तर कर्मियों की रिक्त पदों के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चंदौली में कतिपय सरकारी जिला कार्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में नवीन मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री मनोज कुमार पारस की विधान सभा क्षेत्र नगीना के कस्बा कीरतपुर में हज़रत मोइनुद्दीन की मजार के सौंदर्यीकरण के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद अयोध्या में चौरासी कोसी परिक्रमा स्थल यज्ञ भूमि मखौड़ा धाम तक श्री राम अवतरण कारीडोर बनाये जाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री सन्दीप सिंह की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र मेजा में महानगर बसों का संचालन किये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिंद की कृषि महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक समाप्त कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में कतिपय कम्पनी द्वारा जबरन भूमि कब्जा करने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव में प्रधान मंत्री आवासों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के कतिपय मार्ग पर पुल व सड़क निर्माण के सम्बन्ध में तथा ग्यारहवीं सूचना श्री अवधेश प्रसाद की जनपद अयोध्या के कतिपय ग्रामों को वि0प्रा0 द्वारा ध्वस्तीकरण नोटिस के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हैं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

श्री प्रदीप कुमार यादव, श्री मनीष असीजा, श्री पंकज गुप्ता, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री पंकज सिंह, श्री चन्दन चौहान, श्री पंचानन्द पाठक, श्री राम सिंह, डॉ0 संग्राम यादव, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, डॉ0 विनोद कुमार बिन्द, डा0 एम0पी0 आर्य, श्री स्वामी ओउमवेश, श्री रत्नाकर मिश्र, श्री हृदय नारायण सिंह पटेल, श्रीमती नीलिमा कटियार, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री कैलाश राजपूत, श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी, श्री अमिताभ बाजपेई, श्री आशुतोष शुक्ल, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री पीयूष रंजन निषाद, श्री समर पाल सिंह, डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री मेघश्याम सिंह, श्री विनय द्विवेदी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री रमेश सिंह, श्री विनय प्रकाश गोंड, श्रीमती केतकी सिंह, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री कमलाकान्त राजभर, श्री रवि शर्मा, श्री राम अवतार सिंह, श्री तसलीम अहमद, श्री अताउर्ररहमान, श्री बम्बालाल, श्री मुकेश चौधरी, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्रीमती राजबाला सिंह, श्री राजीव तरारा, डॉ0 मंजू शिवाच, श्री निर्मल वर्मा, डॉ0 जी0एस0 धर्मेश, मो0 हसन रूमी, श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, श्री रफीक अंसारी, डॉ0 शिव प्रताप यादव, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री लालजी वर्मा, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री अशरफ अली खान, श्री धर्मराज

यादव, श्री राजेश चौधरी, श्री संजय शर्मा, श्री रामचन्द्र यादव, श्री जय प्रकाश अंचल, श्रीमती सरोज सोनकर, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री नीरज बोरा, श्री महबूब अली, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री हरिओम वर्मा, श्री महेन्द्रपाल सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री राम मूर्ति वर्मा, श्री सौरभ सिंह सोनू, श्री त्रिभुवन दत्त, श्री रवेन्द्र पाल सिंह, डॉ0 वीर विक्रम सिंह, श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, श्री बृजेश कुमार रावत, श्री अशोक कुमार कोरी, श्री अभय सिंह, श्री विजयपाल आढ़ती, श्री प्रकाश द्विवेदी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री सुभाष त्रिपाठी, श्री उमाशंकर सिंह, श्री रमेश जायसवाल, श्री योगेश धामा, श्री मनीष रावत, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्री बेचई सरोज, श्री जवाहर लाल राजपूत, श्री अमित अग्रवाल, श्री सुरेन्द्र कुशवाहा, श्रीमती पूजा, श्री जीत लाल पटेल, डॉ0 आर0के0 पटेल, श्री राम निवास वर्मा, श्री लकी यादव, ई0 बृजेश कठेरिया, श्री नफीस अहमद, श्री अरमान खान, श्री गौरव कुमार रावत, श्री राम रतन कुशवाहा, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्री अखिलेश यादव, श्री आशू मलिक, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री जाहिद, श्री कमाल अख्तर, श्री वीरेन्द्र यादव तथा श्री आनन्द कुमार यादव।

जनपद अमेठी में मनरेगा के अन्तर्गत अपात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने तथा पात्र व्यक्तियों को लाभ न मिलने के सम्बन्ध में श्री राकेश प्रताप सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मुख्य विकास अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 08.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अशोक कुमार सिंह, उपायुक्त (श्रम-रोजगार) जनपद अमेठी ...

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाता है।

(ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[के द्वारा दिनांक 02-03-2023 को ग्राम पंचायत सूखीबाजगढ़ में श्री भूपेन्द्र प्रताप सिंह के घर आने-जाने के रास्ते हेतु सम्पर्क मार्ग पक्की सड़क से रमाकान्त सिंह के घर तक सम्पर्क मार्ग (कच्चा कार्य) का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। उक्त कार्य की वित्तीय एवं

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रशासनिक स्वीकृति तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा द्वारा दिनांक 15-05-2013 को दी गयी थी। प्रश्नगत कार्य हेतु श्रमांश मद में रुपये 0.616 लाख एवं सामग्री मद में रुपये 8.735 लाख, कुल रुपये 9.351 लाख का भुगतान किया गया है।

2-उल्लेखनीय है कि उक्त कार्य की स्वीकृत लागत रुपये 0.63471 लाख के सापेक्ष रुपये 8.707 लाख का अधिक भुगतान किया गया है। सन्दर्भित प्रकरण में दोषी पाये गये तकनीकी सहायक, श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव की संविदा जिलाधिकारी, अमेठी के कार्यालय आदेश दिनांक 03-06-2023 द्वारा समाप्त की जा चुकी है। अनियमित भुगतान के लिए श्री रामलाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान से रुपये 290337.63 एवं श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक से रुपये 290337.63 का वसूली आदेश दिनांक 18-04-2023 द्वारा जारी किया गया है। साथ ही खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जामों द्वारा उक्त प्रकरण में श्री रावेन्द्र श्रीवास्तव, तकनीकी सहायक एवं श्री रामलाल, तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध थाना जामों में दिनांक 19-04-2023 को सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

3-खण्ड विकास अधिकारी, जामों ने अपने पत्र दिनांक 05-08-2023 के माध्यम से अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत सूखीबाजगढ़ की पी0डब्लू0एल0 सूची में कुल 259 लाभार्थियों का नाम था, जिनका सत्यापन कराने पर 185 लाभार्थी पात्र पाये गये तथा 74 लाभार्थी अपात्र पाये गये। अपात्र पाये गये 74 लाभार्थियों में से 17 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी नहीं की गयी है। प्रथम किश्त प्राप्त 57 अपात्र लाभार्थियों के खातों पर कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी के पत्र दिनांक 03-03-2023 के द्वारा रोक लगा दी गयी है तथा अपात्र 57 लाभार्थियों को धनराशि वापस करने हेतु नोटिस जारी की गयी है। अपात्र लाभार्थियों के चयन के लिये दोषी श्री आशीष रंजन, ग्राम विकास अधिकारी को जिला विकास अधिकारी, जनपद अमेठी के कार्यालय आदेश दिनांक 03-03-2023 के द्वारा निलम्बित कर दिया गया तथा सम्बन्धित ग्राम प्रधान को पंचायत राज अधिनियम की धारा-95 (1) (छ) के अन्तर्गत नोटिस निर्गत करते हुये थाना जामों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज करायी जा चुकी है। दर्ज एफ0आई0आर0 की विवेचना हेतु श्री अजयेन्द्र पटेल, निरीक्षक, विवेचक द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी थी, जिसे तैयार कर खण्ड विकास अधिकारी, जामों ने अपने कार्यालय पत्र दिनांक 01-08-2023 के द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है। एफ0आई0आर0 की विवेचना सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जा रही है।

4-मा0 सदस्य, विधान सभा, गौरीगंज के पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 185 लाभार्थियों की सूची में 116 लाभार्थियों के नाम के सम्मुख अपात्र दर्शाया गया है। अपात्र दर्शाये गये 116 लाभार्थियों का सत्यापन पुनः जिला विकास अधिकारी, अमेठी, उपायुक्त श्रम रोजगार, अमेठी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास

अभिकरण, अमेठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी, वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा तथा अधिशाषी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, अमेठी की संयुक्त जांच समिति से कराया गया है। जांच समिति द्वारा लाभार्थियों के आवासों का सत्यापन मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों के बयान व आवास के लाभार्थियों द्वारा दिखाये गये उनके आवास के आधार पर किया गया, जिसमें 49 लाभार्थी आवास हेतु अपात्र पाये गये। अपात्र पाये गये 49 लाभार्थियों में से 03 लाभार्थियों को प्रथम किश्त जारी नहीं की गयी है। प्रथम किश्त प्राप्त 46 अपात्र लाभार्थियों को धनराशि वापस करने हेतु नोटिस जारी की गयी है। धनराशि की वसूली करा ली जायेगी।

5-ग्राम पंचायत सूखीबाजगढ़, विकास खण्ड जामों में कराये गये कार्यों की जांच हेतु जिलाधिकारी, अमेठी द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है, उक्त समिति में जिला विकास अधिकारी, अमेठी, उपायुक्त (श्रम रोजगार), अमेठी, जिला पंचायत राज अधिकारी, अमेठी, अधिशासी अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना व वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) सदस्य हैं। जांच प्रक्रियाधीन है। समिति की विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर सभी सम्बन्धितों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति हो, तो मैं एक अनुपूरक पूछना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, अमेठी जनपद के एक ग्राम सभा में बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार हुआ। 01 मार्च को मैने नियम-51 में एक सूचना दी थी। जब वहाँ जाँच हुई तो उसमें 259 आवास दिए गये थे, जिसमें 74 अपात्र पाये गये। उन पर एफ0 आई0 आर0 हुआ। 28 मार्च को मैंने पुनः जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा। और उस गाँव में बड़े भ्रष्टाचार की जानकारी मुझे हुई और जिलाधिकारी द्वारा एक पाँच सदस्यीय टीम बनायी गयी जिसमें 15 दिन में सम्पूर्ण ग्राम पंचायत की जाँच करने की बात कही गयी और मुझे भी उसकी कॉपी देकर अवगत कराया गया। माननीय अध्यक्ष जी, एक सड़क पर 09 लाख रुपये निकाल लिया गया और एक रुपये का काम नहीं हुआ। 02 करोड़ 63 लाख रुपये आज साल में केवल नल मरम्मत और खड़न्जा मरम्मत के नाम पर निकाल लिया गया है। लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये का पिछले 15 साल में इस ग्राम पंचायत में घोटाला हुआ है। स्थिति यह है कि उस ग्राम पंचायत में कोई जाँच करने के लिए नहीं जाता और जब जाता है तो पी0ए0सी0 ले करके जाता है, स्थानीय पुलिस नहीं जाती है पी0ए0सी0 के साथ ही जाते हैं। एक तरफ हम यह कहते हैं कि अपराध व अपराधी खत्म हो गये, दूसरी तरफ एक ग्राम पंचायत में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है

और कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कार्रवाई के नाम पर केवल दो एफ0आई0आर0 कर दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपको जो उत्तर प्राप्त हुआ है उसमें क्या गलत है, यह बताईये ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ। एफ0आई0आर0 दो कर दिये गये, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, केवल एफ0आई0आर0 करके पाँच महीने से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। धारा 467, 468, 409 के मुकदमें में, जिसमें आजीवन सजा का प्रावधान है। यह भी नहीं कि सात साल से कम की सजा हो, आजीवन सजा वाले मुकदमें लिखे जाते हैं लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती है। तो मैं आपके माध्यम से केवल सरकार से इतना माँग करता हूँ कि यह निश्चित करें और केवल ग्राम्य विकास विभाग नहीं, पंचायती राज विभाग और ग्राम्य विकास विभाग दोनों की संयुक्त टेक्निकल टीम टीम बना करके उच्चाधिकारियों के साथ जाँच करा देंगे और जाँच कराकर रिकवरी करते हुए कार्रवाई करा देंगे, केवल सरकार इतना बता दे ?

ग्राम विकास, समग्र ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम)-

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि वहाँ पर इतना करप्शन हुआ है और अपात्र मिले हैं। इसकी जाँच हुई है और एफ0आई0आर0 भी की गयी है और जाँच कमेटी गठित करके उसकी सूचना माननीय सदस्य को भेज दी गयी है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका जवाब दें कि जिस कमेटी ने पहले 74 अपात्र पाया था, दोबारा जाँच करके वही कमेटी पुनः 49 और अपात्र निकालती है। मैने सूचना में लिखा था कि अपात्रों को आवास दे दिया गया है, पात्रों को छोड़ दिया गया है। आपके जवाब में कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि कितने पात्र उस गाँव में छूट गये हैं। एक बार 74 अपात्र पाये गये, मैंने पत्र लिखा उस पर जाँच कमेटी बनी उसमें 49 और अपात्र पाये गये तो अपात्र तो निकल रहे है लेकिन पात्र कितने छूट रहे हैं और जो अभी भी बचे हैं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पर ज्यादातर अपात्रों को आवास दिया गया है। वहाँ पर एक वृहद स्तर पर जाँच की जरूरत है और जब तक शासन स्तर से टेक्निकल कमेटी बनाकर जाँच नहीं करायी जायेगी, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा।

श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रधानमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना में 2011 की जनगणना के अनुसार ऑन लाइन फार्म भरे गये थे और जिन लोगों ने फार्म भरा

था वे लोग सूची में आये थे। जो गड़बड़ियाँ थीं और ग्राम सचिव जाँच नहीं कर पाये तथा जिन गड़बड़ियों का उल्लेख आपने किया, आपके द्वारा पता चला, उन गड़बड़ियों पर जाँच हो रही है और जिन लोगों को पैसा दे दिया गया था उनसे पैसा रिटर्न कराया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप आश्वस्त रहें, यह योगी राज है, इसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। आप जाँच कमेटी से आश्वस्त रहें, निश्चित रूप से इसका निराकरण निकलेगा।

प्रदेश के आयुष विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में डॉ0 रागिनी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर आयुष मंत्री का वक्तव्य

आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु'')-

मान्यवर, उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(आयुष मंत्री का वक्तव्य, उन्होंने ही दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री दयाशंकर मिश्र ''दयालु''-

[ज्ञाप संख्या-3461/96-आयुष-2-2017-158/2016 टी0सी0, दिनॉक 04 दिसम्बर, 2017 द्वारा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों से वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु 126 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (ज्येष्ठता कमांक 1466 तक) को अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान किया गया।

उक्त शिथिलीकरण के फलस्वरूप निदेशालय होम्योपैथिक द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर शासन द्वारा विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की गयी। विभागीय चयन समिति की संस्तुतियों के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-46/2018/ 505/ 96-आयुष-2-2018-158/2016 टी0सी0, दिनॉक 30 मार्च, 2018 द्वारा चयन वर्ष 2017-18 में रिक्त पदों के सापेक्ष 102 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को उप निदेशक/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गयी। इस प्रकार होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के ज्येष्ठता क्रमांक-1445 तक की पदोन्नति शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30 मार्च, 2018 द्वारा की जा चुकी है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निदेशालय, होम्योपैथिक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/96-आयुष-2-2019-158/2016 टी0सी0, दिनांक 25-01-2019 द्वारा चयन वर्ष 2018-19 हेतु 108 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों एवं शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2516/96-आयुष-2-2019-158/2016 टी0सी0, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 द्वारा पुनः 98 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों (ज्येष्ठता क्रमांक 1622 तक) की वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हेतु शिथिलीकरण प्रदान किया गया है।

निदेशालय के पत्र संख्या-नि0हो0/441/16/251, दिनांक 24 जनवरी, 2020 व पत्र संख्या-नि0हो0/441/16/2299, दिनांक 28 अगस्त, 2020 के माध्यम से होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया। तद्समय कोविड-19 एवं लॉकडाउन के दृष्टिगत पदोन्नति की कार्यवाही सम्पन्न नहीं हो सकी। तत्पश्चात् प्रश्नगत प्रकरण में शासन स्तर पर विचार-विमर्श के उपरान्त चयन वर्ष 2022-23 तक उपलब्ध कुल रिक्तियों को संकलित करते हुए होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक के पदों पर पदोन्नति हेतु शासन को प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-नि0हो0/441/16/4023, दिनांक 09 दिसम्बर, 2022 द्वारा 233 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है, जिस पर शासन के पत्र संख्या-1855/96-आयुष-2-2023-185/2022, दिनांक 17 मई, 2023 तथा पत्र संख्या-1940/23/96-आयुष-2-2023-185/2022, दिनांक 23 मई, 2023 द्वारा वांछित सूचना/आख्या के क्रम में निदेशालय के पत्र संख्या-नि0हो0/441/16/2156, दिनांक 30 मई, 2023 द्वारा आख्या/प्रस्ताव शासन को प्रेषित की गयी है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3-उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या-एम0एस0-27/96-आयुष-2-2023, दिनांक 21-07-2023 तथा पत्र संख्या-3113/96-आयुष-2-2023, दिनांक 2507-2023 द्वारा चयन वर्ष 2023-24 के सापेक्ष सभी पदों पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु निदेशक, होम्योपैथी को निर्देशित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।]

डॉ0 रागिनी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न आयुष मंत्री जी से वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी की पदोन्नति के बारे में था। मुझे सूचना प्राप्त हुई है, उनके अनुसार चयन वर्ष 2017-18 में 280 वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्साधिकारी के पद थे जो पदोन्नति हेतु रिक्त थे, उसमें नवम्बर, 2017 में 176 पद और मार्च, 2018 में 102 पद थे, जिनकी पदोन्नति हुई है, कुल 278 पद होते हैं। अभी भी 2 पद हैं, जिनकी रिक्तियों के सापेक्ष पात्रता में होने के बावजूद भी उनका

वरिष्ठता क्रमांक 1445 और 1446 है, जिनकी पदोन्नति नहीं हो पायी है। मैं पूछना चाहूंगी कि इसका क्या कारण है और साथ ही साथ यह कब तक होगा ? ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु प्रस्ताव होम्योपैथी निदेशालय से शासन को कई बार भेजा जा चुका है। जुलाई, 2022 में, दिसम्बर, 2022 में, और जनवरी, 2023 में गया है, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा 1 मई, 2023 को संस्तुति भी प्रदान की गयी है परन्तु आज तक स्वीकृति आदेश नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहती हूं कि ए0सी0पी0 के बारे में कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

मान्यवर, जैसा मा0 सदस्या ने कहा कि चयन वर्ष 2017-18 में 102 एम0ओ0 को एस0एम0ओ0 बनाया गया, यह 30 मार्च, 2018 को हुआ फिर चयन वर्ष 2018-19 के सम्बन्ध में 24-10-2019 को डी0पी0सी0 की बैठक हुई, जिनमें कार्मिक विभाग के सदस्य के द्वारा पूर्व में छूटे हुए एम0ओ0 और सुस्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में दिव्यांगजनों के लिए पद आरक्षित करने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव महोदय दिव्यांगजन की अध्यक्षता में दिनांक 10-02-2020 को बैठक हुई, जिसमें दिव्यांगजन हेतु कोटा आरक्षित करने का परामर्श दिया गया। उक्त के बाद कार्यवाही प्रक्रियाधीन रही फिर 20 मार्च, 2020 से कोविड-19 की प्रक्रिया तथा लॉकडाउन के चलते डी0पी0सी0 सम्पन्न नहीं हो पायी। चयन वर्ष 2022-23 में निदेशक होम्योपैथी के द्वारा 09-12-2022 को 233 पदों के पदोन्नति का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसमें कुछ त्रुटियां थीं, उनके क्रम में सम्बन्धित विभागों से परामर्श प्राप्त करके पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है। इसी अगस्त माह के अन्तिम सप्ताह में डी0पी0सी0 लगी हुई है, जिसमें 233 लोगों का चयन हो जाएगा फिर हमारे पास अगले वर्ष 2023 और 2024 में मात्र 15 रिक्तियां हमारे पास शेष रह जायेंगी।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संतुष्ट हैं ?

डॉ0 रागिनी-

मान्यवर, इसके साथ में मैंने पूछा है कि 05-11-2019 के उपरान्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय ए0सी0पी0 की स्वीकृति नहीं की गयी है, उसकी स्वीकृति कब तक की जाएगी ?

श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु'-

मान्यवर, अगस्त लास्ट तक कर लेंगे और उसके बाद विभाग में कोई रिक्ति शेष नहीं रह जाएगी।

डॉ0 रागिनी-

मा0 मंत्री जी मैनें दो क्रमांक बोले हैं, 1445 और 1446 आपके अनुसार इसको अगस्त तक इन्क्लूड करके इनकी पदोन्नति की जाएगी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

जनपद सहारनपुर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, जनपद सहारनपुर यमुना नदी के बाँयें किनारे पर स्थित है। जनपद सहारनपुर में यमुना नदी...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[लगभग 96.00 किमी0 लम्बाई में प्रवाहित होती है। जनपद सहारनपुर के ग्राम सौधेबांस, ग्यासुद्दीनपुर व ढिक्का टपरी यमुना नदी के दाँयें किनारे पर स्थित है, जनपद का शेष समस्त क्षेत्र यमुना नदी के बाँयें किनारे पर स्थित है। विधान सभा क्षेत्र नकुड में यमुना नदी लगभग 46.00 किमी0 लम्बाई में प्रवाहित होती है। वर्षाकाल में बाढ़ के समय यमुना नदी की सहायक 23 बरसाती नदियां अत्यधिक बाढ़ का पानी लेकर प्रवाहित होती है। यमुना नदी के दाँयें व बाँयें किनारे पर स्थित ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने के लिए 27 अदद् तटबन्ध जिनकी कुल लम्बाई 87.794 कि0मी0 एवं कटाव निरोधक बोल्डर स्टड, स्पर इत्यादि बाढ़ से सुरक्षात्मक कार्य निर्मित हैं, जिनसे बाढ़ के समय क्षेत्रवासियों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान होती है। वर्ष 2023 की वर्षाकाल में दिनांक 11-07-2023 में हथिनीकुण्ड बैराज से 359760 क्यूसेक डिस्चार्ज प्रवाहित हुआ। माह जून-जुलाई 2023 में 620.00 एम0एम0 वर्षा दर्ज की गयी है, जोकि इन दो माह में विगत कई वर्षों की सर्वाधिक वर्षा है। विदित हो कि यमुना नदी वर्षाकाल में अपने विस्तृत जलागम क्षेत्र उत्तराखण्ड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का सरफेस रन ऑफ (surface run off) लेकर प्रवाहित है। वर्ष 2023 के माह जुलाई में इस सम्पूर्ण परिक्षेत्र में अत्यधिक वर्षा हुयी जिस कारण से बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न हुयी है। बाढ़ की इस विभीषिका में जनपद सहारनपुर के समस्त तटबन्ध सुरक्षित रहे एवं क्षेत्रवासियों को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान हुयी।

अतिवृष्टि के कारण किसान, व्यापारी मजदूर समस्त क्षेत्र में हुई हानि का आंकलन आदि राजस्व विभाग द्वारा कराया जाता है।]

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के नगर निगम, सहारनपुर क्षेत्र के अन्तर्गत सीवर लाइन सफाई एवं नये सीवर लाइन का कार्य सही ढंग से कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुम्बर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इनके जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर.....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[का रख-रखाव, संचालन आदि का कार्य पूर्व में स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराया जाता था, परन्तु उससे न तो पूरे सिस्टम का इन्टीग्रेटेड तरीके से रख-रखाव हो पाता था और न ही दक्ष कंपनियों को ही उक्त कार्य में लगाया जाता था। उक्त कार्य में बिना पूर्ण सुरक्षा के अप्रशिक्षित श्रमिकों को लगाये जाने से दुर्घटनाएं एवं कभी-कभी जनहानि भी होती थी। उक्त के दृष्टिगत वन सिटी वन ऑपरेटर सिद्धांत के तहत प्रदेश में नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन एस0टी0पी0 व इनसे जुड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर के दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन एवं प्रबन्धन का कार्य इस क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों से कराये जाने का मत स्थिर किया गया, ताकि जनसामान्य को सीवरेज की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके एवं सीवर सफाई से होने वाली दुर्घटनाओं को भी रोका जा सके।

वन सिटी वन ऑपरेटर सिद्धांत के तहत सहारनपुर में एस0टी0पी0 व इनसे सम्बन्धित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट, पम्पिंग स्टेशन, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टेपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवर नेटवर्क के संचालन व रख-रखाव का कार्य अनुबन्ध संख्या-09/SGRCA/2017-18/(OM&M)/Contract Package-8, Zone Ghaziabad के द्वारा M/s VA Tech Wabag Ltd., Chennai कम्पनी को दिनांक 16-12-2019 को हस्तान्तरण किया गया, जिसके उपरान्त कम्पनी द्वारा सहारनपुर नगर में सीवर सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। उक्त फर्म द्वारा समस्त प्रकार के सुरक्षा उपकरणों यथा (सैफ्टी हैलमेट, सैफ्टी बेल्ट, हैण्ड ग्लव्स, सैफ्टी जैकिट, गमबूट, आक्सीजन सिलिंडर, फेस मास्क, गैस डिटेक्टर, स्काबा यूनिट, ट्राईपोर्ड, आदि) का उपयोग कर सीवर सफाई का कार्य सफाई मित्रों द्वारा कराया जा रहा है।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फर्म द्वारा सीवर नेटवर्क के रख-रखाव हेतु 40 सीवर सफाई मित्र, 2 डिप्लोमा होल्डर इन्जीनियर एवं एक सुरक्षा अधिकारी तैनात किया गया है। सुरक्षा अधिकारी द्वारा सफाई मित्रों को सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी एवं ट्रेनिंग दी जाती है। गहरे मेनहोलों की सफाई मशीनों द्वारा करायी जाती है।

वर्तमान में सीवर सफाई से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण कंपनी द्वारा किया जा रहा है, किन्तु कुछ शिकायतें सीवर लाइन डालने के लिए प्राप्त होती है, परन्तु नई सीवर लाइन डाला जाना इसलिए सम्भव नहीं हो पाता है कि अतिरिक्त नई सीवर लाइन का डिस्पोजल एस0टी0पी0 के माध्यम से ही किया जाना सम्भव होगा और वर्तमान में सहारनपुर में स्थापित मात्र एक एस0टी0पी0 (क्षमता 38 एम0एल0डी0) पूर्व से ही पूर्ण क्षमता पर संचालित है। अतः नई सीवर लाइन डालने सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण कंपनी द्वारा नहीं किया जाता है। नमामि गंगे परियोजना के अन्तर्गत सहारनपुर नगर हेतु 135 एम0एल0डी0 क्षमता के एक एस0टी0पी0 निर्माण हेतु धनराशि रु0 577.23 करोड़ स्वीकृत है, जिसकी निविदा की कार्यवाही प्रचलित है। उक्त एस0टी0पी0 के निर्माण के पश्चात् ही नई सीवर लाइन डाले जाने सम्बन्धी शिकायतों का निस्तारण हो सकेगा। वर्तमान में केवल उन्हीं शिकायतों का निस्तारण कम्पनी द्वारा किया जा रहा है, जहां पर पूर्व से बिछी सीवर लाइन चोक/क्षतिग्रस्त होती है।

सीवर से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त करने हेतु M/s VA Tech Wabag Ltd., Chennai के द्वारा एक ही टोल फ्री नम्बर 1800313797979 प्रसारित किया गया है, जिसके माध्यम से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर पिलखुवा, लोनी, अनूपशहर, बिजनौर एवं रामपुर से भी शिकायतें प्राप्त होती है। टोल फ्री नम्बर मिलाने पर एक के बाद एक शहर का नम्बर आता है, जिससे शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज कराने में समस्या होती है। इसके समाधान के लिए कम्पनी को सहारनपुर शहर के लिए एक अलग से टोल फ्री नम्बर/कन्ट्रोल नम्बर जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। कम्पनी द्वारा अवगत कराया गया है कि 15 दिन के अन्दर सहारनपुर शहर के लिए अलग से एक नया टोल फ्री नम्बर चालू करा दिया जायेगा।

पूर्व में सीवर सम्बन्धी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतों को निस्तारण करने में अपेक्षाकृत विलम्ब होता था, किन्तु नगर निगम, सहारनपुर द्वारा कम्पनी को कड़े निर्देश दिये जाने एवं लगातार मॉनिटरिंग किये जाने से सुधार हुआ है।]

जनपद जौनपुर के जिला पंचायत में दिनांक 03-07-2021 से वर्तमान तक किये गये अधोमानक कार्यों के भुगतान की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 41 पर सरकार ने अनुरोध किया है कि हम इसका उत्तर पुनः देंगे इसलिए हम इसे परसों लगायेंगे तब तक इस वक्तव्य को स्थगित किया जाता है।

जनपद कानपुर नगर के बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित विषधन-अर्मापुर फोर लेन मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, विषधन नहर पटरी होते हुए अर्मापुर तक मार्ग को 04 लेन किये जाने की वर्तमान...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[में कोई योजना नहीं है। प्रस्तावित मार्ग पूर्व एन0एच0-91 (वर्तमान में एन0एच0-34 कानपुर से कन्नौज होते हुये गाजियाबाद दिल्ली) के समानान्तर एवं कुछ ही दूरी पर है।

पूर्व एन0एच0-91 (वर्तमान में एन0एच0-34) पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निकट अरौल से राम नगर, तहसील बिल्हौर, कानपुर तक 04 लेन चौड़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करा दिया गया है एवं वर्तमान में ट्रैफिक सुचारु रूप से चल रहा है।

कानपुर नगर एवं बिल्हौर विधान सभा क्षेत्र के चारों विकास खण्ड पूर्व से ही 02 लेन मार्ग से जुड़े हुये हैं एवं यातायात हेतु सुगम है।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ में कतिपय राजकीय इण्टर कॉलेजों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीकान्त कटियार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह)-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अपर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा अपने पत्र दिनांक 23-06-2023 के...

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[माध्यम से अवगत कराया गया है कि केन्द्र पुरोनिधानित समग्र शिक्षा (माध्यमिक) (पूर्ववर्ती-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उ0प्र0) के केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये गये दिशा-निर्देशों तथा मानक के अनुरूप ऐसे क्षेत्रों में जहां पर 07-10 किमी0 की परिधि में इण्टरमीडिएट की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, वहां हाई स्कूल को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट की कक्षाओं की संकल्पना है।

4-जनपद उन्नाव के 162 विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिकारीपुर पतसिया के मजरा रतईपुरवा, ग्राम पंचायत जाजमऊ एवं ग्राम पंचायत माढ़ापुर से 10 किमी0 की परिधि में आने वाले राजकीय विद्यालय/सहायता प्राप्त/वित्त विहीन विद्यालयों का विवरण :-

1-ग्राम सभा भिखारीपुर पतसिया

क्र0-सं0	उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित विद्यालय का नाम	निकटतम विद्यालय का विवरण			अभ्युक्ति
		विद्यालय का नाम	दूरी (किमी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त)	
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत भिकारीपुर पतसिया के मजरा रतईपुरवा	विशम्भर दयाल इण्टर कालेज, खेतलपुरवा, उन्नाव	05 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		जय किशान इण्टर कालेज, टिलियनपुरवा, उन्नाव	05 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4	5	6
		राधाकृष्ण इण्टर कालेज शाहीपुर सगौरा, उन्नाव	07 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		स्व0 रामा शंकर दीक्षित बालिका इण्टर कालेज, सिरधरपुर, उन्नाव	06 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज

2-ग्राम सभा--जाजमऊ

क्र0-सं0	उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित विद्यालय का नाम	निकटतम विद्यालय का विवरण			अभ्युक्ति
		विद्यालय का नाम	दूरी (किमी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/अनुदानित/मान्यता प्राप्त)	
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत जाजमऊ	जयदेवी सुन्दर लाल इण्टर कालेज, गुरदीनखेड, उन्नाव	2.5 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		जनता इण्टर कालेज, राजेपुर उन्नाव	05 किमी0	अशासकीय सहायता प्राप्त	इण्टर कालेज

1	2	3	4	5	6
		डॉ0 बीजेन्द्र सुशील इण्टर कालेज, दुगवा, उन्नाव	06 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		बबा सघुदास इण्टर कालेज, सकतपुर, औरागाबाद, उन्नाव	06 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		सुरजन देवी छोटेलाल इण्टर कालेज, आख्यारपुर, उन्नाव	05 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज

3-ग्राम सभा-माढ़ापुर

क्र0-सं0	उच्चीकरण हेतु प्रस्तावित विद्यालय का नाम	निकटतम विद्यालय का विवरण			अभ्युक्ति
		विद्यालय का नाम	दूरी (किमी0)	विद्यालय का प्रकार (राजकीय/ अनुदानित/ मान्यता प्राप्त)	
1	2	3	4	5	6
1	ग्राम पंचायत माढापुर	रानी साहब लाल इण्टर कालेज, माढ़ापुर उन्नाव	01 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		पी0आर0एम0 एस0 इण्टर कालेज, पपरिया उन्नाव	02 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज

1	2	3	4	5	6
		आर0एस0 यादव इण्टर कालेज, हुसेपुर, उन्नाव	2.5 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज
		जनता इण्टर कालेज, राजेपुर, उन्नाव	03 किमी0	अशासकीय सहायता प्राप्त	इण्टर कालेज
		सुभाष इण्टर कालेज, बांगरमऊ, उन्नाव	05 किमी0	वित्तविहीन	इण्टर कालेज

5-तद्क्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक उन्नाव की आख्या दिनांक 22 जून, 2023 के अनुसार 162 बांगरमऊ विधान सभा क्षेत्र, जनपद उन्नाव के ग्राम पंचायत भिकारीपुर पतसिया के मजरा रतईपुरवा में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु (ब्लाक गंजमुरादाबाद), ग्राम पंचायत जाजमऊ में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु (ब्लाक एफ-84), ग्राम पंचायत माढ़ापुर में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु (ब्लाक-बांगरमऊ) समग्र शिक्षा (माध्यमिक) के दिशा निर्देशों एवं मानकानुसार संतृप्त है। अतः उक्त के दृष्टिगत उक्त ग्राम पंचायतों में राजकीय इण्टर कालेजों का निर्माण कराये जाने की योजना वर्तमान में नहीं है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम कल 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 06 बजकर 24 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 09 अगस्त, 2023 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-05 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-25 पर)

प्रीएम स्वनिधि योजनान्तर्गत जनपदवार वितरित ऋण का विवरण (11.07.2023)					
क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम ऋण (रू.10,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	द्वितीय ऋण (रू.20,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	तृतीय ऋण (रू.50,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	कुल वितरित ऋण (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)
1	AGRA	41,640	14,538	527	56,705
2	ALIGARH	32,390	9,612	689	42,691
3	AMBEDKAR NAGAR	6,510	2,135	56	8,701
4	AMETHI	2,079	850	61	2,990
5	AMROHA	11,389	3,858	110	15,357
6	AURAIYA	3,822	1,310	35	5,167
7	AYODHYA	10,566	2,651	173	13,390
8	AZAMGARH	9,074	2,066	101	11,241
9	BAGHPAT	8,270	2,372	76	10,718
10	BAHRAICH	7,266	1,750	119	9,135
11	BALLIA	7,301	1,903	78	9,282
12	BALRAMPUR	3,078	1,060	35	4,173
13	BANDA	6,293	1,844	88	8,225
14	BARABANKI	7,546	1,947	100	9,593
15	BAREILLY	33,941	9,782	471	44,194
16	BASTI	5,593	1,403	34	7,030
17	BHADOHI	6,139	1,345	39	7,523
18	BIJNOR	16,467	4,795	226	21,488
19	BUDAUN	12,337	3,713	188	16,238
20	BULANDSHAHR	16,397	4,612	167	21,176
21	CHANDAULI	3,268	994	40	4,302
22	CHITRAKOOT	2,695	1,214	108	4,017
23	DEORIA	9,097	2,908	112	12,117
24	ETAH	6,493	1,418	127	8,038
25	ETAWAH	7,234	1,698	85	9,017
26	FARRUKHABAD	10,344	2,723	227	13,294
27	FATEHPUR	6,734	1,131	80	7,945
28	FIROZABAD	24,228	4,257	83	28,568
29	G B NAGAR	3,559	1,322	34	4,915
30	GHAZIABAD	45,968	11,358	334	57,660
31	GHAZIPUR	6,143	1,738	75	7,956
32	GONDA	5,428	1,575	48	7,051
33	GORAKHPUR	26,970	7,395	215	34,580
34	HAMIRPUR	4,938	1,259	96	6,293
35	HAPUR	8,087	2,026	110	10,223
36	HARDOI	10,128	2,435	233	12,796
37	HATHRAS	7,171	1,891	136	9,198
38	JALAUN	6,890	1,509	50	8,449
39	JAUNPUR	9,810	2,979	147	12,936
40	JHANSI	22,833	7,008	208	30,049
41	KANNAUJ	6,097	2,372	66	8,535
42	KANPUR DEHAT	3,860	971	34	4,865
43	KANPUR NAGAR	73,603	22,013	702	96,318
44	KASGANJ	6,771	1,644	118	8,533

क्र.सं.	जनपद का नाम	प्रथम ऋण (रू.10,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	द्वितीय ऋण (रू.20,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	तृतीय ऋण (रू.50,000) वितरित वेण्डर्स की संख्या	कुल वितरित ऋण (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)
45	KAUSHAMBI	4,931	995	82	6,008
46	LAKHIMPUR KHIRI	7,318	1,957	160	9,435
47	KUSHI NAGAR	8,163	1,645	64	9,872
48	LALITPUR	3,958	1,015	48	5,021
49	LUCKNOW	85,750	29,020	1,376	1,16,146
50	MAHARAJGANJ	5,594	1,480	108	7,182
51	MAHOBA	4,036	1,157	105	5,298
52	MAINPURI	5,599	1,644	59	7,302
53	MATHURA	21,728	5,889	191	27,808
54	MAU	9,456	3,079	93	12,628
55	MEERUT	40,222	11,016	396	51,634
56	MIRZAPUR	6,575	2,037	112	8,724
57	MORADABAD	29,041	7,148	261	36,450
58	MUZAFFARNAGAR	11,322	4,028	103	15,453
59	PILIBHIT	6,967	2,296	98	9,361
60	PRATAPGARH	5,225	1,221	65	6,511
61	PRAYAGRAJ	37,250	14,574	539	52,363
62	RAE BARELI	7,560	2,644	295	10,499
63	RAMPUR	12,608	2,978	117	15,703
64	S K NAGAR	2,723	920	27	3,670
65	SAHARANPUR	22,841	7,067	268	30,176
66	SAMBHAL	8,547	2,606	109	11,262
67	SHAHJAHANPUR	15,925	4,657	132	20,714
68	SHAMLI	7,528	2,190	151	9,869
69	SHRAVASTI	1,201	304	45	1,550
70	SIDDHARTH NAGAR	3,883	1,150	48	5,081
71	SITAPUR	10,014	2,446	88	12,548
72	SONBHADRA	3,692	868	24	4,584
73	SULTANPUR	3,184	1,233	112	4,529
74	UNNAO	11,661	3,924	288	15,873
75	VARANASI	40,555	16,969	564	58,088
	Grand Total	**10,11,504**	**2,99,541**	**12,969**	**13,24,014**

नत्थी (ख)

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या-06 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-29 पर)

विद्युत दरों का तुलनात्मक विवरण (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23) संलग्नक-1

क्र0 अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर दैनिक आदेश विवरण (2016-17)		अनुमोदित दर दैनिक आदेश विवरण (2022-23)		वृद्धि
एसएमएस-1	घरेलू शहरी, पंखा					
	क-शहरीय आबादी					
	(i) मीटर सहित संयोजन					
	किलो चार्ज			रु 500 प्रति विद्युत प्रति माह		150%
	2 विद्युत माह तक	रु 200 प्रति विद्युत प्रति माह				
	2 विद्युत से अधिक	रु 300 प्रति विद्युत प्रति माह				
	(ii) मीटर सहित संयोजन					
	किलो चार्ज	रु 50 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 90 प्रति विद्युत प्रति माह		80%
	इनर्जी चार्ज	रु 2.20 प्रति यूनिट				
	प्रथम 100 यूनिट/माह तक			रु 3.35 प्रति यूनिट		52%
	अगले 101 से 150 यूनिट/माह तक			रु 3.85 प्रति यूनिट		75%
	अगले 150 से 300 यूनिट/माह तक			रु 5.00 प्रति यूनिट		127%
	300 यूनिट/माह से अधिक			रु 5.50 प्रति यूनिट		150%
	ख-विशेष प्रयोजन बाला लोड					
	किलो चार्ज	रु 85 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 110 प्रति विद्युत प्रति माह		29%
	इनर्जी चार्ज	रु 5.50 प्रति यूनिट		रु 7.00 प्रति यूनिट		27%
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन (कृषी के लिए)					
	किलो चार्ज	रु 90 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 110 प्रति विद्युत प्रति माह		22%
	इनर्जी चार्ज	प्रथम 100 यूनिट/माह तक	रु 4.40 प्रति यूनिट	प्रथम 100 यूनिट/माह तक	रु 5.50 प्रति यूनिट	25%
		अगले 101 से 300 यूनिट/माह तक	रु 4.80 प्रति यूनिट	अगले 101 से 150 यूनिट/माह तक	रु 5.50 प्रति यूनिट	25%
		अगले 301 से 600 यूनिट/माह तक	रु 5.60 प्रति यूनिट	अगले 151 से 300 यूनिट/माह तक	रु 6.00 प्रति यूनिट	25%
		600 यूनिट/माह से अधिक	रु 6.20 प्रति यूनिट	300 यूनिट/माह से अधिक	रु 6.50 प्रति यूनिट	5%
	घ- लघु उद्योग प्रयोजन	1.5 कि.वा. भार तक 150 यूनिट/माह प्रयोजन तक		1.0 कि.वा. भार तक 100 यूनिट/माह प्रयोजन तक		
	किलो चार्ज	रु 50 प्रति विद्युतप्रति माह		रु 50 प्रति विद्युतप्रति माह		0%
	इनर्जी चार्ज	0-50 यूनिट/माह तक	रु 3.00 प्रति यूनिट	0-50 यूनिट/माह तक	रु 3.00 प्रति यूनिट	30%
		51-150 यूनिट/माह तक	रु 3.80 प्रति यूनिट	51-100 यूनिट/माह तक	रु 3.80 प्रति यूनिट	-13%
एसएमएस-2	वाणिज्यिक बाती, पंखा					
	क-शहरीय आबादी					
	(i) मीटर सहित संयोजन					
	किलो चार्ज	रु 600 प्रति विद्युत प्रति माह				
	(ii) मीटर सहित संयोजन					
	किलो चार्ज	रु 40 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 150 प्रति विद्युत प्रति माह		66%
	इनर्जी चार्ज	रु 3.50 प्रति यूनिट		रु 5.50 प्रति यूनिट		57%
	ख-निजी विज्ञापन/साइन बोर्ड/साइन पोस्ट/नली साइन/मोबाइल					
	मीटर सहित संयोजन					
	इनर्जी चार्ज	रु 18.00 प्रति यूनिट				
	भूस्थान चार्ज	रु 1000 प्रति विद्युत प्रति माह				
	ग-अन्य मीटर सहित संयोजन(मंत्री के लिए)					
	किलो चार्ज	2 विद्युत तक	रु 225/विद्युत/माह	4 विद्युत तक	रु 325/विद्युत/माह	47%
		2 विद्युत से 4 विद्युत तक	रु 275/विद्युत/माह	4 विद्युत तक	रु 325/विद्युत/माह	25%
		4 विद्युत से अधिक	रु 355/विद्युत/माह	4 विद्युत से अधिक	रु 450/विद्युत/माह	27%
	इनर्जी चार्ज	प्रथम 300 यूनिट/माह	रु 6.70 प्रति यूनिट	प्रथम 300 (4 विद्युत तक) यूनिट/	रु 7.50 प्रति यूनिट	12%
		अगले 301-1000 यूनिट/माह	रु 7.75 प्रति यूनिट	300 से अधिक (4 विद्युत तक) यूनिट/माह	रु 8.40 प्रति यूनिट	8%
		1000 यूनिट/माह से अधिक	रु 7.85 प्रति यूनिट	प्रथम 1000 (4 विद्युत तक) यूनिट/माह से अधिक	रु 7.50 प्रति यूनिट	-3%
				1000 (4 विद्युत तक) यूनिट/माह से अधिक से अधिक	रु 8.75 प्रति यूनिट	10%
	भूस्थान चार्ज	रु 600/विद्युत/माह(अधिक से विद्युत) एवं रु 275/विद्युत/माह(अनुमुख से भार)		रु 600/विद्युत/माह(अधिक से विद्युत) एवं रु 275/विद्युत/माह(अनुमुख से भार)		25%
एसएमएस-3	सार्वजनिक प्रकाश					
	(i) मीटर सहित संयोजन					
	ग्राम पंचायत	रु 1750 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 2300 प्रति विद्युत प्रति माह		34%
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रु 2600 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 3200 प्रति विद्युत प्रति माह		33%
	नगर निगम	रु 3500 प्रति विद्युत प्रति माह		रु 4200 प्रति विद्युत प्रति माह		20%
	(ii) मीटर सहित संयोजन					
	किलो चार्ज					
	ग्राम पंचायत	रु 130 प्रति विद्युतप्रति माह		रु 200 प्रति विद्युतप्रति माह		67%
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रु 150 प्रति विद्युतप्रति माह		रु 250 प्रति विद्युतप्रति माह		67%
	नगर निगम	रु 160 प्रति विद्युतप्रति माह		रु 250 प्रति विद्युतप्रति माह		56%
	इनर्जी चार्ज					
	ग्राम पंचायत	रु 5.75 प्रति यूनिट		रु 7.50 प्रति यूनिट		30%
	नगर पालिका/नगर पंचायत	रु 6.00 प्रति यूनिट		रु 8.00 प्रति यूनिट		33%
	नगर निगम	रु 6.25 प्रति यूनिट		रु 8.50 प्रति यूनिट		36%
एसएमएस-4	निजी एवं सार्वजनिक संस्थाऐं					
	क-सार्वजनिक संस्थाऐं	क- राज्य सरकार एवं उसके अधीन संस्थाऐं		क- राज्य सरकार एवं उसके अधीन संस्थाऐं		
	किलो चार्ज			रु 300 प्रति विद्युतप्रति माह		35%
		2 विद्युत तक	रु 220/विद्युत/माह			
		2 विद्युत से 4 विद्युत तक	रु 250/विद्युत/माह			
		4 विद्युत से अधिक	रु 340/विद्युत/माह			
	इनर्जी चार्ज	प्रथम 1000 यूनिट/माह तक		रु 8.35 प्रति यूनिट		11%

विद्युत दरों का तुलनात्मक विवरण (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23) संलग्नक-1

* क्र0 अनुसूची	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वित्तीय (2016-17)		अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वित्तीय (2022-23)		वृद्धि
	क-निजी संस्थाएँ	क- संस्थाएँ (ब के अतिरिक्त)		क- संस्थाएँ (ब के अतिरिक्त)		
	विकास शुल्क	3 किलोवाट तक	रू0 210/किलोवाट/माह	रू0 350 प्रति किलोवाटमाह माह		40%
		3 किलोवाट से 10किव	रू0 315/किलोवाट/माह	रू0 350 प्रति किलोवाटमाह माह		8%
	इनर्जी शुल्क	प्रथम 1000 यूनिट/माह तक	रू0 7.75 प्रति यूनिट	प्रथम 1000 यूनिट/माह तक	रू0 8.00 प्रति यूनिट	35%
		1000 यूनिट/माह से अधिक	रू0 7.85 प्रति यूनिट	1000 यूनिट/माह के अधिक	रू0 9.00 प्रति यूनिट	15%
एनएचएचटी-5	निजी नलकूप					
	क-ग्रामीण आपूर्ति					
	(i) मीटर सहित संयोजन					
	किलवाट शुल्क	रू0 100 प्रति मीटरवर्ग/माह		रू0 170 प्रति मीटरवर्ग/माह		70%
	अतिरिक्त लाईट लोड संयोजन	120 वाट		120 वाट		
	(ii) मीटर सहित संयोजन					
	किलवाट शुल्क	रू0 30 प्रति मीटरवर्ग/माह		रू0 70 प्रति मीटरवर्ग/माह		133%
	इनर्जी शुल्क	रू0 1.00 प्रति यूनिट		रू0 2.00 प्रति यूनिट		100%
	न्यूनतम शुल्क	रू0 75 प्रति मीटरवर्ग/माह		रू0 160 प्रति मीटरवर्ग/माह		113%
	(iii) अन्य सुविधा शुल्क					
	विकास शुल्क			रू0 70 प्रति मीटरवर्ग/माह		-
	इनर्जी शुल्क			रू0 1.65 प्रति यूनिट		-
	न्यूनतम शुल्क			रू0 140 प्रति मीटरवर्ग/माह		-
	ख-शहरी आपूर्ति					
	किलवाट शुल्क	रू0 75 प्रति मीटरवर्ग/माह		रू0 130 प्रति मीटरवर्ग/माह		73%
	इनर्जी शुल्क	रू0 5.20 प्रति यूनिट		रू0 6.00 प्रति यूनिट		15%
	न्यूनतम शुल्क	रू0 160 प्रति मीटरवर्ग/माह		रू0 215 प्रति मीटरवर्ग/माह		34%
		पूर्वोत्तरवर्ग क्षेत्र में उपभोग के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अवमान मीटर स्थापित नहीं हो जाता है रू0 100/मीटरवर्ग/ माह भुगतान करना होगा।		पूर्वोत्तरवर्ग क्षेत्र में उपभोग के निजी नलकूप उपभोक्ताओं को अवमान मीटर स्थापित नहीं हो जाता है रू0 100/मीटरवर्ग/ माह भुगतान करना होगा।		
एनएचएचटी-6	लघु एवं मध्यम उद्योग					
	क-शहरी आपूर्ति					
	किलवाट शुल्क	4 किलोवाट तक	रू0 245/किलोवाट/माह	20 किलोवाट तक	रू0 280/किलोवाट/माह	18%
		4 किलोवाट से 8 किलोवाट तक	रू0 255/किलोवाट/माह	20 किलोवाट तक	रू0 280/किलोवाट/माह	14%
		8 किलोवाट से अधिक	रू0 315/किलोवाट/माह	20 किलोवाट से अधिक	रू0 280/किलोवाट/माह	5%
	इनर्जी शुल्क	1000 यूनिट/माह तक	रू0 7.00 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	20 किलोवाट तक	रू0 7.30 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	4%
		2000 यूनिट/माह तक	रू0 7.15 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	20 किलोवाट तक	रू0 7.30 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	1%
		2000 यूनिट/माह से अधिक	रू0 7.60 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	20 किलोवाट से अधिक	रू0 7.30 प्रति यूनिट (संपूर्ण उपभोग पर)	-4%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति का लागू विकास शुल्क एवं इनर्जी शुल्क पर 7.5 प्रतिशत की छूट मिल रही(सीओडी टैरिफ के अनुसार)।		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति का लागू विकास शुल्क एवं इनर्जी शुल्क पर 7.5 प्रतिशत की छूट मिल रही(सीओडी टैरिफ के अनुसार)।		
एनएचएचटी-7	जलकल					
	क-शहरी आपूर्ति					
	किलवाट शुल्क	रू0 250 प्रति किलोवाटमाह माह		रू0 375 प्रति किलोवाटमाह माह		50%
	इनर्जी शुल्क	रू0 7.95 प्रति यूनिट		रू0 8.50 प्रति यूनिट		7%
	मीटर सहित संयोजन			रू0 3300 प्रति मीटरवर्गमिमी माह		0%
	ख-ग्रामीण आपूर्ति	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति का लागू विकास शुल्क एवं इनर्जी शुल्क पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।		ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ताओं को शहरी आपूर्ति का लागू विकास शुल्क एवं इनर्जी शुल्क पर 7.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य।		
एनएचएचटी-8	राजकीय नलकूप					
	(i) मीटर सहित संयोजन					
	किलवाट शुल्क	रू0 200 प्रति मीटरवर्ग/माह		इस श्रेणी का एनएचएचटी-7 में विलय कर दिया गया है।		
	इनर्जी शुल्क	रू0 6.80 प्रति यूनिट				
	(ii) मीटर सहित संयोजन					
	किलवाट शुल्क	रू0 2500 प्रति मीटरवर्ग/माह				

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

(इं0 सी0 पी0 सिंह गौतम)
मुख्य अभियन्ता

विद्युत दरों का तुलनात्मक विवरण (वर्ष 2016–17 से वर्ष 2022–23)

संलग्नक–1

क्र0 सं0	उपभोक्ता श्रेणी	अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वित्त (2016–17)		अनुमोदित दर टैरिफ आदेश वित्त (2022–23)		वृद्धि
एलएमवी– 6	अस्थायी संयोजन					
	(1) मीटर रहित संयोजन					
	किलर चार्ज क. सार्वजनिक प्रकाश एवं उद्घोषणा (20कि.वा. तक एवं रू0 180/वित्तवर्ष/दिन प्रत्येक अतिरिक्त विस्तार) भार के लिए	₹ 3500 प्रति दिन		₹ 4350 प्रति दिन		39%
	ख. किलर चार्ज गेहूँ/सब्जियों में अस्थायी ट्यूबवेल (5कि.वा. तक)	₹ 300 प्रति दिन/ट्यूबवेल		₹ 562 प्रति दिन/ट्यूबवेल		87%
	ग. बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ऐसे निजी नलकूप उपभोक्ता जिनको सिंचाई की आवश्यकता नहीं परन्तु वे किसी है (यह नलकूप के यह मनमानी दर)			₹ 500 प्रति मैकेनाइजेशन माह		
	(2) मीटर सहित संयोजन					
	(i) व्यक्तिगत नलकूप निर्माण हेतु					
	किलर चार्ज			₹ 280 प्रति किलोवाटघंटा माह		
	इनर्जी चार्ज	₹ 7.00 प्रति यूनिट		₹ 8.00 प्रति यूनिट		14%
			तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वार्षिक लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त	तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वार्षिक लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त		
	(ii) अन्य					
	किलर चार्ज			₹ 300 प्रति किलोवाटघंटा माह		-
	इनर्जी चार्ज	₹ 7.00 प्रति यूनिट		₹ 8.00 प्रति यूनिट		14%
			तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वार्षिक लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त	तृतीय वर्ष से आगे के लिए: वार्षिक लागू दर तथा 10 प्रतिशत अतिरिक्त		
	न्यूनतम चार्ज	₹ 250 प्रति किलोवा/सप्ताह		₹ 450 प्रति किलोवा/सप्ताह		125%
एलएमवी–10	विभागीय उपभोक्ता					
		सभी उपभोक्ताओं पर एलएमवी–1 दर अनुसूची लागू होगी। हालांकि उपयोगी, इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को 'छूट' प्रदान करने के लिए अधिकृत है		इस श्रेणी की दरें एलएमवी–1 के उपभोक्ताओं की भांति होगी।		
एलएमवी–11	इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्जिंग					
	1. घरेलू उपभोक्ता			एलएमवी–1 से आच्छादित सभी घरेलू घरेलू उपभोक्ता अपने आवास पर अपनी इलेक्ट्रिक वेहिकल चार्ज करने के लिये अनुमन्य होंगे, इसमें इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर भार के समान जुड़े/अनुमोदित भार का उल्लंघन न होता हो।		
	2.सहभागिता इकाइयां (एलएमवी–1बी एवं एमएमवी–1 बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत)					
	एल. एम. वी– 1 बी.			किलावाट चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज–रू0 6.20 प्रति यूनिट		-
	एम. वी. – 1 बी.			किलावाट चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज–रू0 5.80 प्रति यूनिट		-
	3. सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन					-
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एल. टी.)			किलावाट चार्ज– शून्य, इनर्जी चार्ज– रू0 7.10 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		-
	सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (एम. टी.)			किलावाट चार्ज–शून्य, इनर्जी चार्ज– रू0 7.30 प्रति यूनिट, टी.ओ.डी. के साथ।		-
	4. अन्य उपभोक्ता			अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (एलएमवी–2, एलएमवी–4, एलएमवी–6, एलएमवी–7, एलएमवी–8 (बीटर), एलएमवी–8(ओपेक्स), एमवी–1, (एलएमवी–1बी एवं एमवी–1बी रेट शेड्यूल के अन्तर्गत सहभागिता इकाइयों को छोड़कर) एमवी–2, एमवी–3 और एमवी–4) से उनकी उपयोगिता श्रेणी के लिए लागू टैरिफ के अनुसार शुल्क लिया जाएगा या दूसरे शब्दों में ऐसे उपभोक्ताओं को अलग से विद्युत संयोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विद्युत उपभोक्ता अपने संयोजन के अन्तर्गत चार्जिंग कर सकते हैं, सभी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की भार के समान जुड़े/अनुमोदित भार का उल्लंघन न होता हो।		
एमवी–1	उद्योग सहित बल्क लोड					
	(क) व्यक्तिगत भार/निजी संस्थान/गैर घरेलू बल्क उपभोक्ता केवल उपभोक्ता केवल (16 जिला, एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11 के.वी. एवं अधिक विभव पर)					
	किलावाट चार्ज					
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	100 केवीएवा तक	रू0 320/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा तक	रू0 430/के.वी.ए./माह	34%
		100 केवीएवा से अधिक	रू0 300/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा से अधिक	रू0 420/के.वी.ए./माह	39%
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	100 केवीएवा तक	रू0 320/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा तक	रू0 400/के.वी.ए./माह	25%
		100 केवीएवा से अधिक	रू0 300/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा से अधिक	रू0 400/के.वी.ए./माह	33%
	इनर्जी चार्ज					
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 7.60/के.वी.ए.एच.	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 8.32/के.वी.ए.एच.	9%
		2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 7.00/के.वी.ए.एच.	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 8.32/के.वी.ए.एच.	3%
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 7.40/के.वी.ए.एच.	प्रथम 2500 के.वी.ए.एच./माह तक	रू0 8.12/के.वी.ए.एच.	10%
		2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 7.75/के.वी.ए.एच.	2500 के.वी.ए.एच./माह से अधिक	रू0 8.12/के.वी.ए.एच.	5%
	(ख) सार्वजनिक संस्थान हेतु (10कि.वा. एवं अधिक भार तथा एकल बिन्दु पर आपूर्ति 11के.वी. एवं अधिक विभव पर)					
	किलावाट चार्ज					
	आपूर्ति 11 के.वी. पर	100 केवीएवा तक	रू0 299/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा तक	रू0 380/के.वी.ए./माह	33%
		100 केवीएवा से अधिक	रू0 300/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा से अधिक	रू0 380/के.वी.ए./माह	27%
	आपूर्ति 33 के.वी. एवं अधिक पर	100 केवीएवा तक	रू0 245/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा तक	रू0 380/के.वी.ए./माह	24%
		100 केवीएवा से अधिक	रू0 300/के.वी.ए./माह	100 केवीएवा से अधिक	रू0 380/के.वी.ए./माह	20%

विद्युत दरों का तुलनात्मक विवरण (वर्ष 2016-17 से वर्ष 2022-23) संलग्नक-1

क्र0 अनुसूची	श्रेणी	अनुमोदित दर वित्तीय आदेश वित्तीय (2016-17)	अनुमोदित दर वित्तीय आदेश वित्तीय (2022-23)	वृद्धि
श्रेणी-2	बड़े एवं भारी उद्योग			
(क)	[illegible]			
	1. 11 केवीए आपूर्ति से नीचे की [illegible]			
1	नियत दर (रु0/केवीए/माह)	रु0 250/के.वी.ए./माह	रु0 320/के.वी.ए./माह	28%
1	ऊर्जा दर (रु0/केवीएच/एच)	रु0 6.85/के.वी.ए.एच	रु0 7.10/के.वी.ए.एच	7%
1	2. 11 केवीए [illegible] के लिए			
1	नियत दर (रु0/केवीए/माह)	रु0 240/के.वी.ए./माह	रु0 290/के.वी.ए./माह	21%
1	ऊर्जा दर (रु0/केवीएच/एच)	रु0 6.85/के.वी.ए.एच	रु0 6.80/के.वी.ए.एच	7%
1	3. 66 केवीए से अधिक एवं 132 केवीए तक विद्युत आपूर्ति पर			
1	नियत दर (रु0/केवीए/माह)	रु0 220/के.वी.ए./माह	रु0 270/के.वी.ए./माह	23%
1	ऊर्जा दर (रु0/केवीएच/एच)	रु0 6.15/के.वी.ए.एच	रु0 6.40/के.वी.ए.एच	4%
1	4.132 केवीए से अधिक विद्युत आपूर्ति पर			
1	नियत दर (रु0/केवीए/माह)	रु0 220/के.वी.ए./माह	रु0 270/के.वी.ए./माह	23%
1	ऊर्जा दर (रु0/केवीएच/एच)	रु0 6.05/के.वी.ए.एच	रु0 6.10/के.वी.ए.एच	1%
श्रेणी-3				
(क)	[illegible]			
(i)	नियत दर			
1	आपूर्ति 132 केवीए तक अधिक	रु0 340 प्रति केवीए0/माह	रु0 400 प्रति केवीए0/माह	18%
1	आपूर्ति 132 केवीए से कम	रु0 330 प्रति केवीए0/माह	रु0 400 प्रति केवीए0/माह	14%
1	आपूर्ति 132 केवीए से कम एवं 132 केवीए से अधिक			
(ii) 1	ऊर्जा दर (रु0/केवीएच/एच)	रु0 6.55 प्रति केवीएच/एच	रु0 8.50 प्रति केवीएच/एच	32%
1	आपूर्ति 132 केवीए तक अधिक	रु0 7.20 प्रति केवीएच/एच	रु0 8.50 प्रति केवीएच/एच	18%
1	आपूर्ति 132 केवीए से कम	रु0 725 प्रति केवीए0/माह	रु0 950 प्रति केवीए0/माह	31%
(iii)	भुगतान दर			
(iv)	पेंडो पेज			
(v) 1	नियत दर	रु0 125 प्रति केवीए0/माह	रु0 300 प्रति केवीए0/माह	140%
(vi) 1	ऊर्जा दर	रु0 5.68 प्रति केवीएच/एच	रु0 7.30 प्रति केवीएच/एच	30%
(vii) 1	भुगतान दर	रु0 600 प्रति केवीए0/माह	रु0 900 प्रति केवीए0/माह	50%
श्रेणी-4	निजी ट्यूबवेल			
(i) 1	नियत दर			
1	आपूर्ति 11 केवीए तक	रु0 290 प्रति केवीए0/माह	रु0 350 प्रति केवीए0/माह	21%
1	आपूर्ति 11 केवीए एवं 66 केवीए तक	रु0 280 प्रति केवीए0/माह	रु0 340 प्रति केवीए0/माह	21%
1	आपूर्ति 66 केवीए एवं 132 केवीए तक	रु0 270 प्रति केवीए0/माह	रु0 330 प्रति केवीए0/माह	22%
(ii)	ऊर्जा दर			
1	आपूर्ति 11 केवीए तक	रु0 7.40 प्रति केवीएच/एच	रु0 8.50 प्रति केवीएच/एच	15%
1	आपूर्ति 11 केवीए एवं 66 केवीए तक	रु0 7.25 प्रति केवीएच/एच	रु0 8.40 प्रति केवीएच/एच	16%
1	आपूर्ति 66 केवीए एवं 132 केवीए तक	रु0 7.05 प्रति केवीएच/एच	रु0 8.25 प्रति केवीएच/एच	17%
(iii)	भुगतान दर	रु0 800 प्रति केवीए0/माह	रु0 1125 प्रति केवीए0/माह	41%

(डी0 सी0 सिंह गौतम)
मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0) रस0

नत्थी (ग)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-51 पर)

वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में लोक निर्माण विभाग को आंवटित बजट एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशियों का विवरण

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष	पूँजीगत मद		राजस्व मद		कुल योग	
		बजट प्राविधान	व्यय की गयी धनराशि	बजट प्राविधान	व्यय की गयी धनराशि	बजट प्राविधान	व्यय की गयी धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2017-18	11613.31	5352.26	5874.46	5556.81	17487.77	10909.07
2	2018-19	14267.01	13750.17	6542.77	6259.97	20809.78	20010.14
3	2019-20	16199.00	13603.84	7385.82	6843.67	23584.82	20447.51
4	2020-21	14988.58	11982.73	11441.24	10816.84	26429.82	22799.57
5	2021-22	18616.53	12242.17	7817.42	6912.63	26433.95	19154.80
6	2022-23	21634.72	14088.18	8493.89	7352.35	30128.61	21440.53

नत्थी (घ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-27 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-63-64 पर)

रेट शिड्यूल 2023-24

उपभोक्ता श्रेणी		अनुमोदित दर वि0वि (2023-24)		
एल0एम0वी0-1	घरेलू बत्ती, पंखा			
	सब्सिडी रहित टैरिफ		सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क-	ग्रामीण आपूर्ति			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ताः संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह	–	रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट	रू0 3.00 प्रति यूनिट
(2)	अन्य उपभोक्ता			
	(i) अनमीटर्ड		–	
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 935 प्रति कि0वा0 प्रति माह	रू0 435 प्रति कि0वा0 प्रति माह	रू0 500 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	(ii) मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह	–	रू0 90 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	प्रथम 100 यूनिट/ प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 3.15 प्रति यूनिट	रू0 3.35 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/ प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 2.65 प्रति यूनिट	रू0 3.85 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/ प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 1.50 प्रति यूनिट	रू0 5.00 प्रति यूनिट
	300 यूनिट/माह से अधिक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 5.50 प्रति यूनिट
ख-	सिंगल प्वाइण्ट बल्क लोड			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.00 प्रति यूनिट		रू0 7.00 प्रति यूनिट
ग-	अन्य मीटर सहित संयोजन			
(1)	लाइफ लाइन उपभोक्ताः संविदाभार 1 कि0वा0 एवं उपभोग 100 यूनिट प्रति माह तक			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 50 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज (0-100 यूनिट)	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 3.50 प्रति यूनिट	रू0 3.00 प्रति यूनिट
(2)	अन्य मीटर सहित संयोजन (सभी भार के लिए)			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह		रू0 110 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज			
	प्रथम 100 यूनिट/ प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 5.50 प्रति यूनिट
	101 से 150 यूनिट/ प्रति माह तक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 1.00 प्रति यूनिट	रू0 5.50 प्रति यूनिट
	151 से 300 यूनिट/	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 0.50 प्रति	रू0 6.00 प्रति यूनिट

(शुभम अग्रवाल)
सहायक अभियन्ता (आर0एम0यू0)

(इं0 सी0 बी0 सिंह गौतम)
मुख्य अभियन्ता (आर0एम0यू0) स्टा0-1

	प्रति माह तक		यूनिट	
	300 यूनिट/ माह से अधिक	रू0 6.50 प्रति यूनिट	–	रू0 6.50 प्रति यूनिट

एल0एम0वी0–5	निजी नलकूप			
	सब्सिडी रहित टैरिफ		सब्सिडी एवं क्रॉस सब्सिडी	देय टैरिफ
क–	ग्रामीण आपूर्ति			
(i)	मीटर रहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 770 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 170 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(ii)	मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 670 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 4.50 प्रति यूनिट	रू0 2.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 760 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 160 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
(iii)	इनर्जी एफिशियेन्ट पम्प			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 670 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 70 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 4.85 प्रति यूनिट	रू0 1.65 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 740 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 600 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	रू0 140 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
ख–	शहरी आपूर्ति			
(i)	मीटर सहित संयोजन			
	फिक्स्ड चार्ज	रू0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	–	रू0 130 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.50 प्रति यूनिट	रू0 0.50 प्रति यूनिट	रू0 6.00 प्रति यूनिट
	न्यूनतम चार्ज	रू0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह	–	रू0 215 प्रति बी0एच0पी0 प्रति माह
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामसभा मे स्थित निजी नलकूप उपभोक्ताओं को, जबतक मीटर स्थापित नही हो जाता है, न्यूनतम राशि रू0 170/बीएचपी/माह का भुगतान करना होगा। रेगुलेटरी सरचार्ज, विद्युत कर एवं टैक्सेज इत्यादि अतिरिक्त देय होंगे।			

एल0एम0वी0–6	लघु एवं मध्यम उद्योग	
क–	शहरी आपूर्ति	
	फिक्स्ड चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	रू0 290 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	20 कि0वा0 से अधिक	रू0 290 प्रति कि0वा0 प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	
	20 कि0वा0 तक	रू0 7.30 प्रति यूनिट
	20 कि0वा0 से अधिक	रू0 7.30 प्रति यूनिट
	टाईम ऑफ द डे (% इनर्जी चार्ज)	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0

(शुभम अग्रवाल)
सहायक अभियन्ता (ई.सी.)

अधि[illegible]

([illegible])
मुख्य [illegible]

	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%

ख–	ग्रामीण आपूर्ति उपभोक्ता	
	ग्रामीण आपूर्तित उपभोक्ताओ को शहरी आपूर्ति पर लागू दर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी0 रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	
एच0वी0–2	बड़े एवं भारी उद्योग	
क–	शहरी आपूर्ति (बेस रेट एवं टी0ओ0डी0)	
1.	11 के.वी. विद्युत आपूर्ति तक	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 300 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 7.10 प्रति के.वी.ए.एच
2.	11 के.वी. से अधिक एवं 66 के0वी तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 290 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.80 प्रति के.वी.ए.एच
3.	66 के.वी. से अधिक एवं 132 के0वी तक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.40 प्रति के.वी.ए.एच
4.	132 के.वी. से अधिक विद्युत आपूर्ति पर	
	डिमाण्ड चार्ज	रू0 270 प्रति के.वी.ए. प्रति माह
	इनर्जी चार्ज	रू0 6.10 प्रति के.वी.ए.एच
	टाईम ऑफ द डे	
	गर्मियों हेतु (अप्रैल से सितम्बर)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	(-) 15%
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	0
	सर्दियों हेतु (अक्टूबर से मार्च)	
	05:00 से 11:00 बजे तक	0
	11:00 से 17:00 बजे तक	0
	17:00 से 23:00 बजे तक	(+) 15%
	23:00 से 05:00 बजे तक	(-) 15%
ख–	ग्रामीण आपूर्ति	
	ग्रामीण आपूर्ति केवल 11 के0वी0 तक के उपभोक्ताओ को ही अनुमन्य होगी। इस श्रेणी के उपभोक्ता को शहरी आपूर्ति पर लागू बेस रेट पर पर 7.5 प्रतिशत की छूट बिना टी0ओ0डी रेट के अनुमन्य। इस श्रेणी में कोई भी टी0ओ0डी0 दर लागू नहीं होगी।	

(शुभम अग्रवाल)
सहायक अभियन्ता (आर0ए0यू0)

([illegible])
अधीक्षण [illegible] (आर0ए0यू0)

(इं0 डी0 वी0 सिंह गौतम)
मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0) स्तर-1

नत्थी (ङ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-29 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-66 पर)

संख्या-2979/9-1-2016-426सा/14

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 6 अक्टूबर, 2016

विषयः- नगर पंचायत सृजन हेतु निर्धारित मानको का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2934/9-1-2014-426सा/14, दिनांक 28 अगस्त, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 28 अगस्त, 2014 को निरस्त करते हुए प्रदेश के किसी भी नगर, गॉव/उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को नगर पंचायत में परिवर्तित किये जाने हेतु निम्नलिखित मानक निर्धारित किये जाते है :-

(1). प्रस्तावित क्षेत्र की कुल वर्तमान जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में 20,000 तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(2) प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।

(3) प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा होना चाहिए।

(4) प्रस्तावित क्षेत्र में शहरी गुण यथा- पुलिस थाना, विकास खण्ड, आस-पास व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हेल्थ सेन्टर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

3. अतः किसी क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव का परीक्षण उपरोक्त मानकों के परिप्रेक्ष्य में किये जाय। **यदि प्रस्तावित क्षेत्र प्रस्तर-2 में उल्लिखित मानकों के आधार पर नगर पंचायत बनाने हेतु योग्य पाया जाए तो रूप-पत्र 1, 2, 3 एवं रूप-पत्र "ट" (प्रति संलग्न) में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपेक्षित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाय—**

(1) प्रस्तावित क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या तथा उसका घनत्व क्या है ?

(2) नगर पंचायत सृजन के फलस्वरूप आय तथा व्यय में कितनी वृद्धि होगी ?

(3) उक्त क्षेत्र में कौन-कौन से शहरी गुण विद्यमान हैं ?

(4) नगर पंचायत सृजन से उक्त क्षेत्र के निवासियों को क्या-क्या सुविधायें प्राप्त होगी ?

(5) प्रस्तावित नगर पंचायत में कितना कृषि क्षेत्र पड़ता है ?

(6) कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोगों का जीवन यापन कृषि पर आधारित है तथा कितने प्रतिशत अन्य व्यवसाय के लोग हैं ?

(7) प्रस्तावित क्षेत्र में क्या कोई स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे या उसका बाईपास पड़ता है ?

(8) प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाली लोक निहित सम्पत्ति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी ?

(9) प्रस्तावित नगर पंचायत का एक सम्यक् मानचित्र हो, जिसमें शामिल होने वाले ग्रामों/ मजरों को स्पष्ट अंकित किया गया हो तथा लाल रेखा से सीमा प्रदर्शित करते हुए सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा संख्याओं को भी अंकित किया गया हो।

(10) नक्शे के अनुरूप ही सीमा निर्धारण हेतु सीमा रेखा से अन्दर की ओर सटी हुयी गाटा संख्याओं का दिशावार विवरण (पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण) हिन्दी तथा अंग्रेजी में पृथक-पृथक दो-दो प्रतियों में उपलब्ध करायें। सीमा विवरण में दिशावार गाटा संख्याओं के समक्ष उनसे संबंधित ग्राम/मजरों के नाम का भी उल्लेख किया जाए।

4. कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण का परीक्ष[illegible]ते हुए [illegible]यतों के सृजन के संबंध में आ[illegible]र्ण प्रस्ताव शासन को उपल[illegible] जाना [illegible] किया [illegible] संलग्नक:यथो[illegible]

भवदीय,

05/10/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या (1)/9-1-2014-तद्दिनांक

प्रतिलिपि नगर विकास विभाग के समस्त अनुभागो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

29.9.16

रूप पत्र–1

जिले का नाम–

तहसील का नाम–

वर्तमान स्थिति			संशोधित स्थिति		
गजट का क्रमांक	गॉव सभा का नाम	सम्मिलित गॉवों के नाम	गजट का क्रमांक	गॉव सभा का नाम	सम्मिलित गॉवों के नाम
1	2	3	4	5	6

रूप पत्र–2

जिले का नाम–

तहसील का नाम–

वर्तमान स्थिति					संशोधित स्थिति				
गॉव सभा का नाम तथा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	सम्मिलित गॉवों के नाम तथा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	गॉव सभा के मतदाताओं की संख्या	गॉव सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या		गॉव सभा का नाम तथा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	सम्मिलित गॉवों के नाम तथा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार	गॉव सभा के मतदाताओं की संख्या	गॉव सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या	
			कुल सदस्य	परि0 सदस्य				कुल सदस्य	परि0 सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

रूप पत्र–3

जिले का नाम–

तहसील का नाम–

वर्तमान स्थिति			संशोधित स्थिति		
न्याय पंचायत का नाम	सम्मिलित गॉव सभाओं के नाम	न्याय पंचायत के अन्तर्गत निश्चित पंचों की संख्या	न्याय पंचायत का नाम	सम्मिलित गॉव सभाओं के नाम	न्याय पंचायत के अन्तर्गत निश्चित पंचों की संख्या
1	2	3	4	5	6

रूप पत्र–ट

जिले का नाम–

तहसील का नाम–

नगर पंचायत की स्थिति				सृजन के फलस्वरूप प्रभावित ग्राम			
प्रभावित ग्राम सभा का नाम	ग्राम सभा में सम्मिलित ग्रामों के नाम	ग्राम का सम्पूर्ण क्षेत्रफल (एकड़ में)	ग्राम की सम्पूर्ण जनसंख्या	नगर पंचायत की सीमा के अन्दर का क्षेत्रफल	नगर पंचायत की सीमा के अन्दर पड़ने वाली आबादी का नाम मय जनसंख्या	नगर पंचायत के बाहर का क्षेत्रफल	आबादी जो नगर पंचायत सीमा में नहीं आती नाम व जनसंख्या
1	2	3	4	5	6	7	8

नत्थी (च)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-71-72 पर)

विद्युत वितरण खण्ड चतुर्थ, बैरिया, बलिया।

प्रारूप-'क'

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विद्युत सबस्टेशन दिघार, सोनवानी, बैरिया, नगरीय व ग्रामीण, चांदादियर, लोकधाम ठेकहां, जयप्रकाश नगर व रेवती में जले ट्रान्सफार्मर की दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 20.03.2023 तक बदले जाने की शिकायतो का तिथिवार विवरण

क्र0सं0	मण्डल	उपकेन्द्र का नाम	क्षेत्र/ग्राम का नाम	परिवर्तक की क्षमता	क्षतिग्रस्तता का दिनांक	जले परिवर्तक का मांगपत्र/इन्डेण्ट व दिनांक	जले परिवर्तक को लगाये जाने का दिनांक	टिप्पणी
1	बलिया	बैरिया	गुरारपट्टी	10 के0वी0ए0	01.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
2	बलिया	दिघार	सुथर छपरा	25 के0वी0ए0	01.02.2023	01.02.2023	02.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
3	बलिया	रेवती	चांदपुर नई बस्ती	25 के0वी0ए0	03.02.2023	03.02.2023	04.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
4	बलिया	बैरिया	भगवानपुर	25 के0वी0ए0	04.02.2023	04.02.2023	06.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
5	बलिया	रेवती	खरिका नियर कोल नारा	25 के0वी0ए0	04.02.2023	04.02.2023	06.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
6	बलिया	रेवती	रेवती वार्ड नं0-4	400 के0वी0ए0	04.02.2023	04.02.2023	04.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
7	बलिया	रेवती	चौबे छपरा	25 के0वी0ए0	06.02.2023	06.02.2023	08.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
8	बलिया	बैरिया	जगालपुर	25 के0वी0ए0	06.02.2023	06.02.2023	08.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
9	बलिया	रेवती	चांदपुर नई बस्ती मेन रोड	25 के0वी0ए0	07.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
10	बलिया	लोक धाम (ठेकहा)	लक्ष्मण छपरा	100 के0वी0ए0	07.02.2023	07.02.2023	08.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
11	बलिया	रेवती	आशा मन थोथा मेन रोड	10 के0वी0ए0	08.02.2023	08.02.2023	10.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
12	बलिया	दिघार	पियरौटा	25 के0वी0ए0	09.02.2023	09.02.2023	10.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
13	बलिया	रेवती	रेवती वार्ड नं0-4	400 के0वी0ए0	12.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
14	बलिया	रेवती	देवपुर मठिया	25 के0वी0ए0	12.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
15	बलिया	रेवती	कोलकला	10 के0वी0ए0	12.02.2023	12.02.2023	13.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
16	बलिया	सोनवानी	सुल्तानपुर	25 के0वी0ए0	14.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
17	बलिया	बैरिया	जगदेवा	25 के0वी0ए0	14.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
18	बलिया	बैरिया	भगवानपुर	10 के0वी0ए0	14.02.2023	14.02.2023	15.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
19	बलिया	दिघार	रामपुर	25 के0वी0ए0	17.02.2023	17.02.2023	19.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
20	बलिया	रेवती	कुसौरा	10 के0वी0ए0	18.02.2023	18.02.2023	19.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
21	बलिया	लोक धाम (ठेकहा)	मठध्वज गिरी	10 के0वी0ए0	18.02.2023	18.02.2023	19.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
22	बलिया	सोनवानी	कृपालपुर	63 के0वी0ए0	21.02.2023	21.02.2023	23.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
23	बलिया	दिघार	रामपुर	10 के0वी0ए0	22.02.2023	22.02.2023	24.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया

24	बलिया	दिघार	पियरौटा	25 के0वी0ए0	22.02.2023	22.02.2023	24.02.2023	48 घण्टे के अन्दर लगाया गया
25	बलिया	सोनवानी	कृपालपुर	25 के0वी0ए0	23.02.2023	23.02.2023	24.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
26	बलिया	तहसील बैरिया	रेलवे स्टेशन सुरेमनपुर	25 के0वी0ए0	24.02.2023	24.02.2023	24.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
27	बलिया	रेवती	भईसहा	25 के0वी0ए0	26.02.2023	26.02.2023	26.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
28	बलिया	रेवती	दतहा निकट बांधा	10 के0वी0ए0	26.02.2023	26.02.2023	27.02.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
29	बलिया	रेवती	गायघाट निकट मलहोरिया बारी	63 के0वी0ए0	28.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
30	बलिया	सोनवानी	बेलहरी	10 के0वी0ए0	28.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
31	बलिया	लोक धाम (ठेकहा)	चांद दियर	10 के0वी0ए0	01.03.2023	01.03.2023	01.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
32	बलिया	बैरिया	श्रीकान्त पुर	25 के0वी0ए0	03.03.2023	03.03.2023	04.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
33	बलिया	बैरिया	भगवानपुर	10 के0वी0ए0	03.03.2023	03.03.2023	04.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
34	बलिया	रेवती	हड़िया खुर्द	25 के0वी0ए0	04.03.2023	04.03.2023	04.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
35	बलिया	रेवती	दतौली सहतवार	25 के0वी0ए0	05.03.2023	05.03.2023	06.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
36	बलिया	रेवती	करौली	25 के0वी0ए0	06.03.2023	06.03.2023	06.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
37	बलिया	सोनवानी	छितौनी	25 के0वी0ए0	11.03.2023	11.03.2023	12.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
38	बलिया	सोनवानी	गायघाट	25 के0वी0ए0	20.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
39	बलिया	दिघार	सुघर छपरा	10 के0वी0ए0	20.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
40	बलिया	दिघार	बलिहार पानी टंकी	25 के0वी0ए0	20.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया
41	बलिया	बैरिया	टेगरही	100 के0वी0ए0	20.03.2023	20.03.2023	21.03.2023	24 घण्टे के अन्दर लगाया गया

अधिशासी अभियन्ता

नत्थी (छ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-66 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-85-86 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र-2023 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री नाहिद हसन, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-66 का संलग्नक।

क्र0सं0	विधान सभा का नाम	उपकेन्द्र का नाम	औसत विद्युत आपूर्ति (घंटों में) (दिनांक 01.12.2022 से 21.03.2023)		
			ग्रामीण	तहसील	कृषि
1.		देवी मंदिर कैराना	-	21:18	-
2.		जन्धेडी	17:30	-	9:35
3.		कैराना देहात	17:27	-	9:25
4.		झाडखेडी	17:40	-	9:35
5.		डूण्डूखेडा	17:37	-	9:35
6.		पंजीठ	17:40	-	9:33
7.		मौहम्मदपुर राई	17:32	-	9:30
8.		खुरगान	17:37	-	9:32
9.		पावटी कलां	17:40	-	9:34
10.		झिझाना टाउन	20:19	-	9:47
11.		झिंझाना रूरल	17:38	-	9:32
12.		कमालपुर	17:42	-	9:47
13.		अव्वदाननगर	17:34	-	9:33
14.		मन्सूरा	17:37	-	9:35
15.		केरटॅ	17:39	-	9:37
16		कसेरवा कलां	17:45	-	9:40
17.		भूरा	17:32	-	9:34
18.		कण्डेला	17:38	-	9:32

नोट : खंड के अन्तर्गत उपरोक्त 18 नं0 उपकेन्द्र कैराना विधान सभा के क्षेत्रान्तर्गत आते हैं।

नत्थी (ज)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-92 पर)

जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के निर्धारित चक्र में आने वाले कुल 28 मार्गों की सूची :-

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रगति की अद्यतन स्थिति	क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग की श्रेणी	प्रगति की अद्यतन स्थिति
1	चिरोर जसराना फरिहा कोटला फिरोजाबाद मार्ग।	प्र0जि0 मार्ग	अनुबंध गठन प्रगति में है।	15	गढ़ा से कमालपुर मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
2	मुस्तफाबाद एका मार्ग।	प्र0जि0 मार्ग	अनुबंध गठन प्रगति में है।	16	एका प्रेमपुर मार्ग से देवा वाया प्रेमपुर मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
3	नगला कलही से सबलपुर मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	17	तिलकधारी बाबा के स्थान से झपारा मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
4	नगला उदी से नगला कलही मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	18	फरिहा आवागढ़ मार्ग से ग्राम दमारा मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
5	एटा शिकोहाबाद मार्ग से नगला भाट मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	19	शीबा पंचायत घर से अकबरपुर तक मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
6	शिकोहाबाद मुस्तफाबाद मार्ग से नगला कोलू मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	20	फरिहा जसराना मार्ग से शीतलपुर तक मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
7	सांती से गढ़िया मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	21	नगला शीश मार्ग से अहमदपुर तक मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
8	मुस्तफाबाद हाथवन्त से अहमदपुर रनवीर सिंह के मकान तक मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	22	धरौआ से खैरिया मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
9	हाथवन्त मुस्तफाबाद से साहूमई तक मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	23	कचमई सम्पर्क मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
10	एटा शिकोहाबाद मार्ग पर पट्टी आश्रम से चैनसुख बौड़िया तक मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	24	फरीदा पाडम से नगरिया रामपुर मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण
11	एटा शिकोहाबाद पर सुरैला गांव से नगला गोकुल, फरीदा रोशनपुर नगला नद्दुआ वाया कैलई नहर पुल मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	25	उडैसर पुल से नगला गौसा मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
12	पैहत से मदीपुर खुदादपुर गांव मार्ग।	या0 मार्ग	पूर्ण	26	मुस्तफाबाद हाथवन्त मार्ग से अहमदपुर भड़ा मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
13	शिकोहाबाद से मुस्तफाबाद से औडमपुर बनौया मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	27	जसराना फिरोजाबाद से बरथरा वाया जरैला मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।
14	सोराया से कताना वाया नगला मोती की पुलिया तक मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।	28	फरिहा मुस्तफाबाद से बरथरा वाया जरैल मार्ग।	या0 मार्ग	कार्य प्रगति में।

नत्थी (झ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-79 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-94-95 पर)

NAGAR NIGAM LUCKNOW

Income and Expenditure Statement
for the Year ended on 31st March 2023

Code No.	Item/ Head of Account	Sch. No.	Amount (₹) 2022-23	Amount (₹) 2021-22
1	2	3	4	5
	INCOME			
I-10	Tax Revenue	I-1	3,81,39,64,465.82	2,82,19,60,354.00
I-20	Assigned Revenues & Compensation	I-2	41,21,55,731.00	34,33,61,200.00
I-30	Rental Income from Municipal Properties	I-3	4,00,48,283.29	2,37,51,750.43
I-40	Fees & User Charges	I-4	74,70,39,546.76	58,27,77,429.20
I-50	Sale & Hire Charges	I-5	79,13,681.00	86,83,367.00
I-60	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-6	9,73,43,06,341.68	9,22,13,42,798.00
I-70	Income from Investments	I-7	5,65,41,249.00	3,30,82,305.00
I-71	Interest Earned	I-8	16,50,07,803.96	20,67,88,142.28
I-80	Other Income	I-9	7,29,90,153.00	5,36,20,560.50
A	Total – INCOME		15,04,99,67,255.51	13,29,53,67,906.41
	EXPENDITURE			
2-10	Establishment Expenses	I-10	5,72,94,67,447.34	4,92,56,09,608.48
2-20	Administrative Expenses	I-11	10,90,05,489.85	20,26,83,033.56
2-30	Operations & Maintenance	I-12	6,72,86,88,371.84	5,03,76,54,822.40
2-40	Interest & Finance Expenses	I-13	17,00,37,356.59	17,01,18,094.53
2-50	Programme Expenses	I-14	6,50,30,815.00	4,81,95,208.00
2-60	Revenue Grants, Contributions & subsidies	I-15	25,37,19,983.00	1,25,37,32,280.00
2-70	Discount & Write off-Property Tax	I-16	23,09,28,927.00	17,01,55,173.00
2-71	Miscellaneous Expenses	I-17	2,02,19,046.37	83,57,805.00
2-72	Depreciation	B-11	1,25,79,81,840.82	1,24,03,46,643.71
4-30	Consumption of Stock	B-14	-	-
B	Total – EXPENDITURE		14,56,50,79,277.81	13,05,68,52,668.68
A-B	*Gross surplus/ (deficit) of income overexpenditure before Prior Period Items*		48,48,87,977.70	23,85,15,237.73
2-80	Add: Prior period Items (Net)	I-19	-	(6,19,45,205.00)
	Gross surplus/ (deficit) of income overexpenditure after Prior Period Items		48,48,87,977.70	17,65,70,032.73
2-90	*Net balance being surplus/ deficit carriedover to Municipal Fund*		48,48,87,977.70	17,65,70,032.73

For & on behalf of Nagar Nigam Lucknow

Compiled from Books of Accounts
For A. Mittal & Associates
Chartered Accountants

CA. Ashutosh Mittal
(Partner)

Chief Finance & Accounts Officer

Addl. Municipal Commissioner

Municipal Commissioner

As per our Separate Audit Report of even date
For Habibullah & Co.
Chartered Accountants

(Partner)
UDIN: 23013006BGXU[illegible]

Place: Lucknow
Date: 29/05/2023

नत्थी (ञ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-98 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-107 पर)

श्री संदीप सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0 98 के क्रम में सूची

क्र0 सं0	संस्तुतिकर्ता मा0 जनप्रतिनिधियों के नाम	विधान सभा	विकास खण्ड	चयनित ग्राम जिसमें लाइटों की स्थापना करायी जानी है
1	मा0 सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी	कोरांव	कोरांव	भलुहा
2	मा0 विधान परि0 सदस्य डा0 मानसिंह यादव जी			सेमरी बाघरायच
3	मा0 विधायक श्री राजमणि कोल जी			खरका खास
4	मा0 विधायक श्री पियूष रंजन निषाद जी	करछना	करछना	डीहा
5	मा0 विधायक श्री वाचस्पति जी	बारा	बारा	कौंधियारा- गौरा
6	मा0 विधायक श्री वाचस्पति जी		शंकरगढ	शंकरगढ- बसहरा उपरहार
7	मा0 विधान परि0सदस्य श्री के0पी0 श्रीवास्तव जी	मेजा	माण्डा	बामपुर
8	मा0 सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी		मेजा	तुन्दुआकला
9	मा0 विधायक श्री संदीप सिंह पटेल जी		मेजा	बन्धता
10	मा0 सांसद केशरी देवी पटेल जी	फूलपुर	बहादुरपुर	फैजुल्लापुर
11	मा0 सांसद केशरी देवी पटेल जी		बहादुरपुर	बनी
12	मा0 विधायक श्री प्रवीण पटेल जी		फूलपुर	ताराडीह
13	मा0 विधायक श्री गुरू प्रसाद मौर्य जी	फाफामऊ	श्रंगवेरपुर	इब्राहिमपुर
14	मा0 विधायक गीता शास्त्री जी	सोरांव	सोरांव	सेवइत
15	मा0 विधान परि0 सदस्य श्री सुरेन्द्र चौधरी		बहरिया	सरायदत्ते (दली का पुरा)
16	मा0 विधान परि0 सदस्य निर्मला पासवान जी		होलागढ	सरायबाजू गिरधरपुर
17	मा0 विधायक श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी	शहर पश्चिमी	भगवतपुर	मैनापुर
18	मा0 विधायक श्री हाकिम लाल बिन्द जी	हण्डिया	हण्डिया	उमरी मनोहरपुर
19	मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष डा0 वी0के0 सिंह जी			शरीफपुर
20	मा0 विधायक विजमा यादव जी	प्रतापपुर	प्रतापपुर	मवैया हिन्दवानी

नत्थी (ट)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-183 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-152-153 पर)

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत कार्यो का विवरण

वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत कार्य

क्रम सं0	योजना का नाम	विधानसभा का नाम	कार्य का नाम	मार्ग की श्रेणी	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	कुल आवंटन
1	RSN-3054	बैरिया	मानगढ़ पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग से गोपालनगर पंचायत भवन सम्पर्क मार्ग।	VR	4	86.09	8.6
2	RSN-3054	बैरिया	सीवान टोलाबाजार से इब्राहिमाबाद कुकुरिया बाबा सम्पर्क मार्ग।	VR	3.6	87.68	8.76
3	RSN-3054	बैरिया	दिघार बाजार से पियरौटा सम्पर्क मार्ग	VR	0.7	44.65	4.46
4	Niv_0129	बैरिया	दुर्जनपुर प्रा0प0 सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	0.5	30.56	1.53
5	Niv_0129	बैरिया	एन0एच0-31 से दयाछपरा से पाण्डेयपुर सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य	VR	0.5	29.83	1.49
6	Niv_0129	बैरिया	एन.एच.-31 राघव सिंह के डेरा से करनछपरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1.2	24.23	1.21
7	Niv_0129	बैरिया	मधुबनी करमानपुर से आम्बेडकर ग्राम मधुबनी संपर्क मार्ग	VR	0.3	18.14	0.91
8	Niv_3229	बैरिया	चांदपुर भगवानपुर मार्ग से बलुआ सावन छपरा सम्पर्क मार्ग	VR	1	22.48	17.98
9	Niv_3229	बैरिया	चौबे का टोला संपर्क मार्ग	VR	1	37.42	37.41
10	Niv_0129	बैरिया	गंगापुर विनय यादव के घर से मस्जिद तक के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.6	38.41	30.73
11	Niv_0129	बैरिया	एस0एच0 1बी से किसनपुर सूर्यप्रकाश मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.8	19.9	15.92

	Niv_0129	बैरिया	सुरेमनपुर श्रीनगर से गंगापुर मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1.	25.04	20.03
13	Niv_0129	बैरिया	पृथ्वीचक सम्पर्क मार्ग के विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.9	23.34	18.67
14	Niv_0129	बैरिया	आर0बी0एल0 से बहुआरा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.75	24.68	19.74
15	Niv_0129	बैरिया	मांझी घाट नई बस्ती मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	0.4	26.27	21.02
16	Niv_0129	बैरिया	सोनबरसा दलछपरा से डोमन टोला मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1	30.53	24.42
17	Niv_0129	बैरिया	नवका गांव सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1	29.85	23.88
18	Niv_0129	बैरिया	सोनबरसा दलनछपरा मार्ग से जमीन बढ़ी मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य।	VR	1.3	28.38	22.7

नत्थी (ठ)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-207 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-167-168 पर)

Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

AMRUT 2.0 Collaboration Platform

HOME CWSP CWAP Project Monitoring Reforms Dashboard

Project title

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 1 AND 2 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR

Project description / Work to be undertaken

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 1 AND 2 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR NIGAM , DISTRICT MEERUT , UTTAR PRADESH

Components

- [x] Source augmentation
- [x] Storage
- [x] Distribution Network
- [x] Pumping station
- [ ] Water treatment
- [ ] Strengthening network
- [ ] Others PPP
- [ ] 24x7 water supply
- [ ] Technology upgradation
- [x] NRW reduction
- [x] Last mile connectivity

Monitoring Elements

- [ ] Sensors
- [ ] Meters
- [ ] Others
- [ ] GIS
- [x] SCADA

Source augmentation would involve

- (●) Supply from a new water source
- ( ) Increase in supply from existing water source

Quantity of water to be supplied (in MLD)

82

No. of pumping stations to be added

8

Length of pumping mains (in km)

0.4

Storage would involve

- ( ) Building a new storage capacity
- ( ) Increase in existing storage capacity
- (●) Both

Storage capacity to be newly built (in MLD)

70

Distribution network would involve ⓘ
Laying of new
distribution network
it of
ribution

tion network to be laid (in km)

Coverage Details ⓘ

Sl.No	Ward number	Ward name	Does the ward include slums?	New water tap connections proposed in Ward Slum	Existing water tap connections serviced in Ward Slum	Households benefitted in Ward Slum
1						
0						
ZONE 1 AND 2			Yes No			
16772						
43119						
43119						
0						

New connection
breakup FY wise ⓘ

2022	0
FY 2023	3200
2024	6400
Y 2025	7172
Y 2026	0

Is the project DPR prepared?

Yes No

Estimated DPR preparation date

20-09-2022

Estimated project award date

30-12-2022

Estimated project completion date

30-09-2025

Estimated project cost (₹ crore)

161

Estimated O&M cost (₹ crore)

32

Funded through (₹ crore)

Central Assistance	State Share	ULB Share	PPP*	XV FC grant	Others (specify)

Project cost breakup (₹ crore)

32.25	128.7500	0		0	

O&M cost breakup (₹ crore)

N/A	32	0		0	

Land availability for the project: Available To be acquired

Expenditure of land considered for the project (₹ crore): 0

Project Highlights

Total household tap connections proposed

16772

Total existing tap connections serviced

43119

Total households benefitted

43119

Estimated project cost (₹ Crore)

161

Estimated project duration (in Days)

821

SCADA

Monitoring Elements

1

- Estimated project cost excludes the cost of land acquisition, if any, for the project
- Estimated project cost includes the cost of 5 years of Operations & Maintenance (O&M) of project infrastructure
- Estimated project cost includes the cost of last mile connectivity, if any, for the project

Project Changes History

- 05/03/2023 @ 12:25 AM — Project submitted to State Status: Ready for Submission → Under State Review
- 03/03/2023 @ 12:23 AM — Project added to Ready for Submission list Status: Draft → Ready for Submission
- 04/03/2022 @ 11:27 PM — Project information saved Status: Draft

Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

AMRUT 2.0 Collaboration Platform

HOME CWSP CWAP Project Monitoring Reforms Dashboard

Project title ①

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 3 AND 4 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR

Project description / Work to be undertaken ①

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 3 AND 4 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR NIGAM , DISTRICT MEERUT , UTTAR PRADESH

Components ①

- [x] Source augmentation
- [x] Storage
- [x] Distribution Network
- [x] Pumping station
- [ ] Water treatment
- [ ] Sewerage ① n network
- [ ] Others
- [ ] 24x7 water supply
- [ ] Technology upgradation
- [x] NRW reduction
- [x] Last mile connectivity

Monitoring Elements ①

- [ ] Sensors
- [ ] Meters
- [ ] Others
- [ ] GIS
- [x] SCADA

Source augmentation would involve ①

- (●) Supply from a new water source
- ( ) Increase in supply from existing water source

Quantity of water to be supplied (in MLD)

52

No. of pumping stations to be added ①

8

Length of pumping mains (in km) ①

0.40

Storage would involve ①

- ( ) Building a new storage capacity
- ( ) Increase in existing storage capacity
- (●) Both

Storage capacity to be newly built (in MLD)

7

Distribution network would involve
Laying of new
distribution network
nt of
ribution

tion network to be laid (in km)

Coverage Details

Sl.No.	Ward number	Ward name	Does the ward include slums?	New water tap connections proposed in Ward	New water tap connections proposed in Slum	Existing water tap connections serviced in Ward	Existing water tap connections serviced in Slum	Households benefitted in Ward	Households benefitted in Slum
1	0	ZONE 3 AND 4	Yes No	13345		48726		48726	
0									

New connection breakup FY wise

2022	0
FY 2023	2600
2024	7500
Y 2025	3245
Y 2026	0

Is the project DPR prepared?

Yes No

Estimated DPR preparation date

30-09-2022

Estimated project award date

30-12-2022

Estimated project completion date

30-03-2025

Estimated project cost (₹ crore)

172

Estimated O&M cost (₹ crore)

35

Funded through (₹ crore)

Central Assistance	State Share	ULB Share	PPP	XV FC grants	Others (specify)
34.25	137.7500	0		0	

Project cost breakup (₹ crore)

O&M cost breakup (₹ crore)

N/A	35	0		0	

Land availability for the project Available To be acquired

Estimated cost of land connected for the project (₹ crore) 0

Project Highlights

Total household tap connections proposed

13345

Total existing tap connections serviced

48726

Total households benefitted

48726

Estimated project cost (₹ Crore)

172

Estimated project duration (in Days)

821

SCADA

Monitoring Elements

1

- Estimated project cost excludes the cost of land acquisition, if any, for the project
- Estimated project cost includes the cost of 5 years of Operations & Maintenance (O&M) of project infrastructure
- Estimated project cost includes the cost of last mile connectivity, if any, for the project

Project Changes History

- 05/03/2023 @ 12:23 AM — Project submitted to State Status: Ready for Submission → Under State Review
- 05/03/2023 @ 12:23 AM — Project added to Ready for Submission list Status: Draft → Ready for Submission
- 04/03/2023 @ 11:56 PM — Project information saved Status: Draft

Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

AMRUT 2.0 Collaboration Platform

HOME CWSP CWAP Project Monitoring Reforms Dashboard

Project title

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , ZONE 5,6 AND 7

Project description / Work to be undertaken

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 5,6 AND 7 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR NIGAM , DISTRICT MEERUT , UTTAR PRADESH

Components

- [x] Source augmentation
- [x] Storage
- [x] Distribution Network
- [x] Pumping station
- [ ] Water treatment
- [ ] Sewer network
- [ ] Others
- [ ] PPP
- [ ] 24x7 water supply
- [ ] Technology upgradation
- [x] NRW reduction
- [x] Last mile connectivity

Monitoring Elements

- [ ] Sensors
- [ ] Meters
- [ ] Others
- [ ] GIS
- [x] SCADA

Source augmentation would involve

- (●) Supply from a new water source
- ( ) Increase in supply from existing water source

Quantity of water to be supplied (in MLD)

36

No. of pumping stations to be added

6

Length of pumping mains (in km)

0.3

Storage would involve

- ( ) Building a new storage capacity
- ( ) Increase in existing storage capacity
- (●) Both

Storage capacity to be newly built (in MLD)

25

Distribution network would involve ⓘ
Laying of new
distribution network
it of
ribution

tion network to be laid (in km)

Coverage Details ⓘ

Sl.No	Ward number	Ward name	Does the ward include slums?	New water tap connections proposed in Ward Slum	Existing water tap connections serviced in Ward Slum	Households benefitted in Ward Slum
1						
0						
ZONE 5 6 7						
			Yes No			
16369						
135488						
151857						
0						

New connection breakup FY wise ⓘ

2022	0
FY 2023	3200
2024	6400
Y 2025	6769
Y 2026	0

Is the project DPR prepared?

Yes No

Estimated DPR preparation date

30-09-2022

Estimated project award date

30-12-2022

Estimated project completion date

30-03-2025

Estimated project cost (₹ crore)

91

Estimated O&M cost (₹ crore)

18

Funded through (₹ crore)

Central Assistance	State Share	ULB Share	PPP	XV FC grants	Others (specify)
18.25	72.75	0		0	

Project cost breakup (₹ crore)

18.25	72.75	0		0	

O&M cost breakup (₹ crore)

N/A	18	0		0	

Land availability for the project

Available To be acquired

Estimated cost of land compensation for the project (₹ crore) 0

Project Highlights

Total household tap connections proposed

16369

Total existing tap connections serviced.

135488

Total households benefitted

151857

Estimated project cost (₹ Crore)

91

Estimated project duration (in Days)

821

SCADA

Monitoring Elements

1

- Estimated project cost excludes the cost of land acquisition, if any, for the project
- Estimated project cost includes the cost of 5 years of Operations & Maintenance (O&M) of project infrastructure
- Estimated project cost includes the cost of last mile connectivity, if any, for the project

Project Changes History

[illegible]	11/02/2022 @06:38 PM	11/02/2022 @05:37 PM	[illegible]
Status: Under State Review → Under Centre Review	Status: Under State Review → Under Centre Review	Status: Under State Review → Under Centre Review	Statu → Un

View all

Ministry of Housing & Urban Affairs
Government of India

AMRUT 2.0 Collaboration Platform

HOME CWSP CWLP Project Monitoring Reforms Dashboard

Project title ①

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 8 AND 9 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR

Project description / Work to be undertaken ①

MEERUT WATER SUPPLY REORGNISATION SCHEME ZONE 8 AND 9 UNDER AMRUT 2.0 PROGRAM , (MEERUT NAGAR NIGAM , DISTRICT MEERUT , UTTAR PRADESH

Components ①

- [x] Source augmentation
- [x] Storage
- [x] Distribution Network
- [x] Pumping station
- [ ] Water treatment
- [ ] Smart ③n network
- [ ] Others PPP
- [ ] 24x7 water supply
- [ ] Technology upgradation
- [x] NRW reduction
- [x] Last mile connectivity

Monitoring Elements ①

- [ ] Sensors
- [ ] Meters
- [ ] Others
- [ ] GIS
- [x] SCADA

Source augmentation would involve ①

- (●) Supply from a new water source
- ( ) Increase in supply from existing water source

Quantity of water to be supplied (in MLD)

35

No. of pumping stations to be added ①

9

Length of pumping mains (in km) ①

0.45

Storage would involve ①

- ( ) Building a new storage capacity
- ( ) Increase in existing storage capacity
- (●) Both

Storage capacity to be newly built (in MLD)

70

Distribution network would involve
Laying of new
distribution network
nt of
ribution

tion network to be laid (in km)

Coverage Details

Sl.No.	Ward number	Ward name	Does the ward include slums?	New water tap connections proposed in Ward Slum	Existing water tap connections serviced in Ward Slum	Households benefitted in Ward Slum
1						
0						
ZONE 8 AND 9			Yes No			
11089						
18578						
18578						
0						

New connection breakup FY wise

2022	0
FY 2023	2200
2024	4400
Y 2025	4489
Y 2026	0

Is the project DPR prepared?

Yes No

Estimated DPR preparation date

30-09-2022

Estimated project award date

30-12-2022

Estimated project completion date

30-03-2025

Estimated project cost (₹ crore)

204

Estimated O&M cost (₹ crore)

41

Funded through (₹ crore)

Central Assistance	State Share	ULB Share	PPP	XV FC grants	Others (specify)
40.75	163.2500	0		0	

Project cost breakup (₹ crore)

O&M cost breakup (₹ crore)

N/A	41	0		0	

Land availability for the project: Available To be acquired

Estimated cost of land committed for the project (₹ crore): 0

Project Highlights

Total household tap connections proposed

11089

Total existing tap connections serviced

18578

Total households benefitted

18578

Estimated project cost (₹ Crore)

204

Estimated project duration (in Days)

821

SCADA

Monitoring Elements

1

- Estimated project cost excludes the cost of land acquisition, if any, for the project
- Estimated project cost includes the cost of 5 years of Operations & Maintenance (O&M) of project infrastructure
- Estimated project cost includes the cost of last mile connectivity, if any, for the project

Project Changes History

- 03/03/2022 @ 12:24 AM — Project submitted to State. Status: Ready for Submission → Under State Review
- 03/03/2022 @ 12:23 AM — Project added to Ready for Submission list. Status: Draft → Ready for Submission.
- 04/03/2022 @ 11:32 PM — Project information saved. Status: Draft.

पी0एस0यू0पी0-एल0 05 विधान सभा (08)-12-04-2024-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।